दशम माला, खंड 45 अंक 1

सोमवार, 27 नवम्बर, 1995
6 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पन्द्रहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT
No. 55
Date 27.1.97

सत्यमेव जयते

(खण्ड 45 में अंक 1 और 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी ज़ायेगी। उनका अनुवाद नहीं माना जाएगा)

लोक सभा के दिनांक 27 नवम्बर, 1995 के
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
कवर पृष्ठ	9	और	से
विषय सूची	नीचे से 3	उत्र	उत्तर
ii	3	श्रीमति	श्रीमती
iv	24	पालाचौला, श्री छेदी	पासवान, श्री छेदी
iv	नीचे से 7	पुसापति	पूसापति
v	6	मुगेर	मुंगेर
v	नीचे से 3	बिहो	बिल्हौर
xi	14	श्री सूरेश पचौरी	श्री सुरेश पचौरी
2	19	श्री छोठे लाल	श्री छोटे लाल
14	नीचे से 8	मेजर जनरल(रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डुरी	मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी
29	नीचे से 4	श्री राम श्रय प्रसाद सिंह	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
34	नीचे से 15	मंजुरी	मंजूरी
39	7	श्री दत्ता मघे	श्री दत्ता मेघे
61	नीचे से 7	राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण	राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण
66	7	श्री शोभनाद्रीश्वर राव पाडडे	श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे
79	नीचे से 5	श्री एम. राजशेखर मुर्ति	श्री एम. राजशेखर मूर्ति
84	नीचे से 4	श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल	श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल
109	1	कोल्मबो	कोलम्बो
140	नीचे से 6	श्री धर्मणिामोंडय्या सादुल	श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल
169	3	सीरसागर	क्षीर सागर
192	नीचे से 8	श्री सैयद शाहाबुद्दीन	श्री सैयद शहाबुद्दीन
207	नीचे से 15	श्री शैलेन्द्र मेहता	श्री शैलेन्द्र महतो
217	10	श्री सुर्यनारायण यादव	श्री सूर्यनारायण यादव
237	नीचे से 12	श्री एम.वी.वी.एस. मुर्ति	श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
269	नीचे से 19	श्री सत्येदेव सिंह	श्री सत्यदेव सिंह

विषय-सूची

दशम माला, खंड 45, पन्द्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 1, सोमवार, 27 नवम्बर, 1995/6 अग्रहायण, 1917 (शक)

	कालम
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	I-VIII
लोक सभा के अधिकारी	IX
मंत्रिपरिषद	X-XI
राष्ट्रगान	1
मंत्रियो का परिचय	1-2
निधन संबंधी उल्लेख	2-3
प्रश्नो के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या :1 से 20	13-41
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 182	41-298

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची-(111)

अ

अंजलोज, श्री थाइल जान (अलेप्पी)

अंसारी, डा. मुमताज (कोडरमा)

अकबर पाशा, श्री बी. (वेल्लौर)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराज, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अन्तुले श्री ए. आर. (कोलाबा)

अन्बारासु, श्री आर. (मद्रास मध्य)

अन्वर, श्रीमती के. पद्मश्री (नेल्लौर)

अमरलाल सिहं श्री (मेरठ)

अब्दुल गफूर, श्री (गोपालगंज)

अयूब खां, श्री (झुंझुनु)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुतुराई)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)

अवैध नाथ, महन्त (गोरखपुर)

अशोकराज, श्री ए. (पैरम्बलूर)

अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)

अहमद, श्री ई० (मंजेरी)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजम, डा० फैयाजुल (बेतिया)

आडवाणी, श्री लालकृष्ण (गांधी नगर)

आदित्यन, श्री आर०धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)

इ

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

इम्यालम्बा, श्री (नागालैण्ड)

ईरानी, श्रीमती शीला एफ. (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)

इस्लाम, श्री नुरुल (धुबरी)

उ

उन्नीकृष्णन्, श्री के०पी० (बडागरा)

उपाध्याय, श्री स्वरुप (तेजपुर)

उमराव सिंह, श्री (जालन्धर)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उम्बे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्वी)

उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु, प्रो० (तेनाली)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ओ

ओडियार, श्री चनैया (दावणगेरे)

ओवेसी,श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कठेरिया, श्री प्रभूदयाल (फिरोजाबाद)

कनौजिया, डा. जी.एल. (खीरी)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)

करेंद्रदुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कहांडोले, श्री जेड० एम० (मालेगांव)

कांशीराम, श्री (इटावा)

कापसे, श्री राम (ठाणे)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तर--पूर्व)

कामसन, प्रो०एम० (बाहय मणिपुर)

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)

कालकादास, श्री (करोलबाग)

कालियापेरुमल,श्री पी. पी. (कुड्डालौर)

काले, श्री शंकर राव दे० (कोपरगांव)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरु)

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)

कुन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)

कुप्पुस्वामी, श्री सी. के. (कोयम्बटुर)

कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)

कुमार, श्री बी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरियन, प्रो. पी. जे. (मवेलीकारा)

कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृष्ण कुमार, श्री एस. (क्विलोन)
कृष्ण स्वामी, श्री एम. (वन्दावासी)
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (श्रीमति) (भरतपुर)
केवल सिंह, श्री (भटिंडा)
केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)
कैनिथी, डा० विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)
कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)
कोटला, श्री जय सूर्यप्रकाश रेड्डी (कुरनूल)
कोंताला, श्री रामकृष्ण (अनेकापल्लो)
कोली, श्री गंगा राम (बयाना)
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

ख

खन्ना, श्री राजेश (नई दिल्ली)
खनोरिया, मेजर डी० डी० (कांगड़ा)
खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)
खां, श्री असलम शेर (बेतुल)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री सुखेन्दु (विष्णुपुर)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)

ग

गंगवार, डा. परशुराम (पीलीभीत)
गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)
गगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)
गजपति, श्री गोपीनाथ (बरहामपुर)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गालिब, श्री गुर चरण सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कन्टाई)
गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)
गिरियप्पा, श्री सी. पी. मुडला (चित्रदुर्ग)
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)
गुडाडिन्नी, श्री बी. के. (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गोपालन, श्रीमति सुशीला (चिरायिंकिल)
गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंहजी (भावनगर)
गौडा, प्रो.के.वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव (वर्धा)
घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

च

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्रीपेरुम्बुदूर)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी. (कराड)
चाक्को, श्री पी०सी० (त्रिचुर)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)
चावड़ा श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)
चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)
चेन्नितला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, श्री ए० बी०ए० गनी खां (माल्दा)
चौधरी, डा० स्क्वैड्रन लीडर कमल (होशियारपुर)
चौधरी, डा० के० वी० आर (राजामुन्दरी)
चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)
चौधरी, श्री राम टहल (रांची)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (बहराइच)
चौधरी,श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौरे, श्री बापू हरि (धूले)

चौहान, श्री चेतन पी. एस. (अमरोहा)
चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छ

छठवाल, श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद)

ज

जंगबीर सिंह, श्री (भिवानी)
जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)
जनार्दनन, श्री एम. आर. कादम्बूर (तिरुनेलवेली)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जसवन्त सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़, श्री बलराम (सीकर)
जाटव, श्री बारे लाल (मुरैना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जावाली, डा० बी० जी० (गुलबर्गा)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जीवरत्नम, श्री आर० (अरांकोनम)
जेना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)
जोशी, श्री अन्ना (पुणे)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी० जे० (दमन और दीव)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टिंडिवनाम, श्री के० राममूर्ति (टिंडिवनाम)
टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच. (बड़ौदा)
टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)
ठाकुर,श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़वंज)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)
डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभूम)

त

तंग्काबालु, श्री के. वी. (धर्मपुरी)
तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
तिरिया कुमारी सुशीला (मयूरगंज)
तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)
तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)
तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)
तोमर,डा० रमेशचन्द (हापुड़)
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (कैसरगंज)
त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकांठा)

थ

थामस, प्रो. के. वी. (मुक्तुपुज्जा)
थामस, श्री पी. सी. (मुक्तुपुज्जा)
थिटे, श्री बापूसाहिब (बारामती)
थुंगन, श्री पी. के. (अरुणाचल पश्चिम)
थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

द

दत्त, श्री सुनील (मुम्बई—उत्तर पश्चिम)
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह (संगरूर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)
दास, श्री द्वारका नाथ (करीमगंज)
दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)
दिघे, श्री शरद (मुम्बई—उत्तर मध्य)
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)
दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)
दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)
देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा—पश्चिम)
देवरा, श्री मुरली (मुम्बई—दक्षिण)

देवराजन, श्री बी.	(रसिपुरम)
देवी, श्रीमती विभू कुमारी	(त्रिपुरा पूर्व)
देशमुख श्री अनन्तराव	(वाशिम)
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव	(परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई	(भड़ौच)
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह	(कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री	(नालगोंडा)
धूमल, प्रो. प्रेम	(हमीरपुर)

न

नंदी, येल्लैया	(सिद्दीपेट)
नवले, श्री विदुरा बिठोबा	(खेड़)
नाईक, श्री राम	(मुम्बई उत्तर)
नायक, श्री ए. वेंकटेश	(रायचूर)
नायक, श्री जी. देवराय	(कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय	(फूलबनी)
नायक, श्री सुबास चन्द्र	(कालाहांडी)
नायकर, श्री डी. के.	(धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री पी. जी.	(गोबिचेट्टिपालयम)
निकम, श्री गोविन्दराव	(रत्नागिरी)
नेताम, श्री अरविन्द	(कांकेर)
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा	(बागलकोट)

प

पंवार, श्री हरपाल	(केराना)
पटनायक, श्री शरत	(बोलंगोर)
पटनायक, श्री शिवाजी	(भुवनेश्वर)
पटेल, डा. अमृतलाल कालिदास	(मेहसाना)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई	(बालसाड़)
पटेल, श्री चन्द्रेश	(जामनगर)
पटेल, श्री प्रफुल	(भंडारा)
पटेल, श्री बृशिण	(सीवान)
पटेल, श्री भीम सिंह	(रीवा)
पटेल, श्री रामपूजन	(फूलपुर)
पटेल, श्री श्रवण कुमार	(जबलपुर)
पटेल, श्री सोमाभाई	(सुरेन्द्रनगर)
पटेल, श्री हरिभाई	(पोरबन्दर)
पटेल, श्री हरिलाल ननजी	(कच्छ)
डा. (श्रीमती) पदमा	(नागापट्टीनम)
पवार, डा. वसंत	(नासिक)
पांजा, श्री अजित	(कलकत्ता उत्तर–पूर्व)
पाडियन, श्री डी.	(मद्रास–उत्तर)
पाटिल, श्री शिवराज वी.	(लादूर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर	(खरगौन)
पाटील, श्री अनवरी बसवराज	(कोप्पल)
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव	(यवतमाल)
पाटील, श्री प्रकाश वी.	(सांगली)
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह	(अमरावती)
पाटील, श्री विजय एन.	(इरनदोल)
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता	(नान्देड़)
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल	(शाहबाद)
पाठक, श्री हरिन	(अहमदाबाद)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ	(देवगढ़)
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	(मंदसौर)
पात्र डा. कार्तिकेश्वर	(बालासौर)
पायलट, श्री राजेश	(दोसा)
पाल, डा. देवी प्रसाद	(कलकत्ता उत्तर–पश्चिम)
पाल, श्री रुपचन्द	(हुगली)
पालाचौला, श्री वी. आर. नायडू	(खम्माम)
पालाचौला, श्री छेदी	(सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास	(रोसेड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव	(अररिया)
पासी, श्री बलराज	(नैनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र	(सिल्चर)
पुसापति, श्री आनन्दगजपति राजू	(बोब्बिली)
पेरुमान, डा. पी. वल्लल	(चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम	(चन्द्रपुर)
प्रकाश,श्री शशि	(चैल)
प्रधानी, श्री के.	(नवरंगपुर)
प्रभु, श्री आर.	(नीलगिरि)
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण	(पणजी)

प्रमाणिक, श्री आर. आर.	(मथुरापुर)
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास	(चामराज नगर)
प्रसाद, श्री हरि केवल	(सलेमपुर)
प्रेम, श्री बी. एल. शर्मा	(पूर्वी दिल्ली)
प्रेमी, श्री मंगलराम	(बिजनौर)
फर्नान्डीज, श्री औस्कर	(उदीपी)
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ	(दरभंगा)
फारुक, श्री एम. ओ. एच.	(पांडिचेरी)
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक	(अकोला)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो	(मारमागाओ)

ब

बंडारु, श्री दत्तात्रेय	(सिकन्दराबाद)
बंसल, श्री पवन कुमार	(चंडीगढ़)
बनर्जी,कुमारी ममता	(कलकत्ता—दक्षिण)
बरार, श्री जगमीत सिंह	(फरीदकोट)
बर्मन, श्री उद्धव	(बारपेटा)
बर्मन, श्री पलास	(बलूरघाट)
बसु, श्री अनिल	(आरामबाग)
बसु, श्री चित्त	(बारसाट)
बाला, डा० असीम	(नवद्वीप)
बालयोगी, श्री जी.एम.सी.	(अमालापुरम)
बालियान, श्री नरेश कुमार	(मुजफ्फरनगर)
बीरबल, श्री	(गंगानगर)
बूटा सिंह, श्री	(जालौर)
बैरवा, श्री राम नारायण	(टोंक)
बैठा, श्री महेन्द्र	(बगहा)
ब्रह्म चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ	(कोकराझार)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन	(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री विश्वेश्वर	(बालाघाट)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी	(जादवपुर)
भडाना, श्री अवतार सिंह	(फरीदाबाद)
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी	(सिक्किम)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल	(अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम	(सारंगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल	(जयपुर)
भुरिया, श्री दिलीप सिंह	(झाबुआ)
भोंसले, श्री प्रतापराव बी.	(सतारा)
भोई, डा० कृपासिन्धु	(सम्बलपुर)

म

मंजय लाल, श्री	(समस्तीपुर)
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द	(मुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार	(जयनगर)
मंडल, श्री सूरज	(गोड्डा)
मधुकर, श्री कमला मिश्र	(मोतिहारी)
मनफूल सिंह, श्री	(बीकानेर)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी.	(शिलांग)
मरान्डी, श्री कृष्ण	(सिंहभूम)
मरान्डी, श्री साईमन	(राजमहल)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह	(सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र	(दुर्गापुर)
मल्लिकार्जुन, श्री	(महबूबनगर)
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस.	(तुमकुर)
मल्लू, डा० आर.	(नगर कुरनूल)
मसूद, श्री रशीद	(सहारनपुर)
महतो, श्री बीर सिंह	(पुरुलिया)
महतो, श्री राजकिशोर	(गिरिडीह)
महतो, श्री शैलेन्द्र	(जमशेदपुर)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा	(इन्दौर)
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती	(अलवर)
माडे, गौडा, श्री जी.	(माण्डया)
माणे, श्री राजाराम शंकरराव	(इचलकरांजी)
माथुर, श्री शिवचरण	(भीलवाड़ा)
मिर्धा, श्री नाथूराम	(नागौर)
मिर्धा, श्री रामनिवास	(बाड़मेर)
मिश्र श्री जनार्दन	(सीतापुर)
मिश्र, श्री राम नगीना	(पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी	(बिल्हौर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल	(तामलुक)
मीणा, श्री भेरूलाल	(सलूम्बर)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री प्रमथेश (बरहामपुर)
मुखर्जी, श्री सुब्रत (रायगंज)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्णनगर)
मुजाहिद श्री बी.एम. (धारवाड़–दक्षिण)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)
मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)
मुरुगेसन, डा.एन. (करुर)
मुरुमु, श्री रुप चन्द (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस. (विशाखापटनम)
मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)
मैथ्यू, श्री के.एम. (इदुक्की)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)
मोहन सिंह, श्री (फिरोजपुर)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नोज)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री राम कृपाल (पटना)
यादव, श्री रामलखन सिंह (आरा)
यादव, श्री राम शरण (खगरिया)
यादव,श्री विजयकुमार (नालन्दा)
यादव, श्री डी. पी. (सम्भल)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
यादव, श्री सुर्यनारायण (सहरसा)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
युमनाम, श्री याइमा सिंह (आंतरिक मणिपुर)

र

रंगपी, डा.जयन्त (स्वशासी जिला)
रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)
राजनारायण, श्री (बासगांव)
राजरविवर्मा, श्री बी. (पोल्लाची)
राजुलू, डा० आर. के. जी. (शिवकासी)
राजे,श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रकुमार, श्री एस.एस. आर. (चिंगलपट्ट)
राजेशकुमार, श्री (गया)
राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव, श्री (पूर्णिया)
राजेश्वरन, डा० वी. (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)
राठवा, श्री एन.जे. (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
रामदेव राम, श्री (पलामू)
राम बदन, श्री (लालगंज)
राम बाबू, श्री ए. जी. एस. (मदुरै)
राममूर्ति, श्री के. (कृष्णागिरि)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिह , श्री (हरिद्वार)
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू (पेरियाकुलम)
रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलुरु)
राय, श्री एम. रमन्ना (कासरगोड़)
राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपाड़ा)
राय, श्री राम निहोर (राबर्ट्सगंज)
राय, श्री लाल बाबू (छपरा)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)

रायप्रधान, श्री अमर	(कूचबिहार)
राव, श्री डी. वेंकटेश्वर	(बापतला)
राव, श्री. जे. चोक्का	(करीमनगर)
राव, श्री पी. वी. नरसिंह	(नन्दयाल)
राव, राम सिंह कर्नल	(महेन्द्रगढ़)
राव श्री वी. कृष्णा	(चिकबल्लापुर)
राव, श्री प्रभू लाल	(बांसवाड़ा)
रावत, श्री भगवान शंकर	(आगरा)
रावत, प्रो० रासा सिंह	(अजमेर)
रावत डा. लाल बहादुर	(हाथरस)
रावले, श्री मोहन	(मुम्बई—दक्षिण मध्य)
राही, श्री राम लाल	(मिसरिख)
रेड्डय्या यादव, श्री के. पी.	(मछलीपटनम)
रेड्डी, श्री आर, सुरेन्द	(वारंगल)
रेडडी, श्री ए. इन्द्रकरन	(आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री ए. वेंकट	(अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम. बागा	(मेडक)
रेड्डी, श्री जी. गंगा	(निजामाबाद)
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा	(ओंगोले)
रेड्डी, श्री एम. जी.	(चित्तुर)
रेड्डी, श्री बी. एन.	(मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री वाई. एस. राजशेखर	(कुडप्पा)
रोशन लाल, श्री	(खुर्जा)

ल

लक्ष्मण, प्रो० सावित्री	(मुकुन्दपुरम)
लालजान बाशा, श्री एस.एम.	(गुन्टूर)
लोढा, श्री गुमान मल	(पाली)
लवली, आनन्द, श्रीमती	(वैशाली)

व

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ	(चतरा)
वर्मा, श्री फूलचन्द	(राजापुर)
वर्मा, श्री भवानी लाल	(जांजगीर)
वर्मा, श्री रतिलाल	(धन्धुका)
वर्मा, प्रो० रीता	(धनबाद)
वर्मा, कुमारी विमला	(सिवनी)
वर्मा श्री शिव शरण	(मछली शहर)
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र	(भोपाल)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी	(लखनऊ)
वाघेला, श्री शंकर सिंह	(गोधरा)
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव	(विजयवाड़ा)
वान्डायार, श्री के.टी.	(थंजावुर)
वासनिक, श्री मुकुल	(बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी.एस.	(पालघाट)
विलियम्स, मेजर जनरल आर.जे.	(नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
वीरप्पा,श्री रामचन्द्र	(बीदर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री	(मिर्जापुर)
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजीभाई	(राजकोट)
व्यास, डा० गिरिजा	(उदयपुर)

श

शंकरानन्द, श्री बी..	(चिकौडी)
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार	(अमेठी)
शर्मा,श्री चिरंजी लाल	(करनाल)
शर्मा, श्री जीवन	(अल्मोड़ा)
शर्मा, श्री राजेन्द्रकुमार	(रामपुर)
शर्मा, श्री विश्वनाथ	(हमीरपुर)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह	(एटा)
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास	(सुल्तानपुर)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर	(सैदपुर)
शास्त्री, श्री विश्वनाथ	(गाजीपुर)
शाह, श्री मानवेन्द्र	(टिहरी गढ़वाल)
शिंगडा, श्री डी.बी.	(दहानू)
शिवप्पा, श्री के.जी.	(शिमोगा)
शिवरामन,श्री एस.	(औट्टापलम)
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद	(खलीलाबाद)
शुक्ल, श्री विद्याचरण	(रायपुर)
शुक्ल श्री मारुति देवराम	(अहमदनगर)
शैलजा, कुमारी	(सिरसा)
श्रीवरण, डा. राजगोपालन	(मद्रास दक्षिण)

श्रीनिवासन, श्री सी.	(डिन्डिगुल)

स

संगमा, श्री पूर्णो ए०	(तुरा)
संघानी, श्री दिलीप भाई	(अमरेली)
सईद, श्री पी.एम	(लक्षद्वीप)
सज्जन कुमार, श्री	(बाह्य दिल्ली)
सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजु	(पार्वती पुरम)
सरस्वती, श्री योगानन्द	(भिंड)
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ	(जलगांव)
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस	(कटिहार)
साक्षी जी, डा०	(मथुरा)
सादुल,श्री धर्मण्णा मोंडय्या	(शोलापुर)
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा	(हिन्दुपुर)
साय, श्री ए. प्रताप	(राजमपेट)
सावन्त, श्री सुधीर	(राजापुर)
सावे, श्री मोरेश्वर	(औरंगाबाद)
साही, श्रीमती कृष्णा	(बेगूसराय)
सिंगला, श्री संतराम	(पटियाला)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे	(गुना)
सिंधिया, श्री माधवराव	(ग्वालियर)
सिदनाल, श्री एस.वी.	(बेलगांव)
सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के. तारादेवी	(चिकमगलूर)
सिल्वेरा, डा० सी.	(मिजोरम)
सिंह, श्री अभय प्रताप	(प्रतापगढ़)
सिंह, श्री अर्जुन	(सतना)
सिंह श्री उदय प्रताप	(मैनपुरी)
सिंह, श्री खेलसाय	(सरगुजा)
सिंह, श्री डा० छत्रपाल	(बुलन्दशहर)
सिंह, ठाकुर महेन्द्र कुमार	(खंडवा)
सिंह, श्री देवी बक्स	(उन्नाव)
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी	(रायगढ़)
सिंह, श्री प्रत[illegible]	(बांका)
सिंह, श्री बृजभूषण शरण	(गोण्डा)
सिंह, श्री मोतीलाल	(सीधी)
सिंह, श्री मोहन	(देवरिया)
सिंह, श्री राजवीर	(आंवला)
सिंह, श्री रामनरेश	(औरंगाबाद)
सिंह, श्री रामपाल	(डुमरिया गंज)
सिंह, श्री रामप्रसाद	(विक्रमगंज)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद	(जहानाबाद)
सिंह, श्री लक्ष्मण	(राजगढ़)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर	(राजनंदगांव)
सिंह, श्री सत्यदेव	(बलरामपुर)
सिंह, श्री सूर्य नारायण	(बलिया)
सिंह, श्री हरि किशोर	(शिवहर)
सिंह, श्री के. पी.	(ढेंकानाल)
सुख राम, श्री	(मंडी)
सुखबंस कौर, श्रीमती	(गुरदासपुर)
सुब्बाराव, श्री थौटा	(काकिनाडा)
सुर, श्री मनोरंजन	(बसीराहाट)
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील	(अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्णदत्त	(शिमला)
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान	(पोन्नानी)
सैकिया, श्री मुहीराम	(नौगोंग)
सैयद, श्री शहाबुद्दीन	(किशनगंज)
सोडी, श्री मानमूराम	(बस्तर)
सोरेन, श्री शिबू	(दुमका)
सोलंकी, श्री सूरजभानु	(धार)
सौन्दरम, डा. (श्रीमती) के. एस.	(तिरुचेंगोड)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द	(बदायूं)
स्वामी, श्री जी वेंकट	(पेड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द	(जलेसर)

ह

हरचन्द सिंह, श्री	(रोपड़)
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह	(रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण	(जोरहाट)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल	(मुर्शिदाबाद)

लोक सभा के अधिकारी

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी. पाटिल

उपाध्यक्ष

श्री एस. मल्लिकारजुनय्या

सभापति तालिका

श्री शरद दिघे

श्री पीटर जी. मरबनिआंग

श्री नीतीश कुमार

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री तारा सिंह

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती संतोष चौधरी

प्रो०. रीता वर्मा

महासचिव

श्री आर. सी. भारद्वाज

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन: श्री पी. वी. नरसिंह राव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, इलैक्ट्रानिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, विधि, न्याय और कंपनी कार्य, रक्षा, जम्मू और कश्मीर मामले, (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा रेल मंत्रालय का अस्थाई प्रभार तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी जो मंत्रिमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : श्री ए.आर.अन्तुले

खाद्य मंत्री : श्री अजित सिंह

कृषि मंत्री : श्री बलराम जाखड़

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री : श्री बूटा सिंह

बिना विभाग के मंत्री : श्री दिनेश सिंह

श्रम मंत्री : श्री जी. वेंकटस्वामी

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री : श्री गुलाम नबी आजाद

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री : डा. जगन्नाथ मिश्र

उद्योग मंत्री : श्री के. करुणाकरण

मानव संसाधन विकास मंत्री : श्री माधव राव सिंधियां

वित्त मंत्री : श्री मनमोहन सिंह

विद्युत मंत्री : श्री एन.के.पी.साल्वे

सूचना तथा प्रसारण मंत्री : श्री पी.ए. संगमा

विदेश मंत्री : श्री प्रणब मुखर्जी

रसायन तथा उर्वरक मंत्री : श्री राम लखन सिंह यादव

गृह मंत्री : श्री एस. बी.चव्हाण

कल्याण मंत्री : श्री सीता राम केसरी

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री : श्री विद्याचरण शुक्ल

राज्य मंत्री (स्वतंत्र ,प्रभार)

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री बलराम सिंह यादव

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री गिरिधर गमांग

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री जगदीश टाइटलर

खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री के. पी. सिह देव

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री कमल नाथ

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री एम. राजशेखर मूर्ति

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री पी चिदम्बरम्

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री : श्री आर. के धवन

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री राजेश पायलट

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री : कैप्टन सतीश कुमार शर्मा

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री संतोष मोहन देव

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री सुख राम

राज्य मंत्री

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री असलम शेर खां

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री : श्री अरविन्द नेताम

प्रधान मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री : श्री भुवनेश चतुर्वेदी

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री : डा. सी. सिल्वेरा

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री : डा. देवी प्रसाद पाल

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री : श्री एडुआर्डो फैलीरो

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) में राज्य मंत्री : श्री जी.वाई. कृष्णन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : श्री एच. आर. भारद्वाज

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री के. वी. तंग्काबालू
नागरकि आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री	:	श्रीमती कृष्णा साही
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री	:	डा. कृपा सिन्धु भोई
उद्योग मंत्रालय) (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	:	श्री एम. अरुणाचलम
वित्र मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति
रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग–अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री मल्लिकार्जुन
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्रीमती मारग्रेट आल्वा
ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री मतंग सिंह
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	प्रो. एम. कामसन
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री अयूब खां
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री मुकुल वासनिक
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री पी.एम.सईद
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	प्रो. पी.जे. कुरियन
जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री पी.वी.रंगय्यानायडू
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री	:	श्री पवन सिंह घाटोवार
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री आर.एल. भाटिया
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री राम लाल राही
ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री	:	कर्नल राव राम सिंह
शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री एस. एस अहलूवालिया
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री सलमान खुर्शीद
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री	:	कुमारी शैलजा
नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री	:	श्रीमती सुखबंस कौर
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री सुरेश कलमाडी
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री	:	श्री सूरेश पचौरी
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	सैयद सिब्ते रजी
विधुत मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्रीमती उर्मिला सी. पटेल
ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	:	श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल
नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री	:	श्री विनोद शर्मा
ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	:	श्री विलास मुत्तेमवार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	:	कुमारी विमला वर्मा

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

खंड 45, दसवीं लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र का प्रथम दिन, अंक–1

लोक सभा

सोमवार, 27 नवम्बर, 1995/ 6 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11.00 बजे म० पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म० पू.

राष्ट्रीय गान

(राष्ट्रीय गान की धुन बजाई गई)

11.02 म० पू.

मंत्रियों का परिचय

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदयः अब मंत्रियों का परिचय करवाया जाएगा।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव): महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री परिषद के नए सदस्यों जिन्हें संसद के पिछले सत्र के बाद मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, का आपसे परिचय करवाना चाहता हूं।

1. श्री एम. राजशेखर मूर्ति : जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री
2. श्री आर. के. धवन : शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री
3. श्री असलम शेर खा : प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
4. डा. देवी प्रसाद पाल : वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
5. श्री जी. वाई. कृष्णन : नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) में राज्य मंत्री
6. डा. कृपासिन्धु भोई : मानव संसाधन विकास मंत्रालय) शिक्षा विभाग) में राज्य मंत्री
7. प्रों. एम. कामसन : ग्रह मंत्रालय में राज्य मंत्री
8. श्री अयूब खां : कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
9. प्रो.पी. जे. कुरियन : अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री
10. श्री सुरेश कलमाडी : रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री
11. श्री सुरेश पचौरी : रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) म राज्य मंत्री
12. श्री सैयद सिब्ते रजी : गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री
13. श्री विनोद शर्मा : नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री
14. श्री विलास मुत्तेमवार : ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
15. कुमारी विमला वर्मा : मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग)मे राज्य मंत्री

उप मंत्री जिन्हे राज्य मंत्री बनाया गया है

1. श्री राम लाल राही : गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
2. कुमारी शैलजा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री

11-06 म० पू.

(अनुवाद)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुंझे सभा को अपने एक वर्तमान सहयोगी श्री छोठे लाल तथा आठ भूतपूर्व सहयोगियों : श्रीमती सुमति उरांव, श्री महाराज सिह भारती, सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया और सर्वश्री मदन पाण्डे, एस एन मिश्र, कुम्भा राम आर्य, पी.वी. जी. राजू तथा श्री शंकर दयाल सिंह के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री छोटे लाल लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे और उत्तर प्रदेश के मोहनलाल गंज संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। पहले, वे पाचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उत्तर प्रदेश के थैल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

प्रारम्भ में श्री छोटे लाल सरकारी सेवा में थे परन्तु सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्होंने 1971 में इसका परित्याग कर दिया। वे दलितों तथा भूमिहीन मजदूरों के कल्याण में विशेष रुचि रखते थें। वे दलित वर्ग लीग तथा रविदास महासभा, इलाहाबाद के सदस्य थे।

श्री छोटे लाल का निधन 15 नवम्बर, 1995 को 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ ।

श्रीमती सुमति उरांव ने सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य के रुप में 1982-84 तथा 1984-89 के दौरान बिहार के लोहरदग्गा संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कल्याण उपमंत्री और पर्यावरण तथा वन राज्य मंत्री भी रहीं। वे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थी और आखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद (महिला सेल) की अध्यक्ष और अखिल भारतीय कौमी एकता समिति की सदस्य थी। वे आदिवासियों तथा समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान में विशेष रुचि रखती थी। उन्होंने 1985-86 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में भी कार्य किया। वे मासिक पत्रिका, समान अधिकार, की सम्पादक थी।

श्रीमती उरांव का निधन 13 सितम्वर, 1995 को 60 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री महाराज सिंह भारती चौथी लोक सभा के सदस्य थे और 1967-70 के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

पहले, वे 1958-64 के दौरान उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य थे और राज्य मंत्रिपरिषद में वित्रमंत्री भी रहे। वे सुविख्यात राजनीतिक कार्यकर्ता थे और स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कई बार जेल गए।

पेशे से किसान श्री भारती ने किसानों के कल्याण में विशेष रुचि ली। वह आखिल भारतीय हिन्द किसान पंचायत के अध्यक्ष थे। वे जातिवाद तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अथक प्रयासरत रहे। उन्होंने हिन्दी, अग्रेजी और कुछ आंचलिक भाषाओं की पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे।

श्री महाराज सिंह भारती का 14 सितम्बर, 1995 को उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट अरनावती में 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया 1952-67 के दौरान पहली, दूसरी तथा तीसरी लोकसभा के सदस्य थे और पंजाब के तरनतारण संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। पहले, वे 1945-47 के दौरान केन्द्रीय विधान मंडल के भी सदस्य थे।

पेशे से किसान और व्यवसायी श्री मजीठिया समर्पित राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकार्ता थे और सार्वजनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रुप से कार्यरत थें।

श्री मजीठिया कई शैक्षणिक संगठनों के साथ धनिष्ठ रुप से जुड़े थ। वे खालसा कालेज के अध्यक्ष तथा संत अत्तर सिंह शैक्षणिक न्यास के आजीवन सदस्य थे।

एक दशक से भी ज्यादा समय के अपने संसदीय जीवन में उन्होनें सभा की कार्यवाहियों में बहुमूल्य योगदान दिया। वे 1952-62 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में वे उपरक्षा मंत्री रहें। वे 1947-49 के दौरान नेपाल में भारत के राजदूत भी रहे।

श्री मजीठिया का निधन 27 सितम्बर 1995 को 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री मदन पाण्डे आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और 1984-89 के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

पहले, वे 1957-62 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य थे।

पुराने स्वतंत्रता सेनानी श्री पाण्डे ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और 1941-42 में जेल भी गए।

पेशे से किसान श्री पाण्डे एक जाने–माने सामाजिक कार्यकर्ता तथा ट्रेड यूनियन नेता थे। वे अलग–अलग हैसियत से उत्तर प्रदेश के विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों से जुड़े थे। उन्होनें समाचार–पत्रों में कई लेख भी लिखे।

श्री मदन पाण्डे का निधन 10 अक्तूबर, 1995 को 78 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एस. एन. मिश्र 1968-77 के दौरान चौथी और पांचवी लोक सभा के सदस्य थे और उत्तर प्रदेश के कन्नौज निर्वाचन–क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

वे राष्ट्रीय आन्दोलन से अत्यधिक प्रभावित थे और राष्ट्रपिता के आहवान पर इसमें कूद पड़े और 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में बढ़–चढ़कर हिसा लिया।

जाने–माने सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकार्ता के रुप में उन्होनें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी । वे विभिन्न हैसियतों से अनेक संगठनों से जुड़े थे। उन्होनें अपने पेशे के रुप में वकालत को चुना तथा 22 वर्ष की युवावस्था में मुरादाबाद में वकालत शुरु की । विधि में उनकी विदग्धता तथा कौशल की अत्यन्त सराहना की गई। लगभग दो दशकों तक उत्तर प्रदेश अधिवक्ता परिषद और उच्चन्यायालय अधिवक्ता एसोसिएशन के सदस्य के रुप में श्री मिश्र ने कानूनी पेशे की उत्कृष्ट सेवा की ।

गांधीवादी जीवन–दर्शन के पक्के समर्थक श्री मिश्र ने 'महात्मा गांधी के चार आधारभूत सिद्वात–प्रार्थना , शुद्वता, शांति तथा उत्पादन' विषय पर कार्यकिया और उक्त शीर्षक से एक पुस्तक सहित कई पुस्तकें लिखी।

श्री एस.एन. मिश्र का निधन 84 वर्ष की आयु में 25 अक्तूबर 1995 को हुआ।

श्री कुम्भा राम आर्य 1980-84 के दौरान सातवी लोक सभा के सदस्य थे और राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। पहले, वे 1960-64 तथा 1969-74 के दौरान राज्य सभा के सदस्य थे। वे 1952-57 तथा 1964-66 के दौरान राजस्थान विधान मंडल के सदस्य रहे तथा राज्य मंत्रिपरिषद में विभिन्न विभागों में मंत्री भी रहे।

पेशे से किसान श्री आर्य सक्रिय सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन के दौरान उन्होनें अपने राज्य में सामाजिक, शैक्षणिक तथा कृषि संबधी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। जाने –माने किसान नेता की हैसियत से उन्होनें मजदूरों तथा किसानों में जागृति लाने के लिए कड़ी मेहनत की और **'किसान यूनियन क्यों'** शीर्षक से एक पूस्तक लिखी । वे पंचायती राज की स्थापना के लिए कार्यरत विभिन्न संगठनों के साथ धनिष्ठ रुप से जुड़े थे और राजस्थान पंचायत राज संघ के संस्थापक थे।

श्री कुम्भा राम आर्य का निधन 81 वर्ष की आयु में 26 अक्तूबर, 1995 को हुआ।

श्री पी वी जी राजू दूसरी, पांचवी, छठीं तथा सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और क्रमशः 1957-60, 1971-77 और 1977-84 के दौरान आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम और बोबीली संसदीय निर्वाचन–क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्ष 1952-56 और 1956-57 के दौरान क्रमशः मद्रास ओर आन्ध्र–प्रदेश विधान सभाओं के सदस्य थे। 1960-71 के बीच की अवधि के दौरान वह दोबारा आन्ध्रप्रदेश विधान सभा के सदस्य बन गए तथा उन्होंने मंत्री परिषद में राज्य मंत्री और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

श्री राजू पेशे से कृषक थें। वह सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे तथा श्री जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी थे।

उन्होंने महराजा अलक नरायण आर्ट एण्ड साइंस सोसाइटी, विजय नगर, आन्ध्रप्रदेश के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और खेल-कूद के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि थी। श्री पी.वी. जी. राजू का निधन 71 वर्ष की आयु में 14 नवम्बर, 1995. को विशाखापत्तनम में हुआ।

श्री शंकर दयाल सिंह पाचंवी लोक सभा के सदस्य थे तथा वर्ष 1971-77 के दौरान बिहार के चत्तरा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह वर्तमान में राज्य सभा के सदस्य थे।

श्री सिंह पेशे से कृषक और पत्रकार थे तथा वे हमेशा अपनी लेखनी चलाते रहें और ये उत्कृष्ट संसदविद्ध थे। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रुप में कार्य किया। उन्होंने कम्यक यात्राए की तथा साहित्य, शिक्षा संस्कृति, सामाजिक कार्य और श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। एक लेखक होने के नाते श्री सिंह ने हिन्दी में 30 पुस्तके लिखी। इसके अलावा वे 16 वर्षो तक 'मुक्त कठ' के सम्पादक भी रहे। हिन्दी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हे वर्ष 1990 में 'बिहार रत्न' पुरस्कार से सम्मानित्त किया गया।

श्री शंकर दयाल सिंह का निधन 58 वर्ष की आयु में 26 नवम्बर, 1995 को हृदय गति रुक जाने से उस समय हुआ जब वे पटना से टुंडला के लिए रेल से यात्रा कर रहे थें।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक वयक्त करते है तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यकत करने में मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के वर्तमान सदस्य श्री छोटे लाल को अपनी भाभवीनी श्रद्वाजंलि अर्पित करता हूँ। श्री लाल पददलितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्व थे। वह डेप्रेस्सड क्लास लीग और रविदास महासभा, इलाहाबाद के सदस्य भी थे। उन्होने अपने जीवन की शुरुआत सरकारी सेवा से की किन्तु शीघ्र ही सामाजिक सेवा में लग गए। हमे इस सभा में उनकी अनुपस्थिति बहुत खलेगी। मुझे यह जानकर भी गहरा दुख हुआ है कि श्रीमती सुमति उरांव अब हमारे बीच नहीं रही। वह उत्कृष्ट आदिवासी नेता स्वर्गीय श्री कार्तिक उरांव की पत्नी थी। वह अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गो की नेता थीं। वह आदिवासियों के कल्याण में गहरी रुचि लेती थी।

श्री महाराज भारती एक स्वतत्रता सेनानी तथा एक किसान नेता थे।

सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया एक उत्कृष्ट सांसदविद्ध और राजनायिक थे। वह एक अच्छे खिलाडी थे। वे अनेक शैक्षणिक संस्थाओं और अनाथालयों को सहायता प्रदान करते थे।

श्री मदन पाण्डे आठवी लोक सभा के सदस्य थे। भारत छोडों आन्दोलन के दौरान वे जेल गए तथा वे कृषि और ट्रेड यूनियन क्षेत्र में सकिय रहे।

श्री एस.एन. मिश्र एक स्वतन्त्रता सेनानी और ख्याति प्राप्त अधिवक्ता थे। गांधी जी की विचार धारा में उनकी अटूट आस्था थी तथा वे खेलकूद और सामाजिक कार्यो मे गहरी रुचि लेते थे।

श्री कुम्भा राम आर्य के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूँ। वे एक वरिष्ठ नेता थे और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्व थे। वह पंचायती राज के समर्थक थे तथा उन्होनें अनेक मदों पर रहकर राजस्थान और देश के लोगों की सेवा की।

श्री पुष्पति विजियाराम गजपति राजू विजयनगर के पूर्व राजा थे। मैं उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। वह सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में अति सक्रिय थे तथा उन्होनें लम्बे समय तक एक विधायक, मंत्री और सांसद विद के रुप में उत्कृष्ट जीवन व्यतीत किया। महोदय व्यक्तिगत रुप से मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह अनके वर्षो तक आन्ध्रप्रदेश मंत्रिमडंल में मेरे सहयोगी रहे। उन्होनें शिक्षा मंत्री के रुप में सराहनीय रुप से अपनी भूमिका निभाई। वास्तव में आन्ध्रप्रदेश में शिक्षा मंत्री के रुप मैं मैने उनके बाद पदभार संभाला।

मैं श्री शंकरदयाल सिंह के निधन पर भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। वे उत्कृष्ट सासंद विद् और प्रख्यात लेखक तथा हिन्दी प्रेमी थे। वे इस सभा के पूर्व सदस्य थे तथा इस समय दूसरी सभा के सदस्य थे। महोदय मैं फिर व्यक्तिगत रुप सें यह कहना चाहता हूँ कि हम वर्ष 1980 से पूर्व काग्रेस कार्यकारी समीति के सदस्य थे तथा मैने यह देखा कि श्री शंकर दयाल सिंह कार्यकारी समिति के पूर्ण रुप से समर्पित सदस्यों में से एक सदस्य थे। वह कार्यसूची के प्रत्येक शब्द को पढे बिना कार्यकारी समीति की बैठक में नहीं आते थे। अन्य सदस्य ऐसा नहीं करते थे। इसलिए हम सभी हमेशा यह चाहते थे कि वे किसी मुददे पर चर्चा शुरु करे क्योकि उन्हे पत्रों की पूरी जानकारी होती थी तथा वे निर्भीकता से अपने विचार व्यक्त करते थे और वह दूसरो के विचार सूनने के लिए भी तैयार रहते थे। कुल मिलाकर वह बहुत ही विलक्षण व्यक्ति थे। उनके निधन से हम सबको तथा बडी संख्या में उनके मित्रों और प्रशंसको को दुख हुआ हैं। इन सभी द्विवंगत प्रख्यात सदस्यों के निधन से न केवल मुझे व्यक्तिगत रुप से क्षति हुई है बल्कि पूरे देश को तथा हम सबकों गहरा दुख और भारी क्षति हुई हैं परमात्मा इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं न केवल इस सभा के सदस्यों बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री श्री येजहाक राबिन की नृशंस हत्या पर भी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। लेकिन यह तो जरुरी नहीं है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो, उस थोड़े से काल में इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथी हमसे बिछुड़ जाये। श्री छोटे लाल इसी लोक सभा के सदस्य थे। मलीहाबाद चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। दलितों में उनकी अच्छी पैठ थी। अपने परिश्रम से आगे बढें थे। अचानक वे हमारे बीच में से उठ गये।

श्री शंकर दयाल सिंह इस समय दूसरे सदन के सदस्य थे। मगर सचमुच में उनका व्यक्तित्व सदनों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता था, न दलों की दीवारें उन्हें औरों से अलग कर सकती थी। उनका व्यक्तित्व एक साहित्यकार का, रचनाकार का और लेखक का व्यक्तित्व था; जो स्नेह और सदभावना की चाशनी में लिपटा हुआ रहता था।

अध्यक्ष महोदय, आपने उल्लेख किया कि उन्होंने 30 से अधिक पुस्तके लिखी हैं। वे पुस्तके हिन्दी साहित्य के अनमोल भंडार का भाग हैं। व्यक्तियों के बारे में, स्थानों के बारे में, अपने पर्यटन के दौरान जो उनका सूक्ष्म दर्शन होता था, गहराई से चीजो से, जिन व्यक्तियों से वे

मिलते थे उनका बड़ा मर्मस्पर्शी विवरण शंकर दयाल सिंहजी की कलम किया करती थी। हिन्दी के लिए, हिन्दी साहित्य के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जायेगा। वे तो अधिवेशन के लिए आ रहे थे। रेलगाड़ी में सो रहे थे, फिर कभी जागे नहीं। स्वाभाविक है कि उनके इस आकस्मिक देहावसान से हम लोगों को दुःख हुआ है और यहां पर हम नियम और नियम और परम्परा की दीवार को तोड़कर जाना चाहे।

और भी जिन दिवंगत सदस्यों के नाम लिये गये हैं, उनसे मुझे परिचित होने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला था। श्री महाराज सिंह जी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तेवर था। मजीठिया जी की शान अलग थी, नेपाल में हमारे राजदूत थे। उन्होंने रक्षा मंत्रालय का भी कुछ अंशो में भार संभाला था। जो भी काम करते, बड़ी शान के साथ करते थे। श्री कुम्भा राम आर्य जी राजस्थान के साथियों में महारथियों में, याद किये जायेंगे। आपने कहा कि श्री मदन पाण्डे जी स्वतंत्रता सैनानी थे लेकिन जिस बात से हम लोग उनसे अधिक परिचित थे, वह उनका शतरंज के प्रति प्रेम था। वह शतरंज के बड़े खिलाडी थे और सामने वाले को जब तक परास्त नही कर लेते थे तब तक चैन नही लेते थे। श्री राजू 1957 में पहली बार लोकसभा के सदस्य चुने गये। उस समय मैं भी सदस्य चुना गया। हमारी संख्या बहुत कम थी। हम लोग पीछे बैठा करते थे। उस समय वह शायद समाजवादी दल से सम्बन्धित थे। बाद में उन्होंने दायित्व सम्भाला और उनका ठीक तरह से निर्वाह किया। श्रीमती सुमती उरांव का विशेष रुप से उल्लेख आवश्यक है उन्होंने अपने पति के अभाव को पूरा किया, उनकी रिक्तता को पूरा किया और उनकी परम्परा को आगे बढ़ाया। मिश्र जी शुरु में कन्नौज से निर्वाचित हुआ करते थे। वह बड़े विधिवेत्ता थे। मैं देख रहा था कि उन्होंने जो पुस्तके लिखी हैं, उसमें एक पुस्तक है जिसका शीर्षक उस समय भी मेरी समझ में नहीं आया था और अभी भी नहीं आया है,उस शीर्षक का नाम है :–

[अनुवाद]

'चार मौलिक सिद्धान्त : प्रार्थना, शुद्धता, शान्ति तथा प्रोडक्शन आफ महात्मा गांधी।' मैं नहीं जानता कि प्रोडक्शन आफ महात्मा गांधी से उनका क्या अभिप्राय था।

(हिन्दी)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : ये चारों गुण महात्मा गांधी जी में थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अगर वे चारो गुण महात्मा गांधी जी के थे तो प्रोडक्शन आफ महात्मा गांधी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों लिखा? मै नही जानता। खैर, मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रोडक्शन आफ महात्मा गांधी ... ..(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग दिवंगत नेताओं के प्रति अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं उनकी स्मृति में नमन करता हूं। आप हमारी संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुचा दे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आज फिर एक बार हम लोग अपने दिवंगत नेताओं के प्रति श्रद्धांजलि और उनके परिवार के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं कल जब श्री शंकर दयाल सिंह जी के यहां गया था और जब उनका चेहरा देख तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह सोये हुए हैं या सदा के लिए यहां से वह चल बसे। यही मुस्कराता हुआ चेहरा जो कि अभी चार दिन पहले हमारी संसदीय राज्यभाषा समिति के उपाध्यक्ष थे और चार दिन पहले हम लोग कमेटी में बैठे थे और वह बोले थे कि मैं पटना जा रहा हूं, वहां से फिर आऊंगा और हम लोग मिलेंगे और वह सदा के लिए चले गये। इतना हंसमुख व्यक्ति, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या रात हो। किसी भी समय जब हम उनसे मिलते थे, उन्हे देखते थे, उनमे कोई अन्तर नहीं होता था। एक ही प्रवाह से वह हंसमुख चेहरा हमेशा हम लोगों के सामने रहता था। प्रत्येक आदमी में कुछ न कुछ अवगुण होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि शंकर दयाल सिंह उन व्यक्तियों में से थे जिनमें खोजना पड़ता था कि उस व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं है। वह आज हमारे बीच में नही है और देश की क्षति हुई है संसद की क्षति हुई है। हमारे पर्सनल दल की क्षति हुई है। वह हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम आपके माध्यम से उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। श्रीमती सुमति उरांव जी के साथ हम लोग काम करते थे, कार्तिक उरांव जी साथ में थे और मैं समझता हूं कि **ट्राईबल फील्ड** में गरीबों के लिए उनका इतना योगदान रहा है जो कि बहुत कम लोगों का होगा। श्री महाराज सिंह भारती जी का अभी भी कैसेट मेरे पास में है।

वे सिर्फ किसान नेता ही नहीं थे। उनके विचारों में क्रान्तिकारिता थी। खास कर के **सैक्युलरिज्म** का जिस तरीके से एक–एक तर्क के साथ बखान करते थे और एक–एक प्वाइन्ट को रखने का काम करते थे, वे आज हमारे बीच में से उठ कर चले गए हैं।

श्री एस.एन. मिश्र : इमरजेंसी के दौरान जब हम लोग जेल में थे, तो हम लोग पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में प्रतिदिन हम एस.एन. मिश्रा जी का नाम जेल मे पढ़ने का काम करते थे। श्री कुम्भा राम आर्य जी केवल किसानों के नेता नही थे। हम लोग तो उनके बच्चों के समान थे। उनका वात्सल्य जब हम लोगों के प्रति उमड़ता था, तो राजस्थानी भाषा में वह प्रेरणादायक होता था। श्री मनोज पान्डे और श्री पी.वी.जी. राजू– ये तमाम हम लोगों के गणमान्य नेता थे, जो हमारे बीच में से उठ कर चले गए हैं। जाना तो सब को एक दिन है, लेकिन इनमें कुछ मौतें जो हुई है, जैसे शंकर दयाल सिंह जी की इनकी उम्र 58 साल की थी। 58 साल की उम्र कोई उम्र नही होती हैं। शंकर दयाल सिंह जी 58 साल की उम्र में चल बसे। छोटे लाल जी भी हमारे बीच में नही हैं। हम लोगों को कितना गहरा दुःख है, इसको हम लोग ब्यान नही कर सकते हैं, लेकिन होनी को कोई नही रोक सकता है और बुलाने से आने वाले नही है।

हम लोग आपके माध्यम से अपने दल की ओर से इन तमाम दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप से आग्रह करते हैं कि इन शोक संतप्त परिवारों को हम लोगों की वेदना से अवगत कराने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपने दल की ओर से सदन के नेता , विपक्ष के नेता तथा अन्य मित्रों के विचार से सहमत होते हुए अपने इतने सारे मित्रों में दुखद निधनः पर संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारे ये सभी मित्र न केवल प्रख्यात संसदविद् थे बल्कि उन्होंने देश में संसदीय प्रणाली को मजबूत करने में अपना अपूर्व योगदान दिया। हम उनके विशेषकर श्री शंकर दयाल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। श्री सिंह इस समय दूसरे सदन के सदस्य थे और बड़े जिन्दा दिल व्यक्ति थे। उनके साथ हमारे संबंध सदैव मधुर रहे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। हम आभारी होंगे यदि आप शोक सन्तप्त परिवारों को हमारी गहरी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त कर देंगे। हम उन सभी प्रख्यात मित्रों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनका इस अन्तर सत्रावधि । में निधन हो गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बड़े दु.ख की बात है कि इस अंतर सत्रावधि में हमारे अनेक मित्रों का निर्धन हो गया और कल की ही बात है कि श्री शंकर दयाल सिंह हमारे बीच थे जो दोनों ही सभाओं के अनेक सदस्यों के परम स्नेही मित्र थे। उनको सदैव ही दल से ऊपर उठकर एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रुप में आदर दिया गया। जैस कि आपने कहा है मैं समझता हूँ कि इनमें से अधिकाशं मित्रों ने न केवल संसद के भीतर अपितु संसद के बाहर भी बड़ी दक्षता से अपना कर्त्तव्य पूरा किया और वे सभी सामाजिक कार्य, किसानों के हित और समाज के गरीब वर्गो के कार्य से समबद्व रहे। हम उनके निर्धन पर शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी और अपने दल की ओर से गंभीर संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ निवेदन करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवारों कों हमारी संवेदना भेजी जाए।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालमम) : अध्यक्ष महोदय, श्री छोटे लाल, जो कि वर्तमान सभा के सदस्य थे, की मृत्यु से हमने एक अच्छे, संसदविद को खो दिया हैं। वह एक असाधारण सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनकी मृत्यु से सम्पुर्ण देश को क्षति हुई है।

श्री शंकर दयाल सिंह की मृत्यु से हमने एक ईमानदार और प्रतिष्ठित संसदविद को खो दिया है। वह एक अच्छे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संगठनो में भाग लेते रहैं। शिक्षा और संस्कृति के लिए भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। सभा के अन्य भूतपूर्व सदस्यों का योगदान भी सदैव याद किया जाएगा।

आखिल भारतीय अन्ना द्रमुक पार्टी की ओर से मैं शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, श्री छोटे लाल का जीवन दलितो और गरीबों की सेवा के लिए समर्पित था और हमें इस बात का अफसोस है कि उनकी असामयिक मृत्यु हो गई । हमारे सभी दूसरे दिवंगत नेता राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता थे, श्रीमती सुमति उरांव, श्री महारांज सिंह भारती, सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया, श्री मदन पाड़े, श्री एस. एन. मिश्र, श्री कुष्णा राम आर्य और श्री. पी. वी.जी. राजू के लिए जो भावनाएं यहां व्यक्त की गई हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्व करता हूँ।

अध्यक्ष जी , कल हमारे भाई श्री शंकर दयाल सिंह की असामयिक मृत्यु होने से देश ने एक प्रथम श्रेणी का हिन्दी साहित्यकार और एक राष्ट्रीय स्तर का राजनैतिक नेता खो दिया हैं। माननीय शंकर दयाल सिंह जी का शरीर नहीं रहेगा लेकिन उन्होंने जो योगदान विशेष रुप से हिन्दी साहित्य के लिए दिया हैं उससे साहित्यकार भविष्य में भी बराबर प्रेरणा प्राप्त करते रहेगे। हिन्दी के लिए तो उनका जीवन बिलकुल समर्पित था। उन्होने एक अभियान चला रखा था कि हिन्दी को न केवल राष्ट्रभाषा के रुप मैं स्वीकारा जाना चाहिए बल्कि जीवन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, देश–विदेश में हर जगह हिन्दी का उचित सम्मान और उसका उपयोग होना चाहिए।

अध्यक्ष जी, ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने राहुल सांस्कृत्यायन जी से अधिक से अधिक रचना करने की और अधिक से अधिक साहित्य की सेवा करने की होड़ लगा रखी थी। अपनी मृत्यु से 3 महीने पहले 26 अगस्त को उन्होने सपरिवार मुझे अपने यहां निमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मैने और किसी को नही बुलाया हैं। आज आपके साथ हम अपने पारिवारिक संबंधों के नाते बैठ करके दिल खोल करके बात करना चाहते हैं। उनकी सारी बातों में एक ही चिन्ता थी कि देश के सामने बहुत गंभीर चुनौतियां है। देश संकट में है। हिंसक शक्तिया देश को ललकार रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी सारी शक्ति महात्मा गांधी जी के विचारों को, उनके आदर्शो को देश के सामने रखने की हैं। उन्होंने मुझे गांधी जी पर लिखी एक पुस्तक हस्ताक्षर करके दी। मैनें कहा कि मैं आज बाहर जा रहा हूँ कल इसे पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि नही, आप मेरी पुस्तक मत पढ़िए, गांधी जी का जो आर्जिनल लिटरेचर है उन विचारों को आप पढ़िये और मैं चाहता हूँ कि आप उसको जरुर पढ़िए। इस वर्ष उनकी पांच पुस्तकें प्रकाशित हुई। हिन्दी साहित्य की कोई विधा उनसे छूटी नहीं। उन्होने एक कहानीकार के रुप में अपना साहित्य जीवन प्रारम्भ किया, मगर फिर कहानी लिखना बन्द कर दिया और उसका कारण बताते हुए उन्होने यह कहा कि कहानी कल्पना की लेखनी है और जब जीवन के चारों तरफ इतनी वास्तविकताएं मंडरा रही हों जिनसे साहित्य सर्जन हो सकता है, जिनसे लिखा जा सकता है तो फिर कल्पना के जगत में क्यों जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसको लोग अजात शत्रु जैसा मानते थे। उनका हंसता हुआ चेहरा, उनका ठहाका दिल ओर दिमाग दोनों पर अंकित है, उसकों कोई भूल नही सकेगा।

अध्यक्ष जी, उन्होंने पिछले 30 वर्षो से मुझे भाई जी कह कर सम्बोधित किया और मैंने उन्हें प्यार से शंकर कह कर सम्बोधित किया। मैं और मेरा परिवार, हमारा दल, हमारा देश आज शंकर दयाल सिंह जी की असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हैं। उनकी श्रति अपूर्णीय श्रति हैं कम से कम हिन्दी जगत के लिए और राष्ट्रीय जीवन के लिए। अध्यक्ष जी, मेरी हार्दिक संवेदनाएं, मेरी पार्टी की संवेदनाएं इन तमाम दिवंगत व्यक्तियों के शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दें, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं आप और अन्य विशिष्ट मित्रों के साथ इस सभा में उन दिवंगत सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस सभा में और सभा के बाहर हमारे साथ कार्य किया था। मैं विशेष रुप से श्री शंकर दयाल सिंह का उल्लेख करना चाहता हूँ जिनके साथ मुझे समिति में कार्य करने का विशेषाधिकार और अवसर मिला था और मैं उनके स्पष्ट विचारों और विभिन्न विषयों पर उनकी प्रवीणता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वह हिन्दी के एक महान लेखक थे। उन्होंने हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने में अत्यधिक सहयोग दिया। उस दौरान उन्होंने दूसरी भाषाओं के अन्य साहित्यों में भी काफी अधिक रुचि दिखाई और यह महसूस किया कि अनेक भारतीय भाषाओं में लिखी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए कुछ समेकित प्रयास किये जाने चाहिए और कतिपय तत्रं और तरीकों से इन पुस्तकों के आदान-प्रदान के अवसर भी सृजित किये जाने चाहिए।

महोदय, इस अवसर पर मैं एक बार फिर अपनी और पार्टी की ओर से दिवगत सदस्यों के प्रति शोक और संवेदना व्यक्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्षजी, मैं अपने आपको तथा अपनी पार्टी को माननीय प्रधान मंत्री , विरोध पक्ष के नेताओं तथा अन्य पार्टी के नेताओं से संबद्व करता हूँ और जो साथी हम को छोड़ कर चले गए, उनके प्रति अपनी संवेदनाए प्रकट करता हूँ। श्री छोटे लाल जी, श्रीमती सुमति उरांव, श्री मदन पांडे, श्री एस एन मिश्र, श्री शंकर दयाल सिंह, श्री कुंभा राम आर्य, श्री पीवीजी राजू, इन सब नेताओं को मैं व्यक्तिगतरुप से जानता हूँ। आज ये सब साथी हमारे साथ नही हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी तथा मेरी पार्टी आर एस पी की तरफ से दिवंगत नेताओ के शोक-संतप्त परिवारों तक संवेदनाए पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से अपनी तथा अपने दल शिवसेना की ओर से दिवंगत नेताओं के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। मैंने तो अधिकांश नेताओं को देखा नहीं था। छोटे लाल जी भी आज हमारे बीच नहीं हैं, जिनके निधन से विशेषतः भारतीय जनता पार्टी को जो क्षति पहुंची है, उसके लिए मैं अपने आपको तथा अपनी पार्टी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ संबद्व करता हूं। श्री शंकर दयाल सिंह जी हमेशा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कोशिश करते रहे। वे कहते थे कि देश में अधिकतर लोग हिन्दी भाषा बोलते हैं, इसलिए हिन्दी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आजं उनकी इच्छा को यदि पूरा किया जाए तो यह इस सदन की तरफ से उनके प्रति सच्ची श्रद्वांजलि होगी, यह मेरी भावना हैं। प्रधान मंत्री जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम लिया, जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मृत्यु हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वे बेअत सिंह जी को पता नहीं क्यों इतनी जल्दी भूल गए। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से बेअंत सिंह जी को अपनी श्रद्वाजलि प्रकट करता हूं जिन्होने आतंकवाद को रोकने के लिए प्रामाणिक तौर पर कोशिश की । मैंने एक गीत सुना था—

चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए,

सावन जब अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए।

हमारे ही लोगों ने बेअत सिंह जी को मारा, भूतपूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा जी को मारा, राजीव जी को मारा।

मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरदार बेअंत सिंह जी के मारे जाने के बाद उनकी पत्नी के पास जो जैड श्रेणी की सुरक्षा थी वह हटा दी गयी है। बेअंत सिंह के मारे जाने की जुडिशियल-एन्क्वारी होनी चाहिए। उनकी मौत के वक्त टॉप लेवल के डी एस पी लेवल के अधिकारी मौजूद नहीं थे। मैं उनको श्रद्वाजलिं अर्पित करते हुए यह मांग करता हूं कि उनकी मौत की जुडिशियल एन्क्वारी होनी चाहिए।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष जी, यहां कुछ सदस्यों ने श्री छोटे लाल और सरदार बेअंत सिंह के प्रति अपनी शोक-संवेदनाए प्रकट की हैं। हम अपनी समाजवादी पार्टी को और अपने को उनसे संबधित करते है और अधयक्ष महोदय आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी और हमारी पार्टी की शोक संवेदनाए सब दिवंगत नेताओं के परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम अपने मित्रों के निधन पर गहरा शोक और शोकसतंप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मेरे विचार से, यह उचित होगा कि हम इसी सदंर्भ में दो सकल्प पारित करें —पहला श्रीं बेअन्त सिंह की मृत्यु पर सवेंदना प्रकट करने के लिए और दुसरा इजराईल के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री येजहाक राबिन की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए।

पंजाब और देश के लिए जो कुछ श्री बेअंत सिंह जी ने किया उसे देश के इतिहास में सुनहरी शब्दों में लिखा जायेगा। उन्होंने पंजाब में अमन और शान्ति के लिए और भारत कीं उन्नति के लिए उपनी बलि दे दी। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे।

हम इजराईल के प्रधान मंत्री श्री येजहाक राबिन की मृत्यु पर भी संवेदना व्यक्त करते हैं। वे विश्व के गड़बड़ी वाले भागों में शान्ति लाने का प्रयास कर रहे थे और इस प्रयास में उन्होनें अपना जीवन लगा दिया। विश्व भर के सभी शांतिप्रिय और सही दिशा में सोचने वाले व्यक्ति उन्हें नमन करते हैं और उनके अच्छे कार्यो का स्मरण करते हैं।

मेरे विचार से , सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हम सभी आपके द्वारा व्यक्त उदगारों से सहमत हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल (मुंगेर) : अध्यक्ष जी, लखन लाल कपूर का नाम इसमें नहीं आया हैं। इसमें उनका नाम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम देख लेगें। मैं देख लूगां।

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महादेय, हम सभी आपके द्वारा व्यक्त उद्‌गारों से सहमत हैं और हम इस बात से भी सहमत है कि इन्हें निधन संबंधी कार्यवाहियों में शामिल करना चाहिए और हम इस संबंध में प्रथक संकल्प पारित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पारित सवेदनाए बेअंत सिंह जी, के परिवार के सदस्यों, राज्य विधनमडल, अध्यक्ष और मुख्य मंत्री जी को भेज दी जायेगी। पारित संवेदना संकल्प अध्यक्ष जी के माध्यम से इजराईल की संसद और प्रधान मंत्री को भी भेजा जायेगा।

सभा में सदस्य अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण तक मौन खड़ें रहेंगें।

11.48 म० पू०

तत्पश्चात सदस्य गण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

अध्यक्ष महोदयः इस बात पर सहमति है कि हम आज कार्य नहीं करेंगे । अब सभा कल 28 नबम्बर, 1995 को 11 बजे म. पू. पर पुनः समवेत होन के लिए स्थागित होती हैं।

प्रश्नों के लिखित उतर

[हिन्दी]

पाकिस्तान को अमरीका द्वारा सैनिक साज-सामान की आपूर्ति

*1. **श्री संतोष कुमार गंगवारः**

श्री डी. वेंकटेश्वर रावः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमरीका ने पाकिस्तान को 370 मिलियन डालर के आधुनिक सैनिक साज–सामान की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत की सुरक्षा पर इसके प्रभाव के संदर्भ में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर अमरीका से बातचीत की है,

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है,

(ड.) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे है,

(च) क्या हथियारों की इस आपूर्ति से इस उपमहाद्वीप में हथियारों की होड़ शुरु हो जाएगी, और

(छ) यदि हाँ, तो इस संबंध मे सरकार क्या कदम उठा रही है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). अमरीकी कांग्रेस ने कोरन आपरेशन्स अप्रोप्रिएसन्स बिल में सीनेटर हैंक ब्राउन द्वारा प्रस्तावित संशोधन पारित कर दिया है जिसमें अन्य बातों के अलावा प्रेसलर संशोधन में छूट देने की व्यवस्था है ताकि पाकिस्तान को 368 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आधुनिक अमरीकी सैन्य उपकरण दिए जा सकें जिन पर अक्टुबर 1990 से प्रतिबंध लगा हुआ था। इस विधेयक को राष्ट्रयतिका अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अमरीका पाकिस्तान को प्रस्तरवित सैन्य उपकरण सप्लाई कर सकेगा जिनमे पी–3 सी समुद्री विमान, हारपून मिसाइलें, राडार, एम–198 हाउविटजर, एम–16 इंजन किटें, नाईट विजन किटें आदि शामिल होगी ।

सरकार के विचार से एक ऐसे देश को आधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रस्तावित हस्तांतरण जिसने विगत में इस प्रकार के हथियार हमेशा भारत के विरुद्व इस्तेमाल किए हैं और जो अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए प्रशिक्षण देने और उसे प्रोत्साहित करने तथा नशीले पदार्थो के अवैध, व्यापार के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने में अग्रणी है, दक्षिण एशिया में शान्ति, सुरक्षा एंव स्थायित्व संवर्धित करने में अग्रणी है, दक्षिण एशिया में शान्ति सुरक्षा एंव स्थायित्व संवर्धित करने में सहायक नही होगा । इस प्रस्तावित हस्तांतरण के संदर्भ में पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं सामग्री का चोरी छिपे हासिल किये जाना तथा अमरीका से भारी मात्रा में सैन्य एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करते रहना एव तीसरे देशों से बेलिस्टिक मिसाइले प्राप्त करने पर भी गौर किया जाना चाहिए।

(ग) जी , हां।

(घ) इस संबंध में भारत सरकार की चिन्ता से अमरीका की सरकार को स्पष्ट रुप से अवगत करा दिया गया हैं। हमने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि हमारी इस गहरी चिन्ता और भारतीय राजनीतिक नेताओं तथा जनता की कड़ी प्रतिक्रिया को ध्यान में नही रखा गया।

अमरीका की सरकार के अधिकारियों ने यह कहा है कि प्रेसलर संशोधन को पूरी तरह से समाप्त करने अथवा बाद में एफ–16 विमानों को भी शामिल करने के लिए एकबार दी गई छुट उस मामले में भी लागू करने का उनका कोई इरादा नही हैं।

(ड.) और (छ). सरकार के विचार से पाकिस्तान को दिए जाने वाले आधुनिक सैन्य उपकरणों में ऐसे कई शक्ति गुणक और नई मदें शामिल हैं जो इस क्षेत्र में इस समय उपलब्ध नहीं हैं और जिनसे भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः सरकार पाकिस्तान को अमरीका द्वारा दी जाने वाली सैन्य सहायता के प्रतिकुल प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए वचन बद्व हैं।

[अनुवाद]

बैलाडिला लौह अयस्क खान

*2. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डुरी :**

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेयः

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त क्षेत्र की एक कम्पनी को बेची गई बैलाडिला लौह अयस्क खान के मूल्य का आकलन कर लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) बैलाडिला लौह अयस्क खान को सस्ते मूल्य पर बेचने के क्या कारण हैं,

(घ) क्या इस खान को बेचने से पूर्व इसका कोई न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया था, और

(ङ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ङ). बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप संख्या–11–बी कार्यशील खदान नहीं है। नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (एन. एम. डी. सी) ने इस निक्षेप के संबंध में सम्भावित, गवेषण परियोजना रिपोट तैयार करना आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य ही शुरु किए हैं। 11–बी निक्षेप में वास्तविक खनन कार्य अभी आरम्भ किया जाना है और अन्तत :–यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। इस निक्षेप के विकास के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनी के साथ स्थापित की जाने वाली संयुक्त उद्यम कम्पनी में भागीदारी के लिए सरकार द्वारा एन. एम. डी. सी. को अनुमति दे दी गई है।

संयुक्त उद्यम कम्पनी के पक्ष में खनन पट्टे के हस्तान्तरण के लिए मुआवजा वसूल करने के मुद्दे को एन. एम.डी.सी. के बोर्ड को एक उप–समिति द्वारा विस्तार से जांच की गई थी तथा उसने इस विकल्प की सिफारिश की थी कि एन. एम. डी. सी.द्वारा निक्षेप–11-B पर किए गए वास्तविक व्यय की वर्तमान लागतों के अनुसार एन. एम.डी.सी. उतनी ही राशि वसूल कर सकती है। देश में इस्पात की मांग–पूर्ति के बीच अनुमानित अन्तर को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र में उत्पादन क्षमता स्थापित करने को प्रोत्साहित करने और सहायता देने के लिए राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया।

दिल्ली में रेड लाइन बसें

*3 **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अंतर्गत जनता को एक कुशल सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने का दायित्व राज्य सार्वजनिक परिवहन उपक्रम पर है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में प्राइवेट बसों को रेड लाइन बसों के रुप में चलाने के कारण क्या है तथा इस योजना को शुरु करने से उक्त अधिनियम का किस हद तक उल्लंघन होता है ;

(ग) देश के कानूनों के ऐसे उल्लंघन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) वर्ष 1994 तथा 1995 के दौरान दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम को कितनी बसों के कारण जानलेवा दुर्घटनाएं हुई और इनमें से ऐसी कितनी बसें एक से अधिक बार दुर्घटनाग्रस्त हुई ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हाँ। तथापि, एक कुशल सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए केवल राज्य सार्वजनिक परिवहान उपक्रम ही जिम्मेदार नहीं है।

(ख) वित्तीय समस्याओं के कारण दिल्ली परिवहन निगम (दि. प. नि.) के बेड़े में बढ़ोतरी नहीं की जा सकी और दि.प.नि. जनता की बढ़ती हुई सार्वजनिक परिवहन संबंधी मागँ को पूरा नहीं कर पा रहा था। निजी प्रचालकों को स्टेज कैरिज परमिट जारी करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई स्कीम सितम्बर, 1991 में अनुमोदति की गई और जनवरी, 1992 में लागू की गई। इसे बाद में रेड लाईन बस सेवा कहा जाने लगा। निजी प्रचालकों को स्टेज कैरिज परमिट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66,71, 72 और 80 की शर्तो अनुरुप प्रदान किए गए थे। इससे सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न नही उठता।

(घ) वर्ष 1994 में दि. प. नि. की बसों से दिल्ली में 58 घातक दुर्घटनाएं हुई और 1995 में अक्टूबर, 95 तक 41 दुर्घटनाएं हुई हैं। वर्ष 1994 में दि.प. नि. की बस पंजीकरण स० डी बी पी–6205 से दो घातक दुर्घटनाएं हुई और 1995 में (31-10-1995 तक) दि. प. नि. की बस पंजीकरण सं० डी एल–1 पी–9567 से दो घातक दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ङ.) दि.प. नि. की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निगम निम्नलिखित निवारक उपाय करता है:–

1. दुर्घटना के मामलों में दोषी चालकों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्यवाई की जाती है जैसे कि निलम्बन, सेवा से बरखास्तगी और पुलिस द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाने के कारण सेवा से निष्कासन आदि।

2. बसों की गति को सीमित करने के लिए बसों में गति नियंत्रक लगाए जाते हैं।

3. दि.प. नि. के चालकों को डिपुओं में "पब्लिक एड्रेस सिस्टम". के जरिए यह हिदायतें दी जाती हैं कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए वे यातायात नियमों का पालन करें।

4. समय–समय पर चालकों में वर्णान्धता का पता लगाने के लिए उनकी चिकित्सा जाचँ की जाती है।

5. चालकों के लिए समय–समय पर पूनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

6. दि. प. नि. के अधिकारी बसों की प्रायः गुप्त रुप से जाचँ करते हैं।

द्रुत गति ट्राम प्रणाली (हाई स्पीड ट्राम सिस्टम)

*4 **श्री राम विलास पासवान:**

श्रीमती वसुन्धरा राजे:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने द्रुत गति ट्राम प्रणाली (हाई स्पीड ट्राम सिस्टम) लागू करने हेतु कुछ शहरों को उपयुक्त पाया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन शहरों के नाम क्या हैं जहां ऐसी सुविध पहले ही उपलब्ध है,

(ग) क्या राजधानी में उक्त प्रणाली उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव की जांच कर ली गई है तथ उसे स्वीकृति दे दी गई हैं,

(ड़) उक्त प्रणाली के अंतर्गत राजधानी के किन–किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी बर्तमान स्थिति क्या है तथा इस परियोजना को अंतिम रुप देने में बिलम्ब होने के क्या कारण है;

(च) जिन क्षेत्रों को इस प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है वहां के दैनिक यात्रियों को होंने वाली असुविधाओं के निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). फिलहाल, दुत गति ट्राम प्रणाली (एच एस टी एस) शुरु करने के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव केवल दिल्ली शहर के लिए है। तथापि, उत्तर प्रदेश , राजस्थान और हरियाणा सरकारों से क्रमशः कानपुर, जयपुर और चंडीगढ़ में इसी तरह की प्रणाली शुरु करने के संकेत प्राप्त हुए हैं। इस समय देश के किसी भी भाग में दुत गति ट्राम प्रणाली प्रचालित नहीं होती है।

(ग) और (घ). सरकार दिल्ली में दुत गति ट्राम प्रणाली से संबंधित प्रस्ताव को जांच कर रही हैं। निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर दुत गति ट्राम परियोजना ऐसी पहली परियोजना है और विभिन्न तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर विचार किया जाना है इसलिए इस परियोजना को अंतिम रुप देने के लिए समय जरुरी है। इस तरह इसमें कोई विल्मब नहीं हुआ।

(ड.) निम्नालिखित 9 रुटों पर दुत गति ट्राम प्रणाली चलाने का प्रस्ताव हैं :–

क्रम सं०	रुट	लम्बाई
1.	भीतरी रिंग रोड	48.57 कि.मी.
2.	बल्लभगढ़–फरीदाबाद–आश्रम चोक	27.00 कि.मी.
3.	रा. रा. गोल चक्कर और सेक्टर 15 एवं 32 के बीच बीच–गुडगांव–रंगपुरी–महिपालपुर–धौला कुआं।	23.06 कि.मी.
4-	प्रगति मैदान–मयूर विहार –पटपड़गंज– प्रीत विहार–कृष्णा नगर–विश्वास नगर–विवेक विहार–दिलशाद गार्डन	15.08 कि.मी.
5.	खानपुर–मदनगीर–मस्जिद मोठ–ओखला औधोगिक क्षेत्र– तुगलकाबाद एक्सटेशन–गोविन्दपुरी (नेहरु प्लेस ग्रैटर कैलाश मुलचंद रिंग)	14.08 कि.मी.
6.	नजफगढ़–द्वारिका–उत्तम नगर– विकासपुरी–जनकपुरी–हरीनगर–तिलक नगर– राजागार्डन	15.75 कि.मी.
7.	वजीरपुर औधोगिक क्षेत्र, अशोक विहार,शक्ति नगर, शास्त्री नगर, सराय रोहिलला, आन्नद पर्वत, रानी झांसी रोड, देशबंधु गुप्ता रोड, कनाटप्लेस.	11.38 कि.मी.
8.	राजा गार्डन, कीर्ति नगर, पांडव नगर, वैस्ट पटेल नगर, राजेन्द्रा प्लेस, सत नगर, देशबंधु गुप्ता रोड, लिंक रोड, मन्दिर मार्ग, तालकटोरा रोड, केन्द्रीय सचिवालय.	13.65 कि.मी.
9.	बुद्व विहार, विजय विहार, रोहिणी, पशांत विहार, पीतम पुरा, वजीरपुर डिपों	8.25 कि.मी.
	तथापि , फिलहाल रुट स.0 1,7 ओर 8 के प्रस्ताव पर ही विचार किया जा रहा है।	

(च) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है 9रुटों पर दुत गति ट्राम प्रणाली शुरु किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के तहत तीव्र जन परिवहन प्रणाली (एम आर टी एस) चरण–1 शाहदरा से नांगलोई , विश्व विधालय से केन्द्रीय सचिवालय तथा सब्जी मण्डी से होलम्बी कलां तक के खण्डों पर चलाने का प्रस्ताव है, उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि दिल्ली का एक बढ़ा भाग दुत गति ट्राम प्रणाली (एच एस टी एस) और तीव्र जन परिवहन प्रणाली (एम आर टी एस) के अंतर्गत आ जाएगा तथापि, शेष क्षेत्रों में मौजूदा बस और परिवहन के अन्य साधन चालू रहेंगे।

पंचायतों हेतु आंबटन

*5. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्र सराकार द्वारा पंचायतो के लिये कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और 30 सितम्बर,1995 तक राज्यवार और योजनावार कुल कितनी धनराशि जारी की गई ;

(ख) क्या उक्त धनराशि पंचायतों को सीधे दी गई अथवा पंचायतों हेतु नियत धनराशि का भुगतान जिला प्रशासन/राज्य सरकार के माध्यम से किया गया ;

(ग) उक्त धनराशि किन–किन प्रमुख शीर्षो और उप शीर्षों के अधीन खर्च की जायेगी ;

(घ) क्या कुछ राज्यों के संबंध में धनराशि का आवंटन पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यनिष्पादन न होने या असंतोषजनक होने के कारण रोक किया गया है ; और

(ङ) यदि हां तो तत्सबंधी संक्षिप्त विवरण क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री (डा० जगन्नाथ मिश्र) : (क) और (ख). ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय निधियां पंचायतों को ना तो सीधे ही आवंटित की जाती है और न रिलीज की जाती है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां राज्यों को आवंटित की जाती है। किसी राज्य के अंदर जिलों को निधियों का आबंटन योजना की मार्गदर्शिकाओंके अनुसार किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित श्रेत्रों (इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना) के लिए निधियों का प्रावधान करने के बाद पंचायतों को जिला ग्रमीण विकास एंजेसियों/जिला परिषदों की मार्फत 80% निधियां रिलीज की जाती है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों कों दिए गए आवंटन में से पंचायतों के लिए निर्धारित निधियों को दशानि वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय बजट में खर्च का मुख्य शीर्ष और उप–शीर्ष निम्नानुसार है:–

1. राज्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष 3601
2. उप–शीर्ष/जे 2 (3) (1) (1)
3. जिला ग्रामीण विकास एजेंसी शीर्ष/मुख्य शीर्ष 2505
4. उप–शीर्ष/ एफ 1 (1) (5) (1) (1)

(घ) जी, नहीं।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1995-96 के दौरान जवाहर योजना के अंतर्गत पंचायतों को निर्धारित निधियां

(रुपए लाख में)

क्रमांक	राज्य	पंचायतों के लिए निर्धारित निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	11115.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	114-11
3.	असम	3659.30
4.	बिहार	21803.37
5.	गोवा	123.30
6.	गुजरात	4080.42
7.	हरियाणा	980.16
8.	हिमाचल प्रदेश	391.78
9.	जम्मू और कश्मीर	796.11
10.	कर्नाटक	746[illegible].82
11.	केरल	2715.44
12.	मध्य प्रदेश	14085.42
13.	महाराष्ट्र	12117.82
14.	मणीपुर	146.26
15.	मेघालय	171.14
16.	मिजोरम	72.10
17.	नागालैंड	183.45
18.	उड़ीसा	9017.56
19.	पंजाब	697.82
20.	राजस्थान	5851.98
21.	सिक्किम	66.79
22.	तमिलनाडू	10048.58
23.	त्रिपुरा	189.97
24.	उत्तर प्रदेश	27089.03
25.	पश्चिम बंगाल	9961.44
26.	अंडमान और निकोबार	67.53
27.	दादर व नगर हवेली	36.65

28.	दमन और द्वीव	21.59
29.	लक्षद्वीप	33.86
30.	पाडीचेरी	66.11
	कुल	143168.00

[हिन्दी]

पारेषण एवं वितरण क्षति

*6. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विधुत के पारेषण एवं वितरण क्षति को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में और अंत में तक पारेषण एवं वितरण क्षति का अनुमानित प्रतिशत क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी क्षति को रोकने के लिए वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षति को कम कर पाई है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के . पी. साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1991-92) के प्रारम्भ में पारेषण एवं वितरण (टी एण्ड डी) हानियां 22.83 प्रतिशत थी और वर्तमान संकेतों के अनुसार 1996-97 तक लगभग 20 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है।

(ग) एक प्रतिशत वार्षिक दर से पारेषण एवं वितरण हानिया कम करने के लिए जनवरी, 1993 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी थी।

(घ) और (ड.). पारेषण एवं वितरण में 1.42 प्रतिशत की कमी अर्थात 1991-92 मे 22.03 प्रतिशत से 1993-94 में 21.41 प्रतिशत की कमी प्राप्त की जा चुकी है। पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के सम्बन्ध में राज्य विद्युत युटिलिटियों जिन्हे अपनी सम्बन्धित प्रणालियों में पारेषण एवं वितरण कार्य के दौरान विद्युत की हानि कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने हैं, द्वारा –अपनाए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार ने व्यापक मार्गदर्शी सिद्वात जारी किए हैं।

इब घाटी विद्युत परियोजना

*7 श्री रबि राय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस रिर्पोट की ओर आकृष्ट किया गया है कि अमरीकी कम्पनी ए. ई. एस. द्वारा उडीसा में इब घाटी में स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजना की "परियोजना–लागत" में करोंडों रुपये की वृद्वि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां , तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में उडीसा सरकार और ए.ई एस. के बीच बातचीत का नया दौर आरम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख). प्रवर्तकों द्वारा प्रारंभिक प्रक्षेपित 2075 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अगस्त, 1994 में जांच की गई थी और इस परियोजना के लिए कटौती की गई पूंजीगत लागत 1993-63 करोड़ रुपये से अधिक न होने पर तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। यह मात्र लागत का निर्धारण किया गया है और प्रवर्तकों के साथ इससे निम्न लागत के लिए राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) यह जानकारी में आया है कि उड़ीसा सरकार नए संविदा के लिए प्रवर्तकों के साथ बातचीत कर रही है। प्रवर्तकों ने सूचित किया है कि उन्होने राज्य सरकार को एक अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें परियोजना के स्वरुप में परिवर्तन करके पूंजीगत लागत कम किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तरी ग्रिड में विद्युत व्यवस्था ठप्प हो जाना

*8. श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्री राम नाईक :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित उत्तरी और पूर्वी ग्रिड में बड़े पैमाने पर विद्युत व्यवस्था ठप्प हो जाने की घटना की जांच की है जिसके परिणामस्वरुप अक्तुबर,1995 के पूर्वार्द्व में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के अनेक भाग कई घंटों तक अंधेरे में डूबे रहें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के .पी. साल्वे) : (क) और (ख). अक्टूबर,1995 के पूर्वाध के दौरान पूर्वी और पश्चिमी ग्रिडों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई थी। तथापि, उत्तरी ग्रिड को 10 अक्तूबर, 1995 को लगभग 22.54 बजे गड़बड़ी का सामना करना पड़ा था। परिणामस्वरुप उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विधुत सप्लाई फेल हो गई थी। उत्तर क्षेत्रीय विधुत प्रणाली के शेष भाग अर्थात् दिल्ली की प्रणाली समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , जम्मू व कश्मीर तथा चण्डीगढ़ इससे प्रभावित नहीं हुए और निरन्तर विद्युत सप्लाई की जाती रही थी। तथापि, उत्तर प्रदेश की प्रणाली से विद्युत प्राप्त न होने के कारण इन प्रणालियों को लोड शैडिंग का सहारा लेना पड़ा था। सिंगरौली, रिहन्द, दादरी, ऊँचाहार, और या तथा नरोरा स्थित केन्द्रीय

क्षेत्र के केन्द्रों समेत उत्तर प्रदेश की सभी विद्युत उत्पादन यूनिटें ट्रिप हो गई थी। परिणामस्वरुप , उत्तर प्रदेश में ब्लैक आउट की स्थिति बन गई थी। उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रेक्शन के लिए विद्युत सप्लाई में भी बाधा आई थी । एन टी पी सी के अंता गैस आधारित विद्युत केन्द्र समेत राजस्थान प्रणाली की प्रचालनाधीन युनिटें भी ट्रिप हो गई थीं।

(ग) उपरोक्त ग्रिड गड़बड़ की जाँच करने के लिए मुख्य अभियंता, केन्द्रीय विधुत प्राधिकरणं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ट्रिगरिंग के परिणामस्वरुप गड़बड़ी के कारणों का पता लगाते समय समिति ने विभिम्न उपचारात्मक उपाय सुझाये हैं इनमें ये शामिल हैं, दादरी स्थित 400 के. वी. उपकेन्द्र की ब्रेकर फेल सुरक्षा स्कीम में संशोधन करना, प्राथमिकता के आधार पर शंट केपेसिर्टस अधिष्ठापित करने, कम आवर्तिता की स्थिति में लोड शेडिग करना, विद्युत उत्पादन यूनिटों का मुक्त गवर्नर नियंत्रण आरे हाउस लोड की स्थिति में सिंगरौली युनिटों को अलग करना आदि । सम्बन्धित राज्यों में संम्बन्धित संगठनों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा इन सिफारिशों का क्रियान्वयन किए जाने की स्थिति की मानिटरिंगं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

भारतीयों को मुआवजे का भुगतान

*9 **श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीयों अथवा भारतीयें कम्पनियों को खाड़ी युद्ध में हुए नुकसान की श्रतिपूर्ति के रुप में "बी"श्रेणी के अर्न्तगत भारतीयो के सभी दावों को निपटादिया था ;

(ख) क्या स्युक्त राष्ट्रसंघ ने खाड़ी युद्ध के दौरान मृत्यु अथवा घायल होने के मामलो में भारतीयों द्वारा क्षतिपूर्ति के लिये किये गए दावों को निपटने हेतु धनराशि जारी की थी ;

(ग) यदि हाँ , तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सुयुक्त राष्ट्र संघ के पास भारतीयों अथवा भारतीयें कम्पनियों के ऐसे कोई दावे अभी भी लंबित पड़े है ; और

(ड़) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन दावों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां, संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने ईराक द्वारा पर किए गए आक्रमण के परिणाम स्वरुप चोट और मृत्यु से संबधित श्रेणी "ख" के सभी 258 दावों के संबध में अपना निर्णय बता दिया है जो संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग को उनके द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि यानि 1-1-1995 तक प्रस्तुत किए गए थे।

(ख) जी हाँ। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग ने 168 श्रेणी "ख" के भारतीय दावों के संबध में 6,42,500 अमरीकी डालर का भुगतान कर दिया है।

(ग) श्रेणी "ख" के 258 भारतीय दावों में से 168 श्रेणी "ख" के दावों के संबंध में 642,500 अमरीकी डालर का भुगतान कर दिया गया है, श्रेणी "ख" के अन्य दावे या तो अस्वीकार कर दिए गए डुप्लीकेट पाए गए, सयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग द्वारा श्रेणी "ग" में स्थानान्तरित कर दिए गए। श्रेणी "ग" के 28 दावों के संबंध में अतिरिक्त चिकित्सा कानूनी दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयेग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे ।

(घ) जी हाँ। "क"ग"घ" और "ड़" श्रेणी के भारतीयो दाथे तथा भारत सरकार का श्रेणी "च" दावा संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग के पास अभी भी लम्बित पड़ा है।

(ड़) सभी श्रेणीयों के अर्न्तगत प्रस्तुत किए गए लगभग 1,46, 000 दावों में से संयुक्त राष्ट्र मुआवाजा आयोग ने श्रेणी "क" के केवल 60320 दावों (कुवैत/ईराक से प्रस्थान के लिए अनुग्रह अनुदान) तथा 258 "श्रेणी "ख" के दावों के सबंध में अपना निर्णय दिया है। जबकि श्रेणी "ग" के 168 दावों के सबंध में भुगतान कर दिया गया है। श्रेणी "क" के 60320 भारतीय दावों के संबध में, जिनके लिए भुगतान अनुमोदित किया जा चुका है, 236.27 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग द्वारा अभी किया जाना बाकी है।

यद्यपि , दावों की जांच करना और ठीक पाए गए दावों के सबंध में भुगतान करने की पूरी , जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की ही है भारत सरकार समय समय पर संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की शासी परिषद (जिसमें सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य शामिल हैं) से भारतीय दावों का शीघ्र ही निपटान करने के लिए अनुरोध करती रही है।

[हिन्दी]

आतंकवाद का मुकावला करने के सम्बन्ध में भारत-चीन संधि

*10 **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** :

श्री पकंज चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किसी संधि पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त संधि की मुख्य बातें हैं ; और

(ग) यह सन्धि कब तक लागू की जाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

*11. **श्री तारा सिंह** :

श्री पी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार ने तापीय और जल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु विस्तृत दिशा –निर्देश निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य विद्युत बोर्डो का कार्यकरण प्रभावित होगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है.?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) जी, हां

(ख) निजी विद्युत नीति, जिसकी अक्तुबर, 1991 में शुरुआत की गई थी, इसमें विद्युत संयत्रों के नवीकरण एव आधुनिकीकरण (और एण्ड एम) में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी परिकल्पना की गई है। राज्यों की सहायता के लिए विद्युत मंत्रालय ने अक्तूबर, 1995 में राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्वांत भी जारी किए हैं। मार्गदर्शी सिद्वातों में , अन्य बातों के साथ-साथ, तीन विकल्पों , जिनके नाम निम्नवत हैं, की परिकल्पना की गई है :

1) लीज, पुनर्वास, प्रचालन एवं हस्तातंरण (एल आर ओ टी) : इस विकल्प के अधीन निजी प्रवर्तक राज्य बिजली बोर्ड (एस ई बी) के विद्युत केन्द्र को दीर्घावधि के लिए लीज पर प्राप्त करेगा। निजी प्रवर्तक निवेश करेगा, विद्युत केन्द्र के आर एण्ड एम कार्य करेगा तथा इसके प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य करेगा। लीज के वर्षो की अनुंबधित अवधि समाप्त हो जाने पर विद्युत संयंत्र को पुनः राज्य बिजली बोर्ड को सौंप दिया जाएगा।

2) संयंत्र की बिक्री : ऐसे विद्युत केन्द्र जोकि आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी है, राज्य बिजली बोर्ड इन विद्युत केन्द्रों को सीधे ही निजी पार्टियों को बेचने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

3). राज्य बिजली बोर्डो और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त उधम (जेवी) : राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकार तथा चुनिन्दा निजी सहयोगी द्वारा संयुक्त उद्यम के रुप में एक नई कम्पनी स्थापित की जाएगी। संयुक्त उद्यम कम्पनी आर एण्ड एम संबंधी कार्य करेगी और तथा कथित विद्युत केन्द्र का स्वयं प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्य करेगी।

तथापि, मार्गदर्शी सिद्धातों में यह सुझाव भी है कि राज्यों/राज्य बिजली बोर्डो द्वारा अन्य नए विकल्प, जिन पर वे विचार कर सकते हैं, भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(ग) और (घ). विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से यह आशा की जाती है कि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से राज्य बिजली बोर्डो के कार्यकरण में प्रचालन दक्षता एवं वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से सुधार होगा से सुधार होगा और मागं-आपूर्ति के बीच अन्तर को अधिक प्रभावी रुप से समाप्त किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

ताज महल को विद्युत की आपूर्ति

*** 12. श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ताज महल को प्रदूषण से बचाने के लिए विद्युत की लगातार आपूर्ति करने हेतु एक परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने के उद्देश्य से कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ;

(घ) क्या सरकार इस परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु किसी विदेशी वित्तीय संस्था के साथ बातचीत कर रही है ;

(ड.) क्या किसी विदेशी संस्था ने आगरा को निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने में रुचि दिखलाई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने आगरा-मथुरा क्षेत्र में बिजली की अपूर्ति करने के लिए परिक्षण एवं वितरण नेटवर्क में सुधार करने हेतु एक स्कीम प्रस्तुत की है। इसकी अनुमानित लागत 172.86 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,जोकि इस प्रकार की परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकरण है, ने स्कीम में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को इन सुझावों का समावेशन करने हेतु एक संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी है।

(ड़) ओर (च). जून, 1995 में भारत अमरीकी दिपक्षीय ऊर्जा परामर्शो की मध्यावर्ती समीक्षा के दौरान आगरा-मथुरा क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति की क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ ताज महल से सम्बन्धित एक परियोजना को तैयार करने की सम्भावना का पता लगाने की भी सहमति हुई थी। हाल ही में, इस सम्बन्ध में अमरीका के एक दल ने भारत का दौरा किया था।

[अनुवाद]

जिला पंचायत की शक्तियां

***13 श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तुबर,1995 के "द हिन्दु "में डिस्ट्रिक्ट" पंचायत सपार्वस नतेम ओनली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस में व्यक्त किये गये विचारों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) पंचायतों को तत्सबधी नियमो के अधीन उन्हें प्राप्त शक्तियों एवं उनकी कार्य सीमाओं के बारे में अवगत कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा० जगन्नाथ मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) अनुच्छेद 243-जी के अन्तर्गत राज्यों को अधिकार दिये गये हैं कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार सौपे जो उनको स्वशासित संस्थाओं के रुप में कार्य करने और उन्हें कर लगान तथा एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए सक्षम बनाने हेतु आवश्यक हों। इसके अतिरिक्त, पंचायतों को निधियों का आबंटन करने के लिए सिफारिशें करने हेतु राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया हैं।

दसवें वित्त आयेग ने भी पंचायतों के संसाधनों में सहायता करने के लिए राज्यों को तदर्थ अनुदान देने की सिफारिशें की है।

(ग) केन्द्र सरकार ने राज्यों, गैर सरकारी संगठनों और देश की चुनिन्दा प्रमुख संस्थाओं के सहयोग से पंचायत कर्मचारियों को उनके उत्तरदायित्वों के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इस प्रयोजन के लिए दूरस्थ शिक्षा सहित जन प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विद्युत आपूर्ति

***14. श्री गुरुदास कामतः**

कुमारी सुशीला तिरियाः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सस्ती दरों और कम पूंजी लागत पर विद्युत आपूर्ति करने सम्बन्धी पेशकशों की अनदेखी की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादकों की ऊँची लागत वाली कुछ विद्युत परियोजनाओं की पेशकशों को स्वीकार कर लिया हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में निविदाएं आमंत्रित की थी ; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ड.) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नये उर्वरक संयंत्र

***15. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सरकारी और निजी क्षेत्रों में नये उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी अधिष्ठापित क्षमता सहित तत्संबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकारी और निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग). 24 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा जारी की गयी औद्योगिक नीति विवरण–पत्र के अनुसार, उर्वरक संयंत्र को स्थापित करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी इकाइयों को अपनी प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से अधिक पूंजीगत खर्च करने के लिए सरकार का अनुमोदन लेना पडेगा। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र/ सहकारी इकाइयों ने देश के भीतर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निम्नालिखित प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी) को इसकी द्विचरण परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रस्तुत किये हैं:

क्रमांक	कम्पनी/उपक्रम का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (रु करोड़ में)	परिकल्पित उत्पाद	उप्पादन क्षमता (लाख मी. टन में)
1.	इण्डियन फार्मस फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)	कांडला गुजरात (विस्तार)	212-80	फास्फेट न्यूट्रियेंट	2.11
2	इण्डियन फार्मस फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)	नेलौर.आ.प्र.(ग्रासरुट)	1468.20	यूरिया	7.26
3.	कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको)	हजीरा,गुजरात (ग्रासरुट)	601.38	एनपी (20:20) केन (25%एन)	3.00 2.85
4.	कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको)	हजीरा,गुजरात (विस्तार)	979.00	यूरिया	7.26
5.	नेशनल फार्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	पानीपत हरियाणा (विस्तार)	1175.42	यूरिया	7.26

इसके अतिरिक्त, देश में निम्नलिखित उर्वरक परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है : देश में कार्यान्वयनाधीन उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे :

क्रमांक	कम्पनी/कारपोरेशन का नाम	स्थान	अनुमानित पूर्जीलागत (करोड़ रु. में)	परिकल्पित उत्पादन उत्पाद क्षमता (लाख मी. टन प्रति वर्ष में)	शून्य तारीख	आरम्भ होने की सम्भावित तारीख
1.	इण्डिन फार्मस फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)	आवंला (उ.प्र) (विस्तार)	960.00	यूरिया 7..26	30.09.1993	1.1.1997
2.	इण्डिन फार्मस फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)	कलोल (गुजरात) (विस्तार)	119.08	यूरिया 1.50	1.3.1995	1.9.1997
3.	इण्डिन फार्मस फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)	फूलपूर (उ.प्र.) (विस्तार)	993.00	यूरिया 7.26	20.4.1995	20.1.1998
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	विजयपुर (एम०पी०) (विस्तार)	987.30	यूरिया 7.26	30.9.1993	1.1.1997
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)	मनाली (मद्रास) (विस्तार)	487.47	यूरिया 0.76 एन.पी.के.1.84	1.1.1993	30.6.1996
6.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)	उद्योगमणडलकेरल अमोनिया पंतिस्थापन संयत्र)	618.00	अमोनिया 2.97	10-5-93	31-3-97
7.	ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि०	शाहजहांपुर (उ.प्र) (ग्रासरुटस)	1,325.00	यूरिया 7.26	01.04.92	दिसमबर,95
8	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एनएफसीएल)	काकीनाडा (आ.प्र.) (विस्तार)	954.21	यूरिया 4.95	-	1997-98 का उत्तार्द्ध
9.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	नागंल,पंजाव (डिबांटल नेकिंग)	50.00	यूरिया 1.81	1-5-1995	1-11-96
		कुल यूरिया 38-06लाख मी.टन. प्रतिवर्ष एन. पी. के 1.84 लाख मी टन प्रतिवर्ष				

[अनुवाद]

सोने,चांदी तथा हीरे का खनन

*16. **श्रीमती शीला गौतम:**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान सोने, चांदी तथा हीरे की वर्षवार खनिज मात्रा तथा इनके मूल्य का ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) उक्त अवधि में इस उद्देश्य के लिए आबंटित धनराशि तथा वर्ष 1995-96 के लिए प्रस्तावित आंबटित राशि कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का उक्त खनिजों के खनन/खोज हेतु विदेशी कम्पनीयों से सहयोग लेने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) गत तीन वर्षो के दौरान उत्पादित सोना, चांदी और हीरों की वर्षवार मात्रा और उनके मूल्य नीचे दर्शाए गए है :–

(स्वर्ण और चांदी कि० ग्रा० में; हीरा कैरेट में)

(मूल्य रुपये लाखों में)

	1992-93		1993-94		1994-95	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्वर्ण	1837.26	7252.14	2072.25	9294.31	2369.12	12044.09
चांदी	46531.78	2588.66	56062.90	3459.40	49876.44	2793.23
हीरा	18183	924	18517	1128	24804	914

(ख) भारत सरकार भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को बजट सहायता प्रदान कर रही है। कम्पनी मुख्य रुप से सोने का उत्पादन कर रही है और वर्ष 1992-93,1993-94 और 1994-95 के दौरान सरकार ने क्रमशः 18.80 करोड़ रु०, 19.00 करोड़ रु० और 20.00 करोड़ रु० की सहायता राशि आबंटित की है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के संबंध में गवेषण और खनन हेतु विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी इक्विटी निवेश प्रवेश को बढावा दिया जाएगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा चन्दा दिया जाना

*17. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री बृशिण पटेल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड पिछले तीन वर्षो के दौरान देश के विभिन्न सामाजिक संगठनों को चन्दे दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान प्रत्येक संगठन को चन्दे के रुप में दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अनेक सामाजिक और स्वैछिक संगठनों ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से चन्दा देने का अनुरोध किया था ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे सगठनों के नाम क्या हैं ; और

(ड़) इन सगठनों के अनुरोध स्वीकार करने के कारण क्या हैं और मार्च 1995 तक विभिन्न संगठनों को दान में दी गई कुल धनराशि कितनी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हा।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान "सेल" द्वारा विभिन्न संगठनो को दिए गए दान की कुल राशि नीचे दी गई है:—

1992-93	-	76.06 लाख रुपये
1993-94	-	166.00 लाख रुपये
1994-95	-	230.27 लाख रुपये

उन संगठनों जिन्हें उपरोक्त अवधि के दौरान दान दिया गया है, की सूची काफी लम्बी है। तथापि उन संगठनों जिन्हें तीन वर्षो अर्थात 1992-93 1993-94 और 1994-95 के दौरान 5 लाख रुपये और उससे अधिक राशि का दान मंजूर किया गया है, के नाम संलग्न विवरण—I में दिए गए है। दान की राशि और उसके कारण भी दिए गए हैं।

(ग) और (घ). जी, हां।

उन संगठनों जिन्हें 5 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि का दान मंजूर किया गया है, के नाम विवरण 1 में दिए गए हैं।

तथापि दान के लिए विभिन्न संगठनों से विभिन्न स्तरों/स्थानों से भी कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के अनुरोधों के लिए विस्तृत केन्द्रीकृत रिकार्ड रखने का कोई तन्त्र नहीं है। इस प्रकार के अनुरोधों की सयंत्र/ इकाई स्तर पर स्थानीय रुप से जाचं की जाती है और उनका निपटान किया जाता है।

(ड.) सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम होने के कारण "सेल" आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए देश के कारोबार में भागीदारी करता है। अतः कम्पनी (सेल) का निदेशक मंडल चिकित्सा, शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेलकूद को बढ़ावा देने के कार्यकलापों आदि के लिए कल्याण/विकासात्मक /निर्माण कार्यो को करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर दान के लिए प्रत्येक वर्ष कतिपय राशि मंजूर करता है।

दान देने के लिए संगठनःवार विशिष्ट कारण प्रयोजन उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक में दिए गए हैं।

मार्च,1995 तक पिछले 3 वर्षो के दौरान विभिन्न संगठनों को दान रुप में कुल 472.33 लाख रुपये की राशि दी गई है।

"सेल" दिल्ली , कलकत्ता और बिहार में सुब्रतो कप,केरल स्टेट इन्टर कोलजिएट एथलिटिक चैम्पियनशिप, टु नेश्नल थो बाल चैम्पियनशिप आल इंडिया बिघटन कप हाकी टुर्नामेन्ट , अर्जुन अवार्डी बेनीफिट क्रिकेट मैच, अमेचर एथलिटिक्स चैम्पियनशिप आदि जैसे राष्ट्र स्तर के खेलकूद समारोह/कार्यकलाप भी प्रायोजित करता है।

इसके अतिरिक्त "सेल" ने डेविस कप, चण्डीगढ़ में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय क्रिकेट मैच, नई दिल्ली में एशिया पेशिफिक इन्टरनेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप आदि जैसे अन्तरराष्ट्रीय खेलकूद समारोह भी प्रयोजित किए हैं। सेल ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे कलकत्ता (हुगली में दूसरा सेतु) में विद्यासागर सेतु की प्रकाश व्यवस्था, शांति और सदभावंना को बढ़ावा देने के लिए सात राज्यों सहित सद्भावना रेल यात्रा में भी सहायता की है

"सेल" इस्पात संयंत्रो में और इसके आसपास परिसरीय क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यकलापों को भी बढ़ावा देता है इन कार्यकलापों में उन्मूलन और परिवार नियोजन उपायों के लिए अभियान शामिल हैं परिवार कल्याण के लिए 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 21.58 लाख रुपये, 31.89 लाख रुपये और 56 लाख रुपये व्यय हुआ।

"सेल" द्वारा इसके इस्पात संयंत्रो के समीप के गांवो के परिसरीय विकास पर भी खर्च। किया जाता है । इन योजनाओं के भाग के रुप में सामाजिक लाभ कार्यक्रमों के जरिए सेल के इस्पात संयंत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रयास किए गए हैं। बच्चों की शिक्षा, महिला तथा प्रौढ़ शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थय सेवाएं तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने पर बल दिया गया है। सास्कृतिक कार्य–कलापों तथा सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के जरिये सामुदायिक मनोंरजन भी उपलब्ध करवाया जाता है।

वर्ष 1992-93,1993-94 और 1994-95 के दौरान परिसरीय विकास के लिये क्रमशः 297.18 लाख रुपये, 280.50 लाख रुपये और 425.30 लाख रुपये खर्च किए गए। परिसरीय विकास के अन्तर्गत किए गए विभिन्न कार्यकलापों के लिये संयंत्रवार व्यय संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

परिसरीय विकास के भाग के रुप में शुरु की गई परियोजना की किस्मों की विस्तृत सूची, जिन पर "सेल" द्वारा अनुलग्नक –II में उल्लिखितानुसार व्यय किया गया है, निम्नानुसार है:–

(1) पुलों , बाई पास सड़कों मेटल/मोरम पथ, जल निकासी का निर्माण, बस्ती के समीप के क्षेत्र का समतलीकरण , ड्रैसिग , प्रीमिक्स सडकें।

(2) गांव में रहने वालों के लिए हैण्ड पम्प, टयूबवैल लगाना और कुंए खोदना ।

(3) मन्द बुद्वि, गूंगे–बहरे बच्चों के लिए स्कूल भवनों, मदरसों का निर्माण, उनमें स्कुल का फर्नीचर उपलब्ध करवाना, और हांस्टल महिला कांलेज के भवन आदि का निर्माण करना।

(4) निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाना, पशु अस्पताल का निमार्ण करना, गांव में चिकित्सा सहायता केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र बनाना। टीकाकरण और चिकित्सा शिविर आदि आयोजित करना

(5) मत्स्य और कुटीर उधोग का विकास , गांव महिला मंडलों को सिलाई मशीनें , उपलब्ध कराना और स्वरोजगार सृजन की अन्य योजनाओं को प्रोत्साहित करना।

(6) सुलभ शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों का निमार्ण और उनमें टी.वी. सेट तथा मनोंरजन के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

विवरण-I

1994-95, 1993-93 की अवधि के दौरान उन संगठनों की सूची जिन्हें 5 लाख रुपये या अधिक के दान को मंजुरी दी गई।

"क्रम" संख्या	संगठन का नाम	मंजूर धनराशि	उद्देश्य
1	2	3	4
"क" 1994-95		रुपये.	
1.	सेंट्रल एशिया कल्चरल एक्सपीडशन	5,00,000	तीन देशों मंगोलिया, चीन और तिब्बत में रेशम पद्यति का पता लगाना
2	नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	15,60,720	मौजूदा सुविधाओं के विस्तार हेतु निर्माण कार्य के लिये इस्पात।
0.	संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट	20,00,000	अमेठी स्थित संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के खर्चों हेतु आर्थिक सहायता।
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट आंफ मैटल्स दिल्ली चेप्टर	5,00,000	तुगलकाबाद में उनके नये भवन निर्माण को पूरा करने के लिये।
5.	रवि शंकर शुक्ला ग्रुप ऑफ हांस्पिटल्स	50,00,000	रायपुर में विविध विशेषज्ञताओं से युक्त औषधालय की स्थापना।
6.	कछार कैंसर हांस्पिटल सोसाइटी, सिल्चर	50,00,000	डिटैक्शन कम प्रोवेन्टिव परियोजना को स्थापना
7.	उडीसा मुख्य मंत्री राहत कोष	5,00,000	राज्य कर्मे बाढ राहत कार्यो के लिये।

1	2	3	4
8.	प्रियदर्शिनी महिला महाविधालय, जालडा	5,00,000	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भं करने के लिये।
9.	जिला मजिस्ट्रेट बलिया (उ.प्र.)	5,00,000	अग्नि दुर्घटना पीड़ितों के लिये गैल्वेनाइज्ड कोरयूगेटेड शीट्स।
10.	इंस्टीट्यूट आंफ लेबर स्टडीज़ जमशेदपुर	5,00,000	महिला छात्रावास के निर्माण हेतु।
11.	विधान शिशु उद्यान कलकत्ता	25,00,000	निर्धन बच्चो के लिए मनोरजन केन्द्र राष्ट्र को समृद्वि हेतु राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में
12.	संसद सचिवालय	*4,00,000	सेल की एकात्मकता प्रकट करने के लिये ससंद—भवन में पूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रतिमा लगाना।
13.	काउंसिल फार रुरल वैलफेयर नई दिल्ली	10,00,000	बोकारो में रेशम उत्पादन और मशरुम की खेती का विकास।
14.	होप सोसाइटी फौंर हैंडीकैप्ड औंरिएन्टेशन प्रोगाम एण्ड एज्यूकेशन, दुर्गापुर	5,00,000	भवन निर्माण हेतु

* बोर्ड द्वारा 16.00 लाख रुपये के दान को मंजुरी दी गई थी। जिसमें सें 4.00 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 1994-95 में जारी किये गए। शेष 12.00 लाख रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान दी जानी है।

"ख" 1993-94

1.	इंडियन एवरेस्ट एक्सीपीडीशन कलकत्ता	10,00,000	माडल ऐवरेस्ट अभियान के लिए आर्थिक सहायता।
2.	डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्रस एसोसिएशन हेलकंडी और शिशु भारती स्कूल,सिल्चर	6,00,000	स्टेडियम और स्कूल—भवन निर्माण हेतु प्रत्येक को 3-3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
3.	बिहार मुख्य मंत्री राहत कोष	10,00,000	राज्य में बाढ़ पीडितों की सहायता हेतु।
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफं मैने जमेंट कलकत्ता	10,00,000	मानवीय मूल्यों हेतु मैनेजमेंट सेटर क़ी स्थापना हेतु।
5.	एकेडेमी आफं एच.आर.डी. अहमदाबाद	10,00,000	"मानव संसाधन विकास में सेल के अग्र स्यान का सृजन।
6.	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोश	1,00,00,000	महाराष्ट्र में भूकंप पीड़ितों की सहायता हेतु
7.	डा० विधा सागर हांस्पिटल	6,60,000	न्यूरो साइंसेज सेंटर एण्ड आर्टीफिशियल लिब सेंटर के निर्माण हेतु इस्पात।

"ग" 1992-93

1.	संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट	25,00,000	अमेठी स्थित संजय गांधी मेमोरियल हौंस्पिटल के खर्चो हेतु आर्थिक सहायता।
2.	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार	11,20,000	बलिया जिले के 2 गांवों के अग्नि दुर्घटना से पीडितों के लिये गैल्वेनाइज्ड शीट्स।
3.	डूरंड फुटबाल टुर्नामेंट	5,00,000	डूरंड फुटबालं टूर्नामेंट के आयोजन हेतु।
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट आंफ मैटल्स कलक्त्ता	5,00,000	भवन निर्माण परियोजना हेतु इस्पात।
5.	सोसाइटी फ्रार इंटरनेशनल डवलपमेंट, धनबाद	10,00,000	दामोदर नदी पर विद्युत शवदाह के निर्माण हेतु।
6.	जवाहरलाल नेहरु टूर्नामेट सोसाइटी	5,00,000	चैंपियन कौंलेज हौंकी टुर्नामेंट के आयोजन हेतु और सेल द्वारा पुरस्कार राशि देने के लिये।
7.	बिहार मुख्य मंत्री राहत कोंष	10,00,000	राज्य में सुखे से पीड़ितो को आर्थिक सहायता।

टिप्पणी : वर्ष दर वर्ष मंजूर की गई राशिअनिवार्य रुप से उसी वर्षसंवितरित नहीं गई हो सकती है।

विवरण-II

वर्ष -1992-93 के दौरान परिसरीय विकास कार्यकलापों संबंधी शीर्ष के अन्तर्गत संयंत्र-वार व्यय

क्रमं.स०	कार्यकलाप	संयंत्र					(लाख रुपये)
		बी.एस.पी.	डी.एस.पी.	आर.एस.पी.	बी.एस.एल.	अन्य	कुल
1.	सड़कों का सुधार	11.06	12.84	07.33	36.10	02.76	004.09
2.	पेय जल	03-90	-	08.35	44.34	06.70	063.29
3.	स्कुल भवन/सामुदायिक केन्द्र	06.98	11.98	57.45	40.10	07.44	123.76
4.	रोजगार सृजन	—	—	00.12	-	01.65	001.77
5.	चिकित्सा	01.87	-	06.60	06.42	02.24	017.13
6.	सामुदायिक कुएं	-	07.30	-	00.59	05.23	013.12
7.	विविध	00.18	-	05.80	01.14	06.90	014.02
	कुलः	23.80	32.12	85.65	122.69	32.92	297.18

वर्ष 1993-94 के दौरान परिसरोय विकास कार्यकलापों संबंधो शीषं के अन्तर्गत संयंत्र-वार व्यय।

क्रमं. स०	कार्यकलाप	संयंत्र					
		बी.एस.पी.	डी.एस.पी.	आर.एस.पी.	बी.एस.एल.	अन्य	कुल
1.	सड़को का सुधार	11.60	01.96	01.50	52.14	05.89	073.11
2.	पेयजल	08.57	-	17.68	36.30	01.12	063.67
3.	स्कूल भवन/सामुदायिक केन्द्र	02.40	21.83	42.10	22.55	08.74	097.62
4.	रोजगार सृजन	—	—	14.66	01.85	00.23	016.74
5.	चिकित्सा	00.66	-	03.16	02.24	02.60	008.66
6.	सामूदायिक कुंए	—	00.79	-	01.08	01.05	002.92
7.	विविध	00.71	00.42	03.01	05.87	07.77	017.78
	कुल	23.94	25.02	82.11	122.03	27.40	280.50

वर्ष 1993-94 के दौरान परिसरोय विकास कार्यकलापों संबंधो शीषं के अन्तर्गत संयंत्र-वार व्यय।

क्रमं.स०	कार्यकलाप	संयंत्र					(लाख रुपये)
		बी.एस.पी.	डी.एस.पी.	आर.एस.पी.	बी.एस.एल.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सड़को का सुधार	44.58	05.44	07.28	78.22	11.77	147.29
2.	पेय जल	03.20	01.30	02.45	31.04	01.64	039.633.
3.	स्कूल भवन/सामुदायिक केन्द्र	38.87	38.75	-	23.71	08.66	109.99
4.	रोजगार सृजन	01.72	01.50	03.85	05.88	00.10	013.05
5.	चिकित्सा	01.35	03.87	03.00	01.37	009.59	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	सामूदायिक कुएं	–	–	–	04.23	–	004.23
7.	विविध	00.63	06.74	82.36	03.96	07.83	101.52
	कुलः	89.00	55.08	99.81	150.04	31.37	425.30

[हिन्दी]

बांग्लादेश द्वारा भारतीयों को वापस भेजा जाना

*18. **श्री दत्ता मघे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि बंगला भाषी भारतीय नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस स्वदेश भेज दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजने हेतु कोई कदम उठा रही है ;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई वार्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी नहीं । सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि बंगलादेश की सरकार ने बंगला बोलने वाले भारतीय राष्ट्रिकों का पता लगाकर उन्हें भारत प्रत्यावर्तित करने के आदेश जारी किए हैं।

(ख) से (घ). सरकार ने उन बंगलादेशी राष्ट्रिकों के प्रत्यावर्त्तम की आवश्यकता का मामला बंगलादेश के प्राधिकारियों के साथ उठाया है जो बंगलादेशी राष्ट्रिक गैर–कानूनी रुप से भारत में प्रवेश कर गए हैं।

गैर कानूनी अप्रवासियों का बंगलादेश को प्रत्यावर्त्तन दोनों देशों के बीच स्वीकृत क्रियाविधि के अनुसार किया जाता है। गैर–कानूनी आप्रवासियों के प्रत्यावर्त्तन का मामला बंगलादेश की सरकार के साथ हुए द्विपक्षीय विचार–विमर्श के दौरान उठता रहा है। दोनों देशों के सयुक्त कार्य दल में और सीमा सुरक्षा बल तथा बंगलादेश राइफल्स के महानिदेशक के स्तर पर होने वाली बातचीत के दौरान इस मामले पर विचार–विमर्श होता हैं।

[अनुवाद]

एच.एफ.सी. तथा एफ.सी.आई. के एककों को पुनः चालू करना

*19. **श्री पूर्ण चन्द मालिक** : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों द्वारा एच. एफ. सी. आई. के संयंत्रों को पुनः चालू करने हेतु स्वीकृत किये गए पैकेज का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या डी. एन. भौमिक समिति के सुझाव के अनुसार एच. एफ. सी. संयंत्रों की क्षमता के "डीरेटिंग" किये जाने को स्वीकृति दे दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या दुर्गापुर, वरौनी तथा नामरुप स्थित संबंधित संयंत्रों में मूल्य निर्धारण को वनाये रखने के उद्देश्य से इस पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) सरकार ने , हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एचएफसी) तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई) के लिए पुनर्वास पैकेज सिद्वात रुप से अनुमोदित किये हैं। जिनमें एच. एफ.सी. की वरौनी दुर्गापुर तथा नाम रुप एककों तथा एफ सी आई के तालचर, रामागुण्डम तथा सिन्दरी एककों के पुनरुद्धार की परिकल्पना की गयी है। इन पुनर्वास पैकेजों पर 2201.13 करोड़ रु (एच एफ सी के लिए 464.93 करोड़ रु०. तथा एफ. सी. आई. के लिए 1736.20 करोड़ रु०. के नए निवेश का खर्चा पड़ेगा जो पूजीं पुनर्सरचना तथा संबंधित उपक्रमों को अन्य वित्तीय सहायता के अलावा है।

(ख) और (ग). एच. एफ. सी. की दुर्गापुर, वरौनी तथा नामरुप–1 तथा 11 इकाईयों के नामपट्ट क्षमताओं की डीरेटिंग करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन संयंत्रों के लिए संशोधित प्रतिधारण मूल्य 1-11-1994 से लागू होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावों को मंजूरी

* 20. **श्री श्रीकांत जैन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अक्तुबर, 1995 के "इण्डियन एक्सप्रेस में" "फाइनेंस मिनिस्ट्री डेफर्स क्लीसयरेंस" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विदेशी वाणिज्यिक उधार (ई सी बी) को युक्तिसंगत ऋण व्यवस्था की सीमा में बनाए रखने के लिए वित्त मंत्रालय ने ई. सी. बी. हेतु मार्गदर्शी सिद्धातों का निर्धारण किया है। इन मार्गदर्शी सिद्वातों में, अन्य बातों के साथ–साथ, विभिन्न स्वीकृतियों के अभाव में परियोजना के क्रियान्वयन में विल्म्ब की संभावना को मद्देनजर रखते हुए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बिलम्व की संभावना को मद्देनजर रखते हुये परियाजनाएं हेतु ई. सी.बी.निर्धारण के स्थान पर तात्कालिक विदेशी मुद्रा पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण किए जाने के

लिए ई. सी.बी.अपेक्षाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। वृहत् ईसीबी प्रस्तावों पर विचार करते समय वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि विधुत परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियों प्राप्त कर ली गई हैं।:–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति।

2. विदेशी निवेश बोर्ड का अनुमोदन (यदि लागू हो)

3. जिन विद्युत परियोजनओं में 100 करोड , रुपये से अधिक नियेश की परिकल्पना की गई हो, उनके मामले में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करना ।

4. विधुत क्रय समझोते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हों। जहां तक नौ विधुत परियोजनाओं का संबघं है, नामशः रिलायन्स बवाना (प्रा). लि०, रिलायन्स पातालगंगा (प्रा०) लि०, रिलायन्स जामनगर पावर (प्रा०) लि० रोसा पावर सप्लाई कम्पनी, बालागढ़ थर्मल पावर प्लाट, नैशनल थर्मल पावर कम्पनी, सैण्ट्रल इण्डिया पावर कम्पनी लि० , जीबीएल पावर लि० इस्सार पावर लि० उड़ीसा पावर जैनरेशन कारपोरेश्न और पावरग्रिड, ये परियोजनाए ई सी बी मार्गदर्शी सिद्वातों के अनुरुप न होने अथवा उपरोक्त अपेक्षाओं की पुर्ति न किए जाने के कारण लम्बित हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों की क्षति

1. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार विगत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, भारी यातायात, विभिन्न जातीय और अन्य दंगों के कारण प्रभावित हुए राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान और आज तक राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों की मरम्मत पर राज्यवार प्रदान की गयी वित्तीय सहायता सहित इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान किसी राज्य सरकार ने अधिक वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी कार्यवाही और राज्यवार तत्सबंधी बयौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजशेखर मूर्ति) : (क) बरसात/बाढ़ के दौरान अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित होते हैं। पिछले तीन वर्षो में प्रभावित हुए पुलों की संख्या को दर्शानें वाला (राज्यवार) विवरण 1 में संलग्न हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों और उन पर बने पुलों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए पिछले तीन वर्षो के दौरान आबंटित/जारी की गई (राज्यवार) निधियों का विवरण II में संलग्न है।

(ग) और (घ). लगभग सभी राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए पेशकश कर रहे हैं। लेकिन कुल उपलब्ध निधियाँ अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार आवश्यक्ता का लगभग 50% हैं। अतः तत्संबंधी कमी को सभी राज्य सरकारों द्वारा वहन करना होगा।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य/संख्या. क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	1	-
3.	असम	4	9	8
4.	बिहार	1	1	1
5.	चन्डीगढ़	-	–	-
6.	दिल्ली	1	–	1
7.	गोवा	1	2	1
8..	गुजरात	3	2	5
9.	हरियाणा	1	1	-
10.	हिमाचल प्रदेश	3	2	1
11.	जम्मु एवं कशमीर	1	–	–
12.	कर्नाटक	–	–	1

1	2	3	4	5
13.	केरल	3	3	2
14-	मध्य प्रदेश	5	6	5
15.	महाराष्ट्र	3	4	4
16.	मणिपुर	–	1	1
17.	मेघालय	1	-	1
18.	नागालैंड	–	–	–
19.	उड़ीसा	2	7	7
20.	पांडिचेरी	–	–	–
21.	पंजाब	5	4	4
22.	राजस्थान	1	–	–
23.	तामिलनाडु	–	4	–
24.	उत्तर प्रदेश	8	6	4
25.	पश्चिम बंगाल	7	16	4
	जोड़ :	50	69	51

विवरण—II

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्य/संख्या. क्षेत्र का नाम	1992-93 आबंटन	1993-94 आबंटन	1994-95 आबंटन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1249.44	1716.42	2146.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.41	53.51	67.24
3.	असम	1039.62	1355.22	1678.23
4.	बिहार	1072.66	1276.45	1472.53
5.	चन्डीगढ़	15.48	14.00	21.00
6.	दिल्ली	171.80	208.21	143.25
7.	गोवा	208.30	225.05	385.65
8.	गुजरात	881.37	1033.95	1316.64
9.	हरियाणा	380.83	513.86	560.43
10.	हिमाचल प्रदेश	529.55	881.70	894.80
11.	जम्मु एवं कश्मीर	143..39	94.54	75.60
12.	कर्नाटक	1105.87	1234.19	1506.78
13.	केरल	587.82	726.15	924.70
14.	मध्य प्रदेश	1213.25	1316.28	1696.01
15.	महाराष्ट्र	1506.67	1815.54	2150.45
16.	मणिपुर	73.32	130.47	115.20

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	170.27	231.13	270.06
18.	नागालैंड	3.50	7.29	4.00
19.	उड़ीसा	738.52	1016.11	1186.50
20.	पांडिचेरी	5.78	16.02	14.73
21.	पंजाब	638.97	661.30	736.97
22.	राजस्थान	1141.02	1339.97	1810.83
23.	तमिलनाडु	1134.69	1643.67	1702.86
24.	उत्तर प्रदेश	1394.96	1710.52	2065.48
25.	पश्चिम बंगाल	1071.51	1760.45	1744.02

के.एफ .सी. लाइसेंस

2. **श्री रवि राय:**

श्री जार्ज फर्नान्डीज:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कपंनी पेप्सीको द्वारा बंगलौर स्थित अपने रेस्तरां में उचित मात्रा से अधिक मोनो सोडियम ग्लूटमेट युक्त केन्टकी फ्राइड चिकन परोसे जाने की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जाच की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं ;

(ग) क्या पेप्सीको ने अपने रेस्तरां में बेचे जाने वाले चिकन के नमूनों का परीक्षण कराने के लिए मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौधोगिकी अनुंसधान संस्थान और रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला से संपर्क किया था ;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त जाचं का क्या निष्कर्ष निकला हैं ;

(ड़) क्या सरकार का विचार पेप्सीको द्वारा अपने रेस्तरां में हानिकारण भोज्य पदार्थ परोसे जाने के कारण उसके विरुद्व कोई कार्यवाही करने का हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार, अपने फ्राइड चिकेन उत्पादों में तथाकथित रुप से मोनोसोडियम ग्लूटमेट अनुमेय सीमा से अधिक इस्तेमाल करने के कारण बंगलौर महानगर पलिका ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी की भारतीय सहायक कम्पनी मै. पेप्सीको रेस्टोरेन्ट्स इंटरनैशनल (इंडिया) प्रा. लि. को 4 बिग्रेड रोड, बंगलौर स्थित आउटलेट मै. के. एफ. सी. के विरुद्व कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाई की है। कम्पनी ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी और माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक नगर निगम अधिनियम 1976 जारी किए गए कारण बताओं नोटिस और साथ ही उसी अधिनियम के तहत रेस्तरा चलाने के लिए जारी किए गए लाइसेंस की निरस्त कर दिया है। .खाद्य आपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत मामला न्यायाधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड) और (छ). राज्यों/कतिपय नगर निगमों को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत गलत ब्राडों के खाद्या उत्पादों का उत्पादन करने मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात सरकार की लंबित परियोजनायें

3. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार की विशेषकर पिछडें और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कुछ परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार और क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से इन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने हेतु कुछ प्रस्ताव भी प्राप्त हुये है ;

(घ) यदि हां, तो 30 सितम्बर,1995 तक परियोजना वार, प्रस्ताव वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) प्रत्येक परियोजना के संबंध में अब तक की गई प्रगति का अलग-अगल ब्यौरा क्या है ;

(च) इन लम्बित परियोजनाओं/प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (छ). केन्द्रीय सहायता से गुजरात राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम है:

(1) जवाहर रोजगार योजना

(2) सुनिश्चित रोजगार योजना,

(3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(4) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण

(5) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम।

जवाहर रोजगार योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत दो परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता देने का प्रावधान है।

(1) गुजरात के ग्रामीण क्षत्रों में नमक श्रमिकों के लिए 1897-86 लाख रु० की लागत की आर्थिक विकास और कल्याण योजना

(2) वर्ष 1995-96 के दौरान डांग जिले में 167.15 लाख रुपये की लागत के जल एकत्रीकरण ढ़ाचों के निर्माण द्वारा सिंचाई तथा पेयजल की संभाव्यता को बढ़ाने की योजना जो संबंधित मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता पर निर्भर करेगी।

ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत, उप-मिशन योजनाओं के अंतर्गत फलोरोसिस पर नियंत्रण पाने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।—

	परियोजना का नाम	योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (लाखं रुपयें में)
1.	फलोरोसिस दूर करने वाले संयंत्रो को लगाना	111	550.57
2.	क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाएं	34	2833.35
3.	चल रही योजनाओं से नल द्वारा जल आपूर्ति	16	580.69
4.	अन्य जल आपूर्ति योजनाएं	25	578.85
		186	4543.46

येाजनाएं : (1) साबरकंठा (2) गांधी नगर (3) बड़ौदा (4) भावनगर (5) बनासकंठा (6) सुन्दर नगर (7) खेड़ा और (8) अहमादाबाद जिलों से संबंधित हैं।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे कार्यान्वयन के लिए पहले उन योजनाओं को लें जिनका अनुमोदत पहले से ही केन्द्र द्वारा दिया गया है तत्पश्चात् किया नई दिल्ली पर विचार करें।

उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के विरुद्ध तालचेर ताप विद्युत केन्द्र की बकाया धनराशि

4. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड पर तालचेर ताप विद्युत केन्द्र की 31 मार्च, 1995 तक बकाया धमराशि कितनी है ;

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उस ताप विद्युत केन्द्र के अधिग्रहण किये जाने के बाद बढ़ते बकाया राशि के भुगतान के संबंध में क्या कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आज तक की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा तलचेर ताप विद्युतक्रेन्द्र का 3 जून, 1995 को अधिग्रहण किया गया था। विद्युत केन्द्र का अधिग्रहण किए जाने की शर्तों के अनुसार एनटीपीसी को किसी भी प्रकार की देयताएं अंतरित की जानी शेष नहीं हैं।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं में घाटा

5. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रुप से गंजरात में कुछ ताप विद्युत परियोंजनाएं बन्द होने के कगार पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि इन परियोजनाए को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा तथा तत्सम्बंन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

टिहरी बांध परियोजना

6. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना पर काम फिर से शुरु हो गया है ;

(ख) यदि हां,तो क्या सरकार ने पर्यावरणविद् श्री सुन्दर लाल बहुगुणा की मांग के अनुरुप बांध के निर्माण कार्य की समीक्षा की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सभी समब्द्ध मुद्दों पर सावधानी पूर्वक विचार किए जाने के पश्चात् सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन का अनुमोदन कर दिया है। परियोजना की समीक्षा किए जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तथापि, सरकार ने उठाए जाने वाले किसी नए और वास्तविक मुद्दे की जाँच करने के लिए अपनी तत्परता दर्शायी है।

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय परिव्यय

7. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) प्रत्येक राज्य में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1991-92 से वर्षवार कुल कितना राष्ट्रीय परिव्यय रहा ;

(ख) जवाहर रोजगांर योजना के आबंटन में अंतर पंचायत योजनाओं के लिए आई ए वाई, एम डब्लयू एस और 20% जवाहर रोजगांर योजना जैसे प्रमुख कार्यकर्मों के लिए कितनी कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1994&95 और अप्रैल–सितंबर,95 में राज्य वार वास्तविक रुप से कितनी कितनी धनराशि व्यय हुई?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग). जवाहर रोजगार मंत्रालय के अतर्गत 1991-92 से आगे राज्य–वार परिव्यय दर्शाने वाला विवरण 1 संलग्न है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उप योजनाओं के संबंध में आवंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) के अंतर्गत 1994-95 और 1995-96 (सितम्बर,1995) तक किया गया वास्तविक व्यय (राज्यवार) संलग्न विवरण–III में दिया गया हैं।

विवरण I

जवाहर रोजगार योजना (पहली बार + दूसरी बार) आबंटन (केन्द्र + राज्य)

(रुपये लाखों में)

क्रम स०	राज्य/सं.रां.से	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	हिमाचल प्रदेश	19166.20	23132.28	3086384	33343.71	34529.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	33068	322.51	322.51	322.51	332.51
3.	असम	5114.59	6420.76	8104.83	8921.21	10342.01
4.	बिहार	38466.78	47934.30	65522.65	70386.81	73436.21
5.	गोवा	357.28	421.93	348-46	348.46	348.46
6.	गुजरात	8090.71	9611.93	12925.05	13835.36	13470.93
7.	हरियाणा	1926.83	2291.06	2170.94	2389.61	2770.19
8.	हिमाचल प्रदेश	1135.28	1254.69	1107.26	1107.26	1107.26
9.	जम्मू और कश्मीर	1611.51	1818.63	2425.49	3103.75	2676.25
10.	कर्नाटक	12059.70	14377.71	21246.33	22911.44	23446.94

1	2	3	4	5	6	7
11.	केरल	6396.19	7659.26	6238.34	6620.11	7674.44
12.	मध्यप्रदेश	26402.50	7659.26	6238.34	6620.11	7674.44
13.	महाराष्ट्र	20424.85	25815.64	37056.78	39760.18	39325.20
14	मणिपुर	423.83	623.25	413.36	413.36	413.36
15.	मेघालय	495.91	703.58	483.68	483.68	483.68
16.	मिजोरम	208.90	244.43	203.75	203.75	203.76
17.	नागालैंड	531.58	627.76	518.46	518.46	518.46
18.	उड़ीसा	13094.93	16036.90	27116.41	29128.18	29464.45
19.	पंजाब	1675.65	1982.54	1634.30	1699.26	1969.93
20.	राजस्थान	12805.28	15172.01	17530.08	18835.61	18810.26
21.	सिक्किम	193.54	231.98	188.76	188.76	188.76
22.	तमिलनाडु	17223.66	20550.48	2551.18	27752.94	30758.29
23.	त्रिपुरा	550.49	653.83	536.90	536.90	536.90
24.	उत्तर प्रदेश	51093.28	61016.78	68333.40	74376.76	81799.68
25.	पश्चिम बंगाल	21786.94	25923.84	28188.20	30410.53	31985.78
26.	अडंमान एवं निकोबार द्वी० स.	156.56	152.70	152.70	152.70	152.69
27.	दादर और नगर हवेली	84.99	91.02	82.89	82.89	82.88
28.	दमन एवं द्वीव	50.07	48.83	48.83	48.83	48.83
29.	लक्षद्वीप	78.49	78.58	76.55	76.55	76.55
30.	पांडिचेरी	153.25	232.38	149.47	149.47	149.48
	योग	262090.45	316905.05	405942.39	437692.39	454497.39

* अभिप्रेरित जवाहर रोजगार (आई. जे. आर .वाई.) शामिल है।

विवरण - II

उपयोजनाओं (केन्द्र + राज्य) द्वारा जे० आर० वाई मे आंबटन का ब्यौरा

वर्ष (रुपये लाखों में)

योजना	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
जे. आर. वाई (साभाज्य)	93889.27	233875.89	190873.43	201141.34	223629.45
आई. ए वाई.	15738.47	22396.29	31812.24	43769.31	124960.58
एम.डब्लू .एस	52462.87	60532.87	95436.72	104961.74	55907.36
आई. जे आर. वाई	N..A	N.A	87820.00	87820.00	50000.00
योग	262090.45	316905.05	405942.39	437692.39	454497.39

विवरण-III

जवाहर रोजगार योजना के अन्र्तगत व्यय

क्र०सं०	राज्य	19994-95 (रुपये लाखों में)	1995-96*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	36264.38	9277.47
2.	ए. आर. पी	222.22	69.28
3.	असम	10386.94	3112.85
4.	विहार	50731.49	27166.46
5.	गोवा	372.24	186.80
6.	गुजरात	14166.06	4661.61
7.	हरियाणा	2583.41	738.18
8.	हिमाचल प्रदेश	1150.10	366.58
9.	जम्मू और कश्मीर	3813.23	822.98
10.	कर्नाटक	23746.02	6238.37
11.	केरल	7234.60	2415.03
12.	मध्यप्रदेश	50503.16	13211.51
13.	महाराष्ट्र	36760.33	11056.52
14.	मणिपुर	370.54	218.00
15.	मेघालय	407.31	97.94
16.	मिजोरम	336.38	69.44
17.	नागालैंड़	410.70	0.00
18.	उड़ीसा	25542.96	8906.41
19.	पंजाब	1673.48	0.00
20.	राजस्थान	19909.03	6077.10
21.	सिक्किम	189.21	262.80
22.	तमिलनाडु	33982.35	15080.27
23.	त्रिपुरा	1131.61	450.19
24.	उत्तर प्रदेश	74606.88	25021.81
25.	पश्चिम बंगाल	29856.99	10918.48
26.	अडंमान और निकोबार द्वी० स०	161.26	18.14
27.	दादर और नगरं हवेली	91.41	14.55
28.	दमण व द्वीप	27.36	12.26
29.	लक्षद्वीप	80.27	19.69
30.	पांडिचेरी	121.21	94.86
	योग	426833.14	146585.58

*सितम्बर, 95 तक

[हिन्दी]

यमुना नदी पर पन्टून पुल का निर्माण

8. श्री राम पूजन पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद में यमुना पुल पर भारी यातायात के कारण यमुना नदी पर प्रस्तावित पूल के विर्माण हो जाने तक प्रति वर्ष पन्टून पुल के निमार्ण का कोई आग्रह प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है, ; और

(ग) प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य कब आंरभ होगा तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां, सरकार को इस संबंध में दो अनुरोध प्राप्त हुए थे।

(ख) राज्य सरकार को जाचं करने और ब्यौरे भेजने की सलाह दी गई है।

(ग) प्रस्तावित स्थायी पुल का निर्माण 1997 में शुरु होने की संभावना है और इसे पूरा होनें में लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजामार्गो का रख-रखाव

9. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के जीर्ण–शीर्ष स्थिति को सुधारने हेतु केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने का कोई आग्रह प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ आर्थिक सहायता कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गो के रख–रखव और मरम्मत के लिए चालू वित्त वर्ष में अब तक मध्य प्रदेश सरकार को 11.50 करोड़ रु० पहले जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड :

10. श्री दत्तात्रेय बंडारु : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995 के दौरान हिदुंस्तान जिंक लिमिटेड के विक्रय कारोबार में गत वर्ष की तुलना में काफी वृद्वि हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयोरा क्या हैं ; और

(ग) हिदुंस्तान जिंक लिमिटेड के कार्य निष्पादन में और अधि ाक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमागं) : (क) जी नहो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयंत्र में उत्पादन दबावों के कारण जस्ते और सीसा धातु का उपर्याप्त उत्पादन हुआ जिससे विक्रय कारोबार में कमी आई है। इन पर काबू पा लिया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के आने वाल महीनों में इसके कार्य निष्पादन में सुधार होगा।

फल प्रसंस्करण

11. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों मे फल प्रसरण उधोग द्वारा तैयार माल को निर्यात करने के लिए बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या इस उधोग में "पैकेजिंग" तथा "बाटलिंग" को आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु कोई सहायता दी जाती हैं ;

(ग) क्या उन क्षेत्रों के युवाओ के लिए आम, काजू, कटहल, जामुन, नारियल, अनानास इत्यादि के प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान हैं ;

(घ) क्या खाद्य प्रसंस्करण उधोग में लगे सहकारी क्षेत्र का किसी प्रकार की रियायत तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ड़). सरकार गुजरात एवं महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों सहित देश में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उधोग के विकास हेतु अनेक योजना स्कीमें कियान्वित कर रहीं है। इन

सकीमों के तहत उद्योग लगाने, उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने, उत्पादों एवं पैकेजिंग हेतु अनुसंधान एवं विकास करने, खुम्बी उत्पादन एवं प्रसंस्करण उत्पाद को से बैकवर्ड लिकेज स्थापित करने आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये लाभ (विवरण संलग्न है) सहकारी क्षेत्रों को भी उपलब्ध हैं।

विवरण

फल व सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र, पैकेंजिग और उत्पादों के अनुसंधान व विकास हेतु स्कीमे

1. ग्रामीण क्षेत्रों में खाध प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता संबंधी स्कीम।

2. फल व सबजी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुंनियादी सुविधाओं के स्थापना के लिए सहायता संबंधी स्कीम।

3. किसानों एवं प्रंसस्करण कर्त्ताओं के बीच बेक्वर्ड लिंकेज के और फल व सब्जी प्रसंस्करण एककों की स्थापना/विस्तार/उन्नयन हेतु सहायता संबंधी स्कीम।

4. प्रसंस्कृत खाद्यों के विपणन में सहायता प्रदान करने ओर व्यापक प्रचार हेतु सहायता संबंधी स्कीम।

5. खाद्य व सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान व विकास हेतु सहायता संबधी सकीम।

6. परम्परागत भारतीय खाधों व पैकेंजिग और सोयाबीन उत्पादों का विकास और अनुसंधान।

स्वर्ण भंडार

12. **श्रीमती कृष्णेन्द कौर (दीपा)** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1994-95 के दौरान स्थापित किए गए स्वर्ण भण्डारों का ब्योरा क्या हैं ;

(ख) किन–किन राज्यों में स्वर्ण भण्डार स्थापित किए गए हैं ; और

(ग) इन स्वर्ण भण्डारों के खनन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमंग) : (क) और (ख). स्वर्ण अयस्क का विभिन्न क्षेत्रों से अनुमानित भण्डार नमनानुसार है:–

एक.	गोवानीकोण्डा खंडं आंध प्रदेश	6 ग्रा./ टन स्वर्ण का 0.4 मिलियन टन
दो.	हीरा–हट्टी–मस्की पट्टी का बुढनी खण्ड , कर्नाटक	11.99ग्रा./टन स्वर्णका 0.47 मिलियन टन
तीन.	चिनमुलगुण्ड क्षेत्र,कनार्टक	3ग्रा./टन स्वर्णका 0.8 मिलियन टन/1.75ग्रा. /टन स्वर्ण का 65,000टन
चार.	कप्पिल क्षेत्र, केरल	1.75ग्रा./टन स्वर्णका 65,000 मिलियन टन
पांच.	गुरारपहार (पश्चिम खण्ड)	1ग्रा./टन स्वर्ण का 1 मिलियन टन

एम ई सी एल ने निम्नलिखित भण्डारों को स्थापित किया है।

एक.	होसर क्षेत्र, गोडाग गोल्ड फील्ड, कर्नाटक	2.16 ग्रा./टन स्वर्णका 0.560 मिलियन टन
दो.	मरुदा सेन्ट्रल,वयनाद– नीलमपुर ग्रनुलिटस मल्लापुरम,केरल	2.96ग्रा./टन स्वर्ण का 1.047 मिलियन टन

(ग) स्वर्ण का खनन निजी क्षेत्रों के लिए खुला है और भारत सरकार के पास इन भण्डारों के खनन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

13. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्तिः**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विधुत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विधुत वित्त निगम आन्ध्र प्रदेश में विधुत परियोजनाओं हेतु पट्टे पर वित्त प्रदान करने की संभावना का पता लगा रही है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान राज्य में विधुत परियोजनाओं हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित की?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) विधुत वित्त निगम ने अपनी लीज फाइनेंसिंग स्कीम के अर्न्तगत कोठागुडम ताप विद्युत केन्द्र के सम्बन्ध में 280 करोड़ रुपये की धनराशि की वित्तीय सहायता के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनुरोध को सिद्वान्त रुप में स्वीकार कर लिया है। निर्धारित प्रपत्र मे आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य बोर्ड से अनुरोध किया गया है।

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान आन्ध्र प्रदेश केलिए विद्युत क्षेत्र का परिव्यश निमनवत् था :–

1992-93	-	532.62 करोड़ रुपये
1993-94	-	550.03 करोड़ रुपये
1994.95	-	639.15 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

14. **श्री देवी बक्स सिंह :**

श्री छेदी पासवान :

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

श्री कुंजी लाल :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री विलासराव नागनाथ राव गून्डेवार :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अनुपलब्धता की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके शहरों में पलायन को रोकने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त नीति के अंतर्गत अब तक कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान जनसंख्या कितनी है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की स्थिति की पूरी जानकारी है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए और अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु विभिन्न मंत्रालनयों, द्वारा अलग–अलग कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहें है। यह मंत्रालय ग्रामीण युवा स्व रोजगार प्रंशिक्षण योजना (ट्राइसेमों) कार्यान्वित कर रहा हैं इस योजना के अंतर्गत गरीब ग्रामीण के अंतर्गत गरीब ग्रामीण युवाओं को तकनीकी दक्षता प्रदान की जाती है ताकि वे स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सके। ऐसे युवाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण/सबसडी भी मुहैया कराई जाती है।

(ग) ट्राइसेम योजना के प्रारम्भ होने से लेकर अब तक 19.31 लाख (1994-95) प्रशिक्षित युवाओं ने इस योजना के परिणाम स्वरुप तक स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार प्राप्त किया है।

(घ) 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 62.715 करोड़. है।

[अनुवाद]

समान माल भाड़ा योजना

15. **श्री बसुदेव आचार्य :**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समान मालभाड़ा योजना को पूरी तरह से बदलने की घोषण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). इस्पात के मूल्य–निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिए जाने के पश्चात मुख्य उत्पादक स्टाक ग्रार्ड तक वास्तविक भाड़ा अथवा पूर्व भाड़ा–समकरण–योजना (विधमान में इस्पात के लिए 1510 रुपए प्रतिटन तथा कच्चे लोहे के लिए 945 रुपए प्रति टन) इनमें से जो भी कम हो, वसूल कर रहे हैं। इस पर आने वाला अतिरिक्त बोझ मुख्य उत्पादकों द्वारा स्वयं वहन किया जा रहा है। ऐसा करते समय मुख्य उत्पादकों के इस्पात संयंत्रों के समीप स्थित राज्यों/क्षेत्रों को भाड़ा समकरण योजना के तहत निम्न भाड़े के लाभ की भी रक्षा की गई है। इस समय इस प्रणाली को समाप्त करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इससे दूरस्थ राज्यों/क्षेत्रों के लोहे और इस्पात के उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है।

पाकिस्तान द्वारा वीजा देने से इंकार :

16. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री रामपाल सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि–:

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने जम्मू और कश्मीर के सिख तीर्थ यात्रियों को गुरु नानक जनम दिवस समारोह के अवसर पर पाकिस्तान में ननकारन साहब की यात्रा करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस सम्बन्ध में विरोध दर्ज कराया हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस देश की इस संबंध, में क्या प्रतिक्रिया हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (घ). सरकार धार्मिक स्थानों की यात्रा से सम्बद्ध 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकोल के अन्तर्गत पाकिस्तान स्थित सिख गुरुद्वारों की यात्रा करने के इच्छुक भारतीय तीर्थयात्रियों की सूचियां नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के हाईकमीशन को उपलब्ध कराती हैं। सरकार को इस बात की जानकारी है कि पकिस्तान द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सहित अनेक राज्यों से तीर्थ यात्रियों को नवम्बर, 1995 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा प्रदान नहीं किया।

पाकिस्तान का यह कहना है कि उसकी वीजा नीति के अनुसार उसे इस बात का अधिकार है कि वह तीर्थ यात्रियों/वीजा आवेदकों को वीजा प्रदान करे अथवा अस्वीकार कर दे।

सरकार ने पाकिस्तान से बार–बार इस बात का अनुरोध किया है कि वह धार्मिक स्थलों की यात्रा से सम्बद्ध 1974 के भारत–पाक प्रोतोकोल के अन्तर्गत अपनी बचनबद्वताओं को पूरा करे और विशेष से इस बात का प्रस्ताव भी किया है कि वीजा संबंधी मामलों से सम्बद्व उप–आयोग 4 सहित भारत–पाक संयुक्त आयोग की बैठक पुनः बुलाई जाए।

एन. टी. पी. सी.

17. **श्री विजय एन. पाटील :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1995 के फाइनांशियल एक्सप्रैस में "टॉप ब्रास कंटीन्यूज टु डेजर्ट एन. टी. पी.सी. फार एम. एन. सीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) किसी भी उपक्रम में वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों द्वारा त्यागपत्र देना एक सामान्य बात है। निजी क्षेत्र के लिए विद्युत क्षत्रों को खुला रखने के कारण इसमें थोड़ी सी वृद्वि हुई है। तथापि, कार्यपालकों के त्यागपत्र सें निगम की कार्यप्रणाली किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई है। और यह अत्यंत भली प्रकार से कार्य निष्पादन कर रही है। निगम उचित मजदूरी संशोधन, अन्य प्रोत्साहनों और परिणामी रिक्तियों को शीघ्रता से भरकर समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार से कार्यवाई कर रही हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण

18. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितंबर, 1994 में धोषित नई औषधि नीति तथा जनवरी, 1995 में जारी किए गए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश की वजह से औषधि के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है तथा देश के औषधि बाजार को तर्कसंगत बनाने में असफल रहें ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार निर्णय लेने तथा लागू करने के उददेश्य से राष्ट्रीय औषध प्रधिकरण तथापित करने का है ताकि प्रतिबंधित तथा असंगत दवाइयों को बजार से हटाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं। यथासंभव उपलब्ध जानकारी के आधार पर, औषधों के मूल्यों में सामान्यतया कोई तीव्र वृद्वि नहीं हुई है। मूल्यों में परिवर्तन जैसा कि थोक मूल्य सूचाकंक (आधार 1981-82=100) दर्शाता है कि सितम्बर, 1994 में "औषधनीति, 1986 में 'संशोधनों" की धोषणा से दवाइयों के मूल्यों में वृद्वि प्वाइंट टू प्वाइंट आधार पर सभी वस्तुओं की तुलना में कम हुई है।

(ख) और (ग). "औषध नीति, 1986 में संशोधनों" के पैरा 22-8-1 में पहले ही दिया है कि राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण (एन०डी.ए०) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया जायेगा जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जायेगा। यह प्राधिकरण गुणवत्ता नियंत्रण मुददे, औषधों के उचित उपयोग और संबंधित मामलों को देखेगा। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, एन० डी० ए० के गठन करने के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यवाई प्रारम्भ कर दी है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा हथियारों की खरीद

19. **श्री गुमानमल लोढा :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अगस्त, 1995 के "डेली अब्जर्वर"में "पाकिस्तान एमंग टाप 10 आर्मस परचेजर्स "शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने 1994 के दौरान बडी मात्रा में हथियारों की खरीद की थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाने का भी निर्णय लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). सरकार को पाकिस्तान द्वारा उसकी वैध सुरक्षा आवश्यकताओं से अधिक विभिन्न देशों से अत्याधुनिक हथियारों एवं उपकरणों को निरन्तर आधार पर प्राप्त करने के बारे में जानकारी है। सरकार के विचार से पाकिस्तान को हथियारों का हस्तास्तरण इस क्षेत्र में शन्ति और सुरक्षा के अनुकूल नही हैं।

(घ) और (ङ). सरकार ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति के बारे में अपने विचारों से सम्बद्ध देशों को अवगत करा दिया है। सरकार उन सभी घटनाओं पर निरन्तर निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हों और उसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जल यातायात सुविधाएं :

20. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख :**

श्री जितेन्द्र नाथ दासः

क्या **जल-भूतल मंत्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अन्तर्देशीय जल यातायात सुविधाओं को प्राथमिकता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गयी योजनाओं का विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित तीन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं तथा भरतीय अतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा ने इन राष्ट्रीय जलमार्गो। के विकास और रख–रखाव के लिए उपाय किए हैं:–

1. राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1–हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली (1620 कि.मी.) ;

2. राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 2– बंगला देश सीमा और सैदिया के बीच ब्रहमपुत्र (891 कि.मी.), और

3. राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 3. उधोग मंडल नहर (23 कि.मी.) और चम्पाकारा नहर (14 कि.मी.) के साथ–साथ कोल्लाम से कोट्टापुरम तक (168 कि.मी.) पश्चिमी तटीय नहर।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ और जलमार्गो अर्थात सुन्दरबन, गोदावरी नदी और गोवा जलमार्गों को राष्टीय जलमार्ग धोषित करने का प्रस्ताव है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई कार्य–योजना के अंतर्गत 300 दिन प्रचालन के लिए 2 मी. गहराई वाली एक नौगम्य चैनल हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1 से 2 को विकसित करने का प्रस्ताव हैं। पश्चिमी तटीय नहर में प्रारंभिक चरण में 2 मी. की नोगम्य गहराई और 32 मी. की तल चौडाई की योजना हैं। सभी राष्ट्रीय जलमार्गो पर टर्मिनल, यंत्रीकरण कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं , रात्रि नौचालन सुविधा, जहां आवश्यक हो तट रक्षण जैसी आवश्यक अवंसरयनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करने की भी योजना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-31

21. **श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग–31, पुलों सहित बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस सबंध में तैयार की गयी प्रत्याशितं योजना का विरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). वर्षा, बाढ़ और चक्रवात इत्यादि के कारण रा.रा.–31 के कुछेक खंडों में राजमार्ग तथा उस पर बने पुलों को नुकसान होने की सूचना है। सड़क तथा पुलों को यातायात योग्य स्थिति में बनाने के लिए आवश्यक प्रयास किए गए हैं।

(ग) और (ङ). आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस राष्ट्रीय राजमार्गो को चौड़ा किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गे को चौड़ा किए जाने के बारे में यातायात संबंधी आवश्यकताओं, आपसी प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता इत्यादि जैसे चुनिंदा मानदंडों के आधार पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

हज तीर्थयात्री

22. **डा. मुमताज अंसारी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पचास हजार व्यक्तियों को हज की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा हजयात्रियों को इस वर्ष अन्य क्या सुविधांए प्रदान की जांएगी तथा उनसं कितना शुल्क लिया जाएगां?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां। सरकार ने केन्द्रीय हज समिति द्वारा की जाने वाली व्यवस्था के अन्तर्गत 1996 में हज पर जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ा कर 50,000 करने का निर्णय लिया है।

(ख) हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए समय से पूर्व आवास आरक्षित करने, रियायती हवाई किराये का प्रबंध करने, चिकित्सक दल की प्रतिनियुक्ति करने,दवाईयों की आपूर्ति तथा अन्य उपयुक्त प्रशासनिक प्रंबध के प्रयास किए जाते हैं। सऊदी अरब में आवास , परिवहन तथा अन्य सेवाओं पर होने वाले व्यय के लिए लागत आधार पर तीर्थ यात्रियों को जारी की गई विदेशी मुद्रा में से कटौती की जाती है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा पास तथा हज हाउस के लिए प्रत्येक तीर्थयात्री 280/- रुपये देता है।

[अनुवाद]

औषधियों के मूल्य

23. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षो के दौरान देश में औषधियों और दवाओं के मूल्यों में आकस्मिक रुप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान औषधियों और दवाओं के मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि हुई;

(ग) क्या 1975 की हाथी समिति के प्रतियेदन में मूल्यों में नियन्त्रण के लिये अनेक कदमों का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा इनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). औषध और दवाइयों का थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82 +100) दर्शाता है कि उसमें कुछ वृद्धि हुई है जो नीचे सारणी में दी गई है:–

	औषधें और दवाइयां	प्रतिशत वृद्धि
अक्तूबर,92	172.3	–
अक्तूबर,93	187.9	9.05
अक्तूबर,94	222.4	18.36
अक्तूबर,95 (पी)	235.6	5.93

पी अस्थाई

(ग) और (घ). हाथी समिति ने अपनी रिर्पोट 1975में प्रस्तुत कर दी थी और इसकी सिफारिशों को औषध नीति, 1978 और डी. पी सी. ओ,1979 में स्थान दिया गया था। इसके बाद औषध नीति का 1986 मे और दोबारा 1994 में संशोधन किया गया है। सरकार की समग्र आर्थिक नीतियों में हुए परिवर्तन इन संशोधित नीतियों में दिखाई देते हैं।

बिहार में एल्यूमिनियम भण्डार

24. **श्री ब्रहमानन्द मंडल** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में मुंगेर जिले के खड़गपुर तथा धोरहार प्रखंड़ में भैरवा पहाड़ियों में एल्यूमिनियम के वृहत् भंडार होने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो, तत्सबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं,तो सर्वेक्षण कब तक कराया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने खड़पुर की भैरवा पहाड़ियों में और मुंगेर जिले के धरहारा खण्ड में एल्यूमिनियम निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भैरवा पहाड़ियों पर ऐसा सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

नये राष्ट्रीय राजमार्ग

25. **श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर** :

श्री लाईता उम्बे :

श्री शोभानाद्रीश्वर राव पाड्डे :

श्रीमती चन्द प्रभा उर्स :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की राज्यवार से लम्बाई कितनी है;

(ख) आठवीं योजना के दौरान राज्य के राजमार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग धोषित करने के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कार्यवाही आरम्भ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गो की राज्यवार लम्बाई की जानकारी संलग्न विवरण–1 में दी गयी है।

(ख) तत्संबंधी जानकारी संलग्न विवरण–2 में दी गई है।

(ग) से (ड़). केन्द्रीय क्षेत्र के सड़क कार्यक्रम के लिए बहूत ही कम निधियां आबंटित किए जाने के कारण आठवी योजना के दौरान आंध्रप्रदेश राज्य में कुरनूल–विन्तूर तक 369 कि. मी. लम्बाई की केवल एक सड़क को ही राष्ट्रीय राजमार्ग के रुप में घोषित करना संभव हो पाया हैं।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य	रा.रा.सं	लम्बाई कि.मी.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	83
		5	1000
		7	753
		9	380
		16	220

1	2	3	4
		18	369
		43	83
			2888
2.	अरूणाचल प्रदेश	52	310
		52ए	20
			330
3.	असम	31	322
		31बी	19
		31सी	93
		36	167
		37	680
		37ए	23
		38	54
		39	115
		44	111
		51	22
		52	540
		52ए	5
		53	100
		54	45
			2296
4.	बिहार	2	392
		6	22
		23	250
		28	259
		28ए	68
		30	230
		31	437
		32	107
		33	352
			2117
5.	चन्डीगढ़	21	24
			24
6.	दिल्ली	1	22

1	2	3	4
		2	12
		8	13
		10	18
		24	7
			72
7.	गोवा	4ए	71
		17	139
		17ए	19
			229
8.	गुजरात	8	498
		8ए	378
		8 बी	205
		8 सी	46
		14	140
		15	270
		एनई1	93
			1631
9.	हरियाणा	1	180
		2	74
		8	101
		10	313
		22	30
			698
10.	हिमाचल प्रदेश	1ए	14
		20	210
		21	232
		22	398
			854
11.	जम्मू और कश्मीर	1ए	541
		1बी	107
			648
12.	कर्नाटक	4	658
		4ए	82

1	2	3	4
		7	125
		9	75
		13	448
		17	280
		48	328
			1996
13.	केरल	17	368
		47	416
		47ए	6
		49	150
			940
14.	मध्य प्रदेश	3	712
		6	314
		7	504
		12	490
		16	210
		25	82
		26	268
		27	50
		43	316
			2946
15.	महाराष्ट्र	3	391
		4	371
		4बी	27
		6	686
		7	232
		8	128
		9	336
		13	43
		16	30
		17	482
		50	192
			2918
16.	मणिपुर	39	211

1	2	3	4
		53	220
			431
17.	मेघालय	40	161
		44	184
		51	127
			472
18.	मिजोरम	54	515
		54ए	9
		54बी	27
			551
19.	नागालैंड	36	3
		39	110
			113
20.	उड़ीसा	5	488
		5ए	77
		6	462
		23	209
		42	261
		43	152
			1649
21.	पांडिचेरी	45ए	23
			23
22.	पंजाब	1	254
		1ए	108
		15	358
		20	10
		21	67
		22	31
			892
23.	राजस्थान	3	32
		8	688
		11	531
		12	400
		14	310

1	2	3	4
		15	906
			2931
24.	सिक्किम	31ए	62
			62
25.	तमिलनाडु	4	123
		5	45]
		7	627
		7ए	51
		45	51
		45ए	17
		46	132
		47	224
		49	290
			1896
26.	त्रिपुरा	44	200
			200
27.	उत्तर प्रदेश	2	777
		3	26
		7	128
		11	51
		24	431
		25	237
		26	128
		27	43
		28	311
		29	196
		56	285
			2613
28.	पश्चिम बंगाल	2	235
		6	161
		31	366
		31ए	30
		31सी	142
		32	72
		34	443
		35	61
		41	51
		55	77
			1638
		कुल जोड़:	34058कि.मी.

विवरण-II

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की स०	लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9	4812
2.	असम	1	178
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	400
4.	बिहार	5	1180
5.	गुजरात	10	2510
6.	गोवा	3	101
7.	हरियाणा	5	932
8.	हिमाचल प्रदेश	2	618
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1	400
10.	कर्नाटक	14	4810
11.	केरल	8	1301
12.	मणिपुर	1	190
13.	मेघालय	1	133
14.	मिजोरम	3	441
15.	मध्य प्रदेश	13	6193
16.	महाराष्ट्र	11	4792
17.	नागालैंड	1	220
18.	उड़ीसा	4	837
19.	पांडिचेरी	2	65
20.	पंजाब	5	980

1	2	3	4
21.	राजस्थान	5	1709
22.	सिक्किम	1	30
23.	त्रिपुरा	1	135
24.	तमिलनाडु	16	3355
25.	उत्तर प्रदेश	4	1691
26.	पश्चिम बंगाल	7	510
	जोड़	134	38723

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

26. **श्री हाराधन राय :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गो की लम्बाई देश में राष्ट्रीय राजमार्गो की कुल लम्बाई का कितने प्रतिशत है;

(ख) पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय राजमार्गो के रखरखाव हेतु इसकी मांग के अनुपात में कितनी धनराशि दी जा रही है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली राशि अन्य राज्यों को दी जाने वाली धनराशि की तुलना में कम है;

(घ) क्या इस धनराशि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) 4.8%

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियों का निर्धारण अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। तथापि, वास्तविक समग्र उपलब्धता, जिसमें पश्चिमी बंगाल राज्य शामिल है, आवश्यकताओं की लगभग 50% है।

(घ) और (ङ). यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय राजमार्गो पर भीड़भाड़

27. **श्री शान्ताराम पोतदुखे :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनाधिकृत कब्जे को हटाने और सड़क के आस-पास वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम उठायें है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़भाड़ दूर करने के लिए सरकार द्वारा कदम क्या उठाये जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने का कार्य केन्द्र सरकार के एजेंट के रुप में राज्यों के लोक निर्माण विभाग सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन एक सतत प्रक्रिया के रुप में करते हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़-भाड़ को हटाने के लिए सरकार उपलब्ध योजनागत आबंटनों के भीतर सड़के चौड़ी करने, बाईपासों और रोड ओवर ब्रिज का निर्माण करने जैसे कार्य कर रही है।

भारत-नेपाल शान्ति एवं मैत्री संधि, 1950

28. **श्री हरिन पाठक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल ने भारत-नेपाल शांन्ति तथा मैत्री संधि, 1950 में कुछ परिवर्तन लाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो नेपाल द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों का ब्योरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). नेपाल द्वारा इस संधि में कोई विशिष्ट परिवर्तन करने के लिए कोई स्पष्ट प्रस्ताव स्पष्ट नहीं किया गया है। नेपाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मनमोहन अधिकारी की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधो के विभिन्न पहलूओं पर विचार विमर्श किया जिनमें 1950 की शान्ति एवं मैत्री संधि की समीक्षा भी शामिल थी । दोनों पक्ष इस संबंध में तथा द्विपक्षीय हित के सभी संगत विषयों पर दोनों देशों के उपयुक्त स्तर पर चर्चा जारी रखने के लिए सहमत है।

कायमकुलम विद्युत परियोजना

29. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:**

श्री रमेश चेन्नितला:

श्रीमती सुशीला गोपालन:

प्रो० के. वी. थामस:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कायमकुलम विद्युत परियोजना पर कार्य आरम्भ करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु वित्तीय स्रोत क्या हैं;

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है और परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) परियोजना के कितनी समय में पूरा होने की आशा है और इसमें विद्युत का उत्पादन कब से आरम्भ हो जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 1995 में सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजना का वित्त–पोषण कम्पनी के आन्तरिक स्रोतों, बाजार ऋणों तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से की जाती है। तथापि, विश्व बैंक से उपलब्ध होने वाले 400 मिलियन अमरीकी डालर के टाइम स्लाइस ऋण का समुपयोजन किए जाने के लिए इस सम्बन्ध में विश्व बैंक/सरकार के अनुमोदन हेतु एनटीपीसी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) अगस्त, 1995 में सरकार द्वारा प्रदान किए गए निवेश सम्बन्धी अनुमोदन के अनुसार वर्ष 1994 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमानित लागत 1310.58 करोड़ रुपये बैठती है। इस परियोजना के लिए 1995-96 के संशोधित अनुमानों में 6.63 करोड़ तथा 1996-97 के बजट अनुमानों में 170.57 करोड़ का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) परियोजना की पहल गैस टरबाइन को फरवरी, 1998 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है। अन्य सभी यूनिटों को फरवरी, 1999 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा विस्थापित व्यक्ति

30. श्री पीयूष तीरकी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात लिमिटेड द्वारा विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(ख) उनके पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस. पी.) स्थापित करने के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थपित हुए परिवारों की संख्या 13,309 (तेरह हजार तीन सौ नौ) थी। 30-9-95 की स्थिति के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र 15,89 (पन्द्रह हजार पांच सौ नवासी) विस्थपित व्यक्तियों को नौकरी दे चुका है। विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास स्थानों पर बिहार की राज्य सरकार और बोकारो इस्पात संयंत्र मूलभूत सुविधाएं , जैसे पेयजल की सुविधा, स्कूल भवनों, सड़को, ट्यूबवैलों, कुंओं, स्वास्थ्य केन्द्रों, हैण्ड पम्पों, शोचालयों, टैंकों आदि का निर्माण, उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, विस्थापित व्यक्तियों को दुकानों/वाणिज्यिक प्लाटों का आबंटन, संयंत्र तथा बस्ती क्षेत्रों में छोटे–मोटे ठेके देने जैसी योजनाएं भी बोकारो इस्पात संयंत्र में प्रचलन में हैं।

बरौनी में उर्वरक कारखाना

31. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एच. एफ. सी. की बरौनी स्थित उर्वरक फैक्टरी में उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष में इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी राशि मंजूर की गई?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच. एफ. सी.) जिसमें इसका बरौनी एकक भी शामिल है के विभिन्न पचालन एककों के उत्पादन निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार ने, सिद्वान्त रुप में, एच एफ सी के लिए एक पुनरुदार पैकेज का अनुमोदन किया है जिसमें 464.93 करोड़ रु. का नया निवेश परिकल्पित है। इस पैकेज में बरौनी एकक के पुर्नवास पर 95.88 के पूंजी निवेश का प्रावधान भी शामिल है। इस पैकेज हेतु निधिगत व्यवस्थाओं का प्रबन्ध अभी किया जाना है। इसी बीच एच एफ सी के कार्यशील एककों के प्रचालन को बनाये रखने के लिए जिसमें बरौनी एकक भी शामिल है चालू वित्तीय वर्ष में नवीकरणों तथा प्रतिस्थापनों पर 18 करोड़ रु. के पूंजी व्यय के अलावा कम्पनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए 90 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है। 90 करोड़ के प्रावधान में से इस वित्तीय वर्ष में अब तक 62.70 करोड़ रु. की राशि पहले ही कम्पनी को जारी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

चीन के साथ संबंध

32. श्री चित्त बसु : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीन के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में प्रगति धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में आज तक हुई प्रगति का क्या विवरण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग).– भारत–चीन संबंध निरन्तर विकसित हो रहे हैं। उच्च स्तरीय वार्ता की गति कायम है और दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। दोनों देश एक दीर्घावधिक स्थायी एवं अच्छे पड़ोसी के संबंधों को विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। 1994 में द्विपक्षीय व्यापार 895 मिलियन अमरीकी डालर था जो 1993 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक था। अनेक संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं। पिछले दो वर्षों में स्टील, नागर वैमानिकी, पैट्रोलियम, स्वास्थ्य एवं दवाइयों के क्षेत्र मेंसहयोग से संबंधित करार सम्पन्न किए गए हैं । 1994 में दोनों देशों ने दोहरे कराधान के परिहार तथा सीधे बैंकिंग संबंधों की स्थापना से सम्बद्ध करारों पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री की 1993 में चीन की यात्रा के बाद से मंत्री–स्तरीय तथा अन्य स्तरों पर एक–दूसरे के देश की यात्राओं के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की गति कायम हैं। संयुक्त कार्यदल की आठवी बठक नई दिल्ली में 17 से 20 अगस्त, 1995 को हुई । हाल ही में राष्ट्रीय लोक काग्रेस के अध्यक्ष छाव सी 15 से 20 नवम्बर, 1995 तक भारत की सदभावना यात्रा पर आए।

पत्तनों का विकास

33. डा० विश्वानाथम कैनिथी : क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में ज़िन प्रमुख पत्तनों का विकास किया जाना है उनका ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इनमें से किसी पत्तन का विकास विदेशी कम्पनी के साथ मिल कर किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) देश में 11 महापत्तन हैं अर्थात कलकत्ता/हल्दिया, बम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापटनम, कांडला मुरगांव, पारादीप, नवा शहर, मंगलूर, तूतीकोरन तथा नहावा, बम्बई स्थित जवाहर लाल नेहरु पत्तन। इन महापत्तनों को और विकास करने के लिए 8 वां पचवर्षीय योजना 1992-97 में 2984 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध कराई गई है। कुछ मख्य परियोजनाए जिन्हे 8वी योजना की शेष अवधि में पूरी कर लिए जाने की संभावना है, सलग्न विवरण में दी गई हैं।

निम्नलिखित परियोजनाएं 8 वी योजना में शुरु की गई हैं और इनके 9 वीं योजना तक जारी रहने की संभावना है :–

1. थर्मल कोयला हैंडल करने के लिए मद्रास के समीप इन्नौर में एक नए पत्तन का निर्माण।

2. पारादीप पत्तन पर यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाएं तथा दो कोयला बर्थो का निर्माण ।

3. नव मंगलूर पत्तन पर क्रूड एवं पेट्रोलियम, तेल एव स्नेहन (पी ओ एल) हैंडलिंग सुविधाए।

4. बम्बई पत्तन पर सबमैरिन पाइपलाइन को बदलना।

फिलहाल, किसी नए पत्तन के निर्माण की कोई तात्कालिक योजना नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महापत्तन परियोजनाओं की सूची, जिन्हे 8वी योजना की शेष अवधि में पूरी कर लिए जाने की संभावना है।

पत्तन		पत्तन परियोजना/स्कीम का नाम
हल्दिया	1.	बर्थ सं० 11 का निर्माण
पारादीप	2	थर्मल कोयला के लिए यंत्रीकृत हैंडलिंग सुविधाएं तथा दो बर्थो का निर्माण।
	3	बहु–उद्देशीय बर्थ का निर्माण।
	4	पश्चिमी घाट का विस्तार ।
विशाखापटनम	5	एल पी जी जैटी का निर्माण।
	6	भीतरी बन्दरगाह में ई क्यु 7 बर्थ का निमाण।
	7.	बाहरी बन्दरगाह में बहु–उद्देशीय बर्थ का निर्माण।
मद्रास	8.	इन्नौर में सैटैलाइट पत्तन।
	9	दक्षिणी घाट 111 बर्थ का विस्तार और पूर्वी घाट बर्थो का आधुनिकीकरण।
तुतीकोरिन	10	बहु–उद्देशीय बर्थ सं० 7
कोचीन	11.	कोचीन तेल टर्मिनल की ओर जाने वाले चैनल को गहरा करना ।
नव मंगलूर	12.	मंगलूर रिफाइनरी एवं पेट्रो केमिकल लि० के लिए क्रूड एवं पेट्रोलियम, तेल और स्नेहन (पी ओ एल) हैंडलिंग सुविधाए
मुरगांव	13.	अतिरिक्त सामान्य कार्गो बर्थ।
बम्बई	14.	सबमैरिन पाइपलाइन को बदलना
जबाहर लाल नेहरु	15.	संवा बर्थ केलिए पहुंचमार्ग/पुल।
कांडला	16.	तीसरी तेल जैटी।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए समझौते:

34. **श्री हरिसिंह चावडा :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हो रहे अवैध व्यापार को रोकने और आतंकवाद का मुकावला करने के लिए पिछले तीन वर्षो के दौरान अनेक देशों के साथ समझोते किये है;

(ख) यदि हां,तो किन किन देशो के साथ ऐसे समझौते किए गए है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां ।

(ख) भारत ने आतंकवाद और संगठित अपराधों आदि का दमन करने के लिए प्रत्यर्पन संधियाँ, पारस्परिक विधिक सहायता करार और अन्य विशिष्ट करार सम्पन्न किये हैं। कनाडा, यु. के. नीदरलैड बेल्जियम, नेपाल, भूटान और अमरीका के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ सम्पम्न की गई हैं। यू.के. कनाडा, तुर्की और स्वीटजरलैंड के साथ पारस्परिक विधिक सहायता संधियां सम्पन्न की गई हैं। यू. के. और कनाडा के साथ सम्पम्नन करारों में अपनाधों की जाचं पड़ताल और अभियोजन की व्यवस्था के अतिरिक्त अपराधों से अर्जित सकल धनराशि और उग्रवादी कोशों का पता लगाने उन्हें रोकने और जब्त करने की भी व्यवस्था है। रुसी परिसंध, बुगरिया, मिस्र रोमानिया के साथ सम्पन्न करारों का उद्देश्य आतंकवाद, संगठित अपराधों , अन्तर्राष्ट्रीय अवैध आर्थिक गतिविधियों तथा नशीली दवाइयां और मनःप्रभावी पदार्थो के गैरकानूनी व्यापार को रोकना है।

(ग) विदेशी सरकारों के साथ ये करार सम्पन्न करने का आशय उग्रवादियों और संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों को हतोत्साहित करना है। इन करारों के परिणाम से सरकार संतुष्ट है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति गारंटी :

35. श्री अण्णा जोशी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "फास्ट ट्रैक प्रोजैक्ट स्कीम" के अंतर्गत "विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति गांरटी देने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) भारत सरकार ने 8 आरम्भिक फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के बारे में राज्य बिजली बोर्डों के भुगतान सम्बन्धी दायित्वों के लिए राज्य गारंटी को भारत सरकार की गांरटी देन का निर्णय लिया है।

(ख) परियोजनाओं के नाम निम्नलिखित है:—

क्रम सं०.	परियोजना का नाम	राज्य	अभिकल्पित क्षमता (मे.वा.)
1.	दभोल टीपीएस (चरण—1)	महाराष्ट्र	695
2.	ईब घाटी टीपीएस (युनिट 3 और 4)	उड़ीसा	420
3.	गोदावरी जी बी पी पी	आंन्ध्र प्रदेश	208
4.	जेगरुपाडु जी बी पी पी	आन्ध्र प्रदेश	216
5.	जीरो यूनिट एन एल सी	तमिलनाडु	250
6.	मंगलौर टी पी एस	कनार्टक	1000
7.	विशाखापटनम	आन्ध्र प्रदेश	1000
8.	भद्रावती टीपीएस	महाराष्ट्र	1072

क्रम स० 1 और 2 के लिए प्रति—गांरटी पर हस्ताक्षर पहले ही किए जा चुके हैं। क्रमसं०. की परियोजना के सप्रवतकों ने भारत सरकार की प्रति—गांरटी प्राप्त करने के अपने अनुरोध को वापिस ले लिया है। अन्य परियोजनाओं के लिए प्रति—गारंटी पर आवश्यक औपचारिकताओं जैसे संतोषजनक विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर होने और राज्य गारंटी के पूरा होने पर हस्ताक्षर कर किए जायेगे।

राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनर्निमार्ण :

36. श्री प्रवीन डेका :

श्री अमर रायप्रधान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में राष्ट्रीय राजमार्गो की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) राज्य में 1993-94 और 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के पुनर्निर्माण पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है?

जल- भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मुर्ति) : (क) असम में राष्ट्रीय राजमार्गो। की कुल लम्बाई 2296 किमी. है।

(ख) और (ग). असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख—रखाव तथा मरम्मत के लिए आबंटित राशि तथा किए गए खर्च के आकडें निम्न प्रकार हैं:—

(लाख रु०)

वर्ष	विकास		रख—रखाव और मरम्मत	
	आबंटन	खर्च	आबंटन	खर्च
1993-94	14.00	1596.25	1355.22	729.00
1994-95	1485.00	1012.71	1678.23	500.33

औषधि मूल्य समानीकरण

37. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषधि कम्पनियाँ न्यायालय वादों की सहायता से औषधि मूल्य समानीकरण लेखा के अन्तर्गत निकटों में देरी कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो न्यायालयों में औषधि मूल्य समानीकरण लेखे के अन्तर्गत न्यायालयों में कितने मामले लम्बित है; और

(ग) गत वर्ष कितनी धनराशि वसूल की गई और ये कम्पनियां कौन—कौन सी है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). महोदय, इस समय 13 डी .पी. ई. ए. मामले विभिन्न उच्च्य न्यायालयों में लम्बित हैं।

(ग) अभी तक वसूल की गई 18.41 करोड़ रु०. की कुल राशि में से 13.56 लाख रु०. पिछले दो वषो के दौरान वसूल किए गए हैं, जिसके ब्यौरे संस्करण विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	वसूल की गई राशि (रु. लाख में)	टिप्पणी
1.	मेसर्स बायोलाजिका इवन्स लि.	1.56	कम्पनी ने अपनी पूरी देनदारी राशि जमा कर दी है।
2.	मेसर्स केडीला लैब्स लि.	12.00	माननीय उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के निदेशों के अनुसार कम्पनी ने विवादास्पद राशि का 25% जमा करा दिया है।

[हिन्दी]

महता समिति की रिर्पोट

38. **श्री जगमीत सिंह बरार :**

श्री वृशिण पटेल :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहता समिति ने ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए सरकार कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां तो समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी और ग्रामीण विकास के संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से कुछ सिफारिशों को लागू करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1995 में प्रस्तुत कर दी है। समिति की मुख्य सिफारिशे निम्नानुसार है।

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी ;

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारो का चयन करने परिसम्पत्तियों के रख–रखाव के बारे में दक्षता, रुझान और अनुभव के आधार पर किया जाएगा । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य लागों को भी सहायता उनके द्वारा ट्राइसेम अथवा अन्य संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत कौशल के अर्जन अथवा उसे उन्मत बनाने के आधार पर दी जा सकती है ;

(3) इस समय कार्य आरम होने से पहले सबसिडी लिए जाने की प्रणाली की बजाए कार्योत्तर सबसिडी दिया जाना ;

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों की बेहतर वसूली हेतू उपाय ;

(5) यथार्थवादी पुर्नअदायगी अनुसूची बनाना और प्रतिभुति मुक्त सीमा वृद्धि ;

(6) कार्यशील पूंजी की मांग को पुरा करने की आवश्यकता ;

(7) बुनियादी ढांचो की बेहतर आयोजन और विकास पर बल देना ;

(8) अधिक ऋण और उच्चतर सबसिडी को मुहैया कराकर प्रति परिवार सहायता के स्तर में वृद्वि ;

(9) समूह गतिविधियों के लिए वित्त की अधिकतम सीमा को बढ़ाना ; और

(10) परपंरागत लक्ष्योंन्मुख नीतियों में सशोधन।

(ग) से (घ). जी, हां। इस मंत्रालय ने मंत्रीमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सिफारिशों को कार्यन्वित करने का निर्णय किया है।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाएं

39. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में वाहनों की संख्या विश्व में कुल वाहनों का कितना प्रतिशत है ;

(ख) देश मेंहोने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विश्व की इस प्रकार की कुल दुर्घटनाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है ; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाएं देश में होने वाली ऐसी कुल दुर्घटनाओं का कितना प्रतिशत है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एमं राजशेखर मूर्ति) : (क) और **(ख)**. विश्व में वाहनों की संख्या के बारे में आंकडे/सूचना उपलब्ध नहीं है।।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में देश में हुई कुल दुर्घटनाओं का 2.96% दुर्घटनाएं हुई ।

विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश :

40. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षो के दौरान विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में किये गये कुल विदेशी पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन–किन राज्यों में निवेश किया गया था;

(ग) विद्युत उत्पादन कब से आरम्भ होने की संभावना है; और

(घ) . गत पांच वर्षो के दौरान बिहार में कितनी विदेशी पूजी का निवेश किया गया हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). अब तक, 16 निजी विद्युत परियोजनाओं , जिनकी कुल विंघुत उप्पादन क्षमता 9966 में.वा. बैठती है आर जिनकी लागत लगभग 45670 करोड़ रुपये है, को विदेशी निवेश दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन परियोजनाओं को चालू करने सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में जानकारी , सप्रर्तकों द्वारा सभी आवश्यक सांविधिक और गैर–सांविधिक सवीकृतियों और वित्तीय समापन प्राप्त करने के बाद ही मिल सकती है। अब तक केवल सब परियोजना , यथा महाराष्ट्र स्थित दभोल विद्युत परियोजना, जिसे दभोल विद्युत कम्पनी द्वारा सप्रवर्तित किया जा रहा है, ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया हैं इसकों नवम्बर, 1997 में चालू करने का कार्यक्रम था, जिसे अस्वीकरण/पून विधार–विमर्श के मद्देनजर बढ़ाए जाने की सम्भावना है।

(घ) विदेशी निवेश दृष्टिकोण से स्वीकृति किसी भी निजी विद्युत परियोजना को बिहार राज्य में अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं हैं।

ईरान की जेलों में भारतीय

41. **श्री मोहन रावले :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुवैत ने भारत को वे दस्तावेज दिए हैं जिनसे पता चलता है कि ईरान की जेलों में तीन भारतीय नागरिक बन्द है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या उत्तर है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नही उठता।

राज्य मे प्रशिक्षण केन्द्र :

42. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसस्करणं क्षेत्र में कार्यरत उधमियों की उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु मदद करने के लिए राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता पदान करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिहं देव) : (क) और (ख). छोटे और कुटीर स्तर के खाद्य प्रसंस्करण उधोग जिसमें फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटे शामिल हैं स्थापित करने तथा उन्हे चलाने के लिए उधमियों को प्रोत्साहित और सुसज्जित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय आठवीं योजना के दौरान एक प्लान स्कीम चला रहा है जिसके तहत उन संगठनों इसमे स्वैच्छिक संगठन शामिल हैं, को सहायता उपलबध कराई जाती है जो ऐसे खाद्य प्रसस्करण और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने और चलाने को इच्छुक हों जहां उधमियों को विभिन्न क्षेत्रों में, इसमें बढ़िया उत्पाद तैयार करने के लिए प्रसंस्करण तकनीक, गुणवत्ता नियन्त्रण, लेखा–विधि, हिसाब किताब, विपणन आदि का प्रशिक्षण शामिल है, दिया जाए ताकि वे स्वयं के छोटे और कुटीर स्तर के खाद्य प्रसस्करण यूनिटे स्थापित कर सकें।

स्कीम के तहत गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों आदि समेत सयम और मशीनरी की लागत को वहन करने के लिए 2.00 लाख रु०. तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा, वाणिज्यिक उत्पादन हेतु मूल पूंजी आवर्ती धनराशि के तौर पर एक बार में एक लाख रु० का अनुदान दिया जाता है। अगर एक से अधिक किस्म के उत्पाद समूहों के बारे में प्रशिक्षण देना हो तो संयत्र और मशीनरी तथा गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों की लागत वहन करने के लिए 7.50 लाख रु०. तक की सहायता दी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में मूल पूंजी/आवर्ती धन राशि के तौर पर एक समय में एक बार मैं दिया जाने वाला अनुदान 2 लाख रु०. तक हो सकता हैं। उपर्युक्त सहायता के अलावा, प्रशिक्षणों को केन्द्रीय खाद्य प्रौधोगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर अथवा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण दिलाने की लागत को वहन करने के लिए संगठन को एक बार में 50 हजार रु०. तक दिए जा सकते है।

अमरीका के "असिस्टेट सेक्रेटरी आफ स्टेट" की भारत यात्रा

43. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री धर्मण्णा मोडयया सादुल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही मे अमरीका की "असिस्टेट सेक्रेटरी आफ स्टेट" सुश्री राबिन राफेल ने भारत की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्र सहायता पून शुरु करने सहित किन किन मुद्दों पर भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर एल. भाटिया) : (क) जी, हां। दक्षिण एशियाई कार्यो से सम्बद्ध अमरीका की असिसटेंट सेकेट्री सुश्री रोबिन रांफेल 4 से 14 नवम्बर, 1995 तक भारत की यात्रा पर आई।

(ख) अमरीका की असिसटेंट सेक्रट्री आफ स्टेट की यह यात्रा मुख्य रुप से भारत स्थित अमरीकी मिशनों के साथ आन्तरिक परामर्शो के उद्ददेश्य से की गई थी। तथापि, उन्होंने दिल्ली के अलावा बम्बई ,कोचीन मद्रास और पटना की भी यात्रा की।

दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तथा अन्य अधिकारियों के साथ हुई उनकी बातचीत में अफगान की स्थिति, जहां वे हाल ही में गई थी, तथा परस्पर हित के द्विपक्षीय क्षेतीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे।

अमरीका की अधिकारी को ब्राउन संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान को अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के प्रस्ताव के विरोध में भारत की सुस्पष्ट और दृढ़ स्थिति से और इसके साथ ही भारतीय राजनीतिक नेताओं एवं जनता में इसकी प्रतिकुल प्रतिक्रियां से अवगत कराया गया।

भारत-अमरीकी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा सामान्य स्वरुप की थे और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थी कि कतिपय मामलों में वर्तमान मतभेद परस्पर लाभ के क्षेत्रों में भारत-अमरीका सहयोग विकसित करने के रास्ते में आड़े नहीं आने चाहिए । भारत-अमरीका व्यापार एवं निवेश को ओर संवर्धित करने तथा 1996 के आरम्भ में उच्च-स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान करने से सम्बद्ध विषयों पर भी चर्चा हुई प्रत्यार्पण, नागर-विमानन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध द्विपक्षीय करारों , जिन पर इस समय चर्चा चल रही हैं, की भी समीक्षा की गई ।

क्षेतीय एवं अन्तरांष्ट्रीय मसलों पर किया गया विचारों का आदान-प्रदान सम्बद्ध विदेश कार्यालयों के बीच भारत-अमरीकी द्विपक्षीय परामर्शो के क्रम में किए गए थे ओर इनके परिणामस्वरुप बेहतर समझ-बूझ कायम हुई तथा एक-दूसरे की हित-चिन्ताओं को समझने में मदद मिली ।

शीरा कार विनयंत्रण :

44. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीरा तथा एल्कोहल के चीनी उधोग पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए उन पर से नियंत्रण हटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख). शीरा नियंत्रण आदेश,1961 जिसके अधीन शीरे के मूल्यों एवं वितरण को विनियमित किया गया था और इथाइल अल्कोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1971 जिसके अधीन अल्कोहल के मूल्यों को नियंत्रित किया गया था, को शीरे और अल्कोहल के मूल्यों और वितरण पर नियंत्रण को हटाने को मदद्नेजर रखते हुए 10 जून , 1993 को निरस्त कर दिया गया है।

गुजरात में बिजली की कमी

45. **श्री हरिलाल नानजी पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में बिजली की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय मांग की तुलना में कुल कितना उत्पादन होता है और वर्तमान मांग की पूरी तरह से पूर्ति किस प्रकार की जायेगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार किसी सुपर ताप विधुत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विधुत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) :

(क) वर्ष 1994-94 के दौरान 9.6 प्रतिशत की आखिल भारतीय औसत कमी की तुलना में गुजरात में ऊर्जा की कमी पर 4.1% थी।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान गुजरात में ऊर्जा की आवश्यकता 20675 मि.यू. थी, ,जिसकी तुलना में उपलब्धता 19704 मि.यू. थी,जो कि 4-7 प्रतिशत की कमी की धोतक है। गुजरात में ऊर्जा की आवश्यकता इसके स्वंय के विधुत उत्पादन से , पड़ोसी राज्य प्रणालियों से सहायता प्राप्त करके और पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय विधुत उत्पादन केन्द्रों से उसके हिस्से में से पूरी की जाती थी।

(ग) और (घ). इस समय गुजरात राज्य में किसी सुपर ताप विधुत केन्द्र की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

46. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रासायनिक उर्वरकों के मामले में अन्य देशों पर दिन-प्रतिदिन निर्भर होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इससे परिचित है कि उदारीकृत अर्थनीति के लागू होने के बाद देश रासायनिक उर्वरकों पर ज्यादा खर्च करने को बाध्य है तथा किसानों को उनकी आवश्कतानुसार इसकी आपूर्ति नहीं की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार भारत को उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का है, और यदि हां तो कब तक?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). कृषि के लिए अपेक्षित तीन मुख्य उर्वरक पोषकों अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश मे से मुख्य रुप से नाइट्रोजन के लिए स्वदेशी कच्चा माल उपलब्ध है। इसलिए उर्वरको में आत्म निर्भरता की नीति का संबंध नाइट्रोजन उर्वरकों के संबंध में है, जो स्वदेशी फीड–स्टाक पर अधिक आधारित है। इस समय देश नाइट्रोजन के मामलेमें लगभग 84% तक आत्मनिर्भर है।

जहां तक फास्फेट का संबंध है, कच्चे माल की धरेलू उपलब्धता में बाधाएं उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं होने देती है। चुंकि स्वेदशी राकं फास्फेट आपुर्ति केवल कुल मांग का लगभग 5% पूरा करती है। इसलिए देश में उत्पादि त फास्फेटिक उर्वरको–आयातित कच्चे माल तथा मध्यवर्तियों पर पर्थात रुप से आधारित है। इसके अतिरिक्त, इन स्वाभाविक कठिनाइयों के कारण स्वदेशी फास्फेटिक उर्वरकों के. उत्पादन की लागत आयातित तैयार उत्पादों की तुलना में सामान्यतः अधिक है इस समय तैयार फास्फेटिक उर्वरकों के बारे में आयात निर्भरता 13% तक है।

देश में पोटाश के कोई ज्ञात तथा वाणिज्यिक दोहन योग्य भण्डार नहीं है और इन उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकता को जवरन आयात के माधयम से पूरा किया जाता है। प्रत्यक्ष प्रयोग के अतिरिक्त, आयातित पोटाश का प्रयोग स्वदेशी विनिमय के द्वारा कम्पलेक्स उर्वरकों को बनाने के लिए किया जाता हैं।

जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, उर्वरक को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इस समय देश में नाइट्रोजन 89.72 लाख टन तथा फास्फेट की 28.22 लाख टन स्थापित क्षमता है। इस समय अनेक परियोजनाएं कार्यान्यनाधीन है तथा पूरा हो जाने पर यह परियोजनाएं 17.51 लाख टन नाइट्रोजन तथा 0.31 लाख टन फास्फेट अतिरिक्त उत्पादन करेगी। अनेक अन्य परियोजनाओं का कार्यान्वयन के लिए पता लगाया जाए।

जहां तक उर्वरक क्षेत्र का संबध है आर्थिक नीति के उदारीकरण में लाइसेंस मुक्त, जोना, फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों का नियंत्रण मुक्त करने तथा इनके आयातों की असरणीवद्धता को व्यक्त किया गया है। इन नीतिगत परिवर्तनों तथा रसायन उर्वरकों पर राष्ट्रीय खर्च में वृद्धि के बीच कोई कारण और प्रभाव संबंध नहीं है जो उत्पादन की मात्रा तथा इकाई लागत एवं आयात का कार्य है।

जहां तक नियंत्रित उर्वरकों को समय पर उपलब्ध कराने का संबध है,फसल मौसमवार उर्वरक आपूर्ति योजनाएं राज्यों को समय पर उन्हें सुनिश्चित करने के लिए वनायी जाती है। नियंत्रित उर्वरकों की उपलब्धता का राज्य सरकारों उर्वरक निर्माताओं पूल हेडलिंग एजेन्सी तथा रेलवे के समन्वय से समय–समय सरकारों उर्वरक निर्माताओं पूल हेडलिंग एजेन्सी तथा रेलवे के समन्वय से समय–समय पर निगरानी रखी जाती है। सरकार नियत्रंण मुक्त उर्वरकों की उपलब्धता पर भी निगरानी रखती है। इस समय देश में इन उर्वरकों की उपलब्धता विल्कुल संतोषजनक हैं।

[अनुवाद]

विद्युत उपस्करों का आयात

47. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1992-93, 1993-94 तया 1994-95 के दौरान कुछ विद्युत उपस्करों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां तो किन देशों से इसका आयात किया गया तथा इस पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयंत्रो का देश में उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). अधिकाश मशीनरी, ताप विद्युत , जल विद्युत, गैस, आर न्युक्लीय विद्युत संयंत्रो में इस्तेमाल किए जाने वाले विद्युत उपस्कर की श्रेणी में आती हैं विद्युत उपस्कर में , पारेषण एवं वितरण उपस्कर तथा विधुत क्षेत्र से संबंधित अन्य अनुषंगिक भी शामिल होते हैं। विधुत उपस्कर, राज्य बिजली बोर्डो कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों का उपयोग करने वाले उधोंगों तथा विद्युत क्षेत्र की सार्वजनिक एवं निजी यूटिलिटीज द्वारा आयात किए जाते हैं। द्विपक्षीय तथा विभिम्न एजंसियों के साथ बहुपक्षीय सहायता एवं अन्य देशों केस साथ विभिनम वित्त पोषण व्यवस्था के अधीन भी विधुत उपस्कर के आयात को शामिल किया जाता है। एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावरग्रिड और एन. ई.ई पी. पी. द्वारा आयात किए गए विद्युत उपकरणों का ब्यौरा संलग्न विरण में दिया गया है।

(ग) से (ड.). विद्युत उपकरणों विशेष रुप से उत्पादन परिषण और वितरण में काम आने उपकरणों का विनिर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्री कम्पनियों दोनों के द्वारा देश में किया जाता हैं। यदि विशेष उपकरणों या परियोजना से संबंधित जानकारी दर्शाई गई हो तो यह मंत्रालय देश में इन उपकरणों के स्थानीय विनिर्माताओं की क्षमताओं के ब्यौरे दे सकता हैं तथापि, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता प्राप्त कर रही परियोजनाओं के संबंध में कभी–कभार विद्युत उपकरणों के आयात की जरुरत पड़ जाती है।

विवरण

एन.एच.पी.सी., पीजीसीआईएल, एन.टी.पी.सी. और नीपको द्वारा आयात किए गए विद्युत उपस्करों की सूची

उपस्कर आयात करने का वर्ष	संगठन/विद्युत केन्द्र	उपस्कर	विदेशी मुद्रा विनियम लागत	वित्त पोषण का स्रोत	जिस देश से आयात किया गया
1	2	3	4	5	6
एक.	**राष्ट्रीय जल विद्युत निगम**				
	1992-93 चेमरा एचई प्रोजैक्ट चरण–1	**400 केवी गैस इन्सूलेटिड सिवचगीयर**	235,466 कैनिडियन डालर	एक्सपोर्ट डवलपमेंट कारपोरेशन कनाडा एडं कनाडियन इंटरनैशनल डवलपमेंट एजेंसी कनाडा	मैसर्स सिमन्स ज़र्मनी
		400 केवी आयल फिल्ड केबल	1005115 कैनेडियन डालर	–वही–	मै० सिमन्स जर्मनी
		टर्बाइन एवं गेट्स	645623 कैनेडियन डालर	–वही–	मै० एमआईएल कनाडा
		जैनरेटर्स	820184 कैनेडियन डालर	–वही–	मै० जनरल इलैक्ट्रिक कनाडा
		अन्य आनुषंगिक	47300 कैनेडियन डालर	–वही–	कनाडा
		जोड़ :	2753688 कैनेडियन डालर		
	उरी जल विद्युत परियोजना	**विद्युत उत्पादन यूनिट**	5.02 एम जी बी पी	युके एंड स्वीडिश ग्रांट एंड लोन	यूके स्वीडन
		विद्युत घर आनुषंगिक	3.03 एम सी एच एफ		
	दुलहस्ती ज. वि परियोजना	**विद्युत उत्पादन यूनिट**	748508909 येन	फ्रैचं ग्रांट एंड	फ्रासं
		विद्युत घर उपकरण	330042633 येन	लोन	फ्रांस
		स्विचयार्ड उपस्कर	5361433 येन	–वही	फ्रांस
		जोड़ :	1083912975 येन		
	चमेरा ज. वि. परियोजनाचरण–1	**400 केवी आयल फिल्ड केबल**	589012.80	एक्सपोर्ट डवलपमेंट कौरप. एंड कैनेडियन इंटरनैशनल डवलपमेंट एजेन्सी	मै० सिमन्स जर्मनी
		400 केवी गैस	578842.03		
		इंसुलेटिड स्विचगियर जोड :	1167854.83]		

1	2	3	4	5	6
1993-94	चेमरी ज. वि. परियोजना	400 केवी गैस इंसूलेटिड	1035764	ईडीसी एंड सी आई डी ए आफ	मै० सिमन्स
	चरण–1	स्विचगीयर	कैनेडियन डालर	कनाडा	जर्मनी
		जैनरेटर्स	1641960	–वही–	जनरल इलैक्ट्रिक
			कैनेडियन डालर		कनाडा
		टर्बाईन एंव गेट्स (स्पीलवे	1270919	–वही–	एमआईएल,
		रेडिएल गेट्स को छोड़कर)	कैनेडियन डालर		कनाडा
		400 केवी आयंल फिल्ड	1483491	–वही	मै० सिमन्स
		केबल	कैनेडियन डालर	–वही–	जर्मनी
		अन्य अनुषंगिक	730380 कै० डालर	–वही–	कनाडा
		जोड़ :	6162514 कैनेडियन डालर		
	उरी ज. वि. परियोजना	जैनरेटिंग यूनिट	6.12 एमजीबीपी	युके एंड सवीडिश ग्रांट एंड लोन	यूके
		विद्युत घर अनुषंगिक	0.28 एमजीबीपी	–वही–	यूके
		जोड़ :	6.40 एमजीबीपी		
		विद्युत घरं आनुषंगिक	0.25 एमसीएचएफ	–वही–	स्वीडन
	दुलहस्ती ज. वि. परियोजना	विद्युत उत्पादन यूनिट	1501713888 येन	फ्रैंच	फ्रांस
		स्वीचगीयर और जी आई	552232814 येन	ग्रांट एंड	फ्रांस
		एस विद्युत घर आनुशंगिक	210277491 येन	लोन	फ्रांस
		जोड़ :	2264224193 येन		
	चमेरा ज. वि. परियोजना	बैटरी बैंक	96120.00	एक्सपोर्ट डवलपमेंट कौरप. एंड	कनाडा
	चरण–1			कैनेडियन इंटरनैशनल डवलपमेंट एजेंसी	

1	2	3	4	5	6
1994-95	चमेरा ज. वि. परियोजना	400 केवी ऑयल फिल्ड	367090	ईडीसी एंड सीआईडीए	मै० सिमन्स जर्मनी
	चरण–1		कैनेडियन डालर	ऑफ कनाडा	
		400 केवी गैस इंसूलेटेड	86631	–वही–	मै० सिमन्स जर्मनी
		स्विचगीयर	कैनेडियन डालर		
		जोड़ :	453721 कैनेडियन डालर		
	उरी ज. वि. परियोजना	विद्युत उत्पादन यूनिट	0.79 एम जी बी पी	यूके एंड स्वीडिश	यूके
		विद्युत घर आनुषंगिक	0.79 एमजीबीपी	अनुदान तथा ऋण	
		जोड़ :	1.58 एमजीबीपी		
		विद्युत उत्पादन युनिट	52.15 एमसीएचएफ	–वही–	स्वीडन
		स्विचयार्ड एंड जीआईएस	33.76 एमसीएचएफ	–वही–	स्वीडन
		विद्युत घर आनुषंगिक	52.55 एमसीएचएफ	–वही	स्वीडन
		विद्युत केबल	14.28 एमसीएचएफ	–वही–	स्वीडन
		जोड़ :	152.74 एमसीएचएफ		
दो.	विद्युत ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०				
1992-93	पावरग्रिड/कैथलगुड़ी	एसीएसआर मूस कण्डक्टर	124499534 जापानी येन	ओईसीएफ	बहरीन
	पारेषण प्रणाली	उच्च वोल्टता स्टील अंगल	407480234 जापानी येन	ओईसीएफ	जापान
		सैक्शन/प्लेटर एवं एमएस प्लेट्स			
		उच्च वोल्टता स्टील अंगल सैक्शन्स	792042600 जापानी येन	ओईसीएफ	दक्षिण कोरिया
	पावरग्रिड/रिहन्द	400 केवी सर्किट ब्रेकर्स के लिए	3768085 फ्रैंच फ्रैंक	आई बीआरडी	फ्रांस
		शेष पुर्जे			
	पावरगिड/केन्द्रीय पारेषण	टीओडी मीटर्स	12,00000 पीएस	आई बी आर डी	यूकें
	परियोजना–1				

1	2	3	4	5	6
1993-94					
	पावरग्रिड/कैथलगुड़ी	एसीएसआर मूस कंडक्टर्स	626214074 जापानी येन	ओईसीएफ	बहरीन
	पारेषण प्रणाली	उच्च वोल्टता स्टील अंगल सैक्शन्स	626772550 जापानी येन	ओईसीएफ	दखिण कोरिया
1994-95					
	पावरग्रिड/कैथलगुड़ी	एमएस स्टील	150595200	ओईसीएफ	दक्षिण कोरिया
	पारेषण प्रणाली		जापानी येन		
		उच्च वोलटता स्टील अंगल्स	95493364	ओईसीएफ	दक्षिण कोरिया
		एवं प्लेट्स	जापानी येन		
		एसीएसआर मूस कंडक्टर्स	335477000	ओईसीएफ	बहरीन
			जापानी येन		
	पांवरग्रिड/2 x 500 में.वा.	थाइरीस्टर वाल्वस	4884919 पीएस	यूके सरकार	यू. के.
	चन्द्रपुर में एच वीडीसी बैंक	टार्यस		का ओडिए अनुदान	
	टू–बैंक परियोजना	कंवर्टर ट्रासंफामर	7008783 पीएस	यूके सरकार का ओडिए अनुदान	यू. के.
		अन्कोर वोल्टस तथा टैम्पलेट्स	1110535 फ्रैंच फ्रैंक	फ्रैंच ट्रेजरी ऋण एवं	फ्रांस
				फ्रैंच निर्यात ऋण	
		बस पोस्ट इसूंलेटर्स	39281431 फ्रैंच फ्रैंक	–वही–	फ्रांस
		एचवी कंडक्टर एंड	1783731 फ्रैंच फ्रैंक	–वही–	फ्रांस
		शील्डींग वार्यस			
		एसी सर्किट ब्रेकर	40111738 फ्रेंच फ्रैंक	–वही–	फ्रांस
		डी आई एस सी इंसूलेटर्स	2002857 फ्रेंच फ्रैंक	–वही	फ्रांस

1	2	3	4	5	6
तीन.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम				
1992-93					
	फरक्का एसटीपीपी–2	एसजी एंड ईएस पी	4.14 डी एम	बीटीसीओ	इटली
		पैकेज	.56 अमरीकी डाली		
		मुख्य संयंत्र उपस्कर	2.59 डीएम	केएफ डब्ल्यू	जर्मनी
		पूर्व जल शोधन संयंत्र	0.12 डीएम	आई बी आर डी	जर्मनी
		जैनरेटर ट्रांसफार्मर	1.80 अमरीकी डालर	आई बी आर डी	युगोस्लाविया
		यूनिट एवं स्टेशन.			
		ट्रांसफार्मर	0.31 अमरीकी डालर	आई बी आर डी	युगोस्लाविया
		420 केवी इंसूलेटर्स	0.05 अमरीकी डालर	आई बी आर डी	यूगोस्लाविया
		420 केवी बीपीई	0.01 अमरीकी डालर	आई बी आर डी	यूगोस्लाविया
	रिहन्द एस टी पीपी	विद्युत संयंत्र	7.11 पौण्ड	सीडब्ल्यूएलबी	यू. के.
	कवास जीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	364.11	एफआरएफ बैंक	बेल्जियम एंड
			230.83	बीइएफ पैरीबास	फ्रांस
			.75 अमरीकी डालर		
		मुख्य संयंत्र उपस्कर	1.84 अमरीकी डालर	आई बी आर डी	फ्रांस
	तलचेर एस टी पीपी	एस टी जी	42.25 डी एम	आई बी आर डी	एफआरजी
		कंपन इंसूलेशन प्रणाली	.66 डीएम	आई बी आरडी	जर्मनी
		एसजी पैकेज	171.47 एफआरएफ	बैंक पैरिबास	फ्रांस
	कोरबा एस टीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	2.18 डीएम	केएफडब्ल्यू	जर्मनी

1	2	3	4	5	6
	अंता जीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	8.37 डीएम	आई बी आर डी	जर्मनी
			4.88 एस	आई बी आर डी	जर्मनी
	औरेया जीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	604.63 जापानी येन	आई बी आर डी	जापान
			0.03 अमरीकी डालर	आई बी आर डी	जापान
	कहलगांव एसटीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	7.21 रूबल	सोवियत	रशिया
	दादरी जीपीपी–1	मुख्य संयंत्र उपस्कर	68.20 डीएम	केएफडब्ल्यू	रशिया
		कंपन आइसोलेशन प्रणाली	0.04 डी एम	आई बी आर डी	यू. एस. ए.
		एलटी ट्रासंफार्मर	0.03 अम. डालर	आई बी आर डी	युगोस्लाविया
	कानर–गांधार जी पी पी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	7382.27 जापानी येन	ओई सी एफ	जापान एंड जर्मनी
	रामागुंडम	मुख्य संयंत्र उपस्कर	6.10 डीएम	केएफडब्ल्यू	जर्मनी
	एसटीपीपी–2	पावर साइकल हीटर	0.27 अम डालर	आई बी आर डी	जापान
		टरबाइन रोटोर	3.02 अम. डालर	आई बी पी आर डी	इटली
		पावर साइकल	0.02 अम. डालर	आई बी पी आर डी	इटली
		एसैसरीज	329.47 अम. डालर		

1	2	3	4	5	6
1993-94					
	फरक्का एसटीपीपी–2	एसजी एंड ईएसपी पैकेज	13.632 डीएम	बेंकस ट्रस्ट क. हागंकांग	इटली
		ट्रेनिंग	0.213 पौण्ड	–वही–	जर्मनी
		स्टिमूलेटर	0.541 डीएम	–वही–	जर्मनी
		400 केवी बस पोस्ट इंसूलेटर	0.012 अम. डालर	–वही–	युगोस्लाविया
		400 केवी सी बी एस	0.313 डीएम	–वही–	जर्मनी

1	2	3	4	5	6
		मुख्य संयंत्र उपस्कर	0.47 डीएम	केएफडब्ल्यू	जर्मनी
	कबास जी पीपी	मुख्य संयंत्र	115.07 फ्रैंच फ्रैंक	बैंक पैरिबास	फ्रांस
			74.74 बीईएफ	फ्रांस एंड बेल्जियम	बेल्जियम
			0.99 पौण्ड	आई बीआरडी	फ्रांस
	तलचेर एसटीपीपी	एसजी पैकेज	23.92 फ्रैच फ्रैंक	बैंक पैरिबास	फ्रांस
		जन. सर्किट	11.46 फ्रैच फ्रैंक	—वही—	फ्रांस
		ब्रेकर वीईसी	10.873 एफआर एफ	आई बी आर डी	फ्रांस
		बायॅलर फीड पम्प	1.393 डीएम	—वही—	इटली
			7589.468 आईएल	—वही	इटली
		स्टीम जैन.	10.329 डीएम	—वही	जर्मनी
		कंपन इंसूलेटर्स	0.148	—वही	जर्मनी
	अन्ता जीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	0.829 डीएम	आई बी आर डी	जर्मनी
	औरैया जीपीपी	मुख्य संयंत्र	65.45 जापानी येन	आई बी आर डी	जापान
	कहलगांव एसटीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	2.33 रूबल	रशियन	रशिया
	सिंगरौली एसओपीपी	मुंख्य संयंत्र उपस्कर	3.72 डीएम	केएफडब्ल्यू	जर्मनी
	दादरी जीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	1.34 डीएम	केएफडब्ल्यू	जर्मनी
	गंधार जीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	24.126 जापानी येन	ओईसीएफ	जापान एण्ड जर्मनी
			94.40 अमरीकी डालर		

1	2	3	4	5	6
1994-95					
	फरक्का एसटीपीपी	जैनरेटर ट्रांस	0.543 अम. डालर	आई बी आर डी	युगोस्लाविया
		एलटी ट्रासंफार्मर	0.025 अम. डालर	आई बी आर डी	युगोस्लाविया
	कवास जीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	15.52 फ्रैंच फ्रैंक	बैंक पैरिबास	फ्रांस
			10.88 बीईएफ	फ्रांस एंड बैल्जियम	बेल्जियम
	तलचेर एसटीपीपी	एसजी पैकेज	19.15 फ्रैंच फ्रैंक	—वही—	फ्रांस
		—वही—	12.90 फ्रैंच फ्रैंक	—वही—	फ्रांस
		बार्यलर फीड पम्प	3486.529 आईएल	—वही—	इटली
		स्टीम जन. एबीबी	7.788 डीएम	—वही—	जर्मनी
		जैन. सर्कि. ब्रेकट	4.026 एफ आर एफ	—वही—	फ्रांस
	औरेया जीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	2616.000 जापानी येन	आई बी आर डी	जापान
			0.837 अम. डालर	आई बी आर डी	जापान
			0.48 सिंगा. डालर	आई बी आर डी	जापान
			0.023 पौण्ड	आई बी आर डी	जापान
	कहलगांव	मुख्य संयंत्र उपस्कर	0.06 रूबल	रशियन	रशिया
			1.14 डीएम	केएफडब्ल्यू	जर्मनी
	गंधार जीपीपी	मुख्य संयंत्र उपस्कर	13732.00 जापानी येन	ओई सीएफ	जापान एंड जर्मनी
			203.66 अमरीकी डालर		

1	2	3	4	5	6
चार उत्तर –पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड					
	——— शून्य ———				
1992-93					
1993-94					
	उ0. पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लि0 के अधीन असम गैस आधारित विद्युत परियोजना	(आनुषंगिकों समेत गैस टर्बाइन जनरेटिंग सेट) (गैस कम्प्रेशर्स, गैस मीटरिंग प्रणाली, मापक उपकरण, नाक-आऊट, ड्रम्स आदि समेत ईंधन गैस प्रणालीह) (जैनरेटर्स ट्रांसफार्मर्स) (बाइपास स्टेक) (वितरण ट्रांसफार्मर्स) अन्य विविध आनुषंगिक उपस्कर यथा डीपी सेट, ओवरहैड क्रेन एमसीसी, बस डक्टस, अग्नि सुरक्षा प्रणाली आदि	8123529165 जापानी येन	आई सी एफ, जापान	जापान
5.	1994-95 असम गैस आधारित पावर प्रोजैक्ट असम, नीपको के अधीन	आनुषंगिको समेत गैस टर्बाइन जनरेटिंग सैट/गैस कम्प्रेशर्स, गैस मीटरिंग प्रणाली मापक इंस्ट्रूमेंट, नाक-आऊट ड्रम्स आदि समेत ईंधन गैस, प्रणाली जनरेटर ट्रासफार्मर्स वितरण ट्रासफार्मर्स, बाईपास स्टैक/ अन्य विविध आनुषंगिक उपस्कर तथा डीजी सेट, शिरोपरि क्रेन, एमसीसी बस डक्टस, अग्नि सुरक्षा प्रणाली आदि।	3980850085 जापान येन	ओईसीएफ जापान	जापान

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीबी दूर करने का कार्यक्रम

48. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीबी दूर करने के प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों में लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए गए है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों सहित पूरे भारत में सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रमुख उन्मूलन कार्यक्रम

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना (3) सुनिश्चित रोजगार योजना हैं। इन कार्यक्रमों कें अन्तर्गत लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिएं गये हैं। इन कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों को आमतौर पर प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) राज्यों में जब कभी आवश्यक होता है लक्ष्यों की पूर्ति को सुनिश्चित इस के लिए उचित कदम उठाए जाते है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि आदिशेष आवंटन के 25% से अधिक होता है तो आवंटन में दंड के तौर पर कटौती की जाती है, इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत तिमाही आधार पर बजट बनाने की प्रक्रिया भी लागू की जती है।

जहां तक जवाहर रोजगार योजना का सम्बन्ध है दूसरी किस्त केवल तभी रिलीज की जाती है जब उपलब्ध निधियें, वर्ष के अदिशेष को जोड़ कर (का 50 % से इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि बाकया राशि 15% से अधिक हो तो अगले वर्ष में ले जाई जा रही निधियों के बराबर की राशि को दूसरी किस्त में से कटोती कर ली जाती है।

विवरण

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संबंध में पिछले तीन वर्ष के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित योजना के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम		जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना			
	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य (लाख श्रम दिन)		उपलब्धि (लाख श्रम दिन)	
	(संख्या)	संख्या)	जवाहर रोजगार योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना।	जवाहर रोजगार योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना।
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश						
1992-1993	369554	387961	1389	-	1496	-
1993-94	416354	445403	1780	-	1791	15
1994-95	325353	369225	1298	-	1395	166
मध्य प्रदेश	369554	387961	644	-	710	-
1993-94	258521	242673	766	-	849	51
1994-95	211466	210560	1015	-	1075	364

टिप्पणी: सुनिश्चित रोजगार योजना मांग आधारित योजना है अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

कोलम्बों पत्तन में पोतों के प्रवेश पर प्रतिबंध

49. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के प्राधिकारियों ने कोलम्बों पत्तन की बंदरगाह में 1600 टन की क्षमता से कम के लिए पोतों के प्रवेश पर पंतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उस देश के साथ भारतीय व्यापार पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में तूतीकोरन के मालवाहक पोत मालिकों से कोई शिकायतें प्राप्त हुयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मुद्दे को श्रीलंका की सरकार के साथ उठाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहें हैं और अब तक इसके क्या परिणाम निकल हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) ओर (ख). जी हां। श्रीलंका की सरकार ने लकड़ी के पेटों वाले और 1600 टन अथवा उससे कम की क्षमता वाले जलपोतों के कोलम्बो बन्दरगाह में प्रवेश पर 26-4-95 से प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) और (घ). नैशनल बोटमैंस यूनियन, कोस्टल सेल वैलस ओनर्स एसोसिएशन ने सरका का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया है कि श्रीलंका के प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से मुख्य रुप से तूतीकोरिन से कोलम्बों तक पारम्परिक जलपोत परिवहन ही प्रभावित हुआ है।

(ङ) सरकार ने श्रीलंका की सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया है श्रीलंका की सरकार ने यह कहा है कि सुरक्षा कारणों से कोलम्बों बंदरगाह में जलपोतो के प्रवेश द्वारा कोलम्बों बंदरगाह तक पहुंच की अनुमति प्रदान करने में वे असमर्थ हैं। श्रीलंका के प्राधिकारियों ने छोटे जलपोतों को मुलवल फिशरी बंदरगाह पर वैकल्पिक सुविधाओं की पेशकश की है जो निगोमबों, बेरुवेला और गाल बंदरगाहों के अलावा हैं एक छोटा प्रतिनिधिमंडल जिसकी व्यवस्था भूतल परिवहन मंत्रालय ने की है और जिसमें व्यवस्था भूतल परिवहन मंत्रालय ने की हैं और जिसमें तुतीकोरीन के जलपोतों के मालिकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे , इस मसले को सुलझाने के तौर तरीकों पर विचार–विमर्श के लिए श्रीलंका जाएगा।

[हिन्दी]

सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

50. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर बढ़ते यातायात को देखते हुए सुपर राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय राजमार्गो का ब्यौरा क्या है जिन्हें सुपर राष्ट्रीय राजमार्गो निविदाएं आमंत्रित करने का है;;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों के निमार्ण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं करने का है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) किन–किन बहुराष्ट्रीय निजी कम्पनियों को सुपर राष्ट्रीय राजमार्गो। के निर्माण हेतु मंजूरी दी गई है तथा ऐसे सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिनाका निर्माण निजी निवेश से किए जाने की सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सरकार की ओर से भारतीय राष्ट्रीय राजर्माग प्राधिकरण ने प्रस्तावित सुपर राष्ट्रीय राजमार्गो जो प्रमुख महानगर क्षेत्रों को जोडेंगे, के लिए तथा भारत में महापत्तनों के साथ नगरों के निर्माण के लिए व्यहार्यता अध्ययन करने को इच्छुक पार्टियो से अंतर्राष्ट्रीय निविदाए आमंत्रित की हैं। नए संरेक्षण पर ये एक्सप्रेस मार्ग होने वाले है तथा निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण के आधार पर निजी क्षेत्र की सहायता से इनका निमार्ण करने का प्रस्ताव है। विश्वव्यापी निविदा के आधार पर, ये व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए 22 पार्टियों ने अपनी निविदाएं भेजी हैं। तथापि , सुपर राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के लिए किसी बहुराष्ट्रीय/निजी कम्पनी को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

बंजर भूमि का विकास

51. श्री अमर पाल सिंह : क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वन रहित क्षेत्रों में बंजर भूमि के विकास हेतु एक व्यापक नीति और कार्य योजना तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हा, तो समिति का गठन संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

ग्रामिन क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समिति की संरचना और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण विवाद में दिए गए हैं।

(ग) प्राथमिक तौर पर समिति को अपनी रिर्पोट छह माह के अंदर प्रस्तुत करनी थी। तथापि, अपरिहार्य कारणों के कारण इस अवधि को 5 महीने तक बढ़ाना पड़ा। समिति की अवधि 30 अक्तूबर, 1995 को समाप्त हो गई।

समिति द्वारा दिसम्बर, 1995 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की संभावना है।

विवरण

संख्या 6-17/94-टी ई

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(बंजर भूमि विकास विभाग)

4 नवम्बर, 1994

आदेश

विषयः वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन।

1. देश में लगभग 95 मिलियन हैक्टेयर वनेतर बंजर भूमि का विकास करने के उद्ददेश्य से बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन जुलाई , 1992 में किया गया था। इसके अस्तित्व में आने के प्रथम दो वर्षों में विभाग ने इसे आबंटित नियोजित निधियों के उपयोग की काफी ऊंची प्रतिशतता प्राप्त की हैं। तथापि, यह महसूस किया गया है कि समस्या की व्यापकता के पूर्व मूल्यांकन तथा इन समस्याओं को निपटाने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने सहित वनतूर बंजर भूमि के विशाल क्षेत्रों के विकास हेतु एक कार्यनीति और कार्य योजना विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

2. देश में बजंर भमि के विकास हेतु एक व्यापक योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए "बजर भूमि विकास संबंधी उच्च स्तरीय समिति" का निम्नालिखित संरचना और विचारार्थ विषयों सहित गठन करने का निर्णय लिया गया है।

1. संरचना

1. श्री मोहन धारिया "वनाराय" 2064, — अध्यक्ष
विजयनगर, पुणे–411030 (महाराष्ट्र)

2. श्री बी.बी. तोहरा, — उपाध्यक्ष
डी–7-7, बसंत बिहार,
नई दिल्ली –110057

3 श्री अन्ना साहेब हजारे — सदस्य
संत यादव बाबा शिक्षय प्रसारक मंडल
रालगांवःशिद्धी
तालुकः परनेर
जिलाः अहमदनगर
(महाराष्ट्र)

4 श्री अनिल सी शाह — सदस्य
प्रधान सलहाकार
आग खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम
8 जुपिटर अपार्टमेंटस,
[illegible] पटेल नगर,
अहमदाबाद–380006 (गुजरात)

5. डां. डी. आर. मुम्बला, — सदस्य
केन्द्रीय भूमि खारापन अनुसंधान संस्थान
के पास करनाल (हरियाणा)

6. श्री के. एल. चुग, — सदस्य
अध्यक्ष आई टी सी. भद्राचलम पेपर बोर्ड
लिमिटेड, वरजिना हाऊस,
37 चौरंगी लेन कलकत्ता–700071

7. डां. पी. कोट्टैया — सदस्य
अध्यक्ष
नाबार्ड,
स्टर्लिंग सेंटर, डां. ऐनी बीसेंट मार्ग,
वरली, बम्बई–400018

8. डां. आर. के पचौरी, — सदस्य
निदेशक, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान,
दरबारी सेठ ब्लाक, इंडिया ब्रहिटेट सेंटर
लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003

9. श्री सुबोध भार्गवा — सदस्य
अध्यक्ष भारतीय उद्योग संगठन 23-26,
संस्थागत क्षेत्र, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

10. श्रीमती विजी श्री निवासन, — सदस्य
प्रबंध निदेशक,
ए. डी. आई . टी. आई 2130,
स्टेट वैंक कौंलोनी–2 बयलें रोड़,
पटना–800014 (बिहार)

11. श्री रंजीत इस्सर — सदस्य-सचिव
सयुक्त सचिव
बंजर भूमि विकास विभाग,
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011

2. **विचारार्थ-विषय**

(1) 10-15 वर्षों की समय –सीमा के अंतर्गत वनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि के विकास हेतु एक व्यापक कार्यनीति और कार्य–योजना का विकास करना,

(2) अपेक्षित वित्तीय संसाधनों के स्तर का मूल्यांकन करना और उनको जुटाने हेतु उपायो ओर स्रोतों का सुझाव देना,

(3) गैर–वनीय बंजर भूमि के विकास में केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयसेवी एजेंसियों, निगमित क्षेत्र और वित्तीय संस्थाओं/बैंकों की संबंधित भूमिका को दर्शाना,

(4) विशिष्ट नीतिगत प्रयासों का सुझाव देना जिसे बंजरभूमि विकास विभाग उसे दिए गए अध्यादेश के अनुसरण में उठा सकता हों।

(5) मौटे तौर पर ऐसी प्रणाली तैयार करना जिसकी मार्फत राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड वनेतर बजंर भूमि के विकास हेतु प्रस्तावित कार्यनीति और कार्य–योजना को कार्यान्वित कर सके।

3. समिति अपनी रिर्पोट छह माह के अंदर प्रस्तुत कर देगी।

(रंजीत इस्सर)

संयुक्त सचिव (भारत सरकार)

मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग

52. **श्री याइमा सिंह युमनाम** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर सरकार ने नागालैंड होते हुए इम्फाल दीमापुर जाने वाली सडक परिवहन के संबंध में अपनी कठिनाईयों से केन्द्र सरकार को अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इम्फाल–जिरीबाम के राष्ट्रीय राजमार्ग को भूतल परिवहन के लिए उपयुक्त बनाने हेतु उसे चौड़ा करने तथा उसमें सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां। मणिपूर सरकार ने नागालैण्ड में भू –स्खलन, कानून और व्यवस्था तथा अन्य समस्याओं के कारण यातायात में रुकावट की सूचना दी है।

(ख) नागालैण्ड में रा. रा.–39 के एक भाग के रख–रखाव और विकास का कार्य सीमा सड़क विकास मंडल (बी आर डी बी) को सौंपा गया है। जहां तक कानून और व्यवस्था का संबंध है, नागालैण्ड सरकार इसके लिए जिम्मेदार हैं

(ग) और (घ) अभी हाल ही में रा.रा. 53 (इम्फाल–जिरीभाम–बदरपुर) की सीमा सड़क विकास मण्डल के जरिये चौड़ा करवाकर दो लेन का बनाए जाने के बारे में निर्णय लिया गया है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा जारी करना

53. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा 1 अप्रैल 1995 से 31 अक्तूबर, 1995 तक माहवार औसतन कितने वीजा जारी किये गये;

(ख) इसी अवधि के दौरान नई दिल्ली स्थित पकिस्तानी उच्चायोग द्वारा भारतीय नागरिकों को माहवार औसतन कितने वीजा जारी किया गये;

(ग) क्या भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सरल और उदार बनाया गया है, जबकि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग द्वारा ये सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) इस सम्बंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.. एल. भाटिया) : (क) इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन द्वारा 1 अप्रैल, 1995 से 31 अक्तूबर, 1995 तक औसतन 1900 वीजा प्रतिमाह जारी किए गए।

(ख) मालूम नहीं क्योंकि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान का हाई कमीशन यह सूचना नहीं देता।

(ग) से (ङ.). जनवरी, 1995 में करांची स्थित भारत का प्रधान कौंसलावास बन्द हो जाने के बाद भारत का हाई कमीशन सिंध और बलोचिस्तान से प्राप्त वीजा संबंधी आवेदनों को भी देख रहा है जिन्हे इससे पूर्व करांची स्थित भारत का प्रधान कौंसलावास देखता था। इसके परिणामस्वरुप वीजा के अनुरोधों में काफी वृद्धि हुई। अतः इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन ने वीजा प्रक्रिया को सुधार बनाने के लिए कई कदम उठाए जिनमें टोकन–प्रणाली की शुरुआत, सिंध आर बलोचिस्तान के निवासियों के लिए अलग काउन्टर तथा वास्तविक आपातकालीन स्थिति और व्यवसाय। काफ्रेंस संबंधी यात्राओं के मामलों में त्वरित आधार पर वीजा जारी किया जाना शामिल हैं।

खेद है कि पाकिस्तान भारतीय राष्ट्रिकों के लिए नियंत्रित वीजा प्रणाली अपना रहा है जिसमें प्रत्येक मामले में अलग–अलग वीजा आवेदकों का पूर्व सत्यापन शामिल है जिसके कारण पाकिस्तान जाने के इच्छुक भारतीयों को काफी विलम्ब और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

लौह अयस्क की खोज

54. **श्री राम कापसे** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के गढचिरोली जिले की सूरजगढ़ खान में लौह अयस्क की खोज हेतु निविदाए आमंत्रित की हैं,

(ख) यदि हां, तो किन–किन पार्टियों से निविदाएं प्राप्त हुई थी; और

(ग) किस पार्टी को ठेका दिया गया?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) माहराष्ट्र में सूरजगढ़ में लौह अयस्क निक्षेपों के गवेषण के लिए केन्द्र सरकार मे निविदाएं आमंत्रित नहीं की हैं।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठता।

खानों के पट्टे का नवीनीकरण

55. **श्री बल्लभ पाणिग्रही :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केन्द्र सरकार की स्वीकृति से वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाये जाने के पश्चात् उड़ीसा में खानों के अनेक पट्टे दिए गए हैं अथवा पट्टों का नवीनीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक मामलों में मंत्रालय ने सुनिश्चित किया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात् राज्य सरकार की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ख). खनन पट्टों के नवीकरण और स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम ,1957 के अंतर्गत इन शर्तों के अधीन प्रेषित किया जाता है कि खनन पट्टे का नवीकरण अथवा स्वीकृति प्रदान किए जाने से पहले राज्य सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 सहित अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

राउरकेला इस्पात कारखानें में अग्नि दुर्घटना

56. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान राउरकेला इस्पात कारखाने में अग्नि संबंधी कितनी दुर्घटनायें हुई है;

(ख) इनमें से प्रत्येक दुर्घटनाओं में हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अग्नि दुर्घटनाओं के कारणों का पता लागाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) राउरकेला इस्पात संयत्र में चालू वर्ष 1995 (अक्तूबर, 1995 तक) के दौरान 26 प्रतिवेदय अग्नि दुर्घटनाएं हुई।

(ख) और (ग). प्रत्येक दुर्घटना में हुई क्षति और आग के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देने और गहन अभियान आयोजित करने के लिए सरकार ने समय–समय पर अनुदेश जारी किए है। आग की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेल/राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा निम्नालिखित कार्यवाई की गई है:–

(1) तप्त कार्यों (वेल्डिंग/कटिंग) के दौरान उचित सुरक्षा पूर्व उपाय किए जा रहे हैं।

(2) बिजली के उपकरणों का समुचित रख–रखाव और उनकी जांच नियमित आधार पर की जाती है।

(3) प्रत्येक केबल गैलरी में लौरिटेन्डंट कम्पाउंड और अग्नि रोधक यन्त्र लगाए जा रहे हैं तथा तप्त बिन्दुओं का पता लगाने के लिए निरन्तर निरीक्षण कार्य किए जा रहे हैं।

(4) उन महत्वपूर्ण स्थानों जहां ज्वलनशील तरल पदार्थ स्टोर किए जाते हैं/हैंडल किए जाते है, पर रिसाव को रोकने तथा विस्फोटक शीलता का निरन्तर प्रबोधन किया जाता हैं।

(5) संवेदनशील स्थानों पर अग्नि सूचक अलार्म प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

(6) महत्वपूर्ण स्थानों पर अग्नि शमन पद्धति (पानी स्प्रे सिस्टम की व्यवस्था तथा कार्बन डायक्साईड फिक्स इंस्टालेशन सिस्टम) की व्यवस्था की गई है।

(7) महत्वपूर्ण स्थानों पर संबंधित कर्मचारियों को आग से सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(8) सभी शट डाऊन कार्यो के लिए समुचित सुरक्षा नयावार का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

(9) केबल गैलरी की नियमित जांच की जा रही है।

विवरण

क्रम संख्या	तारीख/समय	घटना का स्थान	आग लगने का कारण	जन क्षति	सम्पत्ति की क्षति
1	2	3	4	5	6
1.	18. 1. 95/01.35 बजे (सी पारी)	बी. एल. तथा एस. एल. यार्ड क्रेन न. 377 स्क्रेपिगं एरिया, इलैक्ट्रिकल पैनल	इलैक्ट्रिल शार्ट सार्केटिंग	शुन्य	एक इलैक्ट्रिकल पैनल क्षतिग्रस्त हो गया। क्रेन न. 377 गिर गई।
2	25-1-95/09.30 बजे	पुनर्तापन एफ.सी.ई साइड क्रेन नं. 361 हॉट स्ट्रीप मिल।	गियर बोक्स से रिसा हुआ तेल बाह्य तत्प के सम्पर्क में आना।	शुन्य	एक रैसिस्टेन्स बाक्स और एल. टी. के डाइव के लगभग 4 मीटर लम्बे 20 केबल क्षतिग्रस्त हो गये।
3.	27-1-95/1.55 बजे	कोक ओवन बैटरी नं० 4 तथा 5 इलैक्ट्रिक सब स्टेशन इलैक्ट्रिकल ब्रैकर पैनल।	एक इलैक्ट्रिकल ब्रैकर पैनल में बिजली की चिनगारी उठना।	शुन्य	7 पैनल क्षतिग्रस्त ही गए।
4.	1-2-95/03.30 बजे (सी पारी)	बी. एल. एण्ड सी.एल. मिल केबल ट्रेन्च वाटर व्हील क्षेत्र के समीप।	शार्ट सर्किट के कारण केबल ज्वाइन्ट की विफलता।	शुन्य	2.5 मीटर लम्बी 20 एल. टी. केबल और 12 कन्ट्रोल केबल क्षतिग्रस्त हो गई।
5.	14.2.95/14.15 बजे	एफ. एण्ड ए डिपार्टमेन्ट कम्प्यूटर मशीन	इलैक्ट्रिकल शार्ट सर्किटिंग	शुन्य	एक कम्पयुटर प्रिन्टिंग मशीन, और कुछ अन्य कम्प्युटर मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई।
6.	6-3-95/21.10 बजे	सी. पी. पी. – 1 ट्रर्बो ब्लोवर नं. 11	तेल तप्त सर्फेस के सम्पर्क में आ गया	शून्य	शून्य
7.	24-3-95/13.36 बजे	कोंक ओवन बैटरी न. 3 गाइड नं. कार नं. 2	तप्त कोक हाइड्रोलिक सिस्टम के समीप एकत्र तेल के सम्पर्क में आ गया।	शून्य	शून्य
8.	2-4-95/11.20 बजे	इल्गनेर स्तर के नीचे एच. एस.एम. मोटर हाउस।	बिजली चिंगारी से तेल और ग्रीस में आग लगना।	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
9.	14-4-95 / 01.00 बजे (सी पारी)	टरकेरा पम्प हाउस नं. 27 के समीप ओ. एस. ई. बी.	शार्ट सर्किटिंग	शून्य	लगभग 6 फुट केबल क्षतिग्रस्त हो गई।
10.	18-4-95 / 06.18 बजे	ई. एस. एम. हाइड्रोलिक आयल सैलर एफ. ए. ई. नं. 2	बिजली चिंगारी से तेल में आग लगना।	शून्य	1000 मीटर लम्बी 18 कन्ट्रोल केबल और 8.10 मीटर लम्बी 8 पावर केबल क्षतिग्रस्त हो गई।
11.	27-4-95 / 14.50 बजे	सिन्टर प्लान्ट मैन ब्लोवर	अपशिष्ट तेल पर हाट स्पार्क गिरने से कम्बस्टिबल सामग्री में मिलना	शून्य	(क) 1.5 कि० वाट क्षमता (अनुमानित) की दो छोड़ी मोटरें। (ख) एक आयल कूलर। (ग) दो मोनो मीटर। (घ) दो मेन आयल पम्प तथा 10 से 15 मी० लम्बा 4एल टी/कन्ट्रोल केबल क्षतिग्रस्त हो गई।
12.	29-4-95 / 22.50 बजे	आर एण्ड सी लेब इलेक्ट्रिकल डक्ट रुम, दूसरी तल एसं एम.एस. मोल्ड यार्ड 1440 वाट : की ओर।	जांच की जा रही है।	एक	(क) प्रथम द्वितीय तल की बनावटी छत। (ख) इलैक्ट्रिकल डक्ट रुम दरवाजे। (ग) दरवाजे तथा खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई।
13.	28-5-95 / 01.10 बजे (सी पारी)	एल. डी एण्ड बी. पी. ब्रिक प्लान्ट	हाट हीटर सर्फेस के सम्पर्क में आने के कारण।	शून्य	प्रत्येक 1.5 फुट लम्बे हीटर के एकदम ऊपर रैक पर लगभग 30 कन्ट्रोल इन्स्टूमैन्ट केबल जल गई।
14.	31-5-95 / 02.00 बजे	एस. एम. एस–1 (एम. ओ. डी. एन.) ए. सी. स्टोर्स और कंटीन्युअस स्लैब कास्टिंग के बीच में।	शार्ट सर्किटिंग	शून्य	लगभग 25 फीट लम्बा तार क्षतिग्रस्त था।
15.	6-7-95/0925	सी. पी. टी. आई. इलैक्ट. फीडर नं. 1.	गर्म और ठर्डे तारों के ढीले जोड़ के कारण।	शून्य	कंट्रोल पेनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त।

1	2	3	4	5	6
16.	6-7-95 / 01.30	बलास्ट फनेस नं. 4 कास्टिंग हाउस मड़गम पाइन्ट (कट्रोल रुम)	तप्त धातु कबंस्टीबल पदार्थ जैसे तेल आदि के संपर्क में आई।	शून्य	नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था।
17.	22-7-95 / 22.00 बजे	पावर डिस्ट्रीब्यूशन एम. एस. डी. एस–3 आई. सी. टी.–2	इलैक्ट्रीकल शार्ट सर्किटिंग और ट्रांसफार्मर फेल।	शून्य	आई. सी. टी. 2 सिस्ट्म पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है।
18.	23-7-95 / 9.40 बजे	पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन ऐट हैवी लोको रिपेयर शाप।	सम्भवतः आग का कारण फलैश ओवर के कारण ब्रेकरों का फेल हो जाना हो सकता है। सही कारण का पता लगाया जा रहा है।	शून्य	विघुत सब स्टेशन पूरी तरह से जल गया।
19.	28-8-95/1030 बजे	ई. एस. एम. केबल गैलेरी।	तार का जोड़ हट गया।	शून्य	2 केबल रैक, 2 मीटर लम्बे 25 वटीकल केबल (कंट्रोल केबल) प्रत्येक 4 मीटर लम्बा, 50 केबल क्षतिग्रस्त थे।
20.	4-9-95/0645 बजे	ओ. बी. पी. (एम. ओ. डी. एन.) कन्वेयर बैल्ट नं. ६	फ्रिक्शनल हीट के कारण।	शून्य	२मीटर कन्वेयर बैल्ट क्षतिग्रस्त।
21.	15-9-95/1630 बजे	एस. एस. एम. ए. पी. लाइन पिकलिंग एरिया।	वैल्डिंग की चिंगारियां पाली प्रापीलीन पदार्थ पर गिर गई।	शून्य	(क) एसिड पिकलिंग सॉल्यूशन से यूक्त 3 एफ. आर. डी. टैंक। (ख) रबर रोल प्रापीलीन पाइप लाइनें ड्रिप ट्रे और टैंक 3 से अन्य इलैक्ट्रिकल केबल क्षतिग्रस्त थे।
22.	23-9-95/0813 बजे	सी. सी. डी. साइट–सी सलफरिक एसिड प्लाटं।	अशुद्व सल्फर या लोकलाइज्ड हीटिंग के प्रभाव से हो सकता है।	शून्य	शून्य
23.	23-9-95/0415 बजे (सी पारी)	फर्टीलाइजर प्लाटं नाप्था स्टोरेज यार्ड टैंक–1	ज्वलनशी नाप्था वेपर्स में स्पार्किंग।	एक	टैंक नं. 1 और पम्प हाउस लोडिग एण्ड अनलोडिंग पम्प हाउस के पास का विघुत सब स्टेशन हल्के से क्षतिग्रस्त।
24.	24-9-95 / 14.40 बजे	कोक ओवन कोल हैंडलिंग एक्सपेनशन प्लाट कंन्वेयर नं. 84, 85, 86	पर्याप्त सावधानी बरते बगैर वैल्डिंग का कार्य करने के कारण।	शून्य	कन्वेयर बैल्ट का पोर्शन क्षतिग्रस्त।
25.	13-10-95 / 16.50 बजे	सी. आर. एम. (पी.) स्किन पास मिल में विघुत सब स्टेशन।	विघुत शार्ट सर्किटिंग।	शून्य	4 थाइरिस्टर पैनल क्षतिग्रस्त थे।
26.	14/10/95 / 09.45 बजे	विद्युत सब स्टेशन (माउल्ड यार्ड) में एस. एम. एस. केबल गैलेरी।	तार जोड का हट जाना आग का सम्भावित कारण हो सकता है।	शून्य	दोनों तरफ की रैकों के ५० मीटर लम्बे तार जल गए थे।

विद्युत ऋण गारण्टी निगम

57. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी एच डी चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने भारतीय रिर्जव बैंक में राज्यों के खातें नाम करके और करों एवं योजना सहायता का आकलन कर राज्य विद्युत बोर्डो की बकाया धनराशियों के भुगतान की गारंटी करने हेतु एक विद्युत ऋण गारंटी निगम बनाने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव की जाचं करने को सहमत हैं; और

(ग) सरकार इस योजना को कब तक लागू करेगी?

विधुत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी .पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रतिगारटी से बचने के लिए पी एच डी चैम्बर आफं कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने विद्युत ऋण गांरटी निगम बनाने का सुझाव दिया है। भारत सरकार की प्रति–गारंटी के विकल्पों के सम्बन्ध में सरकार कार्यवाई कर रही है और सरकार ने यह सुझाव नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

डी० टी. सी० बसों की मरम्मत

58. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न डिपुओं में डी० टी० सी० की बस मरम्मत के अभाव में निष्क्रिय पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बसों की अब तक मरम्मत न किए जाने के क्या कारण हैं,और

(घ) सरकार द्वारा बंस को सड़कों पर चलने योग्य बनाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल -भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन बसों की मरम्मत न हो पाने का मुख्य कारण दि० न० नि० के पास निधियों का अभाव है।

(घ) अभी हाल ही में सरकार ने इन बसों की मरममत के लिए दि० प० नि० को 10 करोड़ रु० उपलब्ध करवाए हैं और अनेक बसें प्रचालन योग्य बनाई गई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 27 करोड़ रु० दि० प० नि० की अर्थोपाय ऋणों के रुप में भी दिए हैं। तथापि, सरकार दि०प.० नि० को और अधिक धन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

विवरण

क्रम स०.	डिपो	बेड़ा	सड़क पर बसों की संख्या	मरम्मत हेतु डिपो/सी डब्ल्यू एस में रुकी पड़ी बसें
1	2	3	4	5
1.	बी बी एम–II	58	43	15
2.	बी डी	80	42	38
3.	जी टी के	78	43	35
4.	एन एल डी	72	48	24
5.	डब्ल्यु पी डी–I	99	50	49
6.	डब्ल्यु पीडी–II	97	72	25
7.	डब्ल्यु पी डी –III	96	39	57
8.	आर एच एन –I	70	31	39
9.	आर एच एन–II	41	26	15

1	2	3	4	5
10.	आर एच एन–III	52	24	28
11.	डीके डी	62	30	32
12.	एच एन डी–I	121	29	92
13.	एच एन डी–II	86	33	53
14.	एच एन डी–III	41	16	25
15.	के पी डी	51	35	16
16.	एम पी डी	121	78	43
17.	एन डी	86	34	52
18.	एस पी डी	93	56	37
19.	पी डी	96	43	53
20.	एस एच डी–I	92	65	27
21.	एस एच डी–II	98	61	37
22.	पी पी जी डी	125	85	40
23.	एस एन डी	113	81	32
24.	नोएडा	71	50	21
25.	एस एन डी	103	70	33
26.	वी वी डी	87	69	18
27.	ए एन डी	88	60	28
28.	के जे डी	135	68	67
29.	ओ डी–I	99	72	27
30.	बी बी एम–I	110	79	31
31.	आई पी डी	151	111	40
32.	वाई पी डी	82	68	14
33.	ओ डी–11	127	103	24
	कुल:	2981	1814	1167

राजस्थान की परिवहन अवंसरचना

59. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास राजस्थान से प्राप्त परिवहन अवसंरचना से संबंधित कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनायें कब से लम्बित पड़ी हैं; ओर

(ग) इनको कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सात परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) इन परियोजनाओं को तकनीकी मानंदडों को पूरा करने और निधियों की उपलब्धता के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उधोग

60. श्री शोभानादोश्वर राव वाड्डे : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उधोग क्षेत्र को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उधोग स्थापित करने हेतु उद्यमियो को अन्य सहायता प्रदान करने के संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश से मिले फल, सब्जी तथा मांस एवं कुक्कुट क्षेत्रों के प्रस्तावों पर पिछले तीन वर्षों, अर्थात्, 1992-93, 93-94 ,1994-95 में प्रदान की गई वित्तीय सहायता 200.30 लाख रु०. के बराबर है।

(ग) सरकार खाद्य प्रसंस्करण उधोगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ अधिकतम खाद्य प्रसंस्करण उद्यागों को उच्च प्राथमिकता वाला उधोग घोषित करना, अल्कोहल वाले पेयों के किण्वन एवं आसवन तथा लघु–उधोग क्षेत्र के लिए आरक्षित उधोगों को छोड़कर अधिरतकम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाईसेंस मुक्त करना, देशी/विदेशी/प्रवासी भारतीय निवेश को बढ़ावा देना, वित्तीय राहत प्रदान करना इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा सरकार इस क्षेत्र के संवर्धन हेतु अनेक विकास योजनाएं भी चलाती हैं।

हज तीर्थयात्रियों को सउदी अरब द्वारा दी जाने वाली सुविधाए

61. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सउदी अरब ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि वह आगामी हज यात्रा के दौरान भारतीय तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुबिधायें प्रदान करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आश्वासन अक्तूबर 1995 के दौरान स्वास्थय मंत्री द्वारा उस देश की यात्रा के दौरान दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उस देश द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत काल में भारतीय हज तीर्थ यात्रियों द्वारा उनके साथ किये गये दुर्व्यहार की अनेक शिकायतें की गयी थी; और

(ड़) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समस्याओं को कहां तक सुलझाया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग). स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अक्तूबर, 1995 में सउदी अरब गए और सउदी अरब के हज तथा स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात की। सउदी अरब सरकार द्वारा हज यात्रियों के लिए दी गई सवास्थ्य संबंधी व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और यह बताया गया कि नीति के अनुसार पिछले हज के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर प्रतिवर्ष हज यात्रियो के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(घ) ओर (ड.). पिछले हज के दौरान विशेष दिक्कतें पेश नहीं आयी। तथापि, कुछ भारतीय हज यात्रियों ने अपनी कठिनाईयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जिनके संबंध में कार्यवाई की गई। स्वास्थ्य के संबंध में सरकार ने हज 1995 के दौरान हज यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कदम उठाये थे– मक्का में शाखा औषधालयों की संख्या तीन से बढ़ाकर नौ कर दी गई तथा डाकटरों, अर्ध–चिकित्सा कर्मचारियों एवं अन्य प्रशासनिक स्टाफ में भी काफी वृद्धि की गई। इन उपायों के परिणामस्वरुप हमारे तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य आवश्यकताओं के बारे में तुरन्त कार्यवाई की गई।

"फैक्ट" का आधुनिकीकरण

62. प्रो० के० वी० थामस : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "फैक्ट" केरल को हुए लाभ–हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) "फैक्ट" की आधुनिकीकरण संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) "फैक्ट" नया का अमोनिया संयंत्र कब तक चालू हो जाएगा;

(घ) "फैक्ट" उधोग मंडल से अमोनिया "फैक्ट" के कोचीन मंडल को किस प्रकार भेजी जाएगी;

(ङ.) क्या पर्यावरण मंत्रालय ने "फैक्ट" के नये अमोनिया संयंत्र को स्वीकृति देने के समय कोई मानदंड लागू किए थे;

(च) यदि हां, तो ये शर्तें क्या हैं; और

(छ) क्या इन शर्तों का पालन किया जायेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय मं राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरों) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान मैं. फर्टिलाइजसर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) द्वारा रिकार्ड किया गया लाभ निम्नलिखित है:–

(रु. करोडों में)

वर्ष	लाभ
1992-93	2.85
1993-94	12.41
1994-95	78.71

(ख) और (ग). फैक्ट अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कोचीन डिवीजन में अपने अमोनिया संयंत्र की रेट्रोफिट योजना को इस समय कार्यान्वित कर रहा है जिसकी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरे हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, फैक्ट उधोग मण्डल मं 900 मी. टन प्रतिदिन का नया अमोनयिा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 618.43 करोड़ रु. हैं इस नये अमोनिया संयंत्र को मार्च 1997 में आरम्भ हो जाने की आशा हैं। फैक्ट के फास्फोरिक एसिड संयंत्र की क्षमता उपयोगिता में सुधार करने के लिए और एक वार पाइप रिऐक्टरों के साथ रेट्रोफिट हो जाने के बाद अपने एन पी के संयंत्रों की अतिरिक्त सल्फयुरिक एसिड मांग कब पूरा करने के लिए कोचीन डिवीजन में अम्बलामेडू में 900 मी. टन प्रति दिवस सल्फयुरिक एसिड संयंत्र स्थापित करने का एक पस्ताव भी प्रस्तुत किया है।

(घ) उधोग मण्डल से कोचीन डिवीजन तक अमोनिया के परिवहन के तरीके पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ.) और (च). उधोगमण्डल में फैक्ट की नयी अमोनिया परियोजना के लिए स्वीकृति जारी करते समय, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने यह संकेत दिया था कि सड़क द्वारा नेफथा द्वारा को परिवहन करने का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हैं पाइपलाइन के जरिये ले जाने की संभावना की जाचं की जानी अपेक्षित थी। यह भी निदेश दिया गया था कि जल–मार्ग के ले जरिये अमोनिया तथा नेफथा के ले जाने के कारण दुर्घटना के मामले में मैरीन नेवीगेशन पर प्रभाव का मूल्यांकन पर करने के लिए एक परिस्थिति का अध्ययन किया जाना चाहिए। फैक्ट ने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(छ) जी, हां।

फ्रांसीसी सहायता से सोने का खनन

63. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992–फ्रास सरकार ने खनन कार्यो के लिए भारत को सहायता देने की पेशकश की हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सयुक्त उधम प्रस्तावित हैं;

(ग) इस संबंध मं हुए समझौते का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) क्या इस संधि के उपबंधों के अनुरुप कोलार सोने की खानों में सोने के खनन कार्यो को बढ़ाया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) खनिज गवेषण और विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच नई दिल्ली में 15 नवम्बर, 1995 को हस्ताक्षरित प्रोटोकोल में भारत और विकासशील देशों मे सयुक्त उघम की स्थापना की परिकल्पना की गई है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और फ्रांस की बी. आर. जी. एम. ने वियतनाम में पेक लेंग सवर्ण भंडारों के गवेषण के लिए वी एम सी वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विधुत की मांग

64. श्री विलासराव नागनाथराव गुडेवार : क्या विधुत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में विद्युत की कुल वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) इस समय महाराष्ट्र को कितनी विधुत उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) विधुत की अपेक्षित मांग पूरा करने के लिए विचाराधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

विधुत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) : (क) 1994-95 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र की ऊर्जा सम्बन्धी व्यस्ततमकालीन मांग और आवश्यकता क्रमशः 8310 मैं. वा. और 49525 मि. यू. थी।

(ख) अप्रैल –अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता 31175 मि. यू. थी , जिसकी तुलना में उपलब्धता 30762 मि. यू. थी।

(ग) वर्तमान में केवल एक परियोजना अर्थात् चिखलदारा पम्पेड स्टोरेज (जल विधुत) परियोजना, जिसकी क्षमता 2x200 मैं .वा. है, केन्द्रीय विधुत–प्राधिकरण के जांचाधीन है।

[अनुवाद]

कर्नाटक को यूरिया उपलब्ध कराया जाना :-

65. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक के लिए कुल कितने मीट्रिक टन यूरिया स्वीकृत किया गया है;

(ख) राज्य में यूरिया की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ग) कुल कितना मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया स्वीकृत किया गया है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि कर्नाटक में यूरिया की कमी है;

(ङ) क्या कर्नाटक सरकार ने उर्वरकों के न्यूनतम खुदरा मूल्य लागू करने के अधिकार प्रदान करने की मांग की है ताकि उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जान का प्रस्ताव है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). कर्नाटक सरकार ने रवी 1995-96 रवी के मौसम के लिए 3.07 लाख टन यूरिया की आवश्यकता का अनुमान लगाया हैं। यह अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और आवश्यक पाइप लाइन की व्यवस्था करने के पश्चात् राज्यों को 3.98 लाख टन यूरिया का ई सी ए आबंटन किया गया हैं

(ग) रवी 1995-96 मौसम के लिए कर्नाटक के लिए अब तक किसी अतिरिक्त यूरिया का आबंटन नहीं किया गया हैं ।

(घ) चालू रवी 1995-96 मौसम के दौरान कर्नाटक में यूरिया की कमी के बारे में कोई सूचना मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) जी, नही।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इन्दौर-देवास बाईपास

66. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर--देवास बाईपास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं ,तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के.मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 पर इन्दौर बाई--पास का निर्माण कार्य विश्व बैंक की सहायता के तहत किया जा रहा हैं। आवश्यक कदम जैसे ठेकेदारों की पूर्वअर्हता , बोलियाँ मंगाना आदि शुरु कर दिए गए हैं। कार्य सौपनें के पश्चात् परियोजना को पूरा होने में लगभग 42 महीने का समय लगने की संभावना है।

[अनुवाद]

सिंगापुर में भारतीय मूल की नौकरानी

67. श्री राजेश कुमार :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्रों की युवतियों को सिंगापुर में नौकरानी के रुप में कार्य करने के लिए भर्ती किया जा रहा था/ जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां। यह एक निन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा अब तक तीन लड़कियों को सिंगापुर में नौकरानियों के रुप मे काम करने के लिए प्रवासी संरक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं।

(ख) भारतीय और सिंगापुर के अभिकरणों के नाम और ब्योरे जो उत्तर पूर्व क्षेत्र से भारतीय नौकरानियों की भर्ती का कार्य करती हैं। नीचे लिखे अनुसार है:--

1. एस. एस. नवलकर, यूनी एक्सपोर्टस, नवलकार्स टूर्स एण्ड ट्रेवल्स , 47, लक्ष्मी बिल्डिंग तृतीय तल, पी. एम, रोड, बम्बई 400001 टेलीफोन: 2663434,2679093

2. आकिद जमां, एच एण्ड जेड इण्टरनेशनल इंक, जयंता कामर्शियल सेन्टर पंचवटी , जी. एन. बी. रोड, गुवाहाटी (आसाम)

3. सुश्री विन्नी वेंग, फर्दर क्रिएशन इनवेस्टमेंट (प्रा) लिमिटेड, सिंगापुर टेलीफोन 2250707

परमाणु नीति

68. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु अप्रसार संधि की अवधि को अनिश्चित काल के लिये बढायें जाने , जिससे पांच देशों के परमाणु एकाधिकार को वैधानिक स्वरुप प्राप्त हो गया है, के संदर्भ मे सरकार ने अपनी परमाणु और निरस्त्रीकरण नीति में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में लिये गये अन्तिम निर्णय सहित इस समीक्षा के परिणाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) नाभिकीय निरस्त्रीकरण के संबंध में सरकार की सिद्धातगत और सुसंगत नीति सुक्षत हैं। नाभिकीय अप्रसार संधि के पक्षकार राज्यों द्वारा इस संधि को अनिश्चित काल तक लागू करने के संबंध में लिए गए निर्णय से हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता हैं और हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नही होता है और हमारी स्थिति को राष्ट्रीय सर्व सम्मति प्राप्त है हालाकि हम अप्रसार संधि का विरोध करते हैं क्योंकि यह भेद भावपूर्ण संधि है लेकिन हम अप्रसार के लक्ष्य की प्रति वचन बद्ध हैं भारत सभी नाभिकीय हथियारों के निराकरण के माध्यम से बास्तविक अप्रसार प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता रहेगा। भारत का नाभिकी य कार्यक्रम व्यापक स्वरुप का है और उसे केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ही आगे बढाया जा रहा हैं। तथापि, भारत की सुरक्षा स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को पेश आने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय करेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग स० 31 पर उपरी पुल का निर्माण

69. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर कुल कितने उपरी--पुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : आठवी पंच वर्षीय योजना में रा.रा. 31 पर दो रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए प्रावधान है।

[अनुवाद]

असम राज्य विद्युत बोर्ड को वित्तीय सहायता

70. डा० जंयत रंगपी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम राज्य विद्युत बोर्ड को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उमिला सी.पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जापान द्वारा संयुक्त उद्यम की परियोजनाए

71. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान कृषि खाद्य क्षेत्र में भारत में संयुक्त उद्यम क्षेत्र की परियोजनाएं स्थापित करना चाहता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जापान द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का विवरण क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग). जी, हां । सरकार द्वारा अगस्त 1991 से मार्च, 1995 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भारतीय व जापानी कम्पनियों के बीच मंजूर किए गए विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहयोग के मामलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारतीय कंपनी का नाम	जापानी कंपनी का नाम	मद
इनोवेटिव मैरीन फुड लि. अमालागाम हाउस, प्लाट नं.9	मितशुबीशी कारपोरेशन टोकियो,	फ्रोजन मैरीन प्रोडक्ट्स
ब्रिस्टो रोड, सिलिग्टन आइलैंड, कोचीन –682003	जापान	
पेपर प्रोडक्ट्स लि. 3/14, अजमेरी गेट	फूगी सोल इंक, एस–12,	पदार्थो के लिए पैकेजिंग
नई दिल्ली –110002	सोतोकान्डा चौक, टोकियो,	
ओरियन्टल हाईसीज फिशरीज लि. 62 ,जापान	जापान	–
किरलाम्पूडी ले आउट, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश		
बी. सुरेन्द्रकुमार फलैट न. बी–102	केयोज ट्रेडिंग कं. 1-22-7,	प्रान/श्रिम्प के लिए सेयरी प्लाट
मातुश्री अपार्टमेंट, हैदराबाद–29	ताई हाई , सुनिका–कू–टोकियों जापान	
साउदर्न सी फूड्स लि.64 मांनटीथ रोड,	मैं. मोनार्क ट्रेडिंग कं. हिगाशी	प्रान एवं श्रिम्प प्रसंस्कृत खाद्य तथा प्रान
एगमौर मद्रास–8	इक्केबुकरी हो नोउनकान, रुम न. 60	
	3-20-16 हिगाशी –ईकेब, जापान	
मिनोटा एकवा फूडस लि.,	शोआ ट्रेडिग कं. लि.	खाद्य प्रसस्करण
3–सी सैन्चुरी प्लाजा, 560-62 माउंट रोड़,	निरामातशू बिल्डिंग 2-6,4 कोम	
मद्रास	फासिम माची, चीकू ओसाका, जापान	
इंडो निसीन फूड . लि, 31	निसीन फूड प्रोडक्ट लि.	खाद्य प्रसंस्करण
कुन्नेनगाम रोड बंगलौर	2-B-1	
सिनजूको , ६–कोम, सिनजूको कू टोकियो , जापान	सोफिया बूसान इंक, 7-4 कोम शीबा डैम,	केसिन व लैकटोज
सीफाम मिल्क स्पैशलिटिज लि	मिरायो कू टोकियो, जापान	
1005 विजय टोवर फेज Ist फ्लोर बाराखम्बा रोड,		
नई दिल्ली 110001		
फलैक्स इंडस्ट्रीज लि.	सुनीटोको बैकेलारट कं. लि. धियौडा कू	खाद्य उद्योग के लिए पैकिंग
एम–32 ग्रेटर कैलाश, पार्ट–2 नई दिल्ली	टोकियो जापान 2-2 घिसेवाल ची, 1 कोम	

[हिन्दी]

गुजरात में उर्वरक परियोजनाएं।

72. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात की विशेषकर पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कुछ परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार/स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के संबंध में अलग—अलग हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा इसमें विलम्ब के कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं /प्रस्तावों को कब स्वीकृति दे दी जाएगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). निर्धारित द्विचरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के अंतर्गत गुजरात राज्स के संबंध में निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव. अनुमोदनार्थ प्राप्त हुए हैं

क्रमाक	कम्पनी	परियोजना के ब्यौरे
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० (इफको)	212.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर 2.11 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त फारफेटिक पोषक का उत्पादन करने के लिए कांडला में फास्फेटिक संयंत्र का विस्तार।
2.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि० (कृभको)	601.38 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 3.0 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष एनपी (20.20) और 2.85 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष सी ए एन (25% एन) के उत्पादन के लिए हजीरा में नाइट्रोफास्फेट संयंत्र स्थापित किया गया।
3.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि० (कभको)	979 करोड़ रु. अनुमानित लागत पर 7.26 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष यूरिया के उत्पादन के लिए हजीरा में तीसरे अमोनिया—यूरिया स्ट्रीम का स्थापित किया जाना।

हजीरा में कृभको की नाइट्रोफास्फेट परियोजना के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं। इन परियोजनाओं के संबंध में अंतिम निर्णय की इस सतर पर प्रत्याशा नही की जा सकती।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डो का निजीकरण

73. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को राज्य विद्युत बोर्डो का निजीकरण करने की सलाह दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर संबंधित राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) :(क). जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989

74. श्री राम नाईकः क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 (2) (ख) में उचित सशोधन लाने की मांग की जानकारी है जिसके अंतर्गत निजी वाहनों के चारो और पंजीकरण संख्या लिखना अनिवार्य होगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी, हा।

(ख) इस मामले पर विशेषज्ञ समिति के विचार जानने के लिए इसे समिति के पास भेजा गया है।

[हिन्दी]

कन्टेनरों की कमी

75: श्री एन. जे.राठवा : क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर गुंजरात में, पत्तनों पर कन्टेनरों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या कन्टेनर की कमी के कारण इन पत्तनों से मछलियों विशेषकर झींगा के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इन पत्तनों पर पर्याप्त संख्या में कन्टेनरों की आपूर्ति सुनिश्चत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात के कांडला पत्तन सहित देश के अनेक पत्तनों से अपैल–सितम्बर, 1995 की अवधि के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट आई। तथापि, इस गिरावट के अनेक कारण हैं जैसे भारत के पूर्वी तट पर झींगी फार्मो की संख्या में कमी, अवसरचना संबंधी समस्याएं इत्यादि। विशेष रुप से यह उल्लेख करना अत्यंत कठिन है कि केवल कन्टेनरों के अभाव के कारण यह गिरावट आई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेफ्था का उत्पादन

76. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या "फीड स्टाक" नीति अपनाई गई है;

(ख) क्या देश में नेफथा का उत्पादन खपत से ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो इसकी क्या मात्रा है;

(घ) क्या इनका उपयोग देश में उर्वरक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है,

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री) (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण के लिए प्राकृतिक गैस वरीयता प्राप्त फीड स्टाक है प्रांकृतिक गैस की स्वदेशी उपलब्धता में बाधाओं को मददे नजर रखते हुए वैकल्पिक फीड स्टाक जैसे नेफथा को नये उर्वरक एककों को स्थापित करने के लिए विचार किया गया हैं। नये नेफथा पर आधारित संयंत्रों में दोहरी फीड स्टाक सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है ताकि उन्हें गैस उपलब्ध होने पर गैस से चालू किया जा सके। गैस आपूर्ति की कमी के मामले में विधमान गैस पर आधारित संयंत्र को उन्हें नेफथा प्रयोग कर सकने की सुविधा लगाने की सलाह दी गई है

(ख) और (ग). 1994-95 में नेफथा का उत्पादन उसी अवधि के दौरान 3.6 मिलियन मीटरी टन की खपत की तुलना में 5.6 मिलियन मीटरी टन थां।

(घ) से (च). नैफथा पर आधारित निम्नलिखित परियोजनाये इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं:–

क्रमांक	कम्पनी और संयंत्र का नाम	उत्पाद	क्षमता (मीटरी टन प्रतिवर्ष में)	आरम्भ की सम्भावित तिथि
1.	एमएफएल, मनाली विस्तार	युरिया एन पी के	0.76	30-6-1996
2.	फैक्ट, उधोग मण्डल (न्यु अमोनिया प्लाटं)	अमोनिया	2.97	31-3-1997
3.	इफको, फुलपूर (विस्तार)	यूरिया	7.26	20-4-1998
4.	एनएफएल,नंगल (डिवोटलेनेकिंग)	यूरिया	7.26	1-11-1996

कार्यान्वयनाधीन गैस पर आधारित निम्नलिखित संयंत्रों को फीड स्टाक सुविधा दी गई है:-

क्रमांक	कम्पनी और संयंत्र का नाम	उत्पाद	क्षमता (लाख टन प्रति वर्ष)	आरम्भण की संभावित तिथि
1.	इफको, कलोल (विस्तार)	यूरिया	1.50	1-1-1997
2.	इफको, आवंला एनएफएल, वजयपुर (विस्तार)	यूरिया	7.26	1-1-1997
3.	एन एफसीएल, काकीनाडा(विरतार)	यूरिया	4.95	1997-98 का उत्तार्द्ध

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र के एककों ने दोहरी फीड स्टाक सुविधा वाले नेफथा अमोनिया -यूरिया संयंत्रों की स्थापना के लिए निर्धारित द्विचरणीय स्वीकृति प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किये है:

क्रमाकं	कम्पनी का नाम	परियोजना	क्षमता (लाख मिटर टन प्रतिवर्ष)
1.	इफको	ग्रासरुट अमोनिया–यूरिया प्रोजेक्ट, नैलोर	7.26
2.	एन एफ एल	पानीपत विस्तार परियोजना	7.26
3.	कृभको	तीसरी अमोनिया–यूरिया स्ट्रीम, हजीरा	7.26

[हिन्दी]

मथुरा-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना

77. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मथुरा—आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा कर उसे चार लेनों वाला बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसे चौड़ा करने की परियोजना पर कब तक कार्य शुरु होने की संभावना है;

(ग) क्या इसके लिए धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) लागत में कोई वृद्धि होने से पूर्व ही इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। परियोजना की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और समझौते का अंतिम रुप दिया जा रहा है जिसके पश्चात कार्य शुरु किया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ऐसी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कडी निगरानी रखती है।

[अनुवाद]

तूतीकोरिन बंदरगाह का विकास और विस्तार

78. **श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनिजेशसन (दक्षिणी क्षेत्र) ने सरकार से तूतीकोरिन बंदरगाह की क्षमता का उपयोग करने और इस पत्तन के विकास और विस्तार के लिए ठोस कदम उठाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) फेडरेशन क प्रस्तावों पर सराकर की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या मंत्रालय का विचार तूतीकोरिन बंदरगाह के विकास और विस्तार पर आने वाले खर्च का आकंलन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या वाणिज्य मंत्रालय ने भी उक्त बंदरगाह के विकास और विस्तार हेतु कोई सुझाव दिए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (दक्षिणी क्षेत्र) ने तूतीकोरिन पत्तन के विकास के बारे में 12-10-1995 को एक अभ्यावेदन भेजा था। इस अभ्यावेदन में मै. ए. एफ. फर्गुशन एंड कम्पनी, मद्रास द्वारा तकनीकी आर्थिक परियोजना अध्ययन कार्य भी शामिल है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन दक्षिणी क्षेत्र के सरकार को इस बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय मूल के फिजी लोग

79. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के फिजी नागरिको को उस देश में लागू रंगभेद कानूनों के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकें हितो के रक्षार्थ पिछले दो वर्षो के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल भटिया) : (क) जी हाँ।

(ख) 24 जुलाई, 1990 को लागू फिजी के वर्तमान, संविधान में भारतीय मूलक फिजी राष्ट्रकों के विरुद्ध जाति वाद तथा जातीय भेदभाव की व्यवस्था है। इसके परिणामस्वरूप इस समुदाय के लोगों को रोजगार, भूमि के उपयोग, सेवाओं और सुविधाओं को लाभ उठाने में अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की सरकार ने राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलनों, संयुक्तराष्ट्र महासभा के सत्रो, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस स्थिति की ओर अनतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकृष्ट करने लिए निरन्तर प्रयास किए है। हमें पता चला है कि फिजी की सरकार ने एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया है और हमे उम्मीद है कि यह एक ऐसे संवैधानिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेगा जो लोकतांत्रिक होगी, न्यायोचित एवं भेदभाव रहित होगी और भारतीय मूल के लोगों सहित फिजी के सभी राष्ट्रिकों को स्वीकार्य होगी, हमने अपना यह दृष्टिकोण भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कि समीक्षा के परिणाम इस आशय के नहीं निकल आते राष्ट्र मंडल में फिजी के पुनः प्रवेश पर विचार करना उचित नहीं है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान को मिराज 2000 लडाकू विमानों की सप्लाई

80. **श्री रामविलास पासवान**
श्री रवि राय :
श्री मोहन रावले :
श्री रतन कुमार मंडल :
श्री धर्माणामोडय्या सादुल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने फ्रांस से मिराज 2000 लडाकू विमानों की खरीद के संबंध में कोई समझौता किया है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहें है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आ. एल. भाटिया) : (क) सरकार ने पाकिस्तान द्वारा फ्रांस से मिराज लडाकू विमान हासिल करने के बारे में शुरू की खबरे देखी है। पर फ्रांस के प्राधिकारियों ने किसी प्रकार के सौदे की पुष्टि नहीं की है।

(ख) इस सौदे में जो अभी सम्पन्न नहीं किया गया है, फ्रांस से 40 मिराज 2000 लडाकू विमानों की खरीद शामिल है। इसमें विमानो के लिए विमान उपकरणों के विकल्प, हथियारों के विकल्प, प्रशिक्षण ग्राउन्ड सपोट उपकरण तथा दो वर्ष के लिए अतिरिक्त पुर्जो की सप्लाई का पैकेज शामिल है। इसके दाम पाकिस्तान एअर फोर्स द्वारा उपलब्ध विकल्पों के चयन पर निर्भर होंगे।

हमने यह मामला फ्रांस की सरकार के साथ उठाया है और पाकिस्तान को मिराज विमान बेचने के उनके निर्णय पर अपनी गहरी चिनता से अवगत कराते हुए यह भी बता दिया है कि इससे हमारी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर निकट से निगाह रखती है जिनका राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

प्रधान मंत्री की किर्गिजस्तान यात्रा

81. **श्री चेतन पी. एस. चौहान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 1995 में किर्गिजस्तान की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां तो इस यात्रा के दौरान की गई चर्चा के निष्कर्ष क्या रहें?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) किर्गिजस्तान के राष्ट्रपति के साथ हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत उपयोगी रही और किर्गिजतान के साथ आर्थिक सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, तथा सांस्कृतिक संबंधों को संवर्धित करने के संबंध मे सहयोग करने से सम्बद्ध करार सम्पन्न हुए। किर्गिज पक्ष हमारे क्षेत्र में पृथक्तावाद के सभी रूपों का विरोध करता है और उसने कश्मीर से सम्बद्ध मुद्दे पर भारत की स्थिति का समर्थन किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के अधिकार का भी समर्थन किया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गो तथा पुलों का निर्माण

82. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय राजमार्गो तथा पुलों के निर्माण के क्षेत्र मे निजी क्षेत्र की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजेश्वर मूर्ति) : (क) से (ग). जी हां। सरकार का इरादा है कि निर्माणख प्रचालन और हस्तातंरण के आधार पर सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र का शामिल किया जाए। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास और रख-रखाव में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में पहले ही आवश्यक संशोधन किए जा चुके है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन

83. **श्री तारा सिंह** :

श्री वी. श्री निवास प्रसाद :

श्री हाराधन राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादकों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्बर करने से विद्युत उत्पादन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है; और

(घ) यदि हां,तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी पटेल) : (क) से (घ). निजी विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य बिजी बोर्डो/राज्य सरकारों की रहती है। अब तक 240 निजी विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव राज्यों के पास प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। हालांकि, निजी विद्यत परियोजनाओं को समय से पूरा करने को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सम्बद्ध राज्य सरकारों/राज्य बि. बो की है। भारत सरकार सभी निजी विद्यत प्रस्तावों की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा करती है और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में आने वाली अड़यानों यदि कोई हो, को शीघ्रता से दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।

शिशु दुग्धाहार

84. **श्री गुरूदास कामत** :

श्री अशोक आनंदराव देशमुख :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि

(क) क्या सराकर का शिशु दुग्धाहार का उत्पादन क्षमता में और अधिक विस्तार को रोकने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) शिशु दुग्धाहार का उत्पादन क्षमता के और अधिक विस्तार को रोकने का इस मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार संबंध

85. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जनवरी, 1995 में अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत के साथ व्यापार संबंध करने स्थापित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या अनुवर्ती कदम उठाए हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार करार अगस्त, 1994 में संपन्न हुआ था। राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान छात्र संयुक्त आयोग की करार सम्पन्न हुआ, था और इस आयोग की पहली बैठक जुलाई, 1995 के दौरान प्रिटोरिया में हुई थी।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के पारस्परिक व्यापार संबंधों को बढाने के तौर–तरीकें पर व्यापार उप समिति में विचार किया गया था। कई मंत्री स्तरीय, व्यापारिक तथा औधोगिक प्रतिनिधि मंडलों ने एक–दूसरे के देश की यात्रा की है पिछले दिनों ही दक्षिण अफ्रीका के व्यापार और उघोग मंत्री के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत यात्रा पर आया था जिसमें 40 से अधिक सदस्य थे। वे भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेंला देखने गए और "फिक्की तथा सी. सी.आई" ने दिल्ली, मद्रास कलकत्ता तथा बम्बई में एक–एक व्यापार संगोष्ठी आयोजित की थी। इन संगोष्ठियों के आयोजन का उद्येश्य इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को भारत में उनको व्यापारिक कार्य कलाप का अवसर मुहैया कराना था।

बिहार द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया जाना

86. **श्री नीतीश कुमार**

डा0 महादीपक सिंह शाक्य

श्री सत्य देव सिंह:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21.9.95 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "बिहार नान यूटिलाइजिंग फंड्स–मिश्रा "शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है,

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को धनराशि आवंटित है,

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकारों को गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है,

(घ) इस अवधि के दौरान ग्रामीण विकास के लिए उपरोक्त संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वर्ष–वार किस हद तक धनराशि का उपयोग किया गया,

(ड.) क्या राज्य सरकारों ने मंजूर की गई धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने के संबंध मं कारण बताए हैं,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) किसी राज्य सरकार द्वारा धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग)(श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी हां,।

(ख) से (घ). प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना , सुनिश्चित रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के संबंध में गत तीन वर्षो में आबंटित और इस्तेमाल की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण I, II, III, तथा IV में दिए गए हैं।

(ड.) से (छ). निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शिकाएं जारी की गई हैं, उदाहरण के लिए निधियों की दूसरी किश्त कार्यान्वयन एजेंसियों को तभी रिलीज की जाती है जब उन्होनें उपलब्ध कराई गई निधियों का कम से कम 50 प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया हो। इसके अतिरिक्त यदि वर्ष के अंत तक खर्च न की गई बकाया राशि अगले वर्ष के आवंटन से 25 प्रतिशत अधिक होती है तो केन्द्रीय रिलीज में दण्ड के तौर पर कटौती करने का प्रावधान है।

विवरण - I

1992-93 , 1993-94 और 1994-95 के दौरान समन्वित ग्रामिण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन दर्शाने वाला विवरण। (लाख रुपयें में)

	1992-93		1993-94		1994-95	
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आंवटन	उपयोग
1	2	3	4	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	4880	5411.42	8416	8813.75	8344	11287.12
अरुणाचल प्रदेश	416	426.52	686	523.65	623	405.47
असन	1332	1584.46	2770	2532.34	2747	2258.43
बिंहार –	9778	7726.73	15974	10873.59	16232	8346.90
गोवा	86	53.54	142	77.48	142	115.25

1	2	3	4	6	7	8
हरियाणा	480	796.25	742	1318.31	736	1351.32
हिमाचल प्रदेश	172	291.88	242	378.02	240	408.52
जम्मु और कश्मीर	8240	385.47	462	426.67	1000	506.20
कर्नाटक	3054	2671.68	5650	4026.36	5603	506.20
केरल	1660	1647.95	2056	1973.75	2038	2401.23
मध्य प्रदेश	6472	7336.37	10664	10040.21	10573	10276.75
महाराष्ट्र	5228	5332.16	9174	7329.26	9096	7572.07
मणिपुर	38	86.42	200	175.91	450	310.79
मेघालय	116	173.30	192	158.33	478	352.05
मिजोरम नागालैण्ड	174	212.29	288	232.09	281	133.17
उड़ीसा पंजाब	182	236.84	300	310.79	337	156.08
राजस्थान	3118	3258.25	4430	4213.30	14393	426.81
पंजाब	406	935.95	528	1471.24	523	1216.11
सिक्किम	34	39.71	56	40.96	56	45.99
तमिलनाडु	4382	4436.01	7608	7269.39	7543	8418.21
त्रिपुरा	136	414.47	618	540.29	643	341.13
उत्तर प्रदेश	13062	14395.38	20508	20197.02	20335	19335.12
पश्चिम बंगाल	5460	5758.50	7542	2959.40	7478	7196.36
अडमान व निकोबार	43	39.43	71	38.10	71	20.84
दादरा व नगर हवेली	9	10.41	15	14.39	15	16.21
दमन तथा द्वीव	17	16.30	28	18.74	28	7059
लक्षद्वीप	4	8.60	7	9.69	7	9.69
पाण्डिचेरी	35	42.47	58	36.29	58	29.89
आखिल भारत	66222	69307.64	109343	95664.95	107822	99526.3

विवरण- II

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन और इसके प्रतिशत उपयोग को दर्शाने वाला विवरण।

क्रमाक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आंबटन (रु. लाख में)			प्रतिशत उपयोग		
		1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	18506	24691	26675	75.01	82.00	88.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	258	258	258	54.51	49.82	59.76
3.	असम	5137	6181	7137	59.13	67.27	79.10

1		2	3	4	6	7	8
4.	बिहार	38347	52418	56309	77.72	86029	62.97
5.	गोवा	338	279	279	74.21	6.91	68.97
6.	गुजरात	7690	10340	11068	78.53	75.68	81.61
7.	हरियाणा	1833	7037	1912	79.01	82.23	80.69
8.	हिमाचल प्रदेश	1004	8086	8086	82.80	89.63	70.26
9.	जम्मू व कश्मीर	1455	1910	2183	69.97	37.01	73.22
10.	कर्नाटक	11502	16997	18329	75.82	76.31	79.91
11.	केरल	6127	4991	5296	85.65	104.20	100.86
12.	मध्य प्रदेश	25179	37153	39667	78.71	75.11	80.11
13.	महाराष्ट्र	20653	29615	31808	67.39	65.35	71.76
14.	मणिपुर	499	331	331	45.30	42.61	71.98
15.	मेघालय	563	387	387	36.89	40.06	10.91
16.	मिजोरम	196	6390	163	83.68	70.02	95.16
17.	नागालैंड.	502	415	415	85.36	85.58	65.08
18.	उड़ीसा	12830	21693	23303	73.42	67.31	69.90
19.	पंजाब	1586	1307	1359	85.92	94.29	47.31
20.	राजस्थान	12138	14024	15068	71.76	70.49	79.64
21.	सिक्किम	186	151	151	70.69	74.63	67.19
22.	तमिलनाडु	16440	20109	22202	78.70	89.67	107.50
23.	त्रिपुरा	530	430	480	67.91	92.26	94.68
24.	उत्तर प्रदेश	48813	54667	59501	71.58	86.71	83.04
25.	पश्चिम बंगाल	20739	22551	24828	71.11	78.90	18.19
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमुह	153	153	153	80.01	109.59	105.61
27.	दादरा व नगर हवेली	91	83	83	79.40	86.24	97.1390
28.	दमन व द्वीव	49	49	49	13.51	47.76	34.68
29.	लक्षद्वीप	79	77	77	62.32	78.94	83.11
30.	पाण्डिचेरी	232	149	149	11.01	37.56	34.32
	योग	253615	324856	150256	15.38	78.79	78.77

विवरण-III

1992-93,1993-94 और 1994-95 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज और इसके प्रतिशत उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निधियों का आंवटन		प्रतिशत उपयोग	
		1993-94	1994-95	1993-94	1994-95
	1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3600.00	10390.00	57.02	92.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	210.00	960.00	45.39	63.26
3.	असम	2070.00	4632.00	37.22	55.50
4.	बिहार	4710.00	1090.00	27.32	55.83
6.	गुजरात	485.00	3580.00	21.12	36.68
7.	हरियाणा	1320.00	2880.00	7.23	68.17
8.	हिमाचल प्रदेश	35.00	500.00	5.65	17.26
9.	जम्मू और कश्मीर	835.00	2850.00	12.81	50.37
10.	कर्नाटक	2820.00	6550.00	19.24	72.72
11.	केरल	580.00	1360.00	23.61	84.36
12.	मध्य प्रदेश	5695.00	14563.00	35.17	78.82
13.	महाराष्ट्र	2615.00	7222.00	13.01	63.99
13.	मणिपुर	660.00	990.00	14.17	68.23
14.	मेघालय	160.00	610.00	0.00	6.59
15.	मिजोरम	600.00	1600.00	60.89	96.81
16.	नागालैंड.	810.00	1120.000	9287	76.27
17.	उड़ीसा	4268.00	7881.00	24.00	83.80
20.	राजस्थान	3660.00	9900.00	20.26	67.88
21.	सिक्किम	116.00	160.00	13.98	74.84
22.	तमिलनाडु	1055.00	3942.00	21.23	74.40
23.	त्रिपुरा	610.00	1818.00	86.47	100.00
24.	उत्तर प्रदेश	286.25	10990.00	18.46	53.67
25.	पश्चिम बंगाल	4055.00	7698.00	51.71	76.39
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	10.00	40.00	24.10	88.48
27.	दादरा व नगर हवेली	5.00	20.00	30.20	13..45
28.	दमन व द्वीव	5.00	0.00	0.00	69.20
29.	लक्षद्वीप	25.00	100.00	0.00	8.75
	योग	43910.25	112852.00	33.48	69.59

***टिपणी : सुनिश्चित रोजगार योजना 1993-94 में शुरु कि गई थी।**

विवरण-चार

आठवीं योजना के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम वित्तीय प्रगति

(रु. करोड़ में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(1992-93) आबंटन	रिलिज	खर्च	(1993-94) आबंटन	रिलिज	खर्च	(1994-95) आबंटन	रिलिज	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.470	25.470	25.470	41.240	46.240	41.240	46.440	46.440	40.650
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.620	4.620	5.820	7.460	7.460	5.176	8.420	8.420	8.091
3.	असम	13.70	13.70	7.000	13.700	13.700	18.120	14.220	19.492	20.000
4.	बिहार	29.990	18.474	33.780	43.560	48.560	22.217	54.690	28.0245	38.403
5.	गोवा	0.550	0.550	0.520	0.840	1.340	0.837	1.290	1.290	2.061
6.	गुजरात	16.330	16.330	17.970	26.360	29.860	48.594	30.390	30.390	41.049
7.	हरियाणा	9.990	8.328	11.660	16.520	18.310	15.817	20.088	20.398	21.113
8.	हिमाचल प्रदेश	6.420	6.420	6.420	8.330	10.330	8.041	9.420	9.585	11.262
9.	जम्मू व कश्मीर	19.160	19.000	9.970	23.030	18.888	28.686	25.990	36.890	39.408
10.	कर्नाटक	23.420	23.420	28.130	37.120	37.120	36.791	42.720	44.077	40.594
11.	केरल	11.910	11.910	10.710	19.280	21.270	13.165	21.720	21.720	10.864
12.	मध्य प्रदेश	28.190	27.021	25.540	49.640	48.000	49.730	51.420	50.335	49.460
13.	महाराष्ट्र	33.900	24.237	32.158	54.880	54.880	43.741	61.820	61.820	59.434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मणिपुर	3.080	3.080	2.180	3.080	3.080	2.962	3.090	3.090	3.745
15.	मेघालय	4.200	4.200	2.750	4.200	4.200	5.787	4.200	5.328	4.126
16.	मिजोरम	1.290	1.290	1.290	2.100	2.100	2.100	2.360	2.464	2.361
17.	नागालैंड	4.220	2.281	1.380	4.220	3.890	0.909	4.220	0.000	0.212
18.	उड़ीसा	13.350	13.350	14.440	21.600	23.600	21.625	24.340	24.832	27.709
19.	पंजाब	4.240	4.240	4.240	6.880	8.880	11.306	7.750	8.750	9.624
20.	राजस्थान	41.830	41.830	41.170	68.860	71.230	64.738	82.220	82.310	83.753
21.	सिक्किम	3.720	3.677	3.820	3.720	3.720	3.720	3.720	4.650	3.720
22.	तमिलनाडु	20.190	20.190	23.940	32.680	34.700	30.908	36.820	42.356	27.771
23.	त्रिपुरा	3.500	3.040	3.120	3.500	3.500	3.944	3.500	8.900	7.662
24.	उत्तर प्रदेश	47.240	47.240	48.020	76.480	76.472	69.652	86.160	86.160	74.060
25.	पश्चिम बंगाल	18.240	18.240	13.500	29.520	29.520	22.344	33.260	28.243	37.817
26.	अंडमान व निकोबार दी0 स0.	0.400	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.380	0.000	0.000
27.	चण्डीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.	दादरा व नगर हवेली	0.130	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.220	0.260	0.000
29.	दिल्ली	0.140	0.072	0.006	0.220	0.197	0.117	0.250	0.000	0.000
30.	लक्षद्वीप	0.100	0.000	0.000	0.100	0.400	0.350	0.100	0.000	0.006
31.	पाण्डिचेरी	0.260	0.130	0.260	0.400	0.260	0.260	0.260	0.130	0.190
32.	दमन व द्वीव	0.220	0.220	1.830	9.950	0.965	1.093	0.130	0.000	0.000
	योग	390.000	362.560	377.584	600.270	622.732	543.960	681.600	675.957	665.121

महाराष्ट्र में खनन

87. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र जिलों में खनन हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या राजय विशेषतः जनजातीय जिलों में खनन हेतु कोई तकनीकी प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार का विचार इस तरह की योजना शुरू करने का है, यदि हां, तौ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सुयुक्त राष्ट्र महासभा का 50 वां अधिवेशन

88. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल ही में हुये अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्यों के नाम क्या है;

(ख) इस अधिवेशन में भारत द्वारा क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए;

(ग) इस अधिवेशन में किन–किन विषयों पर चर्चा की गई उससे क्या मुख्य निष्कर्ष निकले;

(ग) इस अधिवेशन में किन किन विषयों पर चर्चा की गई और उससे क्या मुख्य निष्कर्ष निकले;

(ध) क्या महासभा ने विश्व में बढ़ रहे आतंकवाद पर चर्चा की; और

(ड़) यदि हां, तो इस संबंध में हुई चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) :(क) संयुक्त राष्ट्र की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर शासनाध्यक्षों/राज्याध्यक्षों की विशेष स्मारक बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 22-24 अक्तूबर, 1995 को न्यूर्याक गया। इस विशेष स्मारक बैठक और संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस समय चल रहे 50 वें नियमित सत्र में भाग लेने के लिए गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विवरण देते हुए एक विवरण संलग्न हैं ।

(ख) और (ग).– इस विशेष स्मारक बैठक में 24 अक्तूबर, 1995 को प्रधानमत्री द्वारा दिए गए भाषण की प्राथमिकताओं को उजागर किया गया और बदली हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र की भावी भूमिका की संकल्पना प्रस्तुत की गई भारत ने स्थायी आर्थिक विकास तथा जनसंख्या एवं विकास, घोषणा में हमारी प्राथमिकताएं प्रतिबिम्वत थीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारत द्वारा अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें नाभिकीय हथियारों की समाप्ति तथा नाभिकीय निरस्त्रीकरण, सुरक्षा परिषद की पुनः संरचनाए अन्तराष्ट्रीय आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उपाय और बहुवादी राज्यों में सहिष्णुता के विषय शामिल हैं। विशेष स्मारक बठक अन्त में पारित की गई समाज विकास शिखर –सम्मेलन ओर महिला एवं विकास से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलानें की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाई करने की आवश्यकता पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। दक्षिण–दक्षिण सहयोग बढ़ाने पर भी बल दिया गया हैं। अनेक गुट–निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा सह–प्रायोजित नाभिकीय हथियारों की समाप्ति से सम्बद्व संकल्प बहुमत से पारित कर दिया गया है जबकि अन्य विषयों पर चर्चा जारी हैं

(घ) और (ड़). संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति "अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद को समाप्त करने के उपाय" शीर्षक वाले एक संकल्प के प्रारुप पर विघार कर रही हे। संकल्प के इस प्रारुप पर विचार–विमर्श जारी है।

विवरण - 1

20-24 अक्तूबर, 1995 तक न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 50 वी. वर्षगाठं मनाने क लिए विशेष स्मारक बैठक में भाग लने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की संरचना:-

1.	श्री पी.वी नरसिह राव,	प्रधानमंत्री भारत–नेता
2.	श्री प्रणव मुखेर्जी,	विदेश मंत्री
3.	श्री भुवनेश चतुर्वेदी,	राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय)
४.	श्री ए. एन वर्मा,	प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
5.	श्री सलमानं हैदर,	विदेश सचिव
6.	श्री प्रकाश शाह,	संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि
7.	सुश्री अरुधती घोष,	संयुक्त राष्ट्र, जेनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि
8.	श्री एस. नरेन्द्र,	प्रधान सूचना अधिकारी
9.	श्री पी. वी.आर. के. प्रसाद,	प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार
10.	श्री प्रभाकर मेनन,	संयुक्त सचिव (प्रधानमंत्री)

11.	सुश्री सावित्री कुनाडी,	सयुक्त सचिव (यू.एन.) विदेश मंत्रालय
12.	श्री नलिन सूरी,	संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि
13.	श्री दीपक भोजवानी,	प्रधानमंत्री के निजी सचिव
14.	श्री रतन वतल,	प्रधानमंत्री के निजी सचिव
15.	सुश्री सुजाता मेहता ,	निदेशक (प्रधानमंत्री कार्यालय)
16.	आर. के. खांडेकर,	विशेषाधिकारी (प्रधानमंत्री)
17.	श्री ए.वी.आर. कृष्णामूर्ति,	विशेषाधिकारी (प्रधानमंत्री)
18.	श्री बी. एस. चौहान,	उप सचिव (प्रधानमंत्री कार्यालय)

II. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 50 वें नियमित सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की संरचना:-

1.	श्री प्रणव मुखर्जी,	विदेश मंत्री–अध्यक्ष
2.	श्री सलमान हैदर,	विदेश सचिव– वैकल्पिक अध्यक्ष
3.	श्री प्रकाश शाह,	संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि उपाध्यक्ष
4.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी ,	सांसद
5.	श्री शरद पवार ,	सांसद
6.	श्री अहमद पटेल,	सांसद
7.	श्री हाशिम अब्दुल हलीम,	अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधानसभा
8	श्री कमालुद्दीन अहमद,	सांसद
9.	श्री ई. अहमद,	सांसद
10.	श्री जागेश देसाई,	सांसद
11.	श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला ,	सांसद
12.	श्री पी. उपेन्द्र,	सांसद
13.	श्री रामचन्द्र रथ,	सांसद
14.	श्री जीत जोगी,	सांसद
15.	सुश्री ओमेम मोयोंग देवरी	भुतपूर्व सांसद
16.	श्री बी.के. ग्रोवर,	सचिव, विदेश मंत्रालय
17.	सुश्री अरुंधती घोष,	संयुक्त राष्ट्र जेनेवा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि
18.	श्री कमलेश शर्मा	अपरसचिव, विदेश मंत्रालय
19.	सुश्री सावित्री कुनाडी,	संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
20.	श्री एस. पाल,	संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
21.	श्री नलिन सूरी,	सयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि
22.	डा. पी.एस.राव. ,	सयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
23.	सुश्री ओमिता पाल,	विशेषाधिकारी (विदेश मंत्री) तथा न्यूयार्क स्थित भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी।

बाढ़ क्षेत्र कार्यक्रम हेतु राजस्थान को किया गया आवंटन

89. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू करने के लिए कुल कितना आवंटन किया गया;

(ख) विभिन्न राज्यों में किन–किन क्षेत्रों को बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रुप में पहचान की गई ; और

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम लागू करने के लिए वास्तव में कुल कितनी राशि खर्च की गई?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग). जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

रूपये लाखों में

राज्य	1994-95 तक पता लगाए क्षेत्र (क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)	(1992-93) आबंटन	(1992-93) केन्द्रीय रिलिज	(1992-93) खर्च	(1993-94) आबंटन	(1993-94) केन्द्रीय रिलिज	(1993-94) खर्च	(1994-95) आबंटन	(1994-95) केन्द्रीय रिलिज	(1994-95) खर्च
सूखा प्रवण क्षेत्र										
1. आन्ध्र प्रदेश	77153	1203.00	631.50	1479.47	1804.50	1201.50	2405.17	193.00	1093.86	2354.86
2. बिहार	22246	828.00	282.87	579.51	1242.00	434.11	880.28	1380.00	568.13	631.87
3. गुजरात	53186	746.00	371.44	787.68	1119.00	559.12	1193.91	1236.00	617.35	1190.74
4. हरियाणा	3010	135.00	67.50	142.14	202.50	101.25	203.75	225.00	112.50	224.25
5. जम्मू और कश्मीर	14740	214.50	166.80	332.29	321.50	111.37	403.84	357.50	266.75	502.75
6. कर्नाटका	95698	1249.00	571.55	1272.39	1873.50	846.46	1608.81	2068.00	1034.00	1718.74
7. मध्य प्रदेश	40782	809.00	404.50	685.34	1223.50	575.39	1339.18	1345.00	672.50	1065.34
8. महाराष्ट्र	116496	1343.00	627.00	1247.66	2014.50	967.54	1825.91	2218.00	1109.00	2382.51
9. उड़ीसा	22098	621.00	430.47	563.41	931.50	421.17	1125.74	1033.00	516.50	889.83
10. राजस्थान	30052	514.00	256.99	635.70	771.00	519.51	729.92	853.00	426.50	1013.03
11. तमिलनाडू	17780	657.00	365.26	660.34	985.50	682.17	1074.30	1095.00	622.12	1396.35
12. उत्तर प्रदेश	49230	1386.00	693.00	1271.36	2079.00	1036.53	1943.94	2307.00	1143.78	2091.18
13. पश्चिम बंगाल	11202	517.50	155.15	296.73	776.25	229.88	432.17	862.50	302.86	371.58
कुल	553673	10223.00	5124.38	9924.02	15334.50	7686.92	15166.92	16973.00	8490.85	16133.01

टिप्पणी:- राज्य सरकारों से अपना बराबर का अंश रिलीज करना अपेक्षित हैं।

खनिजों का निर्यात

90. श्री दत्तात्रेय बंडारु : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिजों के निर्यात में सीमित वृद्धि के लिए कौन–कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा निर्यात के उप खनिजों के खनन कार्य में निवेश करने हेतु निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). खनिज क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1993 में नई खनिज नीति को घोषणा की गई थी ओर खान खनिज (विनियमन ओर विकास) अधिनियम ओर अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन किया गया हैं। इससे अभी तक निजी क्षेत्र द्वारा ही विदोहन के लिए आरक्षित अनेक क्षेत्रों में विदेशी निवेश के साथ–साथ निजी क्षेत्र द्वारा निवेश सरलता से किया जा सकेगा ओर इससे खनिज क्षेत्र और निर्यात अर्जन में बढ़ोतरी होगी।

पाकिस्तान द्वारा अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करना

91. श्री निवास प्रसाद :

श्री प्रमथेश मुखर्जी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अमरीका, फ्रांस ओर अन्य देशों से अत्याधुनिक हथियार लड़ाकू विमान प्राप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को उन देशों के साथ उठाया है जो पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं;

(ड.) यदि हो तो, तत्संबधी ब्यौरा क्या हे; और

(च) यदि नहीं ,तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल.भाटिया) : (क) से (च). सरकार को पाकिस्तान द्वारा अमरीका और फ्रांस सहित विभिन्न देशो से अत्याधुनिक हथियार हासिल करने के बारे में जानकारी हैं। सरकार के विचार से पाकिस्तान द्वारा उसकी जायज जरुरतों से अधिक हथियारों की प्राप्ति इस क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा के लिए सहायक नहीं होगी।

सरकार ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति के बारे में अपने विचारों से सम्बद्व देशों को अवगत करा दिया हैं। सरकार पाकिस्तान द्वारा हथियार हासिल करने भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

[अनुवाद]

खानों को पट्टे पर देना

92. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री आर पाल सिंह :

श्री सत्यदेव सिंह:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा खानों को निजी कम्पनियों को पट्टे पर देने के संबंध में उन्हें कोई मार्गनिर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मार्गनिर्देशों के उल्लंघन किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा शिकायतों को दूर करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग). (क) से (घ). खनन पट्टों को मंजूरी, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा बिनियोजित की जाती है जिनमें निजी कंपनियो सहित भारतीय नागरिकों और कंपनियों को खनन पट्टे देने के लिए विस्तृत, प्रावधान और प्रक्रियाए समाविष्ट होती है। उपरोक्त अधिनियम और इसकें अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत राज्य सरकर द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति केन्द्र सरकार के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन पत्र दायर कर सकता है। जिसका विधि के प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया जाता है।

[अनुवाद]

सुरक्षित पेय जल

93. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

श्री मोहन रावले:

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र ओर रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेय जल की सप्लाई करने संबंधी कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तम भाई हार जी भाई पटेल) : (क) जी , हां ।

(ख) योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी प्राथमिक स्कूलों में स्वच्छ पेयजल के एक–एक स्रोत की व्यवस्था करने तथा लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाने का प्रावधान है जिनमें इस समय ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इनकी लागत समान रुप से वहन की जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा दुष्प्रचार

94. श्री बी. वेंकटेश्वर राव : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की हाल की नीति दुनिया में कश्मीर मुद्दे का अतरराष्ट्रीयकरण करना है;

(ख) क्या पाकिस्तान ने विश्व में भारत के विरुद दुष्प्रचार बढ़ा दिया है ओर वह प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मच पर कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है;

(ग) क्या पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के अपने मिशन में सफल हो गया है;

(घ) यदि हां , तो इस सबंध में सरकार द्वारा क्या जवाबी कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं;

(ड.) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने सभी मिशनों को दिशा निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख). पाकिस्तान की नीति कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरुप देने की रही है। इस नीति के अंग के रुप में पाकिस्तान ने भारत–विरोधी अपने दुष्प्रचार को बनाए रखा तथा वह कश्मीर मसले को सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रयास करता रहा।

(ग) से (च). जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के मनसूबों से भलीभाति परिचित हैं। भारत सरकार द्विपक्षीय और बहु–पक्षीय स्तरों पर अन्य देशों की सरकारों निर्णयकर्त्ताओं एवं मत निर्माताओं को पाकिस्तान के मिथ्यया और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार से तथा इस बात से भी अवगत कराती रही है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का प्रायोजन करके एवं कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरुप देकर अपनी प्रादेशिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। कशमीर मसले के ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में पूर्ण पृष्ठभूमि सामग्री तथा जम्मू ओर कश्मीर एवं भारत के अन्य हिस्सों में व्यापत आंतकवाद में पाकिस्तान का प्रत्यक्ष हाथ होने का ब्यौरा विदेश स्थित भारतीय मिशनों को दे दिया गया है और उन्हें यह निर्देश दिया गया है। कि वे पाकिरतान के दुष्प्रचार का प्रभावी तथा मुस्तैदी से खण्डन करने के लिए इस सामग्री का उपयोग करें।

कृभको

95. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषक भारती सहकारी समिति लि० ने देश के पूर्वी भाग में यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"इस्को" का आधुनिकीकरण

96. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री हाराधन रायः

श्री सनत कुमार मंडलः

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का इण्डियन आयरण एंड स्टील कं० लि० "इस्को" बर्नपुर और इसकी इकाईयों के आधुनिकीकरण हेतु कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) "इस्को" और इसकी इकाईयों की उत्पादन , निवेश, श्रम, शक्ति मुनाफा और घाटा, क्रयादेशो की स्थिति संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ड.) केन्द्र सरकार द्वारा "इस्को" और इसकी इकाइयों को अर्थक्षम बनांने हेतु की गयी/ की जा रही कार्यवाही का विवरण क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :- (क) से (ड.) चूकि रुग्ण औधोगिकी कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (फरवरी, 1994 में यथा संशोधित) की शर्तों के अनुसार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) एक रुग्ण औधोगिक कंपनी बन गई थी । अतः कंपनी के निदेशक मंडल ने अधिनियम की ६ ाारा–15 के तहत अपेक्षित नुसार कपनी के संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों को निर्धारित करने के लिए इसे जून, 1994 में औधोगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया था।

अतः इस सबंध में "इस्को" के आधुनिकीकरण के लिए अपनाई जाने वाली कोई भी योजना औधोगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेशों के अनुरुप ही होनी है।

(घ) "इस्को" और इसकी इकाइयों की , उत्पादन, निवेश, जन–शक्ति, लाभ एवं हानि और आदेशो की स्थिति से संबधित ताजा स्थिति नीचे दी गई है:–

1. उत्पादन

	(इकाई : हजार टन)
(क) बर्नपुर कारखाना	1994-95
तप्त धातु	819.0
अपरिष्कृत इस्पात	344.0
विक्रय इस्पात	332.0
कच्चा लोहा	402.5
(ख) कुल्टी कारखाना	(इकाई : एम. टी.)
स्पन पाइप	30813
कास्टिंग	54347

2.निवेश

31-3-1995 को "इस्को" का पूंजी निवेश (यथा अचल संपत्तियां) कार्यशील पूंजी (15340 लाख रुपए था।

3. जन–शक्ति (31-3-1995 की स्थिति)	31270
	(इकाई : करोड़ रुपए)
	1994-95
4. निवल हानि (रुपए/करोड़)	6.27

5. आर्डरों की स्थिति के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान इस्पात और कच्चे लोहे की कुल मांग अच्छी रही बाजार के उतार–चढ़ाव को देखते हुए बिक्री के आकड़े निम्नलिखित हैं:–

	(इकाई : हजार टन)
	1994-95
इस्पात	325.9
कच्चा लोहा	357.2

माली में भारतीय निवेश

97. श्री पंकज चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक पश्चिम अफ्रीकी देश माली ने भारतीय उद्योगपतियों को अपने उद्योगों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में निवेश आमंत्रित किया गया है६ और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। 28 से 31 अगस्त, 1995 तक भारत की अपनी यात्रा के दौरान माली के राष्ट्रपति अल्फा उमर कुनारे ने अपने देश में भारतीय निवेश के लिए अनुरोध किया और भारतीय एवं वाणिज्य उद्योग मंडल संघ को 29 अगसत को दिए गए अपने भाषण में भारतीय उघोगपतियों को अफ्रीका पर ध्यान केंन्द्रित करने के लिए कहा ।

(ख) माली के विकास कार्यक्रम में भारत की भागीदारी के लिए जो क्षेत्र बताए गए उनमें कृर्षि, सिंचाई, लघु उधोग, उर्वरक उत्पादन फल एवं सब्जी प्रोसेसिंग, काटन प्रोसेसिंग, राइस–मिलिंग, सोने का खनन, परिवहन, पर्यटन तथा मुर्गी आदि के लिए टीकों का उत्पादन शामिल है।

(ग) भारत की सरकार उपलब्ध संसाधनों की रुपरेखा के अंदर माली में आर्थिक विकास में सहयोग दे रही है और परस्पर लाभकारी निवेश से सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार के लिए भारतीय निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित भी कर रही है।

कांडला बंदरगाह पर पोतघाट

98 श्री जॉज फर्नान्डीज:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गांधीधाम–चैम्बर आफ कार्मस एंड इंडस्ट्री तथा कच्छ के नमक उत्पादकों से कच्छ से नमक और खनिजों के निर्यात के लिए कांडला में एक अलग पोतघात बनाए जाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हों, तो क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) ओर (ग). सरकार ने इस संबंध में अभी कोई निर्ण य नहीं लिया हैं।

इस्पात की उत्पादन लागत

99. श्री गुमानमल लोढ़ा:

श्री कृशिण पटेल:

क्या **इस्पात मं.त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात की उत्पादन लागत विश्व के अन्य इस्पात उत्पादक देशों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या देश में इस्पात की वर्तमान उत्पादन लागत में कोई कटौती करने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) इस्पात की उत्पादन लागत में कमी करने के लिए सम्भावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, अमरीकी इतयादि देशों में इस्पात की अनुमानित उत्पादन लागत कितनी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) ओर (ख) अन्य देशों में इस्पात की उत्पादन लागत के संबध में प्रामाणिक आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी.पी.) ने हाल ही में इस्पात उघोग के लागत –अध्ययन संबधी एक दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के

बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों में विक्रेय इस्पात की उत्पादन–लागत कोरिया (पास्को के पोहंग संयंत्र) और जापान (निप्पोन के किमित्सु संयंत्र) की उत्पादन –लागत से कम थी। वर्ष 1994 के दौरान "सेल" की विक्रेय इस्पात की उत्पादन लागत यू.एस.ए.यू. के. फ्रांस ओर जर्मनी की उत्पादन लागत से कम थी।

तथापि, उत्पाद–विशेष की अन्तराष्ट्रीय लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणवत्ता, भाड़ा, लेवीज और करों आदि जैसे घटकों पर निर्भर करेगी।

(ग) से (ङ). मौजूदा उत्पादन लागत को कम करने के उपायों में से कुछ निमनलिखित हैं:–

श्रमता उपयोग में वृद्वि करना,

उत्पादकता में सुधार करना,

ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाना,

प्रभावी रख–रखाव के जरिये उपस्करों की उपलब्धता में सुधार करना,

उत्पाद–मिश्र में सुधार करना, मूल्य वर्धित मदों का उत्पादन करना और ग्राहकों की आवश्यकताए पूरी करना,

कोक, ऊर्जा, स्टोर्स और अतिरिक्त कल पूर्जी इत्यादि जैसे आदानों की खपत में कमी करना,

(घ) औधोगिक लागत और मूल्य ब्यूरी (बी. आई. सी. पी.) की रिपोर्ट के अनुसार भारत , दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यू. के. में विक्रेय इस्पात की उत्पादन–लागत निमनानुसार थीः–

देश	वर्ष (1994-95) (अमेरिकी डालर) (लागत प्रति टन)
भारत (सेल, बोकारो)	411.65
कोरिया (पोहंग, पास्को)	569.77
जापान (किमित्सू, निप्पोंन)	591.13
संयुक्त राज्य अमेरिका	503*
यू.के	423*

* वर्ष 1994 के लिये

बी.आईसी.पी. ने चीन में उत्पादन लागत का अध्यन नहीं किया।

जल-भूतल परिवहन में गैर-सरकारी क्षेत्र

100. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जल–भूतल परिवहन के क्षेत्र में गैर –सरकारी क्षेत्र को सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैः–

(1) **पत्तन क्षेत्र** : कन्टेनर टर्मिनलों कार्गो हैंडलिंग टर्मिनलों के निर्माण प्रचालन और रख–रखाव , ड्राई–डाकिंग और जहाज–मरम्मत सुविधाओं, नई भंडारण और स्टोरेज सुविधाओं के सृजन , प्रचालन और रख–रखाव, फलोटिंग क्राफ्ट की व्यवस्था, प्रचालन और रख–रखाव, निकर्षण,सामान्य रख–रखाव और अन्य विविध सेवाओं और आबद्व ऊर्जा संयंत्रो की स्थापना हेतु पत्तन क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने का निणर्य लिया गया है।

(II) सड़क क्षेत्र : राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति हेतु राष्ट्रीय राजमर्गो अधिनियम, 1956 में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। यह कार्य निर्माण प्रचालन और हस्तान्तरण (बी. ओ.टी.) आधार पर किया जाएगा।

(III) नौवहन क्षेत्र : भारतीय नौवहन उधोग निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खुला हुआ है और. भारतीय टनेज का लगभग 50 प्रतिशत भाग निजी क्षेत्र के पास है जबकि शेष सार्वजनिक क्षेत्र के एक केन्द्रीय उपक्रम, भारतीय नौवहन निगम के पास हैं जहाज निर्माण और जहाज–मरम्मत उधोग भी निजी क्षेत्र के लिए खुला हुआ है। भारत के 43 शिपयार्डो में से 9 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं तथा शेष निजी क्षेत्र के पास हैं।

(IV) **परिवहन क्षेत्र** : सरकार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओटो) आधार पर दिल्ली में उच्च गति को ट्राम सेवा (एच एस टी एस) शुरु करने पर विचार कर रही है।

(V) **अंतर्देशीय जल परिवहन** : अंतदेर्शीय जल परिवहन से संबधित निम्नालिखित कार्य कलापों को निवेश हेतु निजी क्षेत्र को आफर करने का प्रस्ताव हैः–

1. कार्गो जलयानों का प्रचालन ।
2. नदी टर्मिनलों का निर्माण तथा रख–रखाव ।
3. कार्गो हैंडलिगं सुविधाओं की व्यवस्था तथा उनका पचालन,
4. निकर्षण, और
5. नौचालन सहायता उपकरंण।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार को सहायता

101 श्री विजय कुमार यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार को दी जाने वाली सहायता राशि की वर्तमान किशत जारी नहीं करने का निर्णय लिया हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग)में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु योजना

102. **श्रीमती केसर बाई सोनाजी क्षीरसागर : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा प्रदान कने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है जहां पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरु की जाने वाली योजना का बयौरा क्या है;

(ग) इस योजना से कितने गावो को लाभ होगा; ओर

(घ) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजागार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करानें की योजनाएं केन्द्रीय प्रयोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) 34303 आंशिक रुप से कवर्ड (पी.सी.) बस्तियों के साथ साथ 52442 उन बस्तियों को जिन्हे इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका है उन्हे 1995-96 में सुरक्षित पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है।

(घ) सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि सभी समिम्लित न की गई बसितयों और आंशिक रुप से सम्मिलित की गई बसितयो में (पतिव्यक्ति प्रतिदिन 10 लीटर से कम पानी की आपूर्ति के लिए) 1997 सुरक्षित पेय जल सुविधाओं के लिए प्रावधान करने हेतु वे उचित कार्य योजना तैयार करें, तकनीकी योजनाएं तैयार करें और उन्हे स्वीकृति दें, संसाधन जुटाएं आदि , इस कार्य के लिए राज्यों को ए.आर.डबलूएस. पी. के अन्तर्गत राज्यों को पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी।

मिशनों को फिर से खोलनें के संबंध में पाकिस्तान के साथ वार्ता

103. **श्री हरिन पाठक : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कराची में भारतीय मिशन तथा मुबंई में पाकिस्तान कन्सूलेट के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ द्वि–पक्षीय वार्ता फिर से शुरु करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने इन मुद्दों पर चर्चा हेतु शर्ते रखी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथ इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (घ). सरकार ने पाकिस्तान से यह अनुरोध किया है कि वह बम्बई में अपने कौंसलावास को बन्द करने से संबद्ध अपने इक तरफा निर्णय और करांची में स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास को बंद करने से संबंध अपने निर्णय पर पुर्नविचार करे। तथापि, पाकिस्तान ने हमारे सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है और न ही इस मामले पर पुनर्विचार करने की कोई तत्परता दिखाई है।

केरल की लम्बित विद्युत परियोजनाएं

104. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री ललित उरांव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित तथा अब तक स्वीकृत की गई विद्युत परियोजनाओं का राज्यावार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत/जारी की गई धन राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदशी संस्थाओं , विश्व बैंक, विदेशी निवेशकों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के नाम क्या है और उन परियोजनाओं की स्थिति क्या है जिममें विदेशी निवेश हेतु बातचीत चल रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण 1 और 11 में दिए गए हैं।

(ख) तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास लम्बित पड़ी अनेक विद्युत परियोजनाओं क सम्बन्ध में परियोजना प्राधिकरणों से अतिरिक्त सूचना/ स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। अनेक अन्य परियोजना प्राधिकरणों को सीईए से तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति के अलावा , केन्द्र और राज्यों में स्थित स्वीकृतिदाता एजेंसियों से आवश्यक सांविधिक और स्वीकृतियां प्राप्त करनी होती हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण ।।। में दिए गए हैं।

(घ) –विदेशी निवेश वाली 16 निजी विधुत परियोजनाओं को विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं केवल एक परियोजना को छोड़कर, अन्य किसी परियोजना ने वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया है। महासष्ट्र में राज्य क्षेत्र में दो विद्युत परियोजनाएं विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर रही हैं।

विवरण -I

तकनीकी - आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम/राज्य क्षेत्र	क्षमता
1	2	3
हरियाणा		
1.	यमुनानगर (टी) (निजी क्षेत्र)	2x35 मैंवा.
हिमाचल प्रदेश		
1.	मालामा (एच) (निजी क्षेत्र)	2x43 मेवा.
जम्मू एवं कश्मीर		
1.	न्यु गान्डरबल (एच)	3x15 वा.
2.	पोर्काथिक पानिखर (एच) चरण–1 व 2.	5x12 मैंवा.
राजस्थान		
1.	सूरतगढ़ चरण–2 (टी)	2x250 मैंवां
2.	कोटा चरण–4 (निजी क्षेत्र)	1x210 मैं वा.
3.	घोलपुर (टी) निजी क्षेत्र	2x350 मे०वा.
उत्तर प्रदेश		
1.	जवाहरपुर (टी) (निजी क्षेत्र)	2x400 मैंवा.
2.	अनपारा "ग" (टी) (निजी क्षेत्र)	2x500 मेवा.
3.	रोसा फेज–1 (टी) (निजी क्षेत्र)	2x250 मेवा.
4.	कोटेश्वर–टी एच डी सी (एच)	4x100 मेवा.
5.	विष्णुप्रयाग (एच)	4x100 मैंवा,
गुजरात		
1.	मंगरोल लिग्नाइट(टी) (निजी क्षेत्र)	1x250 मंवा.
2.	घोगा लिग्नाइट (टी) (संयुक्त उद्यम)	2x120 मंवा.
3.	लिग्नाइट फायर्ड पावर प्रोजेक्ट, खारसालिया (मैं. जीपीसीएल)	2x120 मैंवा.
4.	जामनगर (टी) (निजी क्षेत्र)	2x250 मैंवा.
5.	गुजरात कोस्टल (जीई बी)	2x250 मैंवा.
मध्य प्रदेश		
1.	कोरबा वैस्ट (टी) (निजी क्षेत्र)	2x210 मेवा.
2.	पेंच (टी) (निजी क्षेत्र)	2x250 मेवा.

1	2	3
3.	भिलाई (टी) (निजी क्षेत्र)	2x250 मेंवा.
4.	तीसीजीटी संयंत्र, भण्डेर(टी) (निजी क्षेत्र)	330 मेवा.
5.	ग्वालियर डीजी प्लाटं (टी) (निजी क्षेत्र)	126 मेवा.
6.	ओल्ड कोरबा में कोयला आधारित टीपीएस(निजी क्षेत्र)	3x30 मेवा.
7.	कोरबा ईस्ट टीपीएस (टी) (निजी क्षेत्र)	2x500 मेवा.
महाराष्ट्र		
1.	चिकलदारा पम्पड स्टोरेज स्कीम	2x200 मेवा.
आन्ध्र प्रदेश		
1.	विशाखापटनम (विभाग(टी) (निजी क्षेत्र)	2x500 मेवा.
2.	रायलसीमा (टी) (निजी क्षेत्र)	2x21 मेवा.
3.	भूपालापट्टी (टी) (निजी क्षेत्र)	2x67-5 मेवा.
4.	सिम्हाद्री एन टी पी सी	2x500 मेवा.
5.	हैदराबाद मैट्रो सी सी जी टी चरण—१ एन टी पीसी	650 मेवा.
6.	रामागुण्डम विस्तार (टी) (निजी क्षेत्र)	2x250 मेवा.
क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	क्षमता
कर्नाटक		
1.	मंगलौर (टी) (निजी क्षेत्र)	4x250 मेवा.
2.	रायपुर (टी)	2x210 मेवा.
3.	येलाहाका डी जी सैट्स केन्द्र विस्तार	2x23-4 मेवा.
4.	टोरांगाल्लु (टी) (निजी क्षेत्र)	2x120 मेवा.
केरल		
1.	अदिरापाल्ली (एच)	2x80 मेवा.
2.	कान्नुर सी सी जीटी (टी) (निजी क्षेत्र)	500 मेवा.
3.	कासारगोड टीपीएस (टी) (निजी क्षेत्र)	3x500 मेवा.
4.	कासारगोड सीसीजीटी	500 मेंवा.
तमिलनाडु		
1.	नार्थ मद्रास (टी) (निजी क्षेत्र)	2x500 मेवा.
2.	सामायानाल्लूर डीजी(टी) (निजी क्षेत्र)	100 मेवा.
3.	बेसिन ब्रिज डीजी(टी) (निजी क्षेत्र)	220 मेवा.
4.	श्री मुष्णम (टी) (निजी क्षेत्र)	2x250 मेवा.

1	2	3
5.	रिलोकेशन आंफ थी टीपीएस मद्रास (टी) (निजी क्षेत्र)	1380 मेवा.
6.	तूतीकोरिन चरण–4 (टी) (निजी क्षेत्र)	1x500 मेवा.
बिहार		
1.	जो जो बेरा(टी) (निजी क्षेत्र)	3x67-5 मेवा.
उड़ीसा		
1.	सिन्दोल (एच)	5x20%5x20%8x20 मेवा.
2.	एडिशनलजेनरेशन(एच) हिराकुड बी एवं चिपलिमा बी)	4x20+5x20+6x50 मैं. वा.
3.	दुबुरी टी पी एस(टी) (मिजी क्षेत्र)	2x250 मेवा.
प.बंगाल		
1.	गौरीपुर (टी) (निजी क्षेत्र)	2x67-5 मेवा.
असम		
1.	अमगुरी सीसीजीटी प्लांट (टी)	266 मेवा.
मणिपुर		
1.	तिपाईमुख मल्टीपरपज (एच)	5x250 मेवा.
अरुणाचल प्रदेश		
1.	रंगानदी चरण–2 (एच) (नीपको)	2x50 मेवा.
केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	कावास सीसीजीटी फेज–2 (एनटीपीसी) (गुजरात)	650 मेवा.
2.	रामागुण्डम चरण–3 (एनटीपीसी) (कर्नाटक)	500 मेवा.
3.	तलचेर एसटीपीपी चरण–2 (एनटीपीसी) (उड़ीसा)	4x500 मेवा.

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेश अनुमोदन की गई परियोजनाएं

क्र.मं.	परियोजना का नाम राज्य क्षेत्र	राज्य/सीपीएसयू	क्षमता
1	2	3	4
1.	विशाखापटट्नम टीपीपी	आन्ध्र प्रदेश	2x500 मेवा.
2.	महेश्वर एचईपी	मध्य प्रदेश	10x40 मेवा.
3.	धाटधर पीएसएस	महाराष्ट्र	2x125 मेवा.
4.	रामगढ़ जीटी (जीएनडीटीपीपी) युनिट 5 एवं 6.	राजस्थान	1x35.5 मेवा.
5.	भटिंडा टीपीपी	पंजाब	2x210 मेवा.
6.	शाहपुरकाण्डी डैम प्रोजेक्ट	पंजाब	166 मेवा.
7.	बक्रेश्वर टीपीपी	प.बगाल	5x210 मेवा.

1	2	3	4
8.	ब्रम्हपुरम में डीजी सैट्स	केरल	5x20 मेवा.
9.	रायलसीमा टीपीपी चरण–2	आन्ध्र प्रदेश	2x210 मेवा.
10.	पुरुलिया पीएसएस	प.बगांल	4x225 मेवा.
11.	कोठागुडम टीपीपी चरण–5	आन्ध्र प्रदेश	2x250 मेवा.
12.	कोझिकोडे में डीजीसैटस्	केरल	6x20 मेवा.
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	विन्धयाचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण–2	मध्य प्रदेश	2x500 मेवा.
2.	फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चरण–2	उत्तर प्रदेश	2x210 मेवा.
3.	कोपिला एचईप्रोजेक्ट	नीपको	2x50 मेवा.
4.	अगरतला गैस आधारित विद्युत परियोजना	नीपको	4x21 मेवा.
5.	कायमकुलम आईजीसीसी	एनटीपीसी	400 मेवा.

विवरण -III

पिछले तीन वर्षो के दौरान स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(रुपये करोड़ों में)

क्रमाक	राज्य/संघ क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	532.62	550.03	639.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.27	41.00	55.00
3.	असम	225.50	225.50	191.69
4.	बिहार	356.17	388.76	398.25
5.	गोवा	10.50	12.55	17.30
6.	गुजरात	475.02	466.40	493.23
7.	हरियाणा	210.00	225.75	236.88
8.	हिमाचल प्रदेश	95.00	110.95	136.54
9.	जम्मू और कश्मीर	227.00	250.00	281.18
10.	कर्नाटक	494.07	697.02	600.62
11.	केरल	183.35	204.30	300.00
12.	मध्य प्रदेश	720.34	718.34	817.16
13.	महाराष्ट्र	-	-	-
14.	मणिपुर	36.75	39.80	43.42
15.	मेघालय	36.99	44.50	44.50
16.	मिजोरम	22.81	27.81	39.09

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	24.61	26.59	23.41
18.	उड़ीसा	391.00	390.95	359.02
19.	पंजाब	550.00	396.68	560.00
20.	राजस्थान	372.91	467.05	665.00
21.	सिक्किम	22.00	25.00	22.50
22.	तमिलनाडु	456.40	515.66	625.00
23.	त्रिपुरा	34.25	41.50	35.50
24.	उत्तर प्रदेश	1440.22	1500.80	1571.16
25.	पश्चिम बंगाल	452.11	331.16	340.00
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडेमान व निकोबार द्वीपसमूह	8.21	10.01	11.94
2.	चण्डीगढ़	8.65	10.00	9.85
3.	दादरा एवं नगर हवेली	1.40	1.52	3.80
4.	दमन व द्वीव	1.67	1.79	2.04
5.	दिल्ली	273.00	321.75	398.85
6.	लक्षद्वीप	1.50	1.73	1.75
7.	पाण्डिचेरी	23.00	25.44	33.70

[हिन्दी]

अंतर्देशीय जलमार्ग सेवा शुरु किया जाना

105. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में अंतदेशीय जलमार्ग सेवा शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन नदियों का चयन किया गया है; और

(ग) उक्त सेवा कब तक शुरु की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजसेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) गंगा—भागीरथी—हुगली नदी प्रणाली के साथ साथ अन्तर्देशीय जल परिवहन के प्रोन्नयन के लिए हल्दिया से इलाहाबाद (1620 कि.मी.) तक के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग–1 धोषित किया गया था। बिहार राज्य से होकर गुजरने वाला बकसर से राजमहल (600 कि.मी.) तक खंड भी उसमें शामिल हैं।

(ग) कलकत्ता से पटना तक इस जलमार्ग में सी आई डब्ल्यू टी सी लि. जैसे मुख्य प्रचालक कार्गो परिवहन सेवा का प्रचालन कर रहे हैं और कुछ निजी प्रचालक भी अधिक बडे. आकार के कार्गो की दुलाई के लिए इस जलमार्ग का उपयोग करते हैं। चालू वित्त वर्ष में सी आई डब्ल्यू टी सी के जलयान तथा आई डब्ल्यू ए आई का एक कम गहराई वाला जलयान लगाकर कलकत्ता और पटना के बीच नियत समय सारणी वाली कार्गो सेवा चलाने का भी प्रस्ताव हैं। इस जलमार्ग में एच एस डी, पैट्रो—कोक और कच्चे तेल की दुलाई के बारे में भी विशिष्ट जानकारी मांगी है। निजी प्रचालकों ने आई डब्ल्यू टी परिवहन में भागीदारी हेतु रुचि दिखाई है।

[अनुवाद]

साप्ता

106. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साउथ एशियन प्रेफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट "साप्ता" को स्वीकृती दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समझौते की मुख्य बातें क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हाँ।

(ख) साप्टा रुपरेखा करार के अुनसार टैरिफ रियायतें चरण—दर—चरण आधार पर उत्पादवार सदस्य दशों के बीच बातचीत

के जरिए तय की जानी है। साप्टा के अधीन दी जाने वाली प्रथम दौर की टैरिफ रियायतों के लिए बातचीत काठमाडू में 20 और 21 अप्रैल ,1995 । को संपन्न अन्तर-सरकारी-व्यापार उदारीकरण ग्रुप की छठी बैठक में पूरी हुई थी। पहले दौर की बातचीत में थोड़ी-सी टैरिफ मदों के संबंध मे आदान-प्रदान की जाने वाली टैरिफ रियायतों के संबंध में सहमति हुई हैं। आई जी.जी.द्वारा तय की गई राष्ट्रीय रियायत अनुसूचियों, जिनमें उन जिन्सों की सूचिया हैं जिन पर टैरिफ को कम किया जाना है, का अनुमोदन 30 अप्रैल और 1 मई , 1995 को नई दिल्ली में हुए सार्क मंत्री परिषद के 15 वें सत्र में किया गया था। नई दिल्ली में 2 से 4 मई, 1995 को संपन्न सार्क शिखर सम्मेलन ने यह निर्देश दिया था कि सभी सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थन को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा 1995 तक साप्टा करार को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। सभी सात सार्क देशों ने अब इस करार का अनुसमर्थन कर दिया हैं । इस करार के अधीन सहमत काफी रियायत अब 7-12-1995 से लागू हो जाएगी।

अतिरिक्त कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण

107. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के द्वारा अतिरिक्त कृषि उत्पादों को उपयोग में लाने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) क्या सरकार ने 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कोई योजना लागू की हैं; और

(ग) यदि हां , तो इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और विस्तार को प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और बागवानी उत्पादों के उपयोग शामिल हैं। इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ विभिन्न नीतिगत उपाय और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 8वीं योजना-अवधि के दौरान विभिन्न योजना स्कीमें भी चला रहा है।

(ख) और (ग). मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्वयं स्थापना नहीं करता है लेकिन खाद्य प्रससकरण उद्योगों की स्थापना /सुधार के लिए राज्य सरकार के संगठनो/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों /सहकारी /समितियों /स्वैच्छिक सगठनों इत्यादि को योजना स्कीम के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अनाज और फल और सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र से सबधित योजना स्कीम के तहत 1993-94 और 1994-95 क दौरान 14.86 लाख रु० की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

शिमला समझौता

108. **श्री अन्ना जोशी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला समझौते में यह प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवाद द्वि-पक्षीय वार्ता द्वारा ही हल किए जाएगें;

(ख) यदि हां,तो क्या पिछले तीन वर्षो के दौरान शिमला समझौते के अनुसार कोई विवाद हल किये गये;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. एल. भाटिया) : (क) से (घ). शिमला समझौता तिपक्षीय बातचीत के जरिये सभी भारत-पाकिस्तान मसलों के समाधान की रुपरेखा मुहैया कराता है। विभिन्न अनसुलझे मसलों के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के कई दौर हो चुके हैं। बातचीत का पिछला दौर जनवरी 1994 के दौरान विदेश सचिव स्तर पर हुआ था। सरकार तब से बार-बार यह कहती रही है कि वह पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत बहाल करने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान ने बातचीत शुरु करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है और वह भारत के खिलाफ सीमा पार से आंतक वाद को निरन्तर सहायता दे रहा है।

मंगलदोई बाईपास का निर्माण

109. **श्री. प्रबीन डेका :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 52 पर मंगलदोई बाईपास के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसको पूरा किए जाने हेतु निर्धारित निधि क्या है; और

(ग) बाईपास के लिए कुल कितनी धन राशि का आवंटन किया गया है तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) मंगलदोई में रा. रा. 52 लगभग 10 कि.मी. लम्बे एक बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिए वार्षिक योजना 1995-96 में भूमि अधिग्रहण हेतु 1.00 करोड़ रु० का प्रावधान हैं। इस बाईपास के संरेखण को अनुमोदन दे दिया गया है। तथापि, राज्य लोक निर्माण विभाग ने अभी तक कोई प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों का मूल्य

110. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ औषध कम्पनियाँ औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अधिकार क्षेत्र मे पड़ने वाली औषधियों के लिए अधिक कीमत वसूल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान कितने मामलों का पता लगाया गया है और इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जानी है;

(ग) क्या कुछ जीवन रक्षक औषधियों को औषध मूल्य नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या है और इसका क्या कारण है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). डी०पी०सी०ओ०, 87/डी०पी०सी०ओ०,95 के अधीन कुछ ही मामले हैं , जिनमें अधिक वसूली संदेहात्मक रही है और इनकी जांच की जा रही है। जब कभी अधिक वसूल करने के ऐसे मामले सिद्ध हो जाते हैं तो संगत प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित निर्माता /राज्य औषध नियंत्रक के साथ उचित कार्यवाई के लिए मामले उठाए जाते हैं।

(ग) और (घ). औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध करने के लिए प्रपुंज औषधों की पहचान "औषध नीति" 1986 में संशोधन" में निर्धारित मानदंड के अनुसार ही किया गया है।

सी.आर.एस. पी. द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ शौचालय प्रदान करना

111. **श्री मोहन रावले** : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ शौचालय प्रदान करने हेतु वर्ष 1986 में शुरु किए गए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) पुनः शुरु किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता हेतु एक मिशन गठित करने हेतु विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम , 1993 की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

(1) जहां कहीं भी मांग की जाती है, वहां 80 प्रतिशत सबसिडी के साथ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निजी / स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना।

(2) शुष्क शौचालयों को अल्प लागत स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करना।

(3) जहां आवासीय परिसरों में उपयुक्त भूमि/स्थान उपलब्ध नहीं है तथा जहां ग्राम पंचायतें रखरखव का कार्य देखने के लिए राजी हैं, वैसे गांवों में चयन के आधार पर हैंड पम्प, स्नान, शौच एवं धुलाई जैसी पूर्ण सुविधाएं प्रदान करते हुए महिलायों के लिए विशिष्ट ग्राम स्वच्छता परिसरों का निर्माण करना।

(4) स्वच्छता संबंधी सामान की दुकानें खोलना।

(5) नालों, सोख्ता पिटो, कूड़ा—करकट एवं गंदे पानी की निकासी हेतु निर्माण कार्य करते हुए गांवों को पूर्ण स्वच्छ बनाना।

(6) निजी , पारिवारिक एवं पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस कराने के लिए जागरुकता लाने तथा स्वास्थ्य शिक्षा देने हेतु गहन अभियान चलाना।

(ग) इस तरह का कोई निर्णय अब तक नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियां

112. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की अस्थियों को जापान से वापस लाने का निर्णय किया है ताकि उनके जन्म शताब्दी समारोह के दौरान जो आगामी वर्ष के प्रारम्भ से शुरु हो रहा है, उनकी अस्थियों को एक उचित स्मारक में स्थापित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यह सुनिशचित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि टोक्यों के निकट "रेकोंजी टेम्पल" में रखी अस्थियों उनकी ही हैं; और

जनवरी , 1996 से शुरु होने वाले नेताजी के जन्म शताब्दी समारोह से संबंधित प्रस्तावित कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) इस मामले के संबध में अभी कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो जांच आयोगों तथा जापानी प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच से यह निष्कर्ष निकला है कि रैंकोजी टेम्पल में रखी हुई अस्थियां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की ही हैं।

(घ) नेताजी के जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी समारोह मनाने से सम्बद्ध राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 30 नवम्बर, 1995 को होगी।

[हिन्दी]

बाईपास

113. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाईपासों के निर्माण हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) सरकार के पास नई बाईपासों के निर्माण तथा विचाराधीन प्रस्तावों का स्थानवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव कब से विचाराधीन है;

(घ) इन प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी;

(ङ.) गत तीन वर्षों में निर्मित तथा वर्तमान में निर्माणाधीन बाईपासों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) इस प्रयोजनार्थ निर्धारित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) इस प्रयोजनार्थ किन—किन राज्यों ने अधिक धनराशि की मांग की है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है, और

(ज) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) बाईपासों की व्यवस्था उन नगरों में की जाती है जिनकी आबादी 20,000 अथवा उससे अधिक है और जहां सड़क मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर से कम है तथा शहरी संपर्क मार्गों को अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है।

(ख) और (ग). 8 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नए बाईपासों के ब्यौरे सलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) 8 वी योजना में निधियों के अभाव के कारण बाईपासों को निम्न प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। इसलिए इन बाईपासों के अनुमोदन के लिए कोई समय निर्धारित करना मुशकिल है क्योंकि यह संरेखण को अंतिम रुप देने, भूमि की उपलब्धता आदि अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

(ङ.) और (च). पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित बाईपासों , निर्माणाधीन बाईपासों तथा उनके लिए निर्धारित राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(छ) इन बाईपासों के लिए अधिक निधियों के आबंटन के लिए राज्यों से कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ज) इन कार्यो का पूरा होना मुख्यतः निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः इस स्तर पर इन कार्यो को पूरा होने की संभावित तारीख बता पाना मुशकिल है।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य	रा.रा.स०	बाईपास का नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	गूटी (केवल भूमि अधिग्रहण)
2.	–वही–	5	नैल्लोर
3.	–वही–	5	पलासा
4.	–वही–	5	इलूरु
5.	–वही–	43	किमी. 473-481 (पुनर्संरेखण)
6.	गोआ	17	रिबन्दर
7.	–वही–	17	वर्ण
8.	–वही–	4ए	पोंडा
9.	–वही–	4ए	मारदोल
10	–वही–	17	किमी 65&85 (पुनर्संरेखण)
11.	हरियाणा	10	रोहतक (केवल भूमि अधिग्रहण)
12.	हिमाचल प्रदेश	21	कुल
13.	–वही–	22	शिमला (पैदल पथ)
14.	–वही–	22	बरोग (पैदल पथ)
15.	कर्नाटक	4	सीरा
16.	–वही–	4	हुबली–धारवाड़
17.	–वही–	7	येलाहंका
18.	–वही–	48	हसन
19.	केरल	47	(त्रिवेन्द्रम चरण 1 (किमी. 5-6-10.2) 11 (चरण–11 (केवल भूमि अधिग्रहण)
20.	–वही–	47	क्विलांन चरण–11
21.	–वही–	47	अलेप्पी चरण–11
22.	–वही–	17	कोझी कोड चरण–1,2,3,4
23.	–वही–	17	तेल्लीचेरी–माहे चरण–II (केवल भूमि अधिग्रहण)
24.	मध्य प्रदेश	7	रीवा
25.	–वही–	7	कटनी (केवल भूमि अधिग्रहण)

1	2	3	4
26	–वही–	7	जबलपुर
27.	–वही–	3	मऊ (केवल भूमि अधिग्रहण)
28.	महाराष्ट्र	6	अकोला
29.	–वही–	6	अमरावती
30.	–वही–	4	पनवेल
31.	–वही–	50	पैत
32.	मणिपुर	39	इम्फाल (केवल भूमि अधिग्रहण)
33.	मेघालय	40, 44	शिलांग (केवल भूमि अधिग्रहण)
34.	–वही–	44	जवाई (केवल पैदल पथ)
35.	उड़ीसा	5	रंभा (केवल पैदल पथ)
36.	–वही–	5	खलीकोट
37.	पाण्डिचेरी	45ए	विलैनुर
38.	पंजाब	8	गुरदासपुर
39.	राजस्थान	8	उदयपुर चरण–I
40.	तमिलनाडु	7	नमक्काल (केवल भूमि अधिग्रहण)
41.	–वही–	4,5,45	मद्रास चरण–I
42.	–वही	47	कोयम्बटुर
43.	उत्तर प्रदेश	2	इटावा चरण–II
44.	–वही–	24	हापुड़
45.	–वही–	24	मुरादाबाद
46.	–वही–	24	शाहजहांपुर
47.	–वही–	28	बस्ती चरण–II
48.	–वही–	28	फैजाबाद चरण–II
49.	पश्चिम बंगाल	34	शान्तिपुर
50.	–वही–	34	डलकोला

विवरण-II

कम सं०	राज्य	रा.रा.सं०	शहर का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु०)	1995-96 के लिए आबंटन (लाख रु०)
1	2	3	4	5	6
	निर्माण				
1.	मध्य प्रदेश	7	जबलपुर	12.03	261.00
2.	महाराष्ट्र	50	पैत	0.68	26.00
3.	केरल	17	कालीकट	11.36	20.00
4.	उत्तर प्रदेश	28	फैजाबाद चरण II	18.19	159.00
5.	पश्चिम बंगाल	34	शान्तिपुर	2.74	10.00
6.	उत्तर प्रदेश	24	शाहजहांपुर	17.47	150.00
7.	हिमाचल प्रदेश	22	शिमला	3.03	70.00

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	21	कुलू	19.32	100.00
9.	उड़ीसा	5	खलीकोट (खंड)	0.61	10.00
10.	राजस्थान	8	उदयपुर चरण ।	114.10	26.00
11.	गोवा	17	वर्ण	3.13	1.00
12.	पंजाब	15	गुरदासपुर	4.20	200.00
13.	मध्य प्रदेश	3	इन्दोर (4 लेन)	73.44	50.00
14.	मध्य प्रदेश	6	दुर्ग बाईपास हेतु शिवनाथ –पुल के लिए मार्ग पहुच	29.12	60.00
			जोड़:	199.42	1143.00

अथार्त् 11.43 करोड़ रु०.

केवल भूमि अधिग्रहण

1.	तमिलनाडु	7	नमक्काल	0.83	49.00
			जोड़	0.83	49.00

अर्थात 0.49 करोड़ रु०

कुल योग 11.92 करोड़ रु.० 1995-96 कि लिये आबंटन

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जल परिवहन का निजीकरण

114. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्देशीय जल परिवहन के निजीकरण का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल -भूतल परिहवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) अन्तदेर्शीय जल परिवहन के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य कलापों को निजी निवेश हेतु आफर करने का प्रस्ताव है:–

(1) कार्गो जलयानों का प्रचालन,

(2) नदी टर्मिनलों का निर्माण तथा रख–रखाव,

(3) कार्गो हैंडलिग सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रचालन

(4) निकर्षण , और

(5) नौचालन सुविधाएं।

सड़कों के बुनियादी ढाचें हेतु संसाधन

115. **श्री. राम कापसे** : क्या जल- भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के महानिदेशक द्वारा सड़कों के बुनियादी ढाचें के विकास हेतु संसाधनो की समस्या से निपटने के लिए सरकारी धनराशि और गैर सरकारी क्षेत्र की धनराशि को न्यायोचित हिस्सेदारी हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी हां। सरकार का इरादा है कि सड़क निर्माण कार्यो में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाए। उद्यमी अपने संसाधनों से सुविधओं का निर्माण करेगा और उनके द्वारा किए गए निवेश के बदले उन्हें शुल्क वसूल करने और उसे अपने पास रखने की अनुमति दी जाएगी । इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास और रखरखाव में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति देने की लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में पहले ही आवश्यक संशोधन किए जा चुके हैं।

उड़ीसा के पिछड़े जनजातीय जिलों का विकास

116. **श्री लोकनाथ चौधरी** ; क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के कतिपय पिछड़ें जनजातीय जिलों के विकास के लिये योजना आरम्भ कही है;

(ख) यदि हां तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं, प्रत्येक योजना के लिए प्रस्तावित कुल व्यय कितना हैं; और

(ग) इन्हें कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी, हां। उड़ीसा के 8

पिछड़े जिलों अर्थात, कोरापुर, रायगढ, नवरंगुर मल्कानगिरी, कालाहाण्डी, नुआपाड़ा, बोलांगीर और सोनपुर के विकास के लिए एक योजना शुरु की गई है।

(ख) कार्य योजना के ब्यौरे तैयार करने के लिए उड़ीसा सरकार, योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच विचार–विमर्श हो रहा है।

(ग) इन योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष से आरम्भ करके सात वर्षों की अवधि के भीतर कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव हैं।

[हिन्दी]

पारम्परिक आजीविकाओं में ह्रास

117. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में, विशेषत, ग्रामीर्ण क्षेत्रों में, लोगों द्वारा पारम्परिक आजीविकाएं अपनाने में कमी हो रही हैं और उनके विकल्पों की खोज नहीं को जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो पाराम्परिक आजीविकाओं में लगे बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मुलन विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्यो मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) सरकार के पास ऐसी कोई सुचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को विभिन्न व्यवसायों जिनमे परम्परागत कारीगिरी शामिल है, में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार के लिए हुनर प्राप्त कर सकें। अन्य योजना अथात् उन्नत किस्म के औजारों की सप्लाई की योजना के अन्तर्गत परम्परागत कारीगीरी में लगे ग्रामीण कारीगरों को 2000/– रुपये मूल्य तक की औजार किटें और 4500/– रुपये तक की बिजली से चलने वाली औजार किटें दी जा रहीं है। इस सहायता में 90 प्रतिशत में सब्सिडी और 10 प्रतिशत लाभार्यी का योगदान शामिल होता है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में उर्वरकों का उत्पादन

118. श्री विलासराव नागनाथ राव गुण्डेवार : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की उर्वरक इकाइयां अपनी क्षमता के अनुरुप उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता में और वृद्वि करने के लिये किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र में प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता नीचे दी गई है :–

वर्ष	क्षमता उपयोगिता	(1 प्रतिशत)
	नाइट्रोजन	फास्फेट
1992-93	89.9	78.8
1993-94	85.7	59.6
1994-95	85.1	58.5

अगस्त 1992 में फास्फेटिक उर्वरकों के अनियत्रण से फास्फेटिक की खपत में फास्फेटिक उर्वरकों के मूलयों में वृद्वि के कारण कमी आई। परिणामस्वरुप, फास्फेटिक एककों की क्षमता उपयोगिता कम हो गई । मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्डफर्टिलाइजर्स लि० ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं।

1. ट्राम्बे–1 में अमोनिया संश्लेक्षण लूप प्रतिस्थापन :
2. ट्राम्बे-1/ में अमोनिया कनवर्टर रेट्रोफिट:
3. सिन्थसिस मम्प्रेशर नवीकरण:
4. ट्राम्बे–1/ मे यूरिया संयंत्र का पुनरुद्वार :
5. थाल में पर्ज गैस रिकवरी सिस्टम , और
6. एडिशनल प्रोसेस कम्प्रेशर की स्थापित किया जाना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग - 24 पर बाईपास

119. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग–24 पर बरेली के निकट बाईपास के निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव मजूरी हेतु लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस परियोजना को मजूंरी कब तक दे दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). बरेली बाई पास के निर्माण कार्य को आठवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि इसे कब तक अनुमोदन दिए जाने की सभावंना है।

[अनुवाद]

गुट निरपेक्ष आन्दोलन का शिखर सम्मेलन

120. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

श्री मनोरंजन भक्त :

प्रो. सुदर्शन रायचौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्टागिना, कोलंबिया में आयोजित हाल के गुटनिरपेक्ष देशो के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कितने सदस्य हैं तथा इस पर कितनी धन राशि खर्च होने का अनुमान है,

(ख) शिखर सम्मलेन में किन विषयों पर चर्चा हुई तथा इसके लिये गये कितने निर्णय घोषणा में शामिल किये गये,

(ग) क्या इन निर्णयों का भारत के राष्ट्रीय हितो पर कोई सीधा प्रभाव पड़ेगा ,और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की भविष्य में क्या भूमिका होगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 14 से 20 अक्तुबर तक कार्टागिना, कोलम्बिया में गुट–निरपेक्ष देशों के शासनाध्यक्षों/राज्याध्यक्षों के II वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक उच्च –स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल कार्टगिना गया । इस प्रतिनिधि मंडल के गठन का ब्यौरा देते हुए एक विवरण संलग्न हैं। इस संबंध में हुए कुल व्यय के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ).– 11 वीं गुट–निरपेक्ष आन्दोलन शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की 50 वीं वर्ष गाठ के उपलक्ष में आयोजित विशेष स्मारक बैठक की पूर्व–संध्या पर आयोजित किया गया । इस शिखर सम्मेलन में बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में गुट–निरपेक्ष आंदोलन की सतत प्रासंगिकता और उसकी भूमिका पर और इसके साथ ही गुट–निरपेक्ष आन्दोलन की प्राथमिकताओं ,उद्देश्यों ओर नयी–नयी चुनौतियों का मुकाबला करने की उसकी क्षमता पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस शिखर–सम्मेलन के आरम्भ में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण में उन मुद्दों पर विचार–विमर्शो की दिशा प्रदान की गयी जिनमें भारत की रुचि है,जिनमें नाभिकीय निरस्त्रीकरण, नाभिकीय हथियारों की समाप्ति , आर्थिक और सामाजिक मुद्दे शामिल है। इस शिखर–सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र में सुधार, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निरस्त्रीकरण, विकास, मानवाधिकार, सामाजिक मसले और दक्षिण–दक्षिण सहयोग से सम्बद्ध मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई । महत्वपूर्ण विषयों पर आम राय कायम करने और इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि शिखर सममेलन द्वारा पारित दस्तावेजों में अर्थात अन्तिम दस्तावेज और "कोलम्बिया से आहवान" नामक घोषणा में भारत का दृष्टिकोण पूरी तरह से प्रतिबिंवित हो, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एक अहम भूमिका निभायी।

विवरण

14. 14-20 अक्तुबर, 1995 तक काटजिना (कोलम्बिया) में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के ग्यारहवें नाम शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल की संरचनाः-

1. श्री पी.वी नरसिंह राव,	प्रधान मंत्री
2. श्री प्रणव मुखर्जी,	विदेश मंत्री
3. श्री भुवनेश चतुर्वेदी,	राज्य मत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय)
4. श्री सलमान हैदर,	विदश सचिव
5. श्री प्रकाश शाह,	संयुक्त राष्ट्र, न्युयार्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि
6. श्री हामिद अंसारी,	सउदी अरब में भारत के राजदूत
7. श्री कमलेश शर्मा,	अपर सचिव (ई.आर.)
8. श्री प्रभाकर मेनन,	संयुक्त सचिव (प्रधानमंत्री कार्यालय)
9. सुश्री सावित्री कुनाडी,	सयुक्त सचिव (यू.एन.) विदेश मंत्रालय
10. श्री प्रोभतेश रथ,	कोलम्बिया में भारत के राजदूत
11. श्रीमती मित्रा वशिष्ठ ,	मंत्री , पी.एम.आई., न्युयार्क
12. श्री दीपक भोजवानी,	प्रधानमंत्री के निजी सचिव
13. सुश्री सुजाता मेहता,	निदेशक (प्रधानमत्री कार्यालय)
14. श्री राकेश सूद,	निदेशक (दिसा), विदेश मंत्रालय
15. श्री दिनकर श्रीवास्तव,	निदशक (यू. एन. पी.) , विदेश मंत्रालय
16. श्री आर. के. खांडेकर,	विशेषाधिकारी (प्रधानमंत्री)
17. श्री बी.एस. चौहान,	उप सचिव (प्रधान मंत्री कार्यालय)
18. श्री डी. वी.वेंकटेश वर्मा,	विदेश मंत्री के सहायक निजी सचिव

अमरीकी अप्रवास नियम

121. **श्री तारा सिंह : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाकं 14 नवम्बर, 1995 के "स्ट्रेटसमैन" में "न्यू यू. एस. इमिग्रेशन लांज में हिट इण्डियन्स शीर्षक से प्रकाशित प्रेस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है;

(ग) क्या अप्रवास नियम भारत के लिए सहायक सिद्व होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित उत्प्रवासन कानून अभी समिति स्तर पर है और 1996 में अमरीका के हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव और सीनेट में इस पर बहस होने की उम्मीद है।

(ग) और (घ). प्रस्तावित उत्प्रवासन कानून अमरीका में वैध उत्प्रवासन को प्रभावित करेगा जो पारिवारिक संबंध पर आधारित होगा और जिसमें परिवार के सदस्यों के पुनर्मिलन, वैध आप्रवासियो/स्थायी निवासीयों के आश्रितों के लिए चिकित्सा एवं कल्याणकारी लाभों पर नियंत्रण होगा। इसके तहत भारत सहित अन्य देशों से सेवा प्रदान करने के लिए, विशेषकर सोफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र में, अल्प अवधि के लिए अमरीका जाने वाले व्यावसायियों और आप्रवासियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारतीय अमरीकी सुदाय के लोग इन कानूनों के संबंध में अपनी चिंताओं को लेकर अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों के साथ सक्रिय ३प से संपर्क कर रहे हैं।

पत्तन न्यासों को स्वसयत्तता

122. **श्री गुरुदास कामत :**

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन न्सासों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 को संशोधित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) : महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत महापत्तन न्यास स्वात्त निर्णय है। महापत्तन न्यासों को अधिक शक्तियों के हस्तांतरण/ प्रत्यायोजन संबधी मामले की जांच करने के लिए सरकार ने बम्बई पत्तन न्यास के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया हैं।इस समिति ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं।

[हिन्दी]

राज्यों में खाद्य पसंस्करण

123. **श्रीमती शीला गोतम :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कोई सहायता देने का निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों को दी गई सहायता सहित तत्संबधी बयौरा क्या है ;

(ग) कब तक इन क्षेत्रों को दी जा रही राजसहायता जारी रखी जाएगी ;

(घ) इस उदेद्श्य हेतु उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कितने उद्योग स्थापित किए गए है ;

(ड.) क्या केन्द्र सरकार ने गत चार वर्षो के दौरान इस संबंध में कोई मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसस्करण उधोग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत राज्य सरकार के संगठनों , सहायता प्राप्त/सयुक्त क्षेत्र की कंपनियों , स्वैच्छिक संगठनों, सहकारिताओं आदि को खाद्य प्रसंस्करण उधोग की स्थापना / उन्नयन के लिए वित्तीय सहायात उपलब्ध कराता है लेकिन राज्यवार धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता।

(ख) मंत्रालय की स्कीमों के तहत परियोजनाओं विशेष को सहायता दी जाती है ओर परियोजना यदि पूर्वोत्तर क्षेत्र , पहाड़ी इलाके अथवा पिछड़े इलाके में है तो और अधिक सहायता दी जाती है। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम जिलोंसे प्राप्त प्रस्तावों के सिलसिले में 872.08 लाख रु० की धनराशि दी गई है। मांस तथा पाल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़े इलाकों को 515 लाख रु० तक की वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) ये सहायता 8 वीं योजना अवधि के दौरान उपलब्ध हैं।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उधोग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए खाद्य प्रसस्करण उधोगो की कुल संख्या के बारे में केन्द्रीय रुप से कोई सूचना नहीं रखी जाती।बहरहाल वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण आंकड़ों और लघु उद्योग आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योंगों की संख्या निम्नलिखित है:—

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
आंकड़े (1991-92)	2.731	1,503
लघु उद्योग आकड़ें		
(1987-89)	9,925	12,668

(ड.) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत बोर्डों में घाटा

124. **श्री नीतीश कुमार :**

डा० परशुराम गंगवार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अगस्त, 1995 के दैनिक " हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एस ई बी एस लौसेस सेट टू क्रास रुपिज 7,००० करोड़ इन 1995-96 " शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गत तीन वर्षो के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डो को हो रहे वार्षिक घाटे में निरन्तर वृद्वि हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वित्तीय वर्ष1994-95 के दौरान अलग–अलग इन बोर्डो को कितनी धनराशि का घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इस घाटे के कारणों का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापक सर्वेक्षण किय है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण द्वारा क्या जानकारी प्राप्त हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता को हिसाब में न लेते हुए राज्य बिजली बोर्डो के कुल वाणिज्यक घाटे में गत तीन वर्षो के दौरान वद्वि हुई है , जैसा कि विवरण में बताया गया है।

(घ) ओर (ड.). वर्ष 1988-89 में सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय विधुत प्राधिकरण तथा राज्य बिजली बोर्डो (एस ई बी) के प्रतिनिधियों के एक कार्यदल ने राज्य बिजली बोर्डो आदि (एसईबी) में हुए घाटों के कारणों का विश्लेषण किया था। घाटों के लिए मुख्य कारण कृषि टैरिफ समेत अलाभकारी टैरिफ ग्राम विद्युतीकरण आर्थिक सहायता का भुगतान न किया जाना , ऋण का इक्विटी में परिवर्तन न किया जाना , उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां, संयंत्र भार अनुपात का निम्नतर, ताप विद्युत केन्द्रों में उच्च ईंधन खपत होना आदि बताए गए हैं।

विवरण

क्र.स.	राज्य विद्युत बोर्ड	1992-93	1993-94	1994-95 (आरई)	1995-96 (एपी)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	-4.3	-22.7	-206.2	-468.7
2.	असम	-205.4	-222.7	-224.3	-146.9
3.	बिहार	-279.	-189.7	-277.5	-315.0
4.	दिल्ली (डेसू)	-207.3	-263.6	-252.2	-267.7
5.	गुजरात	-519.0	-492.0	-845.0	-778.0
6.	हरियाणा	-403.6	-510.1	-363.8	-386.4
7.	हिमाचल प्रदेश	-40.9	-38.7	-22.1	6.5
8.	जम्मू और कश्मीर	-224.5	-293.2	-.315.4	-350.8
9.	कर्नाटक	-19.4	-1.8	-0-192.3	-34.3
10.	केरल	-65.4	-62.9	-77.0	-112.3
11.	मध्य प्रदेश	-350.3	-386.4	-406.8	-576.6
12.	महाराष्ट्र	161.6	189.0	191.7	-203.6
13.	मेघालय	-12.2	-12.7	-21.3	-18.7
14.	उड़ीसा.	-85.1	-123.5	-90.2	44.0
15.	पंजाब	-626.3	-680.7	-945.6	-1049.8

1	2	3	4	5	6
16.	राजस्थान	-216.5	-301.6	-381.6	-689.7
17.	तमिलनाडु	-257.6	-301.6	-381.6	-689.7
18.	उत्तर प्रदेश	-812.4	-1048.3	-1315.0	-1134.5
19.	प.बंगाल	-189.5	-179.3	-240.4	-211.1
	जोड़:	-4357.7	-4995.5	-6332.1	-7130.0

स्रोत: योजना आयोग
टिप्पणी: आरई –संशोधित अनुमान
एपी–वार्षिक योजना पूर्वानुमान।

भारत में विदेशी मिशंन

125. **श्री दत्ता मेघे : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में किन किन देशों के दूतावास/ मिशन कार्यरत है;

(ख) कौन–कौन से देश भारत में अपने मिशन खोलने और राजनयिक सम्बंध स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) भारत का विचार निकट भविष्य में किन–किन देशों में अपने मिशन खोलने का है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) भारत में कार्य कर रहे राजदूतवासों/हाईकमीशनों और कौंसली मिशनों की सूची विवरण के रुप में सलंग्न हैं

(ख) गोबोन,कोमोसोस द्वीप समूह, अल–साल्वेडोर तथा स्लोवेनिया भारत के साथ राजनयिक संबधं के लिए इच्छुक हैं। गौबोन, कोमोसेस दीपसमूह तथा अल–साल्वेडोर के संबंध में भारत सरकार की "अनापत्ती" की सुचना पहले ही दी जा चुकी है। स्लोवेनिया के संबंध में अनुमोदन की कार्यवाई विचारधीन है।

(ग) उम्मीद है कि भारत सरकार निकट भविष्य में निम्नलिखित मिशंन केन्द्र खोलेगी :

(1) जागरेब में राजदूतावास (क्रोशिया)

(2) घोर्ट मोरेस्बी में हाईकमीशन (पापुआ न्युगिनी)

(3) साओ पाओले में प्रधान कोसलावास (ब्राजील)

विवरण

भारत में जिन देशों के राजदूतावास/मिशन कार्य कर रहे है उनके नाम

1. अफगानिस्तान
2. अल्जीरिया
3. अगोला
4. मिस्र अरब गणराज्य
5. अर्जेंटिना
6. आस्ट्रिया
7. आस्ट्रेलिया
8. बंगलादेश
9. ब्राजील
10. भूटान
11. ब्राजील
12. बुनो दाररसलाम
13. बल्गारिया
14. कम्बोडिया
15. कनाडा
16. चिल्ली
17. चीन
18. कोलम्बिया
19. क्रोशिया
20. क्यूबा
21. साइप्रस
22. चेक गणराज्य
23. डेन्मार्क
24. इथोपिया
25. फिनलैण्ड
26. फासं
27. जर्मनी
28. घाना

29. युनान
30. होलीसी
31. हंगरी
32. इन्डोनेशिया
33. ईरान
34. ईराक
35. आयर लैण्ड
36. इजराइल
37. इटली
38. जापान
39. जोर्डन
40. कजाकस्तान
41. कीनिया
42. लोकतांत्रिक लोक गणराज्य कोरिया
43. कोरिया गणराज्य
44. कुवैत
45. किगिजस्तान
46. लाओस
47. लेबनान
48. लीबीया
49. मलेशिया
50. मारीशस
51 मेक्सिको
52. मंगोलिया
53. मोरक्को
54. म्यामां
55. नामीबिया
56. नेपाल
57. नीदरलैण्ड
58. नाइजीरिया
59. न्यूजीलैण्ड
60. नार्वे
61. ओमान
62. पाकिस्तान
63. फिलीस्तीन
64. पनामा
65. पेरु
66. फिलीपीन्स
67. पोलैण्ड
68. पुर्तगाल
69. कतर
70. रोमानिया
71. रुसी परिसंघ
72. सउदीअरब
73. सहरवी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य
74. सेनेगल
75. सिगांपुर
76. स्लोवाकिया
77. सोमालिया
78. दक्षिण अफीका
79. स्पेन
80. श्रीलंका
81. सुडान
82. स्वीडन
83. स्विरजरलैण्ड
84. सीरिया
85. तंजानिया
86. थाईलैण्ड
87 ट्रिनीडाड एण्ड ओबेगो
88. टयूनिशिया
89. तुर्की
90. तुर्कमेनिस्तान
91. उगान्डा
92. उक्रेन
93. संयुक्त अरब अमीरात
94. यूनाइटिड किगंडम
95. संयुक्त राज्य अमरीका
96. उजेबेकिस्तान

97. वेनेजुएला

98. वियतनाम

99. यमन

100. यूगोस्लाविया

101. जाइर

102. जाम्बिया

103. जिम्बावे

104. यूरोपियन आयोग

भारत में जिन देशों के केवल प्रधान कौंसलावास हैं उनके नाम:-

105. बहरीन

भारत में जिन देशों के केवल अवैतनिक कोंसलावास हैं उनके नाम

106. आर्मेनिया

107. बारबाडोस

108. बेलिज

109. बेनिन

110. बोलीविया

111. बुर्कीनफासो

112. डौमिनीकन गणराज्य

113. एस्टोनिया

114. गाम्बिया

115. ग्रेनाडा

116. हैती

117. आइस लैण्ड

118. आइवरीकोस्ट

119. लास्विया

120. लाइबीरिया

121. लिथुओनिया

122. लक्जमबर्ग

123. मेडागास्कर

124. मालदीव

125. वाल्टा

126. मोनाको

127. नीरु

128. निकारागुआ

129. सान मारिनो

130. सेशल्स

131. सियरा लिओने

132. सूरीनाम

133. ताजिकिस्तान

134. टोंगा

आई. डी .पी. एल. का पुनरुद्धार और पुनर्गठन

126. श्री बी. श्री निवास प्रसाद:

श्री इन्द्रजीत गुप्त: श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई. डी. पी. एल. को गत तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बी. आई .एफ. आर. द्वारा पुनरुद्धार योजनायें सुझाए जाने के बावजूद आई. डी.पी. एल. 1994-95 हेतु निर्धारित उत्पादन ओर बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार आई.डी.पी.एल.के. के वित्तीय और प्रबन्धन पुनर्गठन हेतु एक नया पैकेज तैयार करने के लिए एक संचालन एजेंसी गठित करने का है; और

(ड.) यदि हां;तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईडीपीएल द्वारा शुद्ध घाटा इस प्रकार था:–

रु. करोड़ में, राशि

वर्ष	राशि
1992-93	83.44
1993-94	69.64
1994-95 (अस्थाई)	69.93

(लेखापरीक्षा नहीं की गई)

(ख) और (ग). जी, हां। उत्पादन तथा बिक्री दोनों के अनुसार 306 करोड़ रु. के लक्ष्य की तुलना में आई डीपीएल का कुल उत्पादन तथा विक्री 199.23 करोड़ तथा 183.03 करोड़ रु. की हुई थी। आईडीपीएल 1993-94 के कार्य निष्पादन की तुलना में 1994–95 के कार्य निष्पादन में काफी सुधार करने में समर्थ हुआ है। यद्यपि बढती हुई प्रतिस्पर्द्धा , कार्यशील पूंजी के वांछित स्तर के प्राप्त करने में असमर्थता समेत विभिन्न कारणों से आईडीपीएल उत्पादन तथा विक्री के लक्षित स्तर की प्राप्ति नहीं कर सका।

(घ) और (ङ). रुग्ण औधोगिक कपंनी (विशेष उपबंध) अधिनियम , 1985 के अनुसार संचालन एजेंसी नियुक्त करने का अधिकार औधोगिक एवं वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के पास है।

पाकिस्तान के साथ बातचीत

127. श्री एम. वी. वी. एस. मुर्ति

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पाकिस्तान उपमहाद्वीप में व्याप्त को बढ़ा रहा है और अनसुलझ मामलों को सुलझाने के लिए भारत के साथ अर्थपुर्ण बातचीत की सारी सम्भावनाएं समाप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान को शस्त्र देने के अमरीकी निर्णय के कारण पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करनेके लिए उत्साहित नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख).– भारत के विरुद सीमा पार से आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा निरन्तर दिया जाने वाला समर्थन दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण है। सरकार ने बारबार पुर्व शत्तों के बिना सभी भारत–पाकिस्तान मसलों पर द्विपक्षीय बातचीत पुनः आरंभ करने की इच्छा जाहिर की है । द्विपक्षीय बातचीत के लिए पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ).– पाकिस्तान को अतयाधुनिक हथियारों और प्रौधोगिकी की आपूर्ति से भारत के प्रति उसका दुराग्रह बढ़ता है और द्विपक्षीय वार्त्ता से उसको विमुख करता हैं। सरकार उन सभी घटनाओं पर बारीकी से निगाह रखती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो और उसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

एनरॉन विवाद

128. श्री डी वेकंटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः

क्या **विद्युत मंत्री यह** बताने की कृपा करेगें किः

(क) क्या एनरान विवाद के मद्देनजर केन्द्र सरकार विधुत क्षेत्र नीति विशेष तौर पर वैकल्पिक विधुत गारन्टी संरचना के बारे मेंनए सिरे से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार गैर सरकारी तथा विदेशी कंपनियों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों , विदेशी निवेशकों से नए सिरे से परामर्श कर रही है ताकि उनकी समस्याओं का बेहतर निदान हो सके ;

(ग) क्या मंत्रालय नेनए सिरे सेकोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है; और

(ङ.) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

विधुत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) : (क) से (ङ). चूंकि भारत सरकार केवल आठ फास्ट ट्रैक निजी विधुत परियोजनाओं को प्रतियारंटी प्रदान करने के लिए सहमत हुई है, इसलिए सरकार सक्रिय रुप से वैकल्पिक ढाचों के सम्बन्ध में विचार कर रही है जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं,

(क) आई पी पी द्वारा एच टी उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रुप में विधुत की आपूर्ति करना।

(ख) एक एस्क्रो खात खोलना , जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा किए गए अभिज्ञात भुगतानों को क्रेडिट किया जाता है तथा आई पीपी की भुगतान देयताओं को इस खाते से प्रथमतः वसूल किया जाता है।

(ग) विधुत उत्पादन को वितरण के साथ जोड़ना

(घ) राज्य सरकारों द्वारा आर बी आई से किए गए अनुरोध पर केन्द्रीय हस्तातरण की सहायता से एस्क्रो व्यवस्था करना।

(ङ.) विश्व बैंक की गारंटी।

उपरोक्त विकल्पों में से (क) से (ग) विकल्पों का पता लगाने के लिए सरकार ने राज्यों को सलाह प्रदान की है और कुछ राज्यों ने इन विकल्पों या इनके संयोजन के आधार पर पहले ही निजी विधुत परियोजनाओं का ढाचाँ तैयार कर लिया है।

[हिन्दी]

लाहौर में इंडियन एअर लाइंस के कार्यालय पर आक्रमण

129. श्री पकंज चौधरी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंडियन एअर लाइंस के लाहौर स्थित कार्यालय पर आक्रमण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण जान माल की कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सरकार ने उस संबंध में पाकिस्तान सरकार से विरोध जताया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है और पाकिस्तान सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). 31.10.95 को लाठियों से लैस लगभग 40 उपद्रवियों का एक झुण्ड लाहौर स्थित इंडियन एयर लाइंस के कार्यालय और उसने सामने ओर पीछे वाले दरवाजों तथा खिडकियों के शीशों को तोड दिया था। किसी भी कार्मिक को ओट नही लगी ।

(ग) ओर (घ) सरकार ने राजनायिक माध्यमों के जरिये पाकिस्तान के समक्ष बिरोध प्रकट करतेहुए इस हमले पर गहरी चिन्ता व्यक्त की । इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि वह इन्डियन एयरलाइस के कार्यालय को आवश्यक संरक्षण उपलब्ध कराए ताकि ऐसी वारदातें पुनः न हो।

पाकिस्तान ने यह सुचना दी है कि संबंधित प्राधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय करें ।

राज्य सड़क परिवहन निगमों का कार्य-निष्पादन

130. श्री गुमान मल लोढ़ा :

श्री वृशिण पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवहन अनुसंधान स्कंध द्वारा राज्य सड़क परिवहन निगमों के कार्य निष्पादन मेंसुधार के बारे में सरकार को सुझाव दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन सुझावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भुतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) (एक) बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण द्वारा उत्पादकता में सुधार।

(दो) अनुरक्षण सुविधओं में सुधार करके इधन में किफायत

(तीन) टैरिफ में उपयुक्त संशोधन ओर

(चार) सीमित स्टाफ रखना।

(पांच) विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों को अपने कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए समय-समय पर आवश्यक हिदायतें/मार्ग-निर्देश जारी किए गए है।

[अनुवाद]

पंचायतों के चुनाव

131. श्री विजय कुमार यादव :

श्री गुल्लापल्ली रामचन्द्र :

श्री सेलेन्द्र मेहता :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सविधान संशोधन के पश्चात पूरे देश में पंचायतों का चुनाव सम्पन्न हो चुका है;

(ख) यदि हां तो किन राज्यो में अभी राज्यों में अभी चुनाव नहीं करायें गये हैं;

(ग) क्या इन राज्यों द्वारा चुनाव शीघ्र कराये जाने हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो और बिलम्ब किये बिना चुनाव सम्पन्न कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ.) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को पंचायतों का चुनाव कराने हेतु क्या सहायता दी गयी हैं;

(च) क्या पंचायत की त्रिस्तरयी व्यवस्या (थ्री टियर सिस्टम) की शक्तियों के प्रत्यायोजन का कार्य समाप्त हो गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस प्रक्रिया को पूरा करने हेतू सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठायें गये है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल) : (क) ओर (ख). बिहार और तमिलनाडु राज्यों को छोड़कर सारे देश में पंचायतों के चुनाव सम्पन्य ही चुके हैं। जिला परिषदों के चुनाव केवल गोवा और मणिपुर राज्यों में होने बाकी हैं। ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ लक्षद्वीप और पाडिचेरी मे कराए जाने बाकी है। उड़ीसा ओर हिमाचल प्रदेश राज्यों में पंचायते भंग कर दी गई है और इन राज्यों में नए सिरे से चुनाव कराए जाने है।

(ग) और (घ). राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अधिक से अधिक वर्ष के अतं तक चुनाव कराने के लिए कहा गया हैं इस संबंध में उनसे केन्द्रीय निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है।

(ङ.) इस संबध में कोई केन्द्रीय सहायता मुहैय्या नहीं कराई जाती है।

(च) और (छ). पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का प्रतयायोजन एक सतत् प्रक्रिया हैं राज्यों पर यह दबाब डाला गया है कि वे पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और अधिकारों को सौपने के लिए तत्काल उपाय करें ताकि उनको पूरी तरह से कार्य करने योग्य बनाया जा सके।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की विद्युत परियोजनाओं

132. श्रीमती केसर बाई सोनाजी क्षीरसागर :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्वीकृत महाराष्ट्र की विद्युत परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) स्वीकृति मिलने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति देदी जाएगी;

(ग) इन परियोजनाओं से कितने विद्युत का उत्पादन होगा; और

(घ) क्या महाराष्ट्र की आवश्यकता इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत द्वारा पूरी हो जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). घिकालदारा पम्पड स्टोरेज स्कीम (2x200 मे.वा.) तकनीकी -आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) में प्राप्त हो गई हैं परियोजना प्राधिकरण के स्पष्टीकरणों और परियोजना के बारे में केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त हुई अभ्युक्ति के आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए कार्यवाई की शुरुआत कर दी गई हैं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति की गई महाराष्ट्रकी विद्युत परियोजनाओं और 8 वीं पंचवर्षीय योजना का शेष अवधि के दौरान वहां एवं इसके पश्चात क्रियान्वित की जाने वाली स्वीकृति परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत् है:

क्रम०	परियोजना का नाम	स्वरुप	क्षमता मि० व०—
1.	भण्डारधारा सोपान—2	जल विधुत	34.0
2.	घाटघर पी एस एस	जल विधुत	2250.0
3.	दिम्मे	जल विधुत	5.0
24.	दूधगंगा	जल विधुत	24.0
5.	कोयना चरण—4	जल विधुत	1000.0
6.	सरदार सरोवर (27 प्रतिशत)	जल विधुत	324.0
7.	सरदार सरोवर(27 प्रतिशत)	जल विधुत	67.5
8.	सूर्या	जल विधुत	6.0
9.	उज्जैनी	जल विधुत	12.0
10.	वारना	जल विधुत	16.0
11.	चन्द्रपुरयूनिट—7	ताप विधुत	500.0
12.	भिवपुरी पी एस एस	जल विधुत	90.0
13.	भद्रावती टीपीएस	ताप विद्युत	1072.0
14.	दभोल सोसीजीटी	ताप विधुत	2015.0

(घ) चालू किए जाने पर ये विद्युत परियोजनाएं महाराष्ट्र राज्य में विद्युत की बढती हुई मांग की पूर्ति करने में सहायक होंगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ वार्ता

133. श्री हरिन पाठक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ फिर से द्विपक्षीय वार्ता हेतु कोई प्रस्ताव पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार पाकिस्तान द्वारा भेजे गये दो "नान पेपर्स पर चर्चा करने को इच्छुक है, यदि हो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (आर. एल. भाटिया) : (क) से (ङ) सरकार ने निरन्तर यह कहा है कि वह सभी भारत—पाकिस्तान मुद्दों पर शिमला समझोते की भावना के अनुरुप सीधे द्विपक्षीय आधार पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बातचीत का अन्तिम दौर दोनों देशों के विदेश सचिवों के स्तर पर जनवरी 1994 में इस्लामाबाद में हुआ। उसके बाद पाकिस्तान बातचीत करने में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव

134. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री हरि सिंह चावडा :
श्री प्रवीन डेका :
श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षो के दौरान और चालु वर्ष में विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास ओर रखरखाव के संबंध में कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को मजुरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षो के दौरान और चालू वर्षो में राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास ओर रखरखाव संबंधी कार्यो का राज्य वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(च) गत तीन वर्षो के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी गई और अगले वित्त वर्ष में राज्य वार कितनी कितनी धनराशि दी जाएगी; और

(छ) प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास चौड़ा करने और रखरखाव के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) राज्यों सरकारो से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, 8वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कुल 4150 करोड़ रु० के नए कार्यों को स्वीकृति देने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया था। जहा तक राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव का संबध है, यह एक गैर–योजनागत कार्य है और ऐसे कार्यो। के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं तैयार नही की जाती हैं।

(ख) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ड.). निधियों की उपलब्धता के अनुसार अब तक 1000 करोड़ रु० की राशि के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। ये कार्य प्रगति को विभिन्न अवस्थाओं में है तथापि , राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए राज्यों को निधियों, मापदण्ड तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर जारी की जाती है।।

(च) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–III पर है।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्गो को चौड़ा करने से संबंधित कार्य समग्र विकास–कार्य में शामिल किए जाते हैं तो पैरां (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में राज्य वार दर्शाए गए हैं।

आठवीं योजना प्रावधान का राज्य-वार ब्यौरा

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य	सड़क कार्य	पुल कार्य	योग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	264.20	43.50	307.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.50	3.25	20.75
3.	असम	83.70	75.25	161.95
4.	बिहार	197.00	32.25	229.25
5.	चंडीगढ़	0.50	-	0.50
6.	दिल्ली	17.00	43.10	60.10
7.	गोवा	50.50	5.60	56.10
8.	गुजरात	206.65	20.75	227.40
9.	हरियाणा	184.00	5.80	189.80
10.	हिमाचल प्रदेश	61.75	33.40	95.15
11.	जम्मु तथा कश्मीर	-	-	-
12.	कर्नाटक	253.40	33.40	286.80
13.	केरल	187.00	40.00	227.00
14.	मध्य प्रदेश	134.00	64.50	198.50
15.	महाराष्ट्र	222.90	44.85	266.95
16.	मणिपुर	17.00	6.05	23.65
17.	मेघालय	30.50	9.00	39.50
18.	नागालैंड	-	-	-
19.	उड़ीसा	84.40	8.80	93.20
20.	पॉण्डिचेरी	1.00	-	1.00
21.	पंजाब ,	23.50	13.55	37.15
22.	राजस्थान	169.50	27.30	196.80

1	2	3	4	5
23.	तमिलनाडु	97.05	14.75	111.80
24.	उत्तर प्रदेश	222.95	100.70	323.65
25.	पश्चिम बंगाल	172.00	22.65	194.65
26.	सड़क सुरक्षा, अप्रत्याशित कार्य, एक्सप्रैस मार्ग, बी आर डी बी के लिए अतिरिक्त	-	-	809.50
	जोड़	2698.00	651.35	4158.85
	अर्थात्			4150-00 करोड़ रु०

राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में 10/95 तक जारी की गई संस्वीकृतियां की स्थिति।

(राशि करोड़ रु०)

क्रम सं०	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (10/95)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7.44	10.87	36.59	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	0.24	-	-
3.	असम	14.54	4.47	8.01	8.14
4.	बिहार	12.03	14.85	13.57	6.19
5.	चंडीगढ़	-	0.23	-	-
6.	दिल्ली	0.66	0.37	2.38	4.51
7.	गोवा	0.49	1.96	8.82	-
8.	गुजरात	16.82	79.11	18.50	6.01
9.	हरियाणा	7.69	1.81	0.64	2.28
10.	हिमाचल प्रदेश	6.38	5.56	28.60	3.39
11.	जम्मु तथा कश्मीर	1.83	-	0.21	1.40
12.	कर्नाटक	5.39	17.25	28.37	2.92
13.	केरल	32.00	23.17	1.53	-
14.	मध्य प्रदेश	14.03	1.89	38.37	-
15.	महाराष्ट्र	16.64	12.07	16.56	2.43
16.	मणिपुर	0.66	1.85	4.66	-
17.	मेघालय	12.49	4.70	4.39	-
18.	नागालैंड	0.48	-	-	-
19.	उड़ीसा	6.28	8.10	21.70	0.80
20.	पॉण्डिचेरी	0.03	0.23	0.30	-
21.	पंजाब	9.02	3.35	4.61	3.29
22.	राजस्थान	22.54	0.79	23.57	-
23.	तमिलनाडु	8.94	4.79	23.07	24.01
24.	उत्तर प्रदेश	124.23	28.23	43.19	0.49

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	20.00	12.15	3.90	7.79
	जोड़	**340.57**	**238.04**	**331.54**	**73.55**
	कुल जोड़ :	1.4.92 --30.10.95340.57+238.04+331.54+73.65 = 383.80			

विवरण-तीन (3)

राज्य वार केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय दर्शाने वाला विवरण

(राष्ट्रीय राजमार्ग)

क्रम सं०	राज्य	1994-95		1995-96	
		विकास	रख-रखाव		विकास रख-रखाव (31-10-95 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	45.90	21.47	57.00	21.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.30	0.67	-	-
3.	असम	14.85	16.78	18.00	9.79
4.	बिहार	18.75	14.73	20.50	9.24
5.	चंडीगढ़	0.25	0.21	0.25	0.15
6.	दिल्ली	1.50	1.43	4.00	0.83
7.	गोवां	3.75	3.86	5.00	1.10
8.	गुजरात	56.50	13.17	46.00	13.13
9.	हरियाणा	51.60	5.60	73.00	4.00
10.	हिमाचल प्रदेश	13.50	8.95	16.00	6.12
11.	जम्मु तथा कश्मीर	0.45	0.76	0.50	0.20
12.	कर्नाटक	24.25	15.07	26.00	8.89
13.	केरल	27.50	9.24	42.00	6.06
14.	मध्य प्रदेश	15.34	16.96	19.00	11.50
15.	महाराष्ट्र	26.75	21.50	34.00	19.34
16.	मणिपुर	3.25	1.15	5.00	0.87
17.	मेघालय	5.00	2.70	6.00	2.16
18.	नागालैंड	0.40	0.04	0.05	0.05
19.	उड़ीसा	33.90	11.87	46.00	10.78
20.	पाँण्डिचेरी	0.50	0.15	0.50	0.14
21.	पंजाब	35.00	7.37	39.00	4.24
22.	राजस्थान	43.50	18.11	48.00	13.66
23.	तमिलनाडु	25.03	17.03	11.00	9.51
24.	उत्तर प्रदेश	62.64	20.65	79.50	19.16
25.	पश्चिम बंगाल	39.87	17.44	36.60	11.45

1	2	3	4	5	6
26.	बी आर डी बी	58.00	-	52.00	-
27.	जोगीघोपा पुल	21.06	-	25.00	-
28.	मंत्रालय का प्रत्यक्ष भुगतान	2.14	-	31.56	-
29.	प्रारक्षित राशि	-	-	4.00	-
	जोड़	633.03	246.91	745.30	183.37

नोटः वर्ष 1996-97 के लिए परिव्यय के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया हैं।

[अनुवाद]

नेपाली विद्यार्थियों के लिए कोटा

135. श्री सूर्यनारायण यादव : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत में अध्ययन करने वाले नेपाली विद्यार्थियों के लिए कोटे को बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री .आर. एल. भाटिया) : (क) भारत में पूर्वस्नातक स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध संस्थाओं में प्रवेश पाने के इच्छुक विदेशी छात्रों के लिए सीटों का आबंटन चिकित्सा के मामलें में स्वास्थय एवं कल्याण मंत्रालय करता है और इंजीनियरी, बीफार्मा, इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा फार्मेसी में डिप्लोमा के मामलों में मानव संसाधान मंत्रालय करता है। गत वर्षो में इन बिषयों में आंबटित सीटो की संख्या धीरें-धीरे कम होती जा रही है। विदेशी छात्रों के लिए सीटों की संख्या बढाने का मामला सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। यदि अतिरिक्त सीटें उपलब्ध करायी जाती हैं तो नेपाल सहित सभी लाभभोगी देशों के लिए सीटें बढायी जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल गैस पीड़ित

136. श्री अण्णा जोशी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल भोपाल गैस पीड़ितो ने सितंबर १९९४ में भोपाल में गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों को अतिंम प्रतिपूर्ति के शीघ्र वितरण की मांग करते हुए प्रदर्शन किया तथा गिरफतारी दी;

(ख) यदि हां, तो इसमे विलंब तथा गैस पीड़ितों में असंतोष के क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न श्रेणियों के गैस पीड़ितों को प्रतिपूर्ति देने के संबंध में क्या तथा कितने प्रस्ताव दिये गए हैं, तथ कितनी प्रतिपुर्ति राशि उपलब्ध करायी गई है तथा कितने दावों को निपटाया गया है; और

(घ) दावों को शीघ्र निपटाये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलेक्ट्रनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में (श्री एडुअर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). जी. हां।

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अक्तूबर, 1992 में कल्याण आयुक्त को मुआवजे की धनराशि हस्तांरित करने के बाद पीड़ितों को मुआवजे की धनराशि का वितरण शुरु हुआ था। और अधिक दावा अदालतें स्थापित करना और दावों का अधिनिर्णय तथा पीड़ितों को मुआवजे का वितरण इसके बाद प्रारंभ हंआ था। फरवरी, 1992 से उनमें से 2,49,686 दावों का अधिनिर्णय किया गया तथा जनवरी से अक्तूबर, 1995 तक की 10 महीनों की अवधि में 1,15,164 मामलों पर निर्णय किया गया है। दावों का अधिनिर्णय तथा मुआवजे का वितरण प्रारभं किया गया है तथा 31-10-1995 तक 678.10 करोड़ रु०. मुआवजे के रुप में दिए गए हैं।

असम में खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयां

137. श्री प्रवीन डेका : क्या **खाद्य प्रसस्करण उधोग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को असम से मछली, फलों एवं सब्जियों से जुडे खाद्य प्रसंस्करण उधोग स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है तथा कितनी सहायता दी गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां,

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना स्कीमों के तहत फल सब्जी प्रसंसकरण इकाइयों की स्थापना के लिए असम राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध 97-50 रु० की वित्तीय सहायता 93-94 और 94-95 के दौरान दी गई है। मात्स्यि की क्षेत्र में अध्ययन के लिए सहायता का प्रस्ताव हाल में प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही शुरु की गई है।

एन टी पी सी का विस्तार कार्यक्रम

138. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) केप्रत्येक संयंत्र की वर्तमान अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा ये संयंत्र कहां–कहां स्थित हैं एवं उसमें कितनी ऊर्जा का उपयोग होता है;

(ख) क्या एन टी पी सी ने आने वाले वर्षों में क्षमता में वृद्वि करने के लिए कोई महत्वाकाक्षी कार्यक्रम हाल ही में तैयार किया हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थापित की जाने वाली नई विधुंत परियोजनाएं सहित तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है; ये परियोजनाए किन–किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी, ये परियोजनाएं कोयले पर आधारित होंगी अथवा गैस पर आधारित होगी, कितनी विद्युत क्षमता का उत्पादन होगा इसकी लागत कितनी होगी तथा इसके लिए किस प्रकार राशि इत्यादि उपलब्ध करायी जाएगी;

(घ) क्या नई परियोजनाओं के निर्माण में निजी कम्पनियों अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शामिल किया जाएगा;

(ड.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) नये संयंत्रों/परियोजनाओं में उत्पादन शुरु करने के लिए निर्धारित समय–सीमा क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला.सी. पटेल) : (क) से (ग). 19124 मेगावाट की कुल अनुमोदित क्षमता मेंसे राष्ट्रीय ताप विघुंत निगम (एनटी पीसी) की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 16049 मेगावाट है। विद्युत केन्द्रों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण एक संलग्न है। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी द्वारा अनेक नई परियोजनाएं हाथ में लेने की योजना है। इन नई परियोजनाओं के बारें में क्षमता, स्थल आदि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण दो संलग्न है।

(घ) से (ड.). मै. पैक्ट्रम टैक्नालोजीज इन्क., यूएसए और मै. या फूड इण्डस्टीज प्राइवेट लि., हैदराबाद के साथ संयुक्त उद्यम के रुप में एन टी पी सी द्वारा 208 मे.वा की क्षमता की गैस आधारित विद्युत परियोजना आन्ध्र प्रदेश में काकी नाडा में क्रियान्वित की जा रही है। अन्य परियोजना एनटीपीवसी द्वारा स्वंय क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव हैं। तथापि, उपस्कर सप्लाई समेत विभिन्न निर्माण कार्यो। के लिए निजी / बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बोलियां लगाने के लिए सवंतत्र होगी।

(च) एन टी पी सी की नई परियोजनाओं का कार्य पूरा करने की समय–समय–सूची का ब्यौरा विवरण 2 में सलग्न है।

विवरण- (1)

एनटीपीसी की अधिष्ठापित विधुत उत्पादन क्षमता के बारे में ब्यौरा

क्र.स.	परियोजना का नाम	अनुमोदित क्षमता (मे.वा.)	वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अधिष्ठापित की जाने वाली अधिशेष क्षमता (में.वा.)	स्थल	ईधन समुपयोग
1	2	3	4	5	6	7
क.	**उत्तरी क्षेत्र की परियोजनाएं**					
1.	सिंगरौली एसटीपीपी	2000	2000	–	उत्तर प्रदेश	कोयला
2.	रिहन्द एसटीपीपी–1	1000	1000	–	उत्तर पदेश	कोयला
3.	राष्ट्रीय राजधानी विद्युत परियोजना	840	840	–	उत्तर प्रदेश	कोयला
4.	फिरोज गांधी ऊंचाहार टीपीपी	420	420	–	उत्तर प्रदेश	कोयला,
5.	दादरी सीसीजीबीपीपी	817	817	–	उत्तर प्रदेश	गैस
6.	अन्ता सीसीजीबीपीपी	413	413	.	राजस्थान	गैस
7.	औरैया सीसीजीबीपीपी	652	652	–	उत्तर प्रदेश	गैस
ख	**पश्चमी क्षेत्र की परियोजनाएं**					
8.	विन्ध्याचल एसटीपीपी–१	1260	1260	–	मध्य प्रदेश	कोयला
9.	कोरबा एसटीपीपी	2100	2100	–	मध्य प्रदेश	कोयला
10.	कावास सीसीजीबीपीपी	645	645	–	गुजरात	गैस
11.	झानोर–गांधार सीसीजीबीपीपी	657	657	–	गुजरात	गैस

1	2	3	4	5	6	7
ग.	**दक्षिणी क्षेत्र परियोजनाओं**					
12.	रामागुण्डम एसटीपीपी	2100	2100	–	आन्ध्र प्रदेश	कोयला
घ.	**पूर्वी क्षेत्र परियोजनाएं**					
13.	फरक्का एसटीपीपी	2100 ,	1600	500	प.बंगाल	कोयला
14.	कहलगांव एसटीपीपी	840	630	210	बिहार	कोयला
15.	तलचेर एसटीपीपी	1000	500	500	उड़ीसा	कोयला
16.	तलचेर टीपीएस	460	460	–	उडीसा	कोयला
	जोड़ (क) से (घ)	17094	16094	1210		
ङ.	**हाल ही में अनुमोदित परियोजनाएं**					
17.	कायमकुलम सीसीपीपी	400	-	400	केरल	नैपथा
18.	फिरोजगांधी ऊचाहार टीपीपी चरण–2	420	-	420	उत्तर प्रदेश	कोयला
19.	विन्ध्याचल एसटीपीपी चरण–2	1000	-	1000	मध्य प्रदेश	कोयला
	जोड़ (ङ.)	1820	-	1820		
	जोड़ (क) से (ड़)	19124	16094	3030		

एसटीपीपीः सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

टीपीएसः थर्मल पावर स्टेशन

टीपीपी–थर्मल पावर प्रोजेक्ट

सीसीजीबीपीपीःकंबाइंड–साइवल गैस बेरड पावी प्रोजेक्ट

सीसीपीपीःकंबाइड–साइबल पावर प्रोजेक्ट

विवरण-II

एन टी पी सी की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में ब्यौरा

क्र.स०.	परियोजना	स्थल	क्षमता (मे.वा.)	ईधन	निम्न के आधार पर अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	प्रस्तावित वित्तपोषण	कार्य पुरा करने की समय सुची (अनुमोदन का मास)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	फरीदाबाद गैस पावर परियोजना	हरियाणा	400	गैस	1262-60 (95 की दूसरी तिमाही)	ओईसीएफ	42
2.	हैदराबाद संयुक्त साइक्ल पावर प्रोजेक्ट	आन्ध्र प्रदेश	650	नैपथा	2021-35 (95 की तीसरी तिमाही)	(सुनिश्चित किया जाना है)	42
3.	सिम्हाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट	आन्ध्र प्रदेश	1000	कोयला	3496-80 (95 की तीसरी तिमाही)	–वही–	71
4.	तलचेर–2	उड़ीसा	2000	कोयला	5601-30 (95 की प्रथम तिमाही)	–वही–	87
5.	कावास–2	गुजरात	650	गैस	2086-00 (95 की प्रथम तिमाही)	–वही–	41

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	रिहन्द -2	उत्तर प्रदेश	1000	कोयला	3045.7 (95 की प्रथम तिमाही)	-वही-	69
7.	रामागुण्डम चरण–2	आन्ध्र प्रदेश	500	कोयला	1435-45 (95 की प्रथम तिमही)	आन्तरिक संसाधन ऋण	60

राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति

139. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य विधुत बोर्ड की "वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों को होने वाले अत्यधिक घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ताप विधुत उत्पादन एककों के क्षमता उपयोग में वृद्वि करने तथा पारेषण एवं वितरण क्षति को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) : योजना आयोग के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता का हिसा में लेते हुए राज्य बिजली बोर्डो की कुल प्रत्याशित वाणिज्यिक हानियों का 7130 करोड़ रुपये पर अनंतिम रुप से अनुमान लगाया गया था, जैसा कि विवरण में संलग्न है।

(ख) : राज्य बिजली बोर्डो द्वारा वहन की जा रही भारी हानियों के मुख्य कारणों में अलाभकारी टैरिफ समेत कृषि संबंधी टैरिफ, ग्रामीण विधुतीकरण आर्थिक सहायता का भुगतान न करना , ऋणों को इक्विटी न बदलना, अधिक पारेषण एवं वितरण हानियों का होना, संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) का कम स्तर होना और ताप विुत केन्द्रों में ईंधन की अधिक खपत होना शामिल हैं।

(ग) विधुत के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों में, अधिष्ठापित क्षमता का अधिक समुपयोजन, करना, ताप विद्युत केन्द्रों के लिए उचित मात्रा और गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति को मानीटरिंग करना और विद्यमान विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण और उन्नयनोकरण करना शामिल है। पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी के संबंध में विधुत यूटिलिटियों को मार्गदर्शी सिद्वात जारी किए जा चुके हैं, जिनमे अन्य बातों के साथ–साथ , ऊर्जा लेखा परीक्षा करना, वोल्टेज परिद्वश्य को सुधारने के लिए कैपेसिटरों की अधिष्ठापना करना अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमों की तैयारी करना और ऊर्जा की चोरी रोकने के लिए टैम्परप्रूफ मीटर बक्सों की अधिष्ठापना करना शामिल हैं।

लेखा में प्रदान की गई ग्रामिण विधुतीकरण आर्थिक सहायता को हिसाब में न लेते हुए वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य विधुत बोर्डों के लाभ/हानि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य बिजली बोर्ड	1995-96 (ए.पी.)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	-468-.7
2.	असम	-146.9
3.	बिहार	-315.0
4.	दिल्ली (डेसू)	-267.7
5.	गुजरात	-778.06.
6.	हरियाणा	-386.4
7.	हिमाचल प्रदेश	-6.5
8.	जम्मू और कश्मीर	-350.8
9.	कर्नाटक	-34.3
10.	केरल	-112.3
11.	मध्य प्रदेश	-576.6
12.	महाराष्ट्र	-203.6

1	2	3
13.	मेघालय	-18.7
14.	उड़ीसा	44.0
15.	पंजाब	-1049.8
16.	राजस्थान	-423.4
17.	तमिलनाडु	-689.7
18.	उत्तर प्रदेश	-1134.5
19.	प. बंगाल	-211.1
	जोड़	-7130.0

स्रोतःयोजना आयोग

टिप्पणी. ए.पी. – वार्षिक योजना पूर्वानुमान

इस्पात संयंत्रों में भण्डार का जमाव

140. **श्री राम कापसे** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात से बने तैयार माल के भंडार विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाने हेतु दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो तथा राउरकेला में भारी मात्रा में जमा हो गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परिस्थिति के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं तथा इससे हुई अनुमानित हानि का संयत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस्पात को निर्बाध रुप से तथा समय पर भेजने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). विभिन्न इस्पात संयंत्रों में 1-4-1995 (वर्ष का अर्थशेष स्टाक) और 1-11-95 को परिसज्जित इस्पात के सटाकं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(हजार टन)

संयंत्र	1-4-1995	1-11-1995
बोकारो	175.2	173.7
राउरकेला	46.3	31.6
भिलाई	39.1	60.4
दुर्गापुर	6.1	5.7
कुल:	266.7	271.4

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि इस्पात संयंत्रो में 1-4-95 को अथशेष स्टांक की तुलना में परिसज्जित इस्पात के स्टांक में कोई महत्वपूर्ण वृद्वि नहीं हुई है और इस्पात संयंत्रों में परिसज्जित इस्पात के स्टांक का स्तर औचित्यपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टाक का स्तर सामान्यतया कम होता है।

(ग) से (घ). उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना:

141. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं स्थापित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या मानंदड निर्धारित किए गए है;

(ग) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ख). सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों की कमी को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन, सप्लाई और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए अक्तुबर, 1991 में एक शुरुआत की गई थी। नीति के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). नीति के प्रति राज्य सरकार का पत्युत्तर उत्साहवर्धक रहा है जैसा कि इस बात से स्पष्ट है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अब तक निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के लिए 240 से भी अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

विवरण

विद्युत उत्पादन और वितरण में अतिरिक्त संसाधन जुटाये जाने के लिए निजी निवेश को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से सम्बंधित नीति के बारे में प्रोत्साहन/मार्गदर्शी सिद्वांत

विद्युत उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र को अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से संबंधित स्कीम का ब्यौरा निम्नवत है:–

• विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों के लिए नए कानून, प्रशासनिक ओर वित्तीय वातावरण की स्थिति बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया है।

• निजी क्षेत्र किसी आकार की ताप विद्युत परियोजनाएं (कोयला/गैस आदि) और जल विद्युत परियोजनाएं तथा पवन/सौरऊर्जा परियोजना स्थापित कर सकते हैं।

• ऐसी विद्युत परियोजनाएं जिनके समग्र परिव्यय की राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नही है।, उनको स्वीकृति के लिए के वि प्रा को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

• निजी क्षेत्र कंपनियां लाइसेंसधारी अथवा विद्युत उत्पादन कंपनियों के रुप में प्रचालन हेतु उद्यम स्थापित कर सकती हैं।

• सभी निजी कंपनियों को जब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगी इनको ऋण इक्विटी का अनुपात 4.9 बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।

• प्रवर्तकों का अंशदान कम से कम समग्र परिव्यय का 11 प्रतिशत होना चाहिये।

• इस क्षेत्र मे निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के लिए समग्र परिव्यय को कम से कम 60 प्रतिशत की राशि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से भिन्न स्त्रोतों से जुटायी जानी चाहिये।

• विदेशी निजी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए शत-प्रतिशत (100%) विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।

• विदेशी निवेश के मामलों में निर्यात अर्जन के द्वारा लाभांश संतुलन की 51 प्रतिशत इक्विटी की शर्त जो कि सामन्यतः---लागू होती है, विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के लिए यह लागू नहीं होगी।

• परिसम्पत्तियों के मामले में मूल्यह्रास की दरों को उदार बनाया गया है।

• ऐसे मामले जिनमें विदेशी सप्लाईकर्ता (सप्लाईकर्ताओं) अथवा एजेन्सी (एजेन्सियों) रियायती ऋण की सुविधा प्रदान करती है, विद्युत परियोजनाओं के लिऐं सरकार के अनुमोदन से उपस्कर आयात करने की भी अनुमति दी जाएगी।

• विद्युत उपस्कर आयात करने के लिए सीमा-शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है और विद्युत संयंत्र के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण हेतु अपेक्षित मशीनरी के लिए भी इस दर की सुविधा प्रदान की गई है।

• पांच साल के लिए कर की छूट के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

• विद्युत क्षेत्र की अधिकांश पूंजीगत सामग्री और यंत्रों के लिए सीमा शुल्क की दर कम कर दी गई है।

• टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी पर 96 प्रतिशत तक के लाभांश की राशि सम्बधित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराई जा सकेगी।

• 68.5 प्रतिशत के संयंत्र भार अनुपात पर निर्धारित लागत वसूल की जा सकती है। इस संयंत्र भार अनुपात से बेहतर कार्य निष्पादन के लिए आकर्षक प्रोत्साहन निर्धारित किए गए है।

• मार्च 1992 की टैरिफ में निर्धारित मानदण्डों में परिवर्तन करके टैरिफ का निर्धारण किया जा सकता है। बशर्ते प्रति युनिट निर्धारित की गई टैरिफ की राशि मानदण्डों के आधार पर निर्धारित की गई टैरिफ की राशि से अधिक न हो।

विद्युत उत्पादन कम्पनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

• अधिसुचित नियामक मानदण्ड, जिनमें अन्द बातों के साथ-साथ 68.5 प्रतिशत संयंत्र भार अनुपात पर इक्विटी पर 96% लाभांश और संयंत्र भार अनुपात में प्रत्येक 1% की व्रद्वि पर 8.7% लाभाश का प्राक्धान किया गया है।

• कोयला आधारित, गैस आधारित विद्युत उत्पादन कम्पनियां और जल विद्युत परियोजनाएं समुचित रुप से निर्धारित टु-पार्ट टैरिप पर विद्युत की बिक्री कर सकती है।

• निर्धारित की गई टैरिफ तथा अन्य मानदण्ड केवल सीमा निर्धारण मानदण्ड हैं और बोर्डो तथा विद्युत उत्पादन कम्पनियों को संशोधित मानदण्डों को अपनी सहमति प्रदान करने की अनुमति प्रदान करते है।

• शेयरपूंजी जारी करते समय और विद्यमान कम्पनी को मुक्त आरक्षित राशि में से आंतरिक संसाधन जुटाकर निवेश करते समय विद्युत उतपादन कम्पनी द्वारा जुटाए गए प्रीमियम के लिए इक्विटी पर लाभांश की पात्रता भी होगी बशर्ते विद्युत उत्पादन परियोजना के पूंजीगत व्यय की पूर्ति व्यय की पूर्ति किए जाने के लिए वस्तुतः इस प्रकार की राशि का समुपयोजन किया गया हो और यह राशि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का एक अंग हो।

• जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ सम्बन्धी मानदण्डों को भी उदार बनाया गया है यथा क्षमता प्रभार , प्रारम्भिक ऊर्जा प्रभार, 90 प्रतिशत से अधिक अधिष्ठापित क्षमता को उपलब्धता में प्रत्येक प्वाइंट की वृद्वि के लिए इक्विटी लाभाशं (आर ओ ई) में 0.7 प्रतिशत की वृद्वि का प्रोत्साहन देना।

लाइसेंसधारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

• प्रारम्भ में दीर्घावधि के लिए 30 वर्ष हेतु लाइसेंस जारी किया जाएगा। तदुपरांत इसका नवीकरण जोकि पहले क्रमशः 20 और 10 वर्ष की अवधि के लिये किया जाता था इसके स्थान पर अब यह 20वर्ष के लिए किया जाएगा।

• विगित के 2 प्रतिशत के लाभंश की दर के स्थान पर 5 प्रतिशत की लाभांश की दर जोकि आर बी आई की दर से अधिक हैं।

• विगित की आर बी आई की दर से एक प्रतिशत अधिक दर होने की अपेक्षा वास्तविक लागत पर निर्माण के दौरान ब्याज का पूंजीकरण (विस्तार परियोजनाओं के लिए भी) ।

• ऋण विमोचन दायित्वों की पूर्ति के लिए विशेष विनियोग।

देश में चूना-पत्थर की खानें

142. श्री एन. जे. राठवा : क्या खान मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात के जनजातिय क्षेत्रों में चूना-पत्थर की खानों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान चुना–पत्थर के खनन, संसाधन करने एवं बिक्री के लिए राज्य–वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग) : (क) गुजरात राज्य सहित देश के विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में लाइमस्टोन की खानें जिलेवार संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) लाइमस्टोन के खनन, संसाधन और बिक्री के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार ने खनिज संसाधन और लाभकारिता में खोज और विकास कार्य के लिए अजमेर, बंगलौर और नागपुर में खनिज संसाधन प्रयोगशालायें स्थापित की हैं और ये सुविधाएं सभी खान मालिकों को उपलब्ध हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों में जिलावार लाइमस्टोन की स्थिति

राज्य/जिला	खानों की संख्या
भारत	647
आंध्र प्रदेश	72
अदिलाबाद	10
अनंतपुर	6
कुडप्पा	6
गुन्टूर	8
करीम नगर	1
कृष्णा	9
कुरुनूल	11
मलगोन्डा	16
रंगा रेड्डी	1
वेस्ट गोदावरी	4
अरुणांचल प्रदेश	1
लोहित	1
असम	3
करबी अंगलोंग	1
एन.सी मिल्स	2
बिहार	30
हजारीबाग	6
पलापू	3
रांची	3
रोहतास	9
सिंहभुम	12
गुजरात	142
अमरेली	6
बांसकाटा	4
भावनगर	2
जामनगर	16
जुनागढ़	106
कच्छ	2
पंचमहल	2
राजकोट	12
हरियाणा	2
अम्बाला	1
मडिन्द्रगढ़	1
हिमाचल प्रदेश	31
बिलासपुर	3
शिमला	1
सिरमूर	27
जम्मू व कश्मीर	1
पुलवाना	1
कर्नाटक	38
बेलगाम	8
बिजापुर	15
चित्रदुर्गा	3
गुलबर्गा	7
सिमोगा	4
तुमकुम	4
केरल	1
पुलघाट	1
मध्य प्रदेश	173
बस्तर	5
बालाघाट	1
बिलासपुर	3
दामोह	2

राज्य/जिला	खानों की संख्या
धर	17
दुर्ग	8
जबलपुर	58
झाबुआ	1
खारगावं	1
मंदसौर	4
मोरेना	2
रायगढ़	3
रायपुर	10
रीवा	7
सतना	59
महाराष्ट्र	25
चन्द्रपुर	7
गोतमल	18
मेघालय	2
ईस्ट खासी मिल्स	2
उड़ीसा	20
कोरापुट	2
कालाहांडी	1
सम्भलपुर	2
सुन्दरगढ़	15
राजस्थान	32
अजमेर	8
बासंवाड़ा	3
बुन्दी	3
चित्तौड़गढ़	5
चुरु	1
जयपुर	3
जयसलमेर	1
झुनझुन	1
कोटा	2
नागौर	4
सवाई माधोपुर	1
सीकर	4
सीरोही	2
उदयपुर	1
तमिलनाडु	79
अन्ना	3
चिताम्बरनर	1
कोयंबटुर	5
कामाराजार	2
मदुरई	2
सैलम	13
तिरुचरापल्ली	13
तिरुनेलवेली	32
उत्तर प्रदेश	8
अल्मोड़ा	1
देहरादुन	2
मिर्जापुर	2
टिहरी गढ़वाल	3

पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाया जाना

143. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा 1995 के दौरान सयुक्त राष्ट्र तथा इसकी एजेंसियों सहित विभिन्न अन्तराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाया गया था;

(ख) यदि हां, तो मंचवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इनमें से प्रत्येक मंच द्वारा उठाये गये मुद्दे के विरुद्ध क्या प्रत्युत्तर दिये गये तथा क्या सफलता प्राप्त की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी हाँ, 1 वर्ष 1995 के दौरान पाकिस्तान ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मसला उठाया जिसमें अन्य के अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, सयुक्त राष्ट्र महासभा, विश्व समाज विकास शिखर सम्मेलन, विश्व महिला सम्मेलन, कार्टागिना, कोलम्बिया में आयोजित 11 वीं गुट–निरपेक्ष शिखर सम्मेलन तथा राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक शामिल है।

(ग) और (घ). भारत के प्रविनिधियों में जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे समर्थन सहित स्थिति के वास्तविक कथ्यों से अन्तराष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू एवं कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया पुनः आरम्भ करने और शिमला

समझौते के अर्न्तगत पाकिस्तान के साथ सभी अनुसुलझे मसलो पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार की वचनबद्वता के बारे में भी कहा। भारत की सरकार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को अपने दृष्टिकोण से निरन्तर अवगत कराती रही है और कराती रहेगी।

विदेशी ऋण तथा इक्विटी अनुपात

144. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकार को विद्युत परियोजनाओ के सम्बन्ध में विदेशी ऋण, विदेशी इक्विटी अनुपात में छुट देने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). विद्युत मंत्रालय ने 2:1 के विदशी ऋण और विदेशी इक्विटी अनुपात मानदण्ड में छूट देने और टैरिफों को निम्नतर पर बनाए रखने के समग्र हित में इसे और बनाने की सिफारिश की है तथा वित्त मंत्रालय इस मानदण्ड में मामला प्रति मामला के आधार पर छुट देता रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण एवं मरम्मत

145. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं रख–रखाव तथा नए राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). आठवीं योजना के दौरान मौजुदा राष्ट्रीय राजमार्गो पर नए विकास कार्य शुरु करने के लिए 4150 करोड़ रु० की राशि का योजना वार एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। निधियों की कमी के कारण कुल 369 किमी. लम्बे नए राष्ट्रीय राजमार्गो की ही घोषणा की जा सकी है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गो के रख–रखाव का संबंध है, यह गैर–योजनागत कार्य है और इसके लिए निधियों की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार वार्षिक आधार पर विभिन्न राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा 2460 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है जिसमें चल रहे कार्य और नए कार्य भी शामिल हैं।

इस्पात की मांग और उत्पादन

146. **श्री नीतीश कुमार :**

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले कुछ वर्षो से इस्पात की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान इसकी मांग मे वृद्धि का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार ने आने वाले वर्षो में भी देश में इस्पात की मांग में वृद्धि का आकूलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस शताब्दी के अन्त तक देश में इस्पात तक देश में इस्पात की अनुमानित मांग कितनी होगी और किस हद तक स्वदेशी उत्पादन द्वारा यह मांग पूरी हो सकेगी;

(ङ) क्या सरकार ने इस्पात की मांग पूरी करनेके लिए स्वेदशी उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हाँ,।

(ख) गत 3 वर्षो के दौरान परिसज्जित इस्पात का उपभेग , अनुमानति स्वदेशी मांग और प्रतिशत में स्पष्टतः वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित है–

वर्ष	वास्तविक उपभोग (लाख टन)	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि
1992-93	150.0	1.2 प्रतिशत
1993-94	153.02	2.0 प्रतिशत
1994-95 (अनन्तिम)	186.6	21.0 प्रतिशत

(ग) और (घ). परिसज्जित इस्पात की स्वदेशी मांग के वर्ष 2001-02 तक 306.6 लाख टन तक बढ़ जाने का अनुमान है। वर्ष 2001-02 तक इस्पात का स्वदेशी उत्पादन इस्पात की स्वदेशी मांग से अधिक होने का अनुमान है।

(ङ) और (च). अनुमानित मांग को पुरा करने के उद्देश्य से इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है–

(1) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार।

(2) निजी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता के सृजन को प्रोत्साहितकरना और उन्हें सहायता देना।

(3) सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से लोहा और इस्पात उद्योग को हटाना।

(4) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना

(5) लोहा और इस्पात उद्योग को विदेशी निवेश के उद्देश्य से उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(6) लोहा और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(7) पूंजीगत माल केआयात पर शुल्क में कमी करना और

(8) आयात ओर निर्यात नीति को उदार बनाना।

महाराष्ट्र में पासपोर्ट कार्यालय

147. श्री दत्ता मेघे : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में लम्बे समय से कई पद खाली पड़े है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग कितने पद आरक्षित किये गये हैं;

(घ) इसके परिणाम स्वरुप लोगो को हो रही कठिनाईयों को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जा रहे हैं,

(ड.) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में पासपोर्ट कार्यालय का दर्जा बढ़ाने का है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) और (ख). वर्ष 1994 और चालू वर्ष के प्रथम दस महीनों (जनवरी –अक्टूबर, 1995) के दौरान नए पासपोर्टों के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर महाराष्ट्र राज्य में मौजूदा कर्मचारियों की संख्यां पर्याप्त है। (विवरण संलग्न है)

(ग) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन की कुल कर्मचारी संख्या केआधार पर अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों के लिए पद आरक्षित हैं, इन वर्गों के लिए पासपोर्ट कार्यालय वार पदों का कोई आरक्षण नही है।

(घ) बम्बई ओर नागपुर पासपोर्ट कार्यालय नए पासपोर्ट यथोजित समयावधि के भीतर जारी कर रहे है। बशर्ते कि आवेदक कुद निर्धारित शर्तो। को पुरा कर दे, जिनकी सूचना स्थायी समिति को दी जा चुकी है, बिना बारी के आधार पर भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।

(ड.) और (च). क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई और पासपोर्ट कार्यालय नागपुरपूर्ण विकसित पासपोर्ट कार्यालय है तथा अतः इन पासपोर्ट कार्यालयों को उन्नत करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई में पदाधिकारी, रिक्तियों की स्थिति

पद	स्वीकृत संख्या	पदाधिकारी	रिक्ति
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/पासपोर्ट अधिकारी	1	1	0
सहायक पासपोर्ट अधिकारी	3	0	3
जनसंपर्क अधिकारी	6	3	3
अधीक्षक	6	8	-2
सहायक	21	21	0
अपर श्रेणी लिपिक	42	60	526
आशुलिपिक	2	0	2
अवर श्रेणी लिपिक	109	75	34
ड्राईवर	1	1	01
रिकार्ड कीपर	0	1	-1
दफ्तरी	4	4	0
रिर्काड सार्टर	3	3	0
चपरासी	11	7	4
चौकीदार	1	2	-1
सफाई कर्मचारी	3	2	1
गेस्टेट आपरेटर	1	1	0
नैम्तिक मजदूर	0	16	-16
योग	214	213	1

विवरण

पासपोर्ट कार्यालय, नागपुर में पदाधिकारी , रिक्तियों की स्थिति

द	स्वीकृत संख्या	पदाधिकारी	रिक्ति
्रीय पासपोर्ट अधिकारी/पासपोर्ट अधिकारी	0	0	0
हयक पासपोर्ट अधिकारी	0	0	0
न संपर्क अधिकारी	1	0	1
धीक्षक	1	1	0
हायक	1	2	1
परश्रेणी लिपिक	2	2	0
ाशु लिपिक	1	0	1
वर श्रेणी लिपिक	6	0	6
ाईवर	1	1	0
कोर्ड कीपर	0	0	0
्तरी	0	0	0
कार्ड सार्टर	0	0	0
परासी	0	0	0
कीदार	0	0	0
फाई कर्मचारी	0	0	0
्टेट. आपरेटर	0	0	0
ैमितिक मजदूर	0	4	4
ग	13	10	13

नुवाद]

उच्च स्तरीय शिष्टमंडल का जापान दौरा

148. **श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :**

श्री कोलला बुल्ली रामय्या:

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने सितम्बर 1995 के दौरान जापान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरें का उद्देश्य क्या था;

(ग) जापानी अधिकारियों के साथ किन–किन विषयों पर चर्चा गई और इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर हुये;

(ङ) यदि हां, तो समझौते–वार इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और

(च) जापान भारत में कितनी धनराशि के निवेश के लिए सहमत है

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ङ). जी हां। जापान के विदेश मंत्री के निमंत्रण पर भारत के विदेश मंत्री ने 6 से 9 सितम्बर, 1995 तक जापान की यात्रा की । इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय एवं अन्तरांष्ट्रीय हित के मसलों पर नेताओ से परामर्श करना था। विदेश मंत्री जापान के सम्राट को मिलने गये और जापान के प्रधानमंत्री , विदेश मंत्री तथा अन्तराष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की उन्होंने भारत–जापान व्यवसाय सहयोग समिति, भारत–जापान एसोसिएशन तथा भारत–जापान संसद मैत्री लीग के सदस्यों से भी मुलाकात की। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्रायों का नियमित आदान–प्रदान किया जाना चाहिए और दोनों देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

(च) उपलब्ध आकंड़ा के अनुसार 1991 से 31 अगस्त, 1995 तक जापान द्वारा अनुमोदित कुल विदेशी निवेश 1457 करोड़ रुपये था। विदश मंत्री की यात्रा के दौरान जापान की सरकार और व्यवसायियों ने यह कहा कि जापान भारत में निवेश करने की संभावनाओं मे पुनः रुचि ले रहा है।

बैलाडिला खानें

149. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बैलाडिला खानों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उच्च सरकार को खनन कार्यों के बारे में भी निदश जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मेगा विद्युत परियोजना

150. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत की कमी वाले राज्यों में इसकी मांग को पूरा करने हेतु मेगा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) परियोजना कार्यान्वयन में अनावश्यक कानूनी विवादों एवं विलम्ब को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए है; और

(ग) यदि हां,तो इन परियोजनाओं के स्थल हेतु राज्यों का चयन करने सम्बन्धी मापदण्डों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). निजी क्षेत्र द्वारा एक से अधिक राज्य को विद्युत की बिक्री करने वाली मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में हाल ही में एक नीति की घोषणा की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया है:-

(1) 1000 मे.वा. या इससे अधिक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर विचार करना और एक से अधिक राज्य को मेगा परियोजनाओं के रुप में सेवा प्रदान करना।

(2) प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से निजी प्रवर्तकों कोऐसी परियोजनाओं सौपंना, जिनकों पावरग्रिड द्वारा समन्वित किया जायेगा।

(3) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा शक्यता वाले स्थलों को अभिज्ञात किया जाना और एनटीपीसी द्वारा डी पी आर तैयार करना।

(4) चूंकि, सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से परियोजनाओं का विकास किया जाएगा और प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के पश्चात् इनका अंतिम रुप दिया जाएगा, इसलिए किसी प्रकार के अनावश्यक कानूनी विवादों का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) ऐसी परियोजनाओं को उन राज्यों मे स्थापित किया जाएगा, जहां ऐसे स्थलों मे शक्यता विद्यमान है।

[हिन्दी]

कांडला क्षेत्र की भूमि

151. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार की ओर से कांडला क्षेत्र की भूमि राज्य सरकार को सौपनें के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआं है;

(ख) यदि हां, तो 30 सितम्बर, 1995 तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि , हां तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजुर कर लिया जाएगा; और

(च) यदि विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुए ऐसे अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां। गुजरात सरकार ने गांधीधाम नगर-क्षेत्र और उसके आस-पास की जमीन के हस्तातरंण हेतु अनुरोध किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है क्योकि कांडला पत्तन के भावी विकास हेतु इस भुमि की आवश्यकता होगी।

(च) अन्य राज्य सरकारों से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरण

152. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौराम वितरित किए गए तथा वर्ष 1995-96 के लिए स्वीकृत किये गये कुल बैक ऋण तथा राज-सहायता का राज्य वार और बैंक -वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अप्रैल सितंबर, 1995 के दौरान वितरित कुल ऋण का राज्य वार ओर बैंक-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण ऋण के वितरण में अत्याधिक कमी का क्या कारण है;

(घ) क्या बैंक ऋण के कार्य निष्पादन की निगरानी , बैंक-वार, खंड, जिला ,राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो उन बैकों के नाम क्या हैं जिनकें कार्य-निष्पादन में गत तीन वर्षो के दौरान लगातार गिरावट आई है और ऋण वितरण में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(च) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केअंतर्गत ऋण वितरण मे वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री) (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख). यह मंत्रालय केवल राज्य स्तर पर ऋण जुटाए जाने के निष्पादन की निगरानी करता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1993-94 और 1994-95 के दौरान वितरित किए गए तथा 1995-96 के लिए अनुमोदित किए गए कुल बैंक ऋण तथा सबसिडी का राज्यवार विवरण सलंग्न है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण के वितरण में कोई तीव्र कमी नहीं हुई है।

(घ) बैंक ऋण के निष्पादन की निगरानी संबंधित समन्वय समितियों द्वारा खंड, जिला और राज्य स्तर पर की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर ऋण जुटाए जाने के निष्पादन की निगरानी केवल वाणिज्यिक सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए की जाती है।

(ङ.) और (च). वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निष्पादन सामान्य रुप से संतोषजनक नहीं रहा है विशेष रुप से पर्वतीय और दूर दराज के क्षेत्रों में। मंत्रालय ऋण जुटाने के संबंध में निष्पादन में सुधार लाने के लिए वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के साथ उच्च स्तर पर बातचीत कर रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बेहतर निष्पादन के लिए सभी संबंधित एजेंसियों में ज्यादा से ज्यादा तालमेल सुनिश्चित करने हेतु ऋण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की समय समय पर बैठके आयोजित की जाती हैं।

विवरण

(रुपयें करोड़ में)

क्रमाक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निम्नलिखित वर्षों के दौरान सबसिडी सहित कुल वितरित बैंक ऋण (1993-94)	(1994-95)	सबसिडी सहित ऋण लक्ष्य	अप्रैल–सितम्बर,1995 के दौरान वितरित ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	173.26	178.19	200.07	18.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.37	3.03	5.79	0.15
3.	असम	47.07	37.60	65.84	0.99
4.	बिहार	238.32	142.90	389.24	25.04
5.	गोवा	2.41	1.24	3.41	0.23
6.	गुजरात	63.79	68.17	73.43	13.39
7.	हरियाणा	29.77	31.92	37.35	5.16
8.	हिमाचल प्रदेश	7.30	8.07	10.81	1.94
9.	जम्मू और कश्मीर	6.27	6.93	23.97	3.02
10.	कर्नाटक	92.02	101.50	134.28	2.82
11.	केरल	44.43	58.76	71.76	12.06
12.	मध्य प्रदेश	219.73	192.57	253.76	20.56
13.	मणिपुर	2.07	1.07	10.78	0.51
15.	मेघालय	2.39	2.87	7.00	0.88
16.	मिजोरम	2.44	1.17	0.90	उपलब्ध नहीं
17.	नागालैंड	4.69	1.07	8.05	0.01
18.	उड़ीसा	113.94	96.72	162.33	13.03
19.	पंजाब	34.54	27.85	34.05	3.66
20.	राजस्थान	94.09	112.90	128.43	8.82
21.	सिक्किम	0.86	0.88	1.35	.04
22.	तमिलनाडु	166.10	188.94	180.88	42.66

1	2	3	4	5	6
23.	त्रिपुरा	11.46	5.77	15.39	2.03
24.	उत्तर प्रदेश	600.78	540.67	673.88	123.79
25.	पश्चिम बंगाल	60.94	130.78	179.40	30.10
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.86	0.38	1.69	0.02
27.	दादरा एवं नगर हवेली	0.39	0.39	0.60	उपलब्ध नहीं
28.	दमन तथा दीव	0.54	0.14	0.67	0.04
29.	लक्षद्वीप	0.08	0.13	6.6	-
30.	पाण्डिचेरी	0.69	1.22	1.68	0.41
आखिल भारत योग		2209.26	2137.36	2894.95	353.4

इस्पात का निर्यात

153. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान इस्पात निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन और निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों केलिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). 1994-95 में विक्रेय इस्पात का निर्यात 13.2 लाख टन था जबकि वर्ष 1993-94 में 960 लाख टन का निर्यात किया गया था।

(ग) गत दो वर्षो की तुलना मे अप्रैल–अक्तुबर, 1995 के दौरान उत्पादन में वृद्धि:कमी और इस्पात का निर्यात निम्नानुसार था:–

	परिसज्जित इस्पात के उत्पादन में व्रद्वि (+)/कमी (–)	विक्रेय इस्पात के निर्यात में वृद्धि (+) /कमी (–)
अप्रैल–अक्तूबर 95 की तुलना में अप्रैल–अक्तूबर,94	(+) 11.5 प्रतिशत	(+) 11.5 प्रतिशत
अप्रैल–अक्तूबर, 95की तुलना में अप्रैल–अक्टूबर,93	(+) 129.6 प्रतिशत	(-) 25.3 प्रतिशत

(घ) यह अनुमान है कि वर्ष 1995-96 में परिसज्जित इस्पात का उत्पादन लगभग 207.6 लाख टन होगा। विक्रेय इस्पात के निर्यात का अनुमान लगभग 15.4 लाख टन है।

ताप और पन बिजली संयंत्र

154. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप और पन बिजली संयंत्र की क्षमता का उपयोग कितना किया जाता है;

(ख) ताप विद्युत संयंत्रो की क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण है; और

(ग) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा "प्लांट लोड फेक्टर'8 में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में ताप विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्र भार अनुपात 60 प्रतिशत था। जल विद्युत केन्द्रों से विद्युत का उत्पादन जलाशयों मेंजल की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों के कमसंयंत्र भार अनुपात केलिए जिम्मेवार मुख्य कारण यूनिटों का पुराना हो जाना, कुछ बोर्डों की वित्तीय कठिनाईयों का होना जोकि संयत्रों के अनुरक्षण को प्रभावित करती है, खराब गुणवत्ता का होना और कोयले की अपर्याप्त मात्रा का होना आदि हैं।

(ग) अधिष्ठापित क्षमता के इष्टतम समुपयोजन के लिए जा रहे विभिन्न उपायों में पुरानी यूनिटों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करना, उचित निदानात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम को अपनाना और उपस्कर की आवधिक मरम्मत करना, कोयले की अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता की आपूर्ति करना और उन्नत प्रबन्धकीय और संयंत्र प्रचालन कार्यो में कार्मिको को प्रशिक्षण देना शामिल है।

[हिन्दी]

"ट्रायसेम' के अंतर्गत उपलब्धियां

155. श्री एम०जे० राठवा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में " ट्रायसेम" कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यवार इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ख) जी हां। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) केकार्यान्वयन की प्रभावशीलता का मुल्याकन करनेके लिए जून-अगस्त 1993 के दौरान 10 राज्यों में "ट्राइसेम के तीव्र मुल्याकनं" किया गया था।

(ग) "ट्राइसेम" के तीव्र मूल्यौंकन" के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है :-

(1) नमुने में शामिल किए गये कुल लाभाथियों मेंसे लगभग 96 प्रतिशत 18-35 वर्ष के निर्धारित आयु वर्ग के थे और केवल 2% 18 वर्ष से कम तथा 1% 35 वर्ष से अधिक थे।

(2) कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भागीदारी 39.51 ओर अनुसूथित जनजाति की 12.89 प्रतिशत पाई जाती थीं यह मार्गदर्शिकाओं के अन्तर्गत अनुसुचित जाति/ जनजाति समुदायों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत के न्युनतम मानदंड से कही अधिक थी।

(3) मोटे तौर पर 91.93 प्रतिशत लाभार्थियों ने ट्राइसेम प्रशिक्षण के फलस्वरुप व्यवसायिक/तकनीकी जानकारी प्राप्त की थी।

(4) प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों द्वारा शुरु किए गये उद्यमों के स्वरुप के बारे में यह पाया गया था कि अधिकाशं प्रशिक्षणआर्थियों अर्थात् 62 प्रतिशत ने द्वितीय में, 33 प्रतिशत ने तृतीय क्षेत्र में और बकाया 5 प्रतिशत ने प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार शुरु किये थे।

(5) मोटे तौर पर यह पाया गया कि 73.8 लाभार्थी परिक्षण के बाद उनके द्वारा शुरु किए गये स्वरोजगार के परिणामस्वरुप 1000 रुपये तक का औसत मासिक कारोबार हो सका है।

(6) स्वरोजगार की गतिविधियों के परिणामस्वरुप बड़ी संख्या में अर्थात् 91 प्रतिशत लाभार्थियों की औसत निवल मासिक आय 500 रुपये तक थी।

(7) बड़ी संख्या में लाभार्थी अर्थात् 92.19% लोगों का अपना स्वरोजगार उनके निवास से बहुत करीब अर्थात् 2 किलोमीटर तक की दूरी पर था। इसका मुख्य कारण यह था कि उनमें से लगभग 89.25 प्रतिशत के पास अपने आने जाने के वाहन की सुविधाएं नहीं थी।

(8) मूल्यांकन द्वारा पता लगाए गए ध्यान देने योग्य कुछ एक मुद्दों में सुधार करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए है:-

1. ट्राइसेम के अन्तर्गत वजीफे की दरों, मानदेय और भत्तों में वृद्वि की गई है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है ट्राइसेम प्रशिक्षणर्थियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पूरा होने के तत्काल बाद जहां कही आवश्यक हो, संस्थागत वित्त उपलब्ध कराया जाएं।

2. प्रशिक्षण युवाओं को उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद औजार किटों की अपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों को इस प्रयोजन हेतु ट्राइसेम के अन्तर्गत आवर्ती निधियों का 20 प्रतिशत निर्धारित करने की सलाह दी गई है।

3. प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देश के पत्येक खण्ड में लघु औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की एक योजना तैयार की गई है। राजय सरकारों को समुचित रुप से सलाह दे दी गई हैं।

विवरण

ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या

क्रमाक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1734.	18047	20280
2.	अरुणाचल प्रदेश	487	866	672
3.	असम	8026	9970	9249
4.	बिहार	32649	28566	24504
5.	गोवा	2552	2750	667@
6.	गुजरात	11209	12037	11794
7.	हरियाणा	7067	6536	3733
8.	हिमाचल प्रदेश	1518	810	1121

1	2	3	4	5
11.	केरल	7919	5549	5854
12.	मध्य प्रदेश	22156	54111	30415
13.	महाराष्ट्र	21418	23063	11405
14.	मणीपुर	218	617	452@
15.	मेघालय	316	358	50
16.	मिजोरम	1186	1348	947
17.	नागालैंड.	247	596	977
18.	उड़ीसा	15595	9885	15856
19.	पंजाब	4237	3870	3324
20.	राजस्थान	12549	10813	9830
21.	सिक्किम	161	184	156
22.	तमिलनाडु	18985	16082	20940
23.	त्रिपुरा	2502	1689	2680
24.	उत्तर प्रदेश	57645	63649	62394
25.	पश्चिम बंगाल	15223	17421	20711
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमुह	361	476	448
27.	दमन व द्वीव	00	30	145
28.	दादरा व नगर हवेली	74	25	95
29.	लक्षद्वीप	28	4	11
30.	पाण्डिचेरी	0	184	356
आखिल भारत योग		275993	303821	279005

@अनंतिम

मारिशस के प्रधान मंत्री की यात्रा

156. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मारिशस के प्रधान मंत्री भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां तो किन–किन विषयों पर भारतीय नेताओं के साथ उनकी बात चीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) उनकी इस यात्रा से दोनों देशों की बीच द्विपक्षीय संबंधों में कितनी सुदृढ़ता आएगी ; और

(घ) दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय संबधों को और सुदृढ़ बनाने हेतु आगे क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) इस यात्रा के दौरान हुइ चर्चायों के मुख्य विषय द्विपक्षीय संबंध और अर्न्तराष्ट्रीय मसले थे। जिन द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत हुइ उनमें वायुयान सम्पर्क, दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्व करार की समीक्षा, मारीशस के हाई कमीशन के लिसए नयी दिल्ली में अतिरिक्त प्लाट का आबंटन, एक प्रत्यर्पण संधि सम्पनन करनेका सलाव और मारीशस के छात्रों के लिए मेडिकल सीटों के आबंटन के विषय शामिल थे। जिन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का लोकतंत्रीकरण तथ हिन्द महासागर तटीय राष्ट्र पहल के विषय शामिल थे। इन चर्चायों से परस्पर समझ बंझ सुदृढ़ करने तथा विभिन्न मसलों पर एक दूसरे के दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिली। इससे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का लोकतंत्रीकरण करने का समर्थन करने और परिषद के स्थायी सदस्य के रुप में भारत का समर्थन करने के लिए मारीशस के प्रधानमंत्री को हमारा आभार प्रकट का भी अवसर प्राप्त हुआ।

(ग) और (घ). यात्रा मारीशस के साथ भारत के बहुमुखी संबंध को ठोस एवं सुदृढ़ बनाने और उसमें विविधता लाने के उद्येश्य से नियमित रुप से की जाने वाली उच्च–स्तरीय यात्राओं के क्रम में थी। इससे अन्य स्तरों पर प्रयासों को बल प्रदान करने में सहयोग मिला जिनमे पारीशस में भारतीय निवेश और प्रदर्शनियों में भाग लेना, सांस्कृतिक मंडलों का आदान प्रदान, भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति तथा भारत में उच्च अध्ययन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था शामिल हैं।

[अनुवाद]

विद्युत का उत्पादन

157. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री विजय एन. पाटील :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना की समाप्ति तक देश में कितने मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी ;

(ख) आठवीं योजना की समाप्ति तक कितने विद्युत के उत्पादन का अनुमान है ;

(ग) क्या विद्युत सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार विद्युत संकट से निपटने के लिए विद्युत नीति की समीक्षा करने हेतु कोई योजना है ;

(घ) क्या विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत अधिनियमों के उपबन्धों में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है ;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या–क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) 14 वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (ईपीए) में आठवीं योजना (1996-97) के अंतिम वर्ष तक देश के लिए ऊर्जा की आवश्यकता का 416 बिलियन यूनिट का अनुमान लगाया गया है।

(ख) आठवीं योजना (1996-97) के अंतिम वर्ष में युटिलिटियों द्वारा किया जाने वाला सम्भावित विद्युत उत्पादन 400 बिलियन यूनिट है।

(ग) विद्युत से सम्बन्धि त राष्ट्रीय कार्यदल ने निजी विद्युत नीति के बारे में कुछेक मुद्दे उठाए हैं। इन्हें विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशन "निजी विद्युत विकास का कानूनी और नीतिगत ढांचा–तथ्य एवं स्पष्टीकरण" जोकि संसद के माननीय सदस्यों समेत विस्तृत रुप से परिपत्रित किया गया था, में स्पष्ट किया गया है।

(घ) और (ङ.)– तथापि, विभिन्न विद्युत कानूनों की सामान्य व्यापक समीक्षा नहीं की जा रही है, फिर भी बदलती हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए समय–समय पर कानूनों में संशोधन करने पर विचार किया जाता है।

(च) विद्युत उत्पादन के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों में, अन्य बातो के साथ साथ, अधिष्ठापित क्षमता का अधिक समुपयोजन करना, ताप विद्युत केन्द्रों के लिए और विद्यमान विद्युत केन्द्रों के आधुनिकीकरण और उन्मयनीकरण हेतु कोयले की उचित मात्रा और गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चत करना शामिल है। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए स्कीमों को आरम्भ करने के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय ओर राज्य स्तर पर चालू परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु भी कदम उठाए गये हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

रुग्ण उर्वरक एककों को फिर से चालू करना

158. **श्री डी.वेंकटेश्वर राव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के रुग्ण उर्वरक एककों को फिर से चालू करने का है ;

(ख) क्या इन एककों को फिर से चालू करने हेतु वित्तीय पैकेज तैयार करने के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस समय कौन–कौन से उर्वरक एकक घाटे में चल रहे हैं; और

(ङ.) ऐसे रुग्ण उर्वरक एककों को फिर से चालु करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है?

रसायन तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ङ.). इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उर्वरक पैदा करने वाले उपक्रमों में से तीन कम्पनियों ने वर्ष 1994-95 के दौरान हानि उठायी :

उपक्रम का नाम	हानि (रु०. करोड़ों में)
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी)	395.79
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ सी आई)	378.70
पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि० (पीपीसीएल)	5.87

एच एफ सी तथा एफ सी आई को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के उपबन्धों के अनुसरण में औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने रुग्ण कम्पनी के रुप में घोषित किया है। सरकार ने सिद्धान्तत : एच एफ सी की बरौनी, दुर्गापुर तथा नामरुप इकाइयों, तथा एफ सी आई की रामागुण्डम, तालचर तथा सिन्दरी इकाइयों के लिए पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किये हैं जिसमें इन उपक्रमों को पूंजी पुनर्सरचना तथा अन्य वित्तीय सहायता के अलावा 2201.13 करोड़ रु०. (एच एफ सी के लिए 464.93 करोड़ रु. तथा एफ सी आई के लिए 1736.20 करोड़ रु.) के नये निवेश की परिकल्पना की गयी है। इन कम्पनियों के पुनर्वास के लिए संसाधनों की अभी व्यवस्था की जानी है

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पी पी सी एल की वित्तीय स्थिति में इसकी पूंजी की पुनर्सरचना तथा कार्यनिष्पादन मानदण्डों में सुधार के परिणामस्वरुप महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

जी- 15 शिखर सम्मेलन

159. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में समाप्त हुये जी–15 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे;

(ख) शिखर सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) विश्वव्यापी श्रम के संबध में विकसित देशों के आर्थिक दबाव से विकासशील देशों को उबारने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुसरण में क्या प्रगति की गई है;

(घ) क्या सरकार ने खाद्य के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ङ.) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख).—इस शिखर सम्मेलन में पारित संयुक्त विज्ञप्ति में वर्ष 2000 और और उसके बाद अन्तर राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर बल दिया गया और विकसित एवं विकासशील देशों के बीच तथा स्वयं विकासशील देशों के बीच नई साझेदारी के मानदण्ड निर्धारित किए गए। विश्व अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा सार्वभौमिकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण नीतिगत आवश्यकताएं एवं संस्थागत समीक्षा के सुझाव दिए गए । बड़े देशों की अनुकूल मैक्रोइक्नामिक नीतियों, उनके निर्यात के लिए खुली मण्डियों महत्वपूर्ण प्रौधोगिकी तक निबार्ध पहुंच और वित्तीय संसाधनों में वृद्धि द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों प्रकार की रियायती निधि तथा संधि विदेशी निवेश के रुप में सार्वभौम अर्थव्यवस्था के साथ समान रुप से जुड़ने की विकासशील देशों की आवश्यकता को सर्मथन दिए जाने पर विशेष बल दिया गया। इन संसाधनों की आवश्यकता ने केवल गरीबी की परम्परागत समस्या को सुलझााने तथा सामाजिक संरचना का निर्माण करने के लिए है बल्कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रतियोगी बनाने के लिए भी। संयुक्त राष्ट्र तथा ब्रेटेनवुडु संस्थानो को उनके विकास संबधी कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से सुदृढ़ एवं लोकतात्रिक बनाने की आवशकता पर भी बल दिया गया। आई. डी. ए.उपलब्धता और उसकी भरपाई के संबध में हमारी चिन्ता का निर्माण और विकासशील देशों के कोटा भाग में वृद्धि अन्य संगठनों के अन्तर्गत आने वाले मसलों पर नई व्यापार नीति पहल न किए जाने, अन्तराष्ट्रीय व्यापार में सामाजिक एंव पर्यावरण संबंधी खण्ड जोड़नें के विरुद्व सावधान करने, समय पर ऋण अदायगी करने वाले देशों का ऋणभार कम करने के लिए व्यापार एवं संसाधनों में वृद्धि इस संयुक्त विज्ञप्ति में शामिल कुछ मुद्दे थे।

निवेश, व्यापार और प्रौधोगिकी (सी.आई टी. टी.) से संबधित समिति को कार्यात्मक बनाकर तथा इसकी कार्य शर्तो को निर्धारित करके जी–15 के तत्वावधान में दक्षिण–दक्षिण सहयोग को व्यवहारिक प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया । इसमें व्यापार तथा निवेश उदारीकरण ; सुविधाजनक बनाने तथा संवर्द्धन, प्रौद्योगिकी के हस्तातंरण तथा आधारभूत संरचना से संबंधित पहलकदमियों की रुपरेखा तैयार करने उनमें मदद करने , मोनीटर करने और उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के उद्देश्य से जी–15 के देशों के नीति–निर्माताओं एवं व्यवसायी प्रतिनिधियों के बीच निरन्तर आधार पर सहयोग करने की व्यवस्था है।

समापन वक्तव्य में आंतकवाद के संबध मे निम्नलिखित कहा गया है:

"कट्टरपंथी आज आतंकवाद का मुख्य कारण हैं। हम सभी आतंकवाद के शिकार हैं, विशेषकर वह आंतकवाद जो विदेश से प्रोत्साहित किया जा रहा है जो न केवल आंतरिक शांति और स्थायित्व को दुष्प्रभावित करता है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरें में डालता है .... हम इस बात से सहमत हैं कि आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए और इस उद्देंश्य से जी–15 के परार्मश यथावश्यकता समय–समय पर किए जाएंगे ताकि आंतकवाद का मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों को तेज किया जा सके"।

(ग) प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन की पूर्ण बैठक में एशियाई सदस्यों की ओर से दिए गए अपने भाषण में निम्नलिखित के संबध में किए जा रहे प्रयासों पर बल दिया:

"बड़ी लागत पर विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने के प्रयासों में एक बड़ी ज़िम्मेदारी संभालते हुए विकासशील देशों को, जाहिर है विकसित देशों के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। दोनों में से किसी एक अथवा दोनो पकार से हमारी मदद कर सकते है। वे हमारे प्रतियोगी विकास को अपन स्वंय के देश की भावी अर्थव्यवस्था के विस्तार में एण्क़ घटक मानकर जो निश्चित रुप से होगा ऐसा, हमारी सकारात्मक रुप से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा और विकल्प के रुप में वे कुछ शर्त लगाकर , जो छुपी नहीं है और जो सामाजिक खण्ड जैसे तथाकथित आदर्शवादी सिद्धान्तों पर आधारित है, हमारी मदद कर सकते हैं। हम विश्व को यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम व्यवहारिक रुप से कम से कम समय में अपने लोगों की सामाजिक दशा को सुधारनें में किसी से कम नहीं है। बहुत से विकासशील देशों ने इस दिशा में पहले ही उपयुक्त उपाय करना आरम्भ कर दिएं हैं। उदाहरण के तौर पर भारत एक निर्धारित समय के अन्दर खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे लाखों बच्चों को वहां से निकालने के लिए ठोस एवं सकारात्मक कदम उठा रहा है लेकिन यह सब कुछ एक दिन में नही हो सकता। इस बीच हमें इस सहयोग की आवश्यकता तो है ही क्यों कि हमारी अर्थव्यवस्था न तो किसी भी प्रकार से उपनिवेशवाद के शोषण से लाभान्वित हुई है और न ही निःशुल्क मजदूरी से लेकिन इस प्रकार के सहयोग अथवा समझ–बूझ के स्थान पर हम पाते है कि विभिन्न प्रकार की नीतियों और उपायों के माध्यम से हमारे प्रतियोगी विकास पर अनेक संरक्षणात्मक नियंत्रण लगाए जा रहे हैं। अतः हमे इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि हम समान स्तर पर विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ सकें और विकास के नए और विस्तार शील केन्द्र बन सके"।

उपरोक्त दृष्टिकोण के समर्थन में सयुक्त विज्ञप्ति में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का नीचे लिखे अनुसार आवहान किया गया।

" विकसीत देशों में व्याप्त संरचनागत बेरोजगारी विकासशील देशों के साथ उनके व्यापार एवं निवेश संबंधो को गहन बनाने के मर्ग में आडें नहीं आने चाहिए। अतः हम अपने विकसित देशों के साझेदारों से यह आग्रह करते हैं कि वे ओ. ई . सी.डी. की चेतावनी भरी सलाह पर ध्यान दें जिसमें इस बात का स्पष्ट संकेत दिया गया है कि व्यापार नियंत्रणों और संसाधन प्रतिबंधों के जरिए रोजगार और जीवन–यापन के साधनों के संरक्षण की लागत बहुत अधिक होगी। हमारा विश्वास है कि विकासशील देशों के साथ अपना

व्यापार और निवेश विस्तृत करने से उनकी स्वंय की अर्थव्यवस्था लाभान्वित होगी और इस प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था में विकास के नए केन्द्रों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

" सार्वभौम विकास और रोजगार उत्पन्न करने संबंधी प्रश्न का सबसे पहला जवाब है व्यापार । विकसित देशों को चाहिए कि वे संरक्षणवाद के लालच में न आएं और न ही एकपक्षीय निर्णय और अनुदान के लालच में आएं। उरुग्वे दौर के परिणामस्वरुप विकासशील देशों के वर्तमान और भविष्य में होने वाले लाभों को मजदूरी अथवा पर्यावरण के मानदण्डों के आधार पर नए प्रकार के संरक्षणवाद द्वारा हानि नहीं पहुचानी जानी चाहिए।

(घ) और (ङ). भारत ने खाद्य उत्पादन से संबद्ध जी-15 की सहयोग परियोजना में भाग लिया है जिसका समन्वय इन्डोनेशिया द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य सूचना का आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग है जिसमें खाद्य क्षेत्र में वास्तविक और ठोस सहयोग करने की दृष्टि से खाद्य उत्पादन तकनीकों में प्रशिक्षण पर बल दिया गया हैं ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि सभी विकासशील देश अपनी-अपनी खाद्य पदार्थों की जरुरतों को पूरा कर सकें और अंततः आत्मनिर्भर हो सकें तथा भुखमरी से मुक्त हो सकें।

निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना

160. श्री अन्ना जोशी : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु आशय-पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रो की स्थापना हेतु आशय-पत्र जारी करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। औद्योगिक लाइसेंस के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी केवल तभी आवश्यक होती है जब प्रस्तावित परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर की मानक नगरीय क्षेत्र की परिसीमाओं की परिरेखा से 25 कि.मी. के भीतर अवस्थित होनी है और यह परियोजना 25 जुलाई, 1991 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा 6 औद्योगिक क्षेत्र" के रुप में घोषित क्षेत्रों के भीतर भी स्थित न हो।

प्रौद्योगिकी मिशन

161. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास फलों के प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबधी ब्यौरा क्या है और प्रौद्योगिकी मिशन कब से आरम्भ किया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबध में क्या कदम उठाए गए है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अवधारणा मूल्य

163. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक विभिन्न किस्मों की नाइट्रोजेनस उर्वरक के उत्पादन के लिएं उत्पादकों को प्रति टन दी जाने वाली राजसहायता और अवधारणा मूल्य का एककवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक विभिन्न मदों जैसे वेतन और मजदूरी, मरम्मत और रखरखाव, रसायन और उर्वरक अतिरिक्त सामाजिक खर्च, अतिरिक्त प्रशासनिक/फैक्ट्री खर्च, विक्रय खर्च आदि के प्रति प्रत्येक एकक में निर्धारित मूल्य में विद्यमान मूल्य के, एक भाग के रुप में प्रति टन कितनी धन राशि स्वीकृति की गई है; और

(ग) अवधारण मूल्य कें एक भाग के रुप में प्रत्येक एकक को प्रति टन उत्पादन पर दी जाने वाली शुद्ध मूल्य पर लाभ सहित पूजी संबंधी लागत का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लेरियो) : (क) से (ग). इस समय यूरिया एक मात्र नियंत्रित उर्वरक है जिसके सम्बन्ध में अवधारण ~~मूल्य-सह-राज्य-सहायता-योजना~~ के अंतर्गत राज सहायता दी जाती है। प्रति टन यूरिया पर दी जाने वाली एककवार अवधारण मूल्य एवं राज सहायता के ब्यौरे सलग्न विवरण मे दिये गये है।

(घ) अवधारण मूल्य में परिवर्ती लागत, परिवर्तन लागत पूंजी संबंध अधिभार जैसे मद शामिल है। परिवर्तन लागत जिसमें विभिन्न मदें जैसे कि वेतन एवं मजदूरी , मरम्मत एवं रखरखाव, रसायन एवं केटेलिस्ट सामाजिक खर्चे, विक्री व्यय आदि शामिल है, एकक दर अलग-अलग होती है और 406.00 से 1477.00 प्रति टन युरिया के बीच होती हैं। पूंजी सम्बद्ध अधिभारों में मुल्यहा्स, ब्याज तथा शुद्ध मूल्य पर लाभ जैसे तत्व शामिल है तथा यह 326.00 से 5819.00 प्रति टन यूरिया के बीच होती है।

विवरण

आज की तारीख में विभिन्न उर्वरक एककों की अवधारण मूल्य/राज सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाली विवरण पत्र।

क्रमांक	कम्पनी—एकक	प्रतिधारण मूल्य	देय राज सहायता
1	2	3	4
फीडस्टाक-गैस			
1	जीएसएफसी—बडोदा	5063	1873
2.	एचएफसी—नामरुप III	3610	420
3.	एचएफसी—नामरुप I और II	2981	¼&½ 209
4.	इफको—आंवला	4668	1498
5.	इफको—कलोल	3605	435
6.	इण्डो गल्फ—जगदीशपुर	4820	1630
7.	कृभको—हजीरा	3753	580
8.	एनएफसीएल—विजयपुर	4409	1219
9.	एनएफसीएल—काकीनाडा	8548	5358
10.	आरसीएफ—थाल	3727	537
11.	आरसीएफ—ट्राम्बे—I	7591	4401
12.	आरसीएफ—ट्राम्बे—I	4369	1179
13.	सीएफसीएल—कोटा	6547	3357
14.	टाटा केमिकल्स	6547	3357
फीड स्टाक : नेफथा			
1.	फैक्ट—कोचीन	5828	2638
2.	एचएफसी—बरौनी	6018	2828
3.	एचएफसी—दुर्गापर	5978	2788
4.	आईसीआई—कानपुर	6533	3343
5.	इफको—फुलपुर	5428	2258
6.	एमसीएफएल—मंगलौर	5223	2033
7.	एमएफएल—मद्रास	6528	3338
8.	एसएफसी—कोटा	5024	1843
9.	एसपीआईसी—टूटीकोरिन	5725	2535
10.	जैडएसीएल—गोवा	5335	2145
फीड स्टाक : एफओ/एलएसएचएस			
1.	एफसीआई—सिन्दरी	5266	2076
2.	जीएनएफसी—भरुच	4797	1607
3.	एनएलसी—नवेली	6081	2891

1	2	3	4
4.	एनएफएल—नंगल	5346	2156
5.	एनएफएल—भटिंडा	5801	2611
6.	एनएफएल—पानीपत	5264	2074
फीड स्टाक: कोल			
1.	एफसीआई—रमागुण्डम	7882	4692
2.	एफसीआई—तालचेर	7509	4319

[हिन्दी]

उत्तरी राज्यों में पन बिजली क्षमता

163. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तरी राज्यों में कुल पनबिजली क्षमता का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सर्वेक्षण/आकलन के आधार पर पन–बिजली की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1987 में पूरे किए गए मूल्यांकन उध्ययन के अनुसार 60 प्रतिशत संयंत्र भार पर उत्तरी राज्यों की जल विद्युत क्षमता 30155 मे.वा. है। राज्यवार विवरण निम्नलिखित है:–

(मे.वा.)

राज्य	60 प्रतिशत संयंत्र भार पर मूल्यांकित क्षमता
जम्मू एवं कश्मीर	7487
हिमाचल प्रदेश	11647
पंजाब	922
हरियाणा	64
राजस्थान	291
उत्तर प्रदेश	9744
जोड़:	30155

जल विद्युत शक्यता का बेहतर समुपयोजन किए जाने के लिए आरंभ किए गए उपायों में, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों का गठन करना, जल विद्युत स्कीमों के लिये बजटीय सहायता योजना आबंटनों का उच्च निर्धारण करना और जल विद्युत विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है।

[अनुवाद]

ग्रेनाइट का खनन

164. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यवार देश में ग्रेनाइट के खनन हेतु पट्टे पर कितना क्षेत्र दिया गया है;

(ख) राज्यवार और वर्षवार विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रेनाइट का कितनी मात्रा में उत्पादन और निर्यात किया गया है; और

(ग) राज्यवार ग्रेनाइट पर दी गयी रायल्टी की दर क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है ओर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता

165. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों ने हाल के वर्षों में तेजी से प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और खाद्य एवं विभिन्न राज्यों में खाद्य वस्तुओं के प्रसंस्करण संबंधी विकास का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान निर्यात की गई प्रसंस्करण खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(घ) प्रसंस्कृत की गई खाद्य वस्तुओं सहित देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विस्तार करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एन्जाइम प्रोद्योगिकियों के इसतेमाल में पिछड़े हुए हैं और इसलिये एन्जाइम संबंधित प्रसंस्करण खाद्य वस्तुओं का वाणिज्यिक निर्यात नही कर पा रहे है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को सहायता करने का प्रस्ताव किया है;

(ज) क्या उनके मंत्रालय का विचार भी केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान की तकनीकी जानकारी का उपभोग करने हेतु प्रोत्साहन देने का है ; और

(झ) यदि हां,तो तत्संबधी बयौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी हां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असगठित दोनों क्षेत्रों में हैं और राज्यवार सभी प्रसस्कृत खाद्य उद्योगों के विषय में विस्तृत सूचना केन्दीय रुप में नही रखी जाती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी अनेक क्षेत्र शामिल हैं। फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों की वर्ष 1994-95 के दौरान हुई प्रगति निम्नलिखित है:-

1. फल तथा सब्जी उत्पाद	–	20.6 प्रतिशत
2. दुघ उत्पाद	–	3.35 प्रतिशत
3. शीतल पेय	–	8.0 प्रतिशत
4. मछली उत्पाद	–	1.5 प्रतिशत
5. बेकरी उत्पाद	–	6.0 प्रतिशत
6. अधिक प्रोटिन वाले उत्पाद	–	7.1 प्रतिशत
7. कोको उत्पाद	–	3.16 प्रतिशत

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान समुद्री उत्पाद समेत लेकिन चीन, खाद्य तेल को छोड़कर निम्नलिखित प्रसंसकृत खाद्यों का निर्यात

1992-93	-	3527 करोड़ रु०
1993-94	-	4960 करोड़ रु.
1994-95	-	6077 करोड़ रु.

(घ) सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करने, पेय अल्कोहल के किण्वन और आसवन और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करने, घरेलु/विदेशी/अनिवासी निवेश को प्रोत्साहन देने, वित्तीय राहत उपलब्ध कराने आदि के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें भी चला रही है।

(ङ) और (च). विकास की मौजूदा अवस्था में खाद्य उद्योग में एन्जाइम प्रौद्योगिकी का अधिक इस्तेमाल नही देखा गया हैं लेकिन सी. एफ. टी. आर. आई. में एन्जाइम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल संबधी पर्याप्त जानकारी और सूचना उपलब्ध हैं ·

(छ) से (झ). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सी. एफ. टी. आर. आई. के निकट सहयोग से काम करता है। उक्त केन्द्र को प्रौद्योगिकी पर आधारित कतिपय खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए परियोजना प्रोफाइल संबंधी सूचना उक्त केन्द्र के परामर्श से तैयार की जाती है और व्यापक प्रसार के लिए उसका वितरण नोडल एजेंसियो लघु उद्योग सेवा संस्थानों के मार्फत किया जाता है। मंत्रालय ने सी.एफ. टी .आर. आई . में एक खाद्य इंजिनयरिंग केन्द्र भी स्थापित किया है। जिसका इस्तेमाल उद्योग कर सकत हैं। मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण ओर प्रशिक्षण केन्द्रों को, उनके प्रशिक्षुओं द्वारा प्रसंस्करण प्रौधोगिकी का प्रशिक्षण उक्त केन्द्र में लने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, उक्त केन्द्र द्वारा तैयार की गई सरल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकीयों के प्रसार के लिए मंत्रालय की योजना विभिन्न प्रसंस्करण प्रौद्योगिकीयों पर वीडियों फिल्में तैयार करने की है जिनका इस्तेमाल छोंटे उद्यमी कर सकते है।

उर्वरकों की उपलब्धता

166. श्री अशोक आनंदराव देशमुख :

कुमारी उमा भारती :

क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अप्रैल 1995 से देश मे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की उपलब्धता अपर्याप्त है और इनके खुदरा मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में ऐसे उर्वरकों की अनुमानित मांग , अनुमानित उत्पाद कितना-कितना है और मांग से पूरा करने के लिये प्रस्तावित आयात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देशी उर्वरकों के लिएं एक्स-फैक्ट्री मूल्य कितना है और विनिर्माताओ को एकक राजसहायता कितनी है एवं संस्तुत खुदरा मूल्य कितना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) मूल्य वितरण और संचलन नियंत्रणाधीन यूरिया एकमात्र नाइट्रोजनी उर्वरक है। अप्रैल 1995 से देश में यूरिया की आपूर्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1995 के अन्तर्गत किये गये आबंटनों के अनुसार रही है। खरीफ 1995 के दौरान सभी राज्यों में यूरिया की समग्र उपलब्धता बिक्री के लिए पर्याप्त थी जो खरीफ 1994 के स्तर की तुलना में 15% अधिक थी। कुछ राज्यों द्वारा यूरिया की अस्थाई और स्थानीयकृत कमी सूचित किए जाने पर वैकल्पिक स्त्रोतों से आपूर्ति मुहैया कराकर उसे पूरा किया गया। यूरिया के अलावा अन्य नाइट्रोजनीय उर्वरकों के मूल्य जो कि अनियंत्रित है मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं।

(ख) 1995-96 में पोषकों के रुप में नाइट्रोजनीय उर्वरकों का अनुमानित उत्पादन और खपत क्रमशः 86.41 लाख मीटरी टन और 107.54 लाख मीटरी टन है। यूरिया के लिए स्वदेशी उत्पादन आर मांग के बीच के अन्तर को उपलब्ध क्षेत्र भण्डारों और आयातों से पूरा किया जाता है।

(ग) इस समय साविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत केवल यूरिया को शामिल किया गया है। यूरिया का साविधिक अधिकतम खुदरा मूल्य 3320 रु. प्रति टन है प्रति टन देय भारतीय औसत प्रतिधारण मूल्य और राज-सहायता क्रमशः 5236 रु. 2046 रु. आती है।

[हिन्दी]

विदेशी पोतों द्वारा मत्स्यन

167. **श्री केशरी लाल :**

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मछुआरों द्वारा तटवर्ती राज्यों में विदेशी ट्रालर रखने के विरुद्ध शुरु किए गए अभियान की जानकारी है;

(ख) क्या इस संबधं में गुंजरात सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उन विदेशी पोतों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गहरे समुद्र में मत्स्यन केलिए अब तक लाइसेंस जारी किया गया है ;

(ड.) अब तक किन–किन भारतीय कंपनियों को गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए लाइसेंस जारी किया गया है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी ट्रालरों द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से मत्स्यन के कारण सामुद्रिक सम्पदा समाप्त हो रही है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संकट को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) कुद तटवर्ती राज्य सरकारों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल उड़ीसा आदि ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में विदेशी मत्स्यन जलयानों के प्रचालन के खिलाफ आवाज उठाई है और गहन समुद्री मत्स्यन नीति पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया है।

(ग) सरकार ने गहन समुद्री मत्स्यन नीति की समीक्षा हेतु सिफारिशों प्रस्तुत करने के लिए एक पुनर्विलोकन समिति का गठन किया है। इस बीच, सरकार ने 1512-94 के बाद से गहन समुद्री मत्स्यन हेतु किसी नए आवेदन पर विचार नहीं किया है।

(घ) संयुक्त उद्यम, लीज व चार्टर के अंतर्गत 39 कंपनियों को अपने 148 जलयानों के प्रचलन की मंजुरी प्रदान की गई हैं जिसमें से इस समय 18 कंपनियो अपने जलयानों का प्रचालन कर रही है।

(ड.) वे भारतीय कंपनियाँ जिन्हे चार्टर नीति और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नई नीति के तहत विधिमान्य मंजूरी प्राप्त है के नाम सलग्न विवरण में दिए गए है।

(च) ट्रालरों द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से मत्स्यन का कोई प्रमाण सरकार के समक्ष नहीं लाया गया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गहन समुद्री मत्स्यन हेतु प्रदप्त मंजूरियों का विवरण

क्र०सं०	कंपनी का नाम	मंजूर जलयानों की सख्या	सचालित जलयानों की संख्या
1	2	3	4
	संयुक्त उपक्रम		
1.	फिशिंग फाल्कन लि० हैदराबाद	2	2
2.	लिओ सुजिन्द लि०, नई दिल्ली	5	1
3.	इण्डसार फिशरीज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	3	-
4.	ओरिएंटल हाई सी फिशरीज लि०, विशाखापट्टनम	1	1
5.	बॉय–डी (आई) फिशरीज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	1	-
6.	तिंग ताई इंडिया लि०, विशाखापटनम	2	2
7.	फॅारच्यून ओसियानिक प्राडंक्ट्स लि०, नई दिल्ली	3	2
8.	ग्रीनवेव मेरीन हार्वेस्ट लि०, हैदराबाद	1	-
9.	सर्ब कन्स्यूलेट मेरीन प्राडक्ट्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	5	-
10.	इंचिता फिशरीज (प्रा०) लि०, मद्रास	6	-
11.	स्वान सी फूडस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	4	3

1	2	3	4
12.	न्यु ओरियंटल ट्रालर्स (प्रा०)लि०, हैदराबाद	3	2
13.	मेरीन रेसोर्सेज इंटरनेशनल, नई दिल्ली	2	-
14.	इंको–फिशरीज (प्रा०)लि०, हैदराबाद	2	-
15.	ड्रैगन फिशरीज लि०, बम्बई	10	2
16.	एशियन [illegible] जे० वी० लि०, मद्रास	11	-
पटटे पर			
1.	ए.के. इंटरनेशनल, नई दिल्ली	7	2
2.	बालाजी सी फूड्स (प्रा०)लि०, विशाखापट्नम	2	–
3.	श्री कुमारन फिशरीज (प्रा०) लि०,	4	–
4.	सिमला मेरीन प्रांडक्ट्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	2	–
5.	सोविन सी फुड (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	2	–
6.	अच्या मेरी (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	2	–
7.	मणीश एण्ड ट्रेडिंग कं०. लि०, पोर्ट ब्लेयर	10	3
8.	अण्डमान फिशरीज, नई दिल्ली	3	–
9.	बे आईलैण्ड्स फिशरीज, पोर्ट ब्लेयर	2	–
10.	अण्डमान मेरीन प्राडदक्ट्स डेवलपमेण्ट कं०, पोर्टब्लेयर	3	–
11.	मून मेरीन इंडिया (प्रा०) लि०, कलकत्ता	20	–
चार्टर			
1.	मै० श्रिम्प इंडिया	4	2
2.	मै० अकमा मैरीन लि०,	4	2
3.	मै० फोरसीजन फिशरीज	4	2
4.	मै० नवभारत फेरो एलांयेज	2	2
5.	मै० गंगा कावेरी सी फूड्स लि०,	2	2
6.	मै० शन्युज फिशरीज	2	-
7.	मै० प्रियदर्शिनी	1	-
8.	मै० बंगाला फिशरीज	1	-
9.	मै० एल०बी०मैरीन	2	1
10.	मै० टूना स्क्विड फिशरी	2	1
11.	मै० स्वाति मैरीन	4	2
12.	मै० स्वान सी फूडस	2	-
	योग 39 कंपनिया	148	34

गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की इंकाईयां

168. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में कृषि आधारित उद्योगों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु निवेश की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य में रुग्ण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का विचार रुग्ण इकाईयों को फिर से चालू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) देशों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार वित्तीय प्रोत्साहनों समेत विभिन्न नीतिगत उपाय और प्रोत्साहन दे रही है। इनके अतिरिक्त 8 वीं योजना–अवधि के दौरान मंत्रालय विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा हैं जिनके तहत राज्य सरकार के संगठनों /संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों/स्वैच्छिक संगठनों/सहकारी समितियों इत्यादि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बहरहाल, धनराशि का राज्य वार आबंटन नहीं किया जाता है।

(ग) अनुमान है कि 8वीं योजना–अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और इनकी पैकेजिंग में लगभग 12,0000 करोड़ रु० का निवश किया जाएगा। मंत्रालय स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं करता 1 अधिकाशं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंस–मुक्त हैं। अगस्त, 1991से अक्तूबर , 1995 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 42,343 करोड़ रुपये के निवेश वाले 3421 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अतिरिक्त 9903 करोड़ रुपये के निवेश वाली 100 प्रतिशत निर्यातीन्मुखी इकाइयों, संयुक्त उद्यमों इत्यादि की स्थापना के लिए अनुमोदन दिए गए है। इनमें 7184 करोड़ रुपये के निवेश वाली 541 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें कार्यान्वित की जा चुकी हैं कई अन्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए प्रत्येक राज्य में रुग्ण इकाइयों समेत सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विषय में केन्द्रीय रुप से सूचना नहीं रखी जाती।

(ड.) से (छ). रुग्ण इकाइंया, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास पुनर्गठन पैकेज बंद होने के लिए जा सकती है।

विद्युत की मांग और उत्पादन

169. श्री नवल किशोर राय :

डा0 महादीपक सिंह शाक्य :

कुमारी उमा भारती :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां,तो गत तीन वर्षो के दौरान इसकी मांग की वृद्धि दर कितनी कितनी रही;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान उत्पादित अतिरिक्त विद्युत की मांग और आपूर्ति का अनुमान लगाया गया है;

(घ) क्या आने वाले वर्षो में प्रत्येक राज्य के लिए विद्युत की मांग और आपूर्ति का अनुमान लगाया गया है ;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस शताब्दी के अंत तक देश में विद्युत की प्रतिव्यक्ति अनुमानित मांग और आपूर्ति कितनी–कितनी होगी;

(छ) सरकार का विचार विद्युत की मांग और उत्पादन में अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हाँ।

(ख) देश में विगत के 3 वर्षो में (विद्युत की) मांग मे वृद्धि की दर निम्नवत् रही है:–

1992-93	9.68 प्रतिशत
1993-94	3.92 प्रतिशत
1994-95	4.94 प्रतिशत

(ग) विगत के 3 वर्षो के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नवत् है:–

1992-93	7.58 प्रतिशत
1993-94	6.78 प्रतिशत
1994-95	7.22 प्रतिशत

(घ) से (च). आगामी वर्षो के लिए प्रत्येक राज्य के बारे में अनुमानित मांग और सप्लाई का ब्यौरा इलैक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण में दर्शाया गया है। 14 वें इलैक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण के अनुसार 1999-2000 के अन्त में प्रत्याशित ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन मांग क्रमश: 517 बिलियन यूनिट और 91191 मेगावाट होगी। 1999-2000 के दौरान राज्यवार ऊर्जा की आवश्यकता और व्यस्ततमकालीन मांग का ब्यौरा सलग्न विवरण दिया गया है। इस प्रकार के सर्वेक्षण मे प्रतिव्यक्ति मांग का अनुमान नहीं लगाया जाता है।

(छ) विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को समाप्त करने और देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल है; नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजना को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना , पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करना , बेहतर मांग प्रबन्ध और ऊर्जा संरक्षण उपायों की क्रियान्वित करना, अधिशेष ऊर्जा क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा के अंतरण की व्यवस्था करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देना।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान मेगावाट में ऊर्जा की आवश्यकता और मेगावाट में व्यस्ततमकालीन मांग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/क्षेत्र	ऊर्जा (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन मांग
(1999-2000)	(1999-2000)	(1999-2000)
1	2	3
हरियाणा	19280	3851
हिमाचल प्रदेश	4576	939
जम्मू एवं कश्मीर	7886	1606
पंजाब	28347	5288
राजस्थान	29077	5016
उत्तर प्रदेश	54578	10214
चण्डीगढ़	1079	200
दिल्ली	18104	3179
जोड़ उत्तरी क्षेत्र	162954	30295
गोवा	1096	216
गुजरात 5	40986	6684
मध्य प्रदेश	34757	7516
महाराष्ट्र	71097	11272
दादर एवं नगर हवेली	416	65
दमन एवं दीव	170	41
जोड़ प. क्षेत्र	148522	23992
आन्ध्र प्रदेश	43001	7327
कर्नाटक	28565	4938
केरल	15040	2927
तमिलनाडु	36668	6410
पाण्डिचेरी	2098	368
जोड़: दक्षिणी क्षेत्र	125372	21971
बिहार (डीवीसी का छोड़कर)	16326	3178
डीवीसी	14497	2600
उड़ीसा	19411	3228

प.बंगाल (डीवीसी को छोड़कर)	21092	3949
जोड़: पूर्वी क्षेत्र	71420	10998
अरुणाचल प्रदेश	283	86
असम	5889	1187
मणिपुर	596	163
मेघालय	597	119
मिजोरम	260	98
नागालैण्ड	248	64
त्रिपुरा	611	150
जोड़ : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	8483	1867
अण्डेमान निकोबार द्वीपसमुह	229	63
लक्षद्वीप	23	5
जोड़: आखिल भारत	517005	91191

[अनुवाद]

एनरॉन

170. **श्री चित्त बसु :**

श्री सत्येदेव सिंह :

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी बहुराष्ट्रीय विद्युत कम्पनी "एनरॉन विद्युत निगम" ने महाराष्ट्र सरकार के पास डाभोल परियोजना हेतु कोई नया प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी केन्द्र सरकार को भेजी है; और

(घ) इस पर महाराष्ट्र सरकार ओर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि एनरॉन डेवलपमेंट कारपोरेशन ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखा है:-

(एक) दभोल परियोजना की विशेष आधारभूत सरंचना / कर अपेक्षाओं सम्बन्धी जानकारी को घ्यान में रखने के पश्चात महाराष्ट्र में हाल ही में नई परियोजनाओं के लिए अनुमोदित श्रेष्ठ तुलनात्मक बोली टैरिफ के समतुल्य टैरिफ के लिए कम्पनी सहमत होगी।

(दो) भारतीय सप्लाईकर्ताओं के माध्यम से उपलब्ध कराए गए नापथा अथवा एलएनजी के समुपयोजन के लिए कम्पनी सहमत होगी और महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड अथवा कोई भारतीय पार्टी किसी के लिए भी परियोजना में 30 प्रतिशत ईक्विटी का प्रस्ताव रखेगी, इसके कारण परियोजना से विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाने में पर्याप्त कमी होगी।

(तीन) पर्यावरण के बारे में महाराष्ट्र सरकार (जी ओएम) के अन्य सुझावों को भी कंपनी स्वीकार करेगी।

दभोल विद्युत परियोजना के पुनरुद्धार के लिए जीओएम ने एक वार्तालाप दल का गठन किया है, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) के विचाराधीन है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट किए जाने के पश्चात् ही केन्द्रीय सरकार मामले पर विचार कर सकेगी।

औषधों का मूल्य

171. **श्री अन्ना जोशी :**

डा. श्रीमती के.एस. सौन्दरम :

क्या **रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अग्रणी औषध कम्पनियां अपने डाक्सिलिन फामर्यूलेशन्स के मूल्यों पर स्वीकृति प्राप्त किये बिना इनकी बिक्री कर रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों की तुलना में इन कम्पनियों द्वारा कितना मूल्य लिया जा रहा है और यह बिसे हो रहा है;

(ख) ये कम्पनियां किस तरह से सरकार के नियमों की अवज्ञा

कर रही है और इन पर मूल्यों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है, और

(ग) क्या मेसर्स यू.एस. विटामिन्स द्वारा मल्टी विटामिन और अन्य फार्मयूलेशन्स के मूल्यों पर स्वीकृति प्राप्त किएं बिना बिक्री की जा रही है, यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डी पी सी ओ 1995 के उपबंधों में मूल्य से संबंधित उपबंधों के अतिक्रमण के संबंध में दो सुत्रयोगों अर्थात विटामिन ए–2 मि.लि. इंजेक्शन और ग्लिनेस 10 गोलियों का पत्ता के संबध में जानकारी मिली हैं इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

172. श्री राम बदन :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री अमर रायप्रधान :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री शैलेन्द्र महतो :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री द्वारा 1 अप्रैल, 95 से अब तक किन–किन देशों की यात्रा की गई;

(ख) इन यात्राओं पर कितना खर्च हुआ;

(ग) प्रत्येक यात्रा के दौरान किन–किन मामलों पर चर्चा की गई तथा इनका क्या परिणाम रहा;

(घ) उपरोक्त यात्राओं में से प्रत्येक के दौरान किये गये समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ड.) इन समझौतों को लागू करने के लिए क्या अनुवर्ती कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इन यात्राओं के कारण व्यापार में होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरुप भारत को कितना लाभ होने की सम्भावना हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (आर. एल. भटिया) : (क) 1 अप्रैल, 1995 से प्रधानमंत्री ने मालदीव (15-16 अप्रैल, 1995 फ्रांस) 11-15 जून, 1995 मलेशिया (2-5 अगस्त, 1995) तुर्कमनिस्तान और किर्गिस्तान (9-23 सितम्बर, 1995) मिस्र, कोलम्बिया और न्यूयार्क (15-26 अक्तूबर, 1995) तथा बुरकिना फासो, अर्जेंटीना और अकरा (2-10 नवम्बर, 1995) की यात्रा की।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) से (च). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

मालदीव

प्रधानमंत्री इन्दिरा गाधी स्मारक अस्पताल का उद्घाटन करने मालदीव गए जो मालदीव की सरकार को भारत सरकार की भेंट है। उन्होने मालदीव के विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की। अस्पताल भविष्य में उनकी कार्य, प्रणाली, जनशक्ति तथा इलाके सुचारू संचालन के लिए उपकरण के रूप में अपेक्षित सहायता चर्चाओं के मुख्य विषय थे। सार्क, नाम तथा औषध द्रव्यों के अवैध वयापार पर रोक लगाने जैसे परस्पर हित के द्विपक्षीत मसलों पर भी बातचीत हुई। बन्धी बनाएं गए दो मालदीव राष्ट्रिको के बारे में मालदीव द्वारा सूचना शीर्घ दिए जाने और दोनों देशो को समुद्री सीमा दूसरे देशो द्वारा अतिक्रमण किए जाने की समस्या पर भी चर्चा हुई। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं किया गया।

फ्रांस

फ्रांस के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने गांधी जी की 125 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूनेस्कों में आयोजित महात्मा गांधी मेमोरियल भाषण दिया जो इस श्रृंखला में दिया गय पहला भाषण था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति सिराक, प्रधानमंत्री जुप, विदेश मंत्री सारेत, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बेरू, आर्थिक एवं वित्त मंत्री मदेलिन और यू डी० एफ० के नेता जिस्कार्ड देसतेंग से मुलाकता की।

दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंध, विशेषकर आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध सुदृढ़ करने की आवश्यकता के बारे में सहमत थे। दोनों पक्षों ने एक द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार शीध्र संपन्न करने की बात कही और इस बात पर गौर किया कि लम्बे समय से लम्बित पड़े कुछ मसले सुलझा लिए गए हैं और यह आशा व्यक्त की कि बाकी के विवादास्पद मसले जैसे एस. बी. जे. पाईप लाईन भी शीघ्र सुलझा लिए जाएंगे। फ्रांस ने जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के लिए अपना सार्थन दोहराया और भारत की पारदर्शिता की नीति का स्वागत किया। बातचीत में अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मसले भी शमिल थे। आतंकवाद और उग्रवाद से दोनों देशों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के बारे में भी विचारों का आदान–प्रदान हुआ। विश्व अर्थव्यवस्थाके बारे में भी बातचीत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के संबंध में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के वैध दावे पर बल दिया।

इस यात्रा के दौरान कोई करार संपन्न नहीं किया गया।

उम्मीद है कि इस यात्रा से भारत–फ्रांस संबंध सुदृढ़ होंगे विशेषकर आर्थिक और वाणिज्यिक 1 प्रधानमंत्री युप द्वारा फ्रांस के व्यावसायियों एवं उद्योगपतियों से अपना संकोच दूर करने और भारतीय मंडी में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह करने से द्विपक्षीय एवं वाणिज्यक संबंधों मे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की आशा है।

मलेशिया

द्विपक्षीय क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मसलों सहित परस्पर हित के मसलों पर चर्चा हुई। इस यात्रा से एक–दूसरे के दृष्टिकोणों को बेहतर ढ़ंग से समझने में मदद मिली और उम्मीद है कि इससे द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

इस यात्रा के दौरान पांच करार संपन्न किए गए।

(एक) भारत में सुपर नेशनल हाईवे परियोजना की रूपरेखा तैयार करने, विकसित एवं क्रियान्वित करने के लिए राजमार्ग विकसित करने में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन।

(दो) एक–दूसरे के देश में निवेश की अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने और निवेश संरक्षित करने के लिए निवेश संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित करार।

(तीन) अन्तरिक्ष विज्ञान विशेषकर उपग्रह कार्यक्रमों के क्षेत्र में मलेशिया को तकनीकी प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए और इसके साथ ही मलेशिया के अनतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के समग्र विकास में मदद करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण एवं परामर्श में सेवाएं प्रदान करने से संबंधित करार।

(चार) उच्च कोटि के नए कार्यक्रम संयुक्त रूप से तैयार करने, भरतीय कार्यक्रमों का एक प्रमुख चैनल तेयार करने तथा भारत में यूजर सेटेलाइट ब्राडकास्ट्रिंग सर्वित को एलक्रिप्टेड डायरेक्ट का विपणन करने के लिए दूरदर्शन तथा "मी सेट" ब्राडकास्ट नेटवर्क सिस्टम के बीच समझौता ज्ञापन।

(पांच) दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग विदेशी निवेश संवर्धित एवं विकसित करने में सहायता के लिए भारत उद्योग परिसंघ एवं मलेशियाई औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन।

मलेशिया के प्रमुख व्यवसायिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ाने के लिए इस समय उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी दी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहत मिलने की उम्मीद है।

तुर्कमेनिस्तान

विचार–'विमर्श के दौरान धर्म–निरपेक्षता, सहिष्णुता एवं लोकतंत्र के समान मूल्यों पर बल दिया और इसके साथ ही व्यावसायिक संपर्को एवं आर्थिक सहयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय, राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी अपने दृष्टिकोणों का आदान–प्रदान किया। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने कश्मीर के संबंध में भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भी। इस यात्रा से परस्पर संपर्क मजबूत करने ओर हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद मिली।

इस यात्रा के दौरान चार करार संपनन किए गए :–

(1) दस मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराने से संबद्ध करार इसमें तुर्कमेनिस्तान की सरकार को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

(2) सुयक्त आयोग की स्थापना से संबंधित करार इसमें इसका कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया है और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सहयोग के लिए इसकी बैठकों की बारम्बारता के बारे में बताया गया हैं।

(3) द्विपक्षीय निवेश संरक्षण से संबंधित करार – राष्ट्रीयकता अथवा भेदभाव के बिना कानून के अनुसार केवल सार्वजनिक प्रयोजन को छोड़कर, किसी भी प्रकार के स्वामित्वहरण के विरूद्ध दोनों देशों में निवेश संरक्षित करने और न्यायोचित एवं समान मुआवजे के लिए।

(4) सांस्कृतिक आदान–प्रदान से संबंधित करार इसमें संस्कृति, कला शिक्षा, जन प्रचार एवं खेल–कूद के क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है। यह करार जो अप्रैल, 1992 में संपन्न किया गया था। 1995-1996 की दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

तुर्कमेनिस्तान भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद इन देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच त्रि–पक्षीय बैठक से संबंधित एक समझौता संपन्न किया गया।

राजनयिक माध्यमों के जरिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। राज्य मंत्री, श्री सलपान खुर्शीद की अध्यक्षता में 21 नवम्बर को एक उच्च स्तरीय अन्तर–मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की, जो यात्रा के दौरान विभिन्न समझौता का क्रियान्वयन मानीटर करेगी।

उम्मीद है कि भारत को दोनों देशों के बीच शिखर स्तर पर परस्तर प्रक्रिया के परिणामस्वरुप पर्याप्त लाभ होंगे। तुर्कमेनिसतान के पास हाईड्रो–कार्बन सहित प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं।

किर्गिस्तान

आर्थिक सहयोग, किर्गिज कार्मिकों के प्रशिक्षण लघु उद्योगों, हल्के उद्योगों, फार्मास्यूटिकल्स में सहयोग तथा द्विपक्षी संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष उपरोक्त क्षेत्रों में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए सहमत हुए। किर्गिस्तान के कश्मीर के संबंध में भारत के दृष्टिकोण का, संयुक्त राष्ट्र की पुनसंरचना का और सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

इस यात्रा के दौरान तीन करार संपन्न किए गए :–

(1) पर्यटन में सहयोग से संबंधित करार – इसका लक्ष्य फर्मो और संगठनों के बीच सहयोग के माध्यम से, पर्यटन संबंधी सूचना का आदान–प्रदान करके, होटलों के निर्माण एवं कार्मिको के प्रशिक्षण की सम्भावनाओं का पता लगा कर दोनों देशों के बीच पर्यटन संवर्धित करना है।

(2) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सहयोग संबंधी करार–इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है जिसमें वैज्ञानिकों तथा अन्य विशेषज्ञों के अनुभवों का आदान–प्रदान भी शामिल है तथा संगोष्ठियों का आयोजन संयुक्त कार्यक्रम एवं संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं।

(3) भारत –किरगिज सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के विस्तार से संबंधित प्रोतोकोल भी संपन्न किया गया। संस्कृति, कला, शिक्षा, जन–प्रचार , पर्यटन, खेल–कुद के क्षेत्रों में मार्च, 1992 में संपन्न द्विपक्षीय सांसकृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम 1995, 1996 ,1997, की तीन और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

भारत –किरगिज संयुक्त आयोग की बैठक अक्तूबर, 1995 में नई दिल्ली में हुई प्रधान मंत्री की यात्रा की अनुवर्ती कार्यवाई स्वरुप विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अन्तर–मंत्रालयी बैठक 21 नवम्बर, 1995 को हुई।

इस यात्रा के परिणामस्वरुप किर्गिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण रुप से बढ़ने की उम्मीद है।

मिस्र

प्रधान मंत्री की राष्ट्रपति मुबारक के साथ अकेले में बैठक हुई तथा मिस्र के प्रधान मंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बैठक हुई। अरब लीग के महासचिव प्रधान मंत्री से मिलने आये। प्रधान मंत्री ने मिस्त्र बुद्धिजीवियों के साथ भी मुलाकात की।

बैठकों के दौरान व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहित परस्पर हित के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों दक्षिण, एशिया मध्य पूर्व, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पेश आने वाली आतंकवाद जैसी नई चुनौतियों तथा नाम को मजबूत बनाने से संबद्व क्षेत्रीय मसलों पर चर्चा हुई। यात्रा से द्विपक्षीय संबधों तथा द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों के संबंध में दोनों देशों में एक–दूसरे के दृष्टिकोण के सभी पहलुओं को बेहतर समझ–बूझ की प्रेरणा मिली।

इस यात्रा के दौरान तीन करार सम्पन्न हुए :

(1) विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी संबंधी करार में–संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन, विज्ञान संबंधी सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों का आयोजन और उनमें भाग लेना, अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं और वैज्ञानिक उपकरणों का परस्पर उपयोग, संयुक्त विज्ञान–संबंधी बैठकों का आयोजन, आदि शामिल हैं।

(2) सभी प्रकार के आपराधिक कृत्यों का सामना करने, विशेष रुप से आंतकवादी, अन्तर्राष्ट्रीय तथा संगठित अपराधों को रोकने से सम्बद्ध करार के सम्पन्न हो जाने से दोनों देश इन अपराधों का मुकाबला करने में सूचना, अनुभवों और तकनीकों का आदान–प्रदान कर सकेंगे।

(3) सूचना के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार –प्रैस, समाचार अभिकरणों तथा अन्य सूचना माध्यमों के जरिये एक–दूसरे के देश में अपने नागरिकों के बीच समाचारों और सूचना में प्रचार–प्रसार को प्रोत्साहित करना है। इस करार के क्रियान्वयन,सूचना वैज्ञानिक अनुसंधान, पुस्तकों का आदान–प्रदान, प्रेस रिपोर्टरों और फोटोग्राफरों, विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षुओं एवं प्रचार सामग्री के आदान–प्रदान सहित कई रुप होंगे।

संबंधित मंत्रालयों और संगठनों द्वारा यथा आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

. इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार ओर आर्थिक सहयोग के अन्य पहलुओं को प्रोत्साहन मिलेगा। अन्तर–सरकारी संयुक्त आयोग की आगामी बैठक फरवरी, 1996 में नई दिल्ली में आयोजित होने की संभावना हैं। उसी समय मिस्र से एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आएगा। लघु उद्योग में सहयोग के परिणामस्वरुप संयुक्त उद्यमों की स्थापना तथा उपकरण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात संभव है। खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के निर्यात के लिए उपाय किए जाने की उम्मीद है।

कोलम्बिया

प्रधानमंत्री गुट–निरपेक्ष आन्दोलन के शासनाध्यक्षों/राज्याध्यक्षों के 11 वें सम्मेलन में भाग लेने कोलम्बिया गएं। इस सम्मेलन ने बदली गई अर्न्तराष्ट्रीय परिस्थिति में गुट–निरपेक्ष आन्दोलन की सतत प्रासंगिकता तथा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्राथमिकताओं, उद्देश्यों और नयी चुनौतियों का मुकाबला करने की उसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सुधार का प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा निरस्त्रीकरण, विकास, मानवाधिकार, सामाजिक मसले एव दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री द्वारा दिए भाषण में भारत के हितों तथा नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने और आर्थिक तथा सामाजिक मसलों पर विचार–विमर्श किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्णायक क्षेत्रों में सर्वसम्मति कायम करने और इस बात का सुनिश्चय करने में अहम भूमिका अदा की कि सम्मेलन द्वारा पारित किए गए दस्तावेजों में भारत की हित–चिन्ताओं को पूरी तरह परिलक्षित किया गया।

चूकि यह यात्रा द्विपक्षीय नहीं थी इसलिए कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

न्यूयार्क

प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की 50 वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से विशेष स्मारक बैठक में भाग लेने के लिए न्यूर्याक गए। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण में भारत की प्राथमिकताओं और संयुक्त राष्ट्र की भावी भूमिका को उजागर किया गया। भारत ने घोषणा का प्रारुप तैयार करने, कई विवादास्पद मसलों पर एक सर्वसम्मति कायम करने और इस बात का सुनिश्चय करने में निर्णायक भूमिका कि सर्वसम्मति से पारित पाठ में विकासशील देशों की चिन्ताओं को पूरी तरह उजागर किया जाए। इस घोषणा की मुख्य–मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं, मानवजाति की और अधिक सेवा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पुनः वचनबद्वता, विशेष कर उन लोगों की जो दुःखों को झेल रहे है। और हर प्रकार से वंचित हैं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों आर सिद्धांतों की पुनः पुष्टि करना तथा इस बात का निश्चय करना कि सयुक्त राष्ट्र भविष्य में नयी ओजस्वीता और प्रभावी ढंग से शान्ति, विकास समानता तथा न्याय प्रोत्साहित करेगा, इस घोषणा में हथियारों का नियंत्रित करना, उन्हें सीमित करने, निरस्त्रीकरण, नाभिकीय हथियारों के साथ जैविक, रासायनिक हथियारों का अप्रसार आदि का समर्थन किया गया है। इस घोषणा में यह बात स्वीकार की गई है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस घोषणा में इस बात का आहवान किया गया है कि महासभा की पुनःसंरचना की जाए और साथ ही सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाएं।

बुरकिना फासो

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सार्वभौम मसलों पर चर्चा हुई। बरकिना फासो ने भारत की इस स्थिति पर अपना समर्थन जताया कि कश्मीर मसले का समाधान पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते की रुपरेखा के भीतर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए होना चाहिए। उसने सुरक्षा परिक्षद में स्थायी सदस्य के रुप में तथा 1997-98 की

अवधि के लिए अस्थायी सदस्य के रुप में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। भारत ने कृषि, लघु उद्योगों, रेलवे, स्वास्थ्य देखभाल और सिंचाई के क्षेत्रों में बुरकिना फासो को सहायता करने की पेशकश की।

इस यात्रा के दौरान एक व्यापार करार और साहेल रेल परियोजना के संबंध में एक सामझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

इस यात्रा के दौरान सम्पन्न करारों के अनुसरण में सरकार विद्यमान क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने और नये क्षेत्रों का पता लगाने में बुरकिना फासों की सरकार के साथ परामर्श जारी रखे हुए है।

इस यात्रा से वाणिज्यिक आदान–प्रदान के लिए और अधिक अवसर मिलेंगे और इससे भारत के सरकारी तथा निजी क्षेत्रों को बुरकिना फासो की परियोजनाओं में और अधिक सहभागिता करने का अवसर मिलेगा इस यात्रा के परिणामत : अफ्रीका के देशों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता एवं प्रगति में भारत की सतत रुचि कों योगदान मिला है।

अर्जेन्टीना

प्रधानमंत्री दक्षिण–दक्षिण परामर्श तथा सहयोग के शिखर स्तरीय दलन के 5 वें शिखर–सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेन्टीना गए। इस शिखर–सम्मेलन की मुख्य–मुख्य विशेषताएं निवेश, व्यापार तथा प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध जी–15 समिति के विचारार्थ विषयों को अनुमोदित करना था जिसका उद्‌देश्य व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने के प्रबन्ध करना, जी–15 देशों के बीच प्रौद्योगिकी के अन्तरण को संवर्धित करना एवं उसे उदार बनाना तथा प्रोत्साहित करना है। जी–15 समिति की पहली बैठक मार्च,1996 में जिम्बाव्वे में होगी जिसमें इस प्रस्ताव की सफलता के सुनिश्चय के लिए भारत सक्रिय रुप से भाग लेगा।

आतंकवाद के संबंध में समापन के समय यह वक्तव्य रिकार्ड किया गया कि "हम इस बात से सहमत हैं कि आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करने आवश्यक हैं और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार साथ–समय पर जी–15 परामर्श होंगे ताकि आतंकवाद को रोकने के लिए मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों को बल मिले"।

चूंकि यह यात्रा द्विपक्षीय नहीं थी इसलिए कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

अकरा

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान पारस्परिक हित के द्विपक्षीय क्षेत्रीय और सार्वभौम मसलों पर चर्चा हुई। भारत के कृषि, लघु उद्योग, पर्यटन, दूर संचार और परिवहन के क्षेत्र में घाना को सहायता करने की पेशकश की।

घाना के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना से सम्बद्ध करार का पाठ तैयार किया जा रहा है।

इस यात्रा के दौरान सम्पन्न करार के परिणामतः सहयोग के क्षेत्रों को सुदृढ़ करने तथा उनका विस्तार करने एवं सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के उद्‌देश्य से परामर्श चल रहा है।

संयुक्त आयोग की स्थापना से सम्बद्ध करार सम्पन्न हो जाने से हमारे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक आदान–प्रदान के और अधिक अवसर प्राप्त होगें और भारत के सरकारी तथा निजी क्षेत्रों को घाना की परियोजनाओं में सहभागिता करने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा के परिणामतः अफ्रीका की उनकी राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता एवं प्रगति में भारत की रुचि को योगदान मिला साथ ही संयुक्त राष्ट्र उसकी एजेंसियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मचों में महत्वपूर्ण सार्वभौमिक मसलों पर विकासशील देशों के हित साधने में योगदान मिलेगा।

[अनुवाद]

भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता

173. **श्री धर्मण्णा मोंडयया सादुल :**
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री सनत कुमार मंण्डल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के प्रश्न पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा;

(ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की स्थिति में भारत की उम्मीदवारी की क्या संभावनाएं हैं;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र के हाल के अधिवेशन के दौरान भारत ने सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनने का अपना दावा पेश किया था/ इस सम्बंध में प्रचार किया था;

(ङ) भारत की स्थाई सदस्यता के लिएं किन–किन देशों ने भारत का समर्थन किया;

(छ) क्या किन्हीं देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति विरोध प्रकट किया अथवा इस दिशा में बाधा खड़ी की; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाएं गये है/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग). जी हाँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू सत्र में सयूक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के प्रश्न पर चर्चा की गई। ये विचार–विर्मश संयुक्त राष्ट्र महासभा की " ओपन–एन्डेड" कार्यदल में भी जारी रहेगा जिससे किसी भी सहमत सुझाव को सितम्बर, 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 50 वें सत्र के अन्त तक प्रस्तुत करना होगा। परिणाम क्या होगा, इसका अनुमान लगााना अभी उचित नहीं होगा। तथापि, इस बात के प्रति निरन्तर समर्थन बढ़ रहा है कि विस्तृत स्वरुप वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों दोनों ही प्रकार की श्रेणियों में गुटनिरपेक्ष तथा विकासशील देशों को शामिल किया जाना चाहिएं।

(घ) से (च). जी हाँ। भारत ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रुप में कार्य करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। हमने इस बात का संकेत दिया है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार निष्पक्ष मानदण्डों पर आधारित होना चाहिए। मारीशस, भूटान, डोमिनिकन रिपब्लिक तथा क्यूबा ने संयुकत राष्ट्र में स्थायी सदस्य के लिए भारत की उम्मीदवारी का स्पष्ट रुप से समर्थन किया है।

(छ) और (ज). ओपेन एन्डेड कार्यदल में सुरक्षा परिषद के विस्तार से सम्बन्धित चर्चा में किन्ही "विशिष्ट देशों की उम्मीदवारी पर गौर" नहीं किया गया हे तथापि पाकिस्तान ने यह कहते हुए बाधा डालने की कोशिश की है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। भारत ने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों की श्रेणी में विस्तार किए जाने के लिए कहा है, जिसके लिए व्यापक समर्थन है।

मत्स्यन उद्योग में महिलाएँ

174. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण उद्योगों में कितनी महिलसएं का कार्यरत है;

(ख) क्या सरकार को मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण एककों में महिलाओं के प्रति बढ़ते शोषण की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मत्स्यन और मत्स्य प्रसंस्करण एककों में कार्यरत महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) सारे भारत में महिलाएं विशेषकर मत्सयन समुदाय से संबंध रखने वाली महिलाएं अन्तर्देशीय और/ या तटीय फिशरी क्षेत्रों से प्राप्त मत्स्य उत्पादों की हैंडलिंग, विपणंन और प्रसंस्करण के काम में सहायता करती हैं। ये महिलाएं और अन्य महिलाएं संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के मत्सय प्रसंस्करण उद्योगों में भी कार्यरत हैं। तथापि, उनकी संख्या के बारे में कोई आंकडे नहीं रखे जा रहे है।

(ख) सरकार को इन महिलायों के तथाकथित शोषण के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक की पन. बिजली परियोजनाएं

175. **श्री ए.वेंकटेश नायक : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक की बेडथी तथा डांडेली पन बिजली परियोजनाएं मंजूरी के लिए भेजी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन बिजली परियोजनाओं को कब तक मंजूरी देने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). 2x105 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता वाली बेड्थी (गंगावली) पन बिजली परियोजना को वन्य स्वीकृति के शर्ताधीन निवेश सम्बन्धी निर्णय 2 अप्रैल, 1979 को प्रदान किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययन 'कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) द्वारा किए जा रहे हैं।

2x25 मे. वा. की अधिष्ठापित क्षमता वाली डांडेली पन बिजली परियोजना के लिए निवेश सम्बन्धी निर्णय 14 मई, 1980 को प्रदान किया गया था। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति, वन्य स्वीकृति जारी किए जाने के शर्ताधीन थी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजना को रद्द कर दिया गया है।

मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत औषध

176. **डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और केलकर समिति ने बल्म औषधों की सूची के बारे में अपनी वार्षिक समीक्षा में 50 लाख रुपये अथवा इससे अधिक का कारोबार करने वाली कम्पनियों को औषध नियंत्रण के अंतर्गत लाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1993 और 1994 में किन–किन औषधों की इस सूची में शामिल किया गया है और 31 जुलाई, 1994 तक समीक्षा के लिय कितने मामले लंबित रहे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). केलकर समिति द्वारा अपनाया गया एक मानदण्ड यह था कि कीमत नियंत्रण के अंतर्गत उन औषधों को शामिल किया जाए जिनका 50 लाख रु. या अधिक का कारोबार हो। समिति ने अपनी पूरक रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया था कि कीमत नियंत्रित औषधों की सूची की आवधिक तौर पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए। इस समिति के निर्णय 1987 के डी पी सी ओ में दिए गए थे। चूंकि अपनाए गए मानदंड की आलोचना हुई थी अतः नए सिरे से पुनरीक्षा शुरु की गई थी जिसके परिणामस्वरुप औषध नीति, 1996 में जिसके संशोधन सितंबर, 1994 में घोषित किए गए तथा 1995 के डी पी सी ओ 1995 बना। वर्ष 1993 और 1994 के दौरान कीसत नियंत्रण के अधीन औषधों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं हुए थे।

कर्नाटक की पन-बिजली परियोजना

177. **श्री ए.वेंकटेश नायक : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार अगले वर्ष के दौरान २७० मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने हेतु "शिवन समुद्र" पन बिजली परियोजना पर कार्य शुरु कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित "शिवन समुद्र सीजनल पावर स्कीम (2x135 मे. वा.)" सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अक्तुबर, 1987 में प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय

विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसकी जांच की गई थी और अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान होने के पश्चातृ तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु पुनः प्रस्तुत किए जाने के लिए कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अक्तूबर, 1988 में वापस भेज दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा अनुपालना किए जाने की प्रतीक्षा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधाएं

178. श्री पो० सी० थामस : क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिएं आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये धनराशि बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में "कपार्ट" को काफी ज्यादा संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुये है;

(घ) "कपार्ट" द्वारा प्रक्रिया को सरल बनाकर इस परियोजना को शीघ्रता से निपटाने के लिए तथा और अधिक आवास सुविधाएं मंजूर करने केलिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ड.) अप्रैल 1995 में "कपार्ट" को ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी हां।

(ख) इन्दिरा आवास योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, मुक्त बंधुवा मजदूरों और गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को निशुल्क मकान उपलब्ध कराना है, के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष के दौरान 1250 करोड़ रुपयें (20 प्रतिशत राज्य अंश सहित शामिल है) का आवंटन किया गया है जो कि 1994-95 के दौरान किये गये 464 करोड़ रुपये के खर्च की तुलना में लगभग ढाई गुना है।

वर्ष 1993-94 में शुरु की गई ग्रामीण आवास योजना, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारो को उनके ग्रामीण आवास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रयासों को सुदृढ़ बनाने और बढ़ानें के लिए सहायता देना है, के अन्तर्गत 1994-95; के दौरान 30-00 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान 45-00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(ग) अप्रैल, 1995 से अब तक प्राप्त 5 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए आवेदनों की कुल संख्या 183 है, इनमें से 49 मामले निपटाये जा चुके हैं और शेष 134 मामलों में कार्यवाई चल रही है।

(घ) एक राष्ट्रीय स्थाई समिति का गठन किया गया है जिसमें अन्यों के अलावा स्वंयसेवी संगठनों के मंडल प्रमुख प्रतिनिधि मंडल शामिल हैं। आवेदनों के निपटान के लिए इसकी बैठकें लगभग प्रति माह होती हैं।

(ड.) उत्तर भाग (ग) में दिए गए अनुसार है।

प्रतिव्यक्ति विद्युत की खपत

179. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रतिव्यक्ति विद्युत की खपत कितनी है;

(ख) विगतर तीन वर्षो के दौरान प्रतिव्यक्ति विद्युत की खपत में वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत क्या है;

(ग) सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में तापीय और जल विद्युत दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक हुई है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में क्या तापीय, जल और गैस आधारित विद्युत उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान भारत में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत 299 कि. वा. घ. थी। वर्ष 1992 के दौरान कुछ विकसित देशों में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख पिछले तीन वर्षो के दौरान देश में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत में प्रतिशत अभिवृद्धि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार है:–

वर्ष	प्रतिव्यक्ति खपत (के. वी.एच.)	प्रतिशत अभिवृद्धि
1991-1992	269.98	6.81
1992-93	283.10	4.86
1993-94	299.00	5.62

(ग) सातवी योजना के दौरान वास्तविक क्षमता अभिवृद्धि की तुलना में श्रेणीवार क्षमता अभिवृद्धि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार है:–

(आंकड़े में वा. में)

श्रेणी	लक्ष्य	वास्तविक	(%)
ताप विद्युत	15999.0	17104.20	106.9
न्यूक्लीय	705.0	470.0	66.6
जल विद्युत	5541.25	3827.44	69.0
जोड़	22245.25	21401.64	96.2

(घ) आठवीं योजना के दौरान राज्यवार और श्रेणीवार क्षमता अभिवृद्धि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार है:- (आंकड़े मे. वा. में)

क्षेत्र	जल विद्युत	ताप विद्युत	न्यूक्लीय	कुल
केन्द्रीय	3260.0	8498.0	1100	12858.0
राज्य	5860.2	9009.5	-	14869.7
निजी	162.0	2648.0	-	2810.0
जोड़	9282.2	20155.5	1100	30537.7

विवरण

वर्ष 1992 के दौरान विकसित देशों में विद्युत की वार्षिक प्रतिव्यक्ति खपत

देश का नाम	प्रतिव्यक्ति खपत
कनाडा	18117
स्विटजरलैण्ड	8015
इटली	4525
आस्ट्रेलिया	9043
रूस	6659
ब्रिटेन	5933
अमरीका	12160
जापान	7192
जर्मनी	6627
फ्रांस	7140
स्वीडन	16625

स्रोतः 1992 के ऊर्जा सम्बन्धी आंकड़े संघ राष्ट्र प्रकाशन।

[हिन्दी]

बंजर भूमि विकास

180. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा देश में गत तीन वर्षो के दौरान आज की तिथि तक ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों की बंजर भूमि के विकास हेतु राज्य-वार कौन-कौन सी योजनाएं शुरु की गई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत की गई;

(ग) अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष अस्वीकृत परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) :(क) देश में वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने निम्नलिखित योजनाएं शुरु की हैं :-

(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना

(2) अनुदान सहायता योजना

(3) निवेश संवर्धन योजना

(4) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना

(5) बंजर भूमि विकास कार्य बल

(ख) और (ग). बंजरभूमि विकास विभाग के कार्यान्वयन के अंतर्गत योजनाओं का विभिन्न एजेंसियों द्वारा संवर्धन किया जा रहा है जिनका नीचे उल्लेख किया गया है:

(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना के अंतर्गत परियोजनाएं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती है और उनको राज्य सरकारों की मार्फत अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है। 31-3-1995 तक राज्य सरकारों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा 201 परियोजनाएं प्रस्तुत की गई थी जिनमें से 128 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी। इन परियोजनाओं के राज्यवार सलग्न ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(2) अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत परियोजनाएं स्वयसेवी एजेंसियों द्वारा तैयार की जाती है ओर इनको वित्त-पोषण हेतु बोर्ड को सीधे ही भेजा जाता है न कि राज्य सरकार की मार्फत।

(3) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को सवर्धन एजेंसियों द्वारा तथा राज्य सरकार की मार्फत बोर्ड को भेजा जाता है। राज्य सरकार से प्राप्त 2 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. पश्चिम बंगाल के कल्याणी में गंदे पानी के इस्तेमाल से प्रोयोगिक के तौर पर वनरोपणें	5.65 लाख रुपए
2. सिक्किम में कृषि-वानकी परियोजना	12.51 लाख रुपए

(4) निवेश संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को वित्त-पोषण हेतु वाणिज्यक बैंको द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात् संवर्धनकर्ता द्वारा सीधे बोर्ड को भेजा जाता है।

(5) बंजरभूमि विकास कार्यबल के अंतर्गत परियोजनाओं को राज्य सरकार के परामर्श से बोर्ड द्वारा संबंर्धित किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दुर्गम और निम्नकिकृत बेहड़ों के 390 हैक्टेयर क्षेत्र प्रति वर्ष के हिसाब से विकसीत करने के लिए बंजरभूमि विकास कार्यबल की हाल ही में स्थापना की गई है।

(घ) और (ड़). प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दर्शाए अनुसार 31-3-1995 तक 128 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है। बकाया परियोजनाओं में से 51 परियोजनाएं राज्य सरकार और जिला प्राधिकारियों को लौटा दी गई थी क्योंकि परियोजनाओं के मसौदे सस्वीकृति हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुक्रम नहीं थे। बकाया 22 अनुमोदित परियोजनाओं की सूचि, जिन पर विचार किया जाना है,संलग्न विवरण-II पर है। चूंकि 31-3-1995 तक अनुमोदित चल रही समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना के लिए 1995-96 की कुल निधि की आवश्यकता 128.32 करोड़ रुपये है और समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना के अंतर्गत वर्ष का बजट प्रावधान 1995-96 के लिए केवल 49.50 करोड़ रुपए है, अतः बोर्ड द्वारा सभी 22 लंबित परियोजनाओं को किसी निर्धारित समय-सीमा तक अनुमोदित कर पाना संभव नहीं होगा।

विवरण-I

उन जिलों के नाम जिनमें एकीकृत बंजरभुमि विकास परियोजना स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(रुपए लाख में)

क्रमांक	जिलों का नाम	कुलपरियोजना लागत
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	नालगोड़ा	302.09
2.	नेल्लौर (परियोजना II)	416.72
3.	नेल्लौर (परियोजना–II)	416.59
4.	महबूब नगर (परियोजना–I)	362.38
5.	महबूब नगर (परियोजना–I)	362.27
6.	विजयनगरम	381.05
7.	निजामाबाद	357.56
8.	प्रकाशम (परियोजना–I)	21.33
9.	प्रकाशम (परियोजना–II)	335.51
10.	विशाखापट्टनम	402.04
11.	करीम नगर	418.00
12.	रंगा रेड्डी	485.64
13.	कूडप्पा	110.00
	बिहार	
14.	चतरा	138.45
15.	लोहारडागा	248.66
16.	गरवा	114.21
17.	गया	433.37
18.	नवादा	288.37
19.	देवधर	331.60
20.	पलामू	233.97
	गुजरात	
21.	सुरेन्द्र नगर (परियोजना–I)	19.26

1	2	3
22.	सुरेन्द्र नगर (परियोजना–II)	206.14
23.	कच्छ (परियोजना–I)	396.55
24.	कच्छ (परियोजना–II)	389.66
25.	पंचमहल	287.89
26.	डांग (परियोजना–I)	345.67
27.	डांग (परियोजना–II)	409.50
28.	अमरेली	359.45
29.	जामनगर	245.89
30.	मेहसना	466.69
31.	राजकोट	352.84
32.	गांधी नगर	144.43
33.	बनासकांठा	369.71
	हरियाणा	
34.	हिसार (परियोजना–I)	280.45
35.	हिसार (परियोजना–II)	306.54
36.	करनाल	335.21
37.	यमुनानगर	151.80
38.	महेन्द्रगढ़ (परियोजना–I)	296.22
39.	महेन्द्रगढ़ (परियोजना–II)	20.50
40.	रेवाड़ी	283.99
	हिमाचल प्रदेश	
41.	कांगड़ा	349.50
42.	सोलन	352.64
43.	चम्बा	281.82
44.	हमीरपुर	300.55
	जम्मु व कश्मीर	
45.	ऊधमपुर	137.11
	कर्नाटक	
46.	टूमकूर (परियोजना–I)	436.20
46.	टूमकूर (परियोजना–II)	120.00
47.	मांड्या	372.91
	केरल	
49.	त्रिसूर	157.59

1	2	3
50.	पलक्कड़ (परियोजना–I)	372.59
51.	पलक्कड़ (परियोजना–II)	313.60
52.	मालापुरम, कन्नूर और कसगोडे	87.50
53.	व्यानाद	315.47
	मध्य प्रदेश	
54.	इंदौर	95.52
55.	झाबुआ (परियोजना–I)	32.20
56.	झाबुआ (परियोजना–II)	319.20
57.	दतिया	40.00
58.	भोपाल	65.84
59.	छिदवाड़ा	301.69
60.	टीकमगढ़	128.68
61.	माडंला	350.28
62.	सरगुजा	322.14
63.	उज्जैन	338.57
64.	दुर्ग	215.94
65.	रायगगढ़	390.55
66.	रायपुर	252.68
	महाराष्ट्र	
68.	अहमदनगर	42.03
69.	नासिक	156.73
	मेघालय	
70.	पश्चिमी खासी हिल्स	117.39
	मणिपुर	
71.	इम्फाल	202.20
	मिजारोम	
72.	आइजल	359.95
	नागालैंड	
73.	कोहिमा (परियोजना–I)	216.14
74.	कोहिमा (परियोजना–II)	516.00
75.	फेश	362.53
	उड़ीसा	
76.	कालाहाड़ी (परियोजना–I)	207.13
77.	कालाहाडी (परियोजना–II)	441.53

1	2	3
78.	कोरापट (परियोजना I)	216.66
79.	कोरापट (परियोजना–II)	49.12
80.	बोलानगीर	437.54
81.	धनेकनाल	45.97
82.	मलकानगिरि (परियोजना–I)	62.39
83.	मलकानगिरि (परियोजना–II)	157.78
84.	नवंरग पुर	284.28
	पंजाब	
85.	भटिंडा	409.13
86.	संगरुर	287.78
89.	होशियारपुर और रोपड़	599.82
	राजस्थान	
88.	जैसलमेर	170.30
89.	भीलवाड़ा	320.00
90.	डौक	304.00
91.	सीकर	397.19
92.	झालावाड़	273.95
93.	जयपुर (परियोजना–I)	329.40
94.	जयपुर (परियोजना–II)	153.32
95.	जयपुर (परियोजना–III)	414.05
96.	अजमेर	320.76
97.	जोधपुर	191.36
98.	उदयपुर	252.41
99.	पाली	320.85
	सिक्किम	
100.	दक्षिणी सिक्किम (परियोजना–I)	77.81
101.	दक्षिणी सिक्किम (परियोजना–II)	92.04
102.	दक्षिणी सिक्किम (परियोजना–III)	89.62
103.	दक्षिणी सिक्किम (परियोजना–IIII)	93.09
104.	पश्चिमी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम	18.49
105.	पूर्व सिक्किम (परियोजना–I)	71.26
106.	पूर्व सिक्किम (परियोजना–II)	333.66
107.	उत्तरी सिक्किम	155.55

1	2	3
	तमिलनाडू	
108.	परियार	343.93
109.	पसुमपोन	284.73
110.	उत्तर अर्कोट अम्बेडकर	296.04
111.	दक्षिण अर्कोट अम्बेडकर	249.80
112.	तिरुवन्नालाई समुवरयार	255.94
113.	पुडुकोट्टई	126.45
	त्रिपुरा	
114.	पश्चिम और दक्षिण त्रिपुरा	145.44
115.	हमीर पुर	302.33
116.	ललित पुर	287.76
117.	मथुरा	115.40
118.	रायबरेली	172.01
119.	मैनपुरी	338.30
120.	लखनऊ	391.19
121.	फरुखाबाद	147.00
122.	झांसी	349.85
	पश्चिमी बंगाल	
123.	बांकुडा (परियोजना–I)	256.98
124.	बांकुड़ा (परियोजना–II)	256.52
125.	पुरुलिया (परियोजना–I)	93.83
126.	पुरुलिया (परियोजना–II)	137.75
127.	दार्जिलिंग	469.74
128.	देहली	55.75
	कुल योग	32394.82

विवरण-II

क्रमांक	जिलों के नाम	राज्य
1	2	3
1.	कुर्नूल	आंध्रप्रदेश
2.	कर्बो–अंगलोगं	असम
3.	कछार	असम
4.	सासाराम	बिहार
5.	मुजयफरपुर	बिहार

1	2	3
6.	भावनगर	गुजरात
7.	जूनागढ़	गुजरात
8.	खेडा	गुजरात
9.	इददूकी	केरल
10.	राजनांद गांव	मध्यप्रदेश
11.	शाजापुर	मध्यप्रदेश
12.	पुणे	महाराष्ट्र
13.	मोकोकचुंग	नागालैंड
14.	जुनोबुट्टो	नागालैंड
15.	सवाई माधोपुर	राजस्थान
16.	बूंदी	राजस्थान
17.	मदुराई	तामिलनाडु
18.	आगरा	उत्तर प्रदेश
19.	इटावा	उत्तर प्रदेश
20.	बुलन्दशहर	उत्तर प्रदेश
21.	सुलतान पुर	उत्तर प्रदेश
22.	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

बहुमूल्य पत्थरों की तस्करी

181. श्री एन.जे. राठवा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विभिन्न देशों से बड़े पैमाने पर बहुमूल्य पत्थरों की तस्करी के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्यों में बहुमूल्य पत्थरों को निकालने के कार्य पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चमौली में तांबे की खानें

182. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या खान मंत्री तांबे की खानों को बन्द किये जाने के बारे में 31 जुलाई, 1995 अतारंकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब तक अपेक्षित जानकारी एकत्रं कर ली गई है और उसे सभा पटल रख दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग) : (क) जहां तक इस मंत्रालय का संबध है अतारांकित प्रश्न संख्या 93 से संबंधित आश्वासन को पूरा करने वाला एक विवरण पत्र संसदीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 3-11-1995 को भेज दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी तक चमौली जिले मे तांबें की छोटी खांने प्रचालन में थी परन्तु अलाभकारी प्रचालन के कारण इन खानों को बन्द कर दिया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था परन्तु यहां किसी प्रकार का लाभकारी भंडार नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

11.50 म.पू०

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, (28 नवम्बर, 1995), 7 अग्रहायण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।